



गांधीजीकी
संक्षिप्त आत्मकथा

संक्षेपकार
मथुरादास त्रिकमजी
अनुवादक
काशिनाथ त्रिवेदी



नवजीवन प्रकाशन मंदिर
अहमदाबाद

मुद्रक और प्रकाशक
जीवणजी डाह्याभायी देसायी
नवजीवन मुद्रणालय, अहमदावाद - ९

सर्वाधिकार नवजीवन प्रकाशन संस्थाके आधीन

पहली आवृत्ति : १००००

प्रकाशकका निवेदन

पाठक-समुदायके प्रकारोंको ध्यानमें रखकर गांधीजीकी 'आत्मकथा' का अमुक दृष्टिमें दोहन अथवा सम्पादन किया जाय, तो उसका बहुत व्यापक प्रचार हो सकता है। जिस दृष्टिसे विद्यार्थियों और युवकोंको ध्यानमें रखकर स्वर्गीय महादेवभाजी देसायीने अंग्रेजीमें 'माथी अर्ली लाइफ' के नामसे 'आत्मकथा' का पूर्वकाण्ड तैयार किया था। गुजरातीमें भी उसी तरहके और दूसरे प्रकारके सम्पादनोंके लिये अवकाश है। श्री मथुरादासभाजीका यह प्रयत्न असा ही है। जिसके विषयमें उन्होंने अपनी भूमिकामें लिखा ही है। असा प्रतीत होता है कि उन्होंने जिस पुस्तकको तैयार करते समय जो मुख्य दृष्टि रखी है, वह यही है कि जिसमें गांधीजीने अपने जीवनका विकास किस प्रकार निद्व किया, जिस बातका नमूना चित्र आ जाय। अच्छा है, कि यह सारा दोहन मूल शब्दोंमें ही हुआ है। विद्यार्थियों और प्रौढ़ोंके लिये भी यह अपुयोगी होगा। आशा है, पाठकोंको यह दोहन पसन्द आवेगा।

'संक्षिप्त आत्मकथा' का हिन्दी संस्करण प्रकाशित करते हुये हमें बड़ा आनंद हो रहा है। आशा है अपने जिस राष्ट्रीय रूपमें यह पुस्तक सारे देशके विद्यार्थियों और नौजवानोंके लिये अपुयोगी और प्रेरणादायिनी सिद्ध होगी।

१५-१२-५१



पुस्तकके बारेमें

वापूकी 'आत्मकथा' अेक बड़ा ग्रंथ है। जिस पुस्तकमें उसका सार तैयार किया है। ऐसा करते समय वापूके लेखन-क्रम, भाषा वित्यादिको प्रायः मूलके जैसा ही रखा है। केवल विषयको संक्षिप्त करने और सिलसिला जोड़नेके लिये कहीं-कहीं नयी भाषाका प्रयोग किया है। अतः सहजरूपसे यह कहा जा सकता है कि जिस 'संक्षिप्त आत्मकथा' का १९०९ में भी अदिक भाग मूलका अवतरण ही है।

जिस 'संक्षिप्त आत्मकथा' को नये ढंगसे विभक्त किया है, और कुछ अध्यायोंको अुनके विषयोंके अनुरूप नये नाम दिये हैं। अध्यायोंकी गिनती प्रत्येक खण्डकी अलग-अलग न करके समूची पुस्तककी अेक ही रखी है।

वापूकी 'आत्मकथा' अेक ऐसा ग्रंथ है, जो वापूको समझनेमें बहुत सहायक होता है। जिसका संक्षिप्त संस्करण तैयार करनेका यह प्रयास जिस अभिलाषासे किया गया है कि यह विशिष्ट व्यक्तियोंको और खासकर नयी पीढ़ीको वापूका अभ्यास करनेके लिये प्रेरित करे।

७४, बालकेश्वर रोड,
बम्बयी, १२-१-४९

मथुरादास त्रिकमजी

प्रस्तावना

मैंने सत्यके जो अनेक प्रयोग किये हैं, 'आत्मकथा' के वहाने मुझे अुनकी कथा लिखनी है। मैं यह मानता हूँ कि जनताके पास मेरे सब प्रयोगोंका समुदाय हो, तो वह लाभदायक हो सकता है, — अथवा यों कहिये कि मुझे ऐसा मोह है। राजनीतिक क्षेत्रके मेरे प्रयोगोंको तो अब हिन्दुस्तान जानता है। लेकिन मेरे आध्यात्मिक प्रयोगोंका, जिन्हें अेक में ही जान सकता हूँ और जिनमें से राजनीतिक क्षेत्र परकी मेरी शक्ति भी पैदा हुयी है, वर्णन कर जाना मुझे रुचता तो है। जैसे-जैसे मैं अपने भूतकालिक जीवन पर दृष्टि डालता जाता हूँ, वैसे-वैसे मैं अपनी अल्पताको शुद्ध रीतिसे देख सकता हूँ। मुझे जो करना है, जिसके लिये मैं पिछले ३० वर्षोंसे छटपटा रहा हूँ, वह तो आत्मदर्शन है, अीश्वरका साक्षात्कार है, मोक्ष है। मेरी सारी हलचल इसी दृष्टिसे होती है। मेरा सब लेखन इसी दृष्टिको लेकर है, और राजनीतिक क्षेत्रमें मेरा पड़ना भी इसी वस्तुके अधीन है।

शुरूसे ही मेरी यह राय रही है, कि जो अेकके लिये शक्य है वह सबके लिये शक्य है। जिस कारण मेरे प्रयोग खानगी नहीं हुये, नहीं रहे। हाँ, अैसी कुछ वस्तुअें अवश्य हैं, जिन्हें आत्मा ही जानती है, जो आत्मामें ही समा जाती हैं। लेकिन अैसी वस्तु देना मेरी शक्तिसे परेकी बात है। मेरे प्रयोगोंमें तो आध्यात्मिकका अर्थ नैतिक है; धर्म अर्थात् नीति; आत्माकी दृष्टिसे पाली गयी नीति ही धर्म है। अतःअेव जिन वस्तुअोंका निर्णय बालक, जवान और बूढ़े करते हैं, और कर सकते हैं, जिस कथामें अुन्हीं वस्तुअोंका समावेश होगा। अगर अैसी कथा मैं तटस्थ भावसे, निरभिमान बनकर लिख सकूँ, तो सम्भव है, अुसमें से दूसरे प्रयोगकर्त्ताअोंके लिये कुछ सामग्री मिले।

अपने प्रयोगोंके लिये मैं किसी भी प्रकारकी सम्पूर्णताका दावा करता ही नहीं। मैंने बहुत आत्म-निरीक्षण किया है, अक-अक भावको जाँचा-पड़ताला है, उसका पृथक्करण किया है। लेकिन उससे अत्यन्त परिणाम सबके लिये अंतिम ही हैं, वे सही हैं, अथवा मात्र वे ही सही हैं, जिस प्रकारका कोई दावा मैं कभी करना नहीं चाहता। मैं तो पग-पग पर जिन चीजोंको देखता हूँ, उन्हें त्याज्य और ग्राह्यके नामसे दो हिस्सोंमें बाँट लेता हूँ, और जिसे ग्राह्य वस्तु समझता हूँ, उसके अनुसार अपने आचारोंका निर्माण करता हूँ। और जहाँ तक जिस प्रकार निर्मित आचार मुझे, अर्थात् मेरी बुद्धिको और आत्माको सन्तुष्ट रखते हैं, वहाँ तक उनके शुभ परिणामके विषयमें मुझे अटल विश्वास रखना ही चाहिये।

मैंने जिस प्रयत्नको 'सत्यके प्रयोग' का पहला नाम दिया है। जिसमें सत्यसे भिन्न माने जानेवाले अहिंसा, ब्रह्मचर्य अित्यादि नियमोंके प्रयोग भी शामिल रहेंगे। किन्तु मेरे मन सत्य ही सर्वोपरि है, और उसमें अनगिनत वस्तुओंका समावेश हो जाता है। यह सत्य स्थूल — वाचिक — सत्य नहीं। यह तो वाचाकी भाँति ही विचारका भी है। यह सत्य मात्र हमारे द्वारा कल्पित सत्य ही नहीं, बल्कि स्वतंत्र, चिरस्थायी सत्य है; अर्थात् परमेश्वर ही है।

परमेश्वरकी परिभाषायें अनगिनत हैं, क्योंकि उसकी विभूतियाँ भी असंख्य हैं। ये विभूतियाँ मुझे आश्चर्यचकित करती हैं। ये मुझे क्षणभर मुग्ध भी करती हैं। लेकिन मैं पुजारी तो सत्यरूपी परमेश्वरका ही हूँ। वही एक सत्य है, और दूसरा सब मिथ्या है। यह सत्य मुझे मिला नहीं है, लेकिन मैं जिसका शोधक हूँ। जिसकी शोधके लिये मैं अपनी प्रिय-से-प्रिय वस्तुका भी त्याग करनेको तैयार हूँ, और मुझे विश्वास है कि जिस शोधरूपी यज्ञमें अपने जिस शरीरके होमनेकी मेरी तैयारी और शक्ति है। लेकिन जब तक मैं जिस सत्यक साक्षात्कार न कर लूँ, तब तक मेरी अन्तरात्मा जिसे सत्य मानत है, उस काल्पनिक सत्यको अपना आधार मानकर, अपना दीपस्तम्भ समझकर, उसके सहारे मैं अपना जीवन बिता रहा हूँ।

यद्यपि यह मार्ग तलवारकी धार पर चलने-जैसा है, फिर भी मुझे तो यह सहल-से-सहल मालूम हुआ है। जिस मार्ग पर चलते हुये मुझे अपनी भयंकर भूलें भी न-कुछ-सी लगी हैं। क्योंकि वैसी भूलें करके भी, मैं बच गया हूँ, और अपनी समझमें, आगे भी बढ़ा हूँ। दूर-दूरसे विद्युत् सत्यकी — आश्वरकी — झाँकी भी कर रहा हूँ। मेरा यह विश्वास दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, कि जिस दुनियामें अके सत्य ही है, उसके सिवाय और कुछ भी नहीं है।

सत्यकी शोषके साधन जितने कठिन हैं, उतने ही सरल भी हैं। अभिमानीको यह असम्भव लगेगा, और अके निदोष वालकको नितान्त सम्भव। सत्यके शोषकको रजकणसे भी नीचे रहना पड़ता है। समूचा जगत् रजकणको कुचलता है, लेकिन सत्यका पुजारी जब तक जितना अल्प नहीं बनता कि रजकण भी उसे कुचल सके, तब तक उसके लिये स्वतंत्र सत्यकी झाँकी भी दुर्लभ है।

आगे मैं जो अध्याय लिखनेवाला हूँ, यदि पाठकोंको धुनमें अभिमानका भास हो, तो उन्हें निश्चय ही समझना चाहिये कि मेरी शोषमें त्रुटि है, और मेरी झाँकियाँ मृगजलके समान हैं। मेरे समान अनेकोंका ध्य चाहे हो, पर सत्यकी जय हो। आत्माको नापनेके लिये सत्यका गज कभी छोटा न बने।

कहने योग्य अके भी बात मैं छिपाऊँगा नहीं। आशा तो यह है, कि मैं पाठकोंको अपने दोषोंका पूरा-पूरा बोध करा सकूँगा। मुझे सत्यके शास्त्रीय प्रयोगोंका वर्णन करना है; मुझे जिस बातकी तिल-भर भी धिच्छा नहीं कि मैं अपने रूपका बखान करूँ — यह बताऊँ कि मैं कितना अच्छा हूँ। जिस मापसे मैं अपनेको मापना चाहता हूँ, उसके अनुसार तो मैं अवश्य ही यह कहूँगा कि —

‘मो सम कौन कुटिल खल कामी ?
जिन तनु दियो ताहि विसरायो
वैसी निमकहरामी।’

क्योंकि मुझे यह प्रतीति प्रतिक्षण खलती रहती है, कि जिसे मैं सम्पूर्ण विश्वासपूर्वक अपने श्वासोच्छ्वासका स्वामी मानता हूँ, जिसे मैं अपने नमकका देनेवाला मानता हूँ, उसे मैं अभी भी दूर ही हूँ। जिसके कारणरूप अपने विकारको मैं देख सकता हूँ, किन्तु उसे अभी भी निकाल नहीं पाता हूँ।

आश्रम, सावरमती,
मार्गशीर्ष, शुक्ला ११, १९८२

मोहनदास करमचंद गांधी

विषय-सूची

प्रकाशकका निवेदन	३
पुस्तकके बारेमें	५
प्रस्तावना	७

१ : पहले १९ वर्ष

१. जन्म	३
२. वचन	४
३. बालविवाह	६
४. हाथीस्कूलमें	७
५. दुःखद प्रसंग	९
६. चोरी	१२
७. पिताजीकी मृत्यु	१५
८. धर्मकी झाँकी	१६
९. विलायतकी तैयारी	१९

२ : विलायतमें

१०. शुरूके महीने	२२
११. 'सभ्य' पोशाकमें	२५
१२. फेरफार	२७
१३. आहारके प्रयोग	२९
१४. शरमीलापन	३१
१५. असत्यरूपी जहर	३३
१६. धार्मिक परिचय	३५
१७. निर्बलके बल राम	३७
१८. वैरिस्टर तो बने, किन्तु आगे क्या ?	३८

३ : देशमें

१९. रायचंदभाजी	४०
२०. संसार-प्रवेश	४२
२१. पहला मुकदमा	४३
२२. पहला आघात	४५
२३. दक्षिण अफ्रीकाकी तैयारी	४७

४ : दक्षिण अफ्रीकामें

२४. नाताल पहुँचा	४८
२५. अनुभवोंकी वानगी	४९
२६. प्रिटोरिया जाते हुअे	५२
२७. और अधिक संकट	५५
२८. प्रिटोरियामें	५७
२९. ख्रिस्तियोंका सम्पर्क	५९
३०. हिन्दुस्तानियोंसे परिचय	६१
३१. कुलीगिरीका अनुभव	६२
३२. मुकदमेकी तैयारी	६४
३३. धार्मिक मंथन	६५
३४. को जाने कलकी ?	६७
३५. रुका	७०
३६. काला चोगा	७१
३७. नाताल अिण्डियन कांग्रेस	७३
३८. बालासुन्दरम्	७४
३९. तीन पौण्डका कर	७५
४०. धर्म-निरीक्षण	७७
४१. घरेलू कारवार	७८
४२. देशकी ओर	८१

५ : देशमें कार्य

४३. हिन्दुस्तानमें	८३
४४. राजनिष्ठा और शुश्रूषा	८५
४५. बम्बई-पूनामें सभा	८७
४६. 'जल्दी वापस लौटो'	८९

६ : दक्षिण अफ्रीकामें दूसरी बार

४७. तूफानके आसार	९१
४८. तूफान	९३
४९. कसीटी	९४
५०. शान्ति	९८
५१. बाल-शिक्षण	९९
५२. सेवावृत्ति	१००
५३. ब्रह्मचर्य - १	१०२
५४. ब्रह्मचर्य - २	१०४
५५. सादगी	१०७
५६. वोअर-युद्ध	१०८
५७. म्युनिसिपैलिटी — अकाल-फण्ड	११०
५८. देश-गमन	११२

७ : देशमें निवास

५९. कलकत्तेमें	११५
६०. कांग्रेसमें	११७
६१. गोखलेके साथ	११८
६२. बम्बईमें	१२१
६३. धर्मसंकट	१२२
६४. पुनः दक्षिण अफ्रीका	१२५

८ : दक्षिण अफ्रीकामें तीसरी बार

६५. नातालमें	१२७
६६. ट्रान्सवालमें	१२८
६७. बढ़ती हुई त्यागवृत्ति	१३०
६८. निरीक्षणका परिणाम	१३२
६९. निरामिषाहारकी भेंट	१३४
७०. मेरे विविध प्रयोग	१३६
७१. बलवानके साथ मुठभेड़	१३८
७२. अंक पुण्यस्मरण	१४०
७३. अंग्रेजोंसे परिचय --- १	१४३
७४. अंग्रेजोंसे परिचय --- २	१४५
७५. अिण्डियन ओपीनियन	१४८
७६. 'कुली लोकेशन'	१५०
७७. महामारी --- १	१५२
७८. महामारी --- २	१५३
७९. लोकेशनकी होली	१५५
८०. अंक पुस्तकका चमत्कारिक प्रभाव	१५७
८१. फिनिक्सकी स्थापना	१५९
८२. पोलाक	१६०
८३. मित्रोंके विवाह	१६१
८४. घर और शिक्षा	१६२
८५. जूलू 'विद्रोह'	१६३
८६. हृदय-मंथन	१६५
८७. आहारके अधिक प्रयोग	१६७
८८. घरमें सत्याग्रह	१६८
८९. संयमकी ओर	१७०
९०. शिक्षक	१७२

९१. अक्षरज्ञान	१७४
९२. आत्मिक शिक्षा	१७५
९३. भले-बुरेका मिश्रण	१७७
९४. प्रायश्चित्तरूप अपवाप्त	१७८
९५. गोखलेसे मिलने	१७९
९६. लडाओमें हिस्सा	१८१
९७. धर्मकी पहेंली	१८३
९८. छोटासा मत्स्याग्रह	१८५
९९. मेरी बीमारी	१८७
१००. रवानगी	१८९
१०१. मेरी वकालत	१९०

९ : देशमें स्थायी निवास

१०२. पहला अनुभव	१९२
१०३. पूनामें	१९३
१०४. धर्मकी यानी क्या ?	१९४
१०५. शान्तिनिकेतन	१९६
१०६. मेरा प्रयत्न	१९८
१०७. कुम्भ	१९९
१०८. लक्ष्मण झूला	२०२
१०९. आश्रमकी स्थापना	२०४
११०. कसीटी पर चढ़े	२०५
१११. गिरमिटकी प्रथा	२०७
११२. नीलका दास	२०८
११३. विहारकी सरलता	२०९
११४. अहिंसा देवीका साक्षात्कार ?	२११
११५. मुकदमा वापस लिया गया	२१३
११६. कार्यपद्धति	२१४

११७. गाँवोंमें	२१६
११८. अजला पहलू	२१७
११९. मजदूरोंके सम्पर्कमें	२१८
१२०. आश्रमकी झाँकी	२१९
१२१. अुपवास	२२१
१२२. खेड़ा-सत्याग्रह	२२३
१२३. अैक्यकी अुत्कण्ठा	२२५
१२४. रँगरूटोंकी भरती	२२७
१२५. मौतके विछौने पर	२२८
१२६. रौलट अैक्ट और मेरा धर्म-संकट	२३१
१२७. वह अद्भुत दृश्य !	२३३
१२८. वह सप्ताह ! — १	२३४
१२९. वह सप्ताह ! — २	२३७
१३०. पहाड़-सी भूल	२३९
१३१. 'नवजीवन' और 'यंग अिण्डिया'	२४१
१३२. पंजावमें	२४२
१३३. खिलाफतके बदले गोरक्षा ?	२४४
१३४. अमृतसर-कांग्रेस	२४६
१३५. कांग्रेसमें प्रवेश	२४७
१३६. खादीका जन्म	२४८
१३७. मिला	२४९
१३८. अेक संवाद	२५०
१३९. असहयोगका प्रवाह	२५२
पूर्णाहुति	२५४
सूची	२५६



१ : पहले १९ वर्ष

१ .

जन्म

मेरा जन्म संवत् १९२५ के भादों महीनेकी विदी १२ के दि
अर्थात् सन् १८६९ के अक्तूबर महीनेकी २ री तारीखको, पोरबन्द
अयवा सुदामापुरीमें हुआ।

पिता पोरबन्दरके दीवान थे; बादमें राजकोटके और कु
समय वांकानेरके दीवान रहे। वे कुटुम्बप्रेमी, सत्यप्रिय, दूर, बुदा
किन्तु क्रोधी थे। वे घूसखोरीसे दूर भागते थे, जिसलिअे शुद्ध न्या
करते थे। अुनकी शिक्षा मात्र अनुभवकी थी। जिसे आज ह
गुजरातीकी पाँच किताबका ज्ञान कहते हैं, अुतनी शिक्षा अुन्होंने पा
होगी। तिस पर भी व्यावहारिक ज्ञान अितने अुँचे प्रकारका था।
सूक्ष्मसे सूक्ष्म प्रश्नोंको सुलझानेमें या हजार आदमियोंसे काम लेने
अुन्हें कोअी कठिनाअी न होती थी। वार्मिक शिक्षा नहींके वराव
थी। लेकिन मन्दिरोंमें जाने और कथा आदि सुननेसे जो धर्मज्ञा
असंख्य हिन्दुओंको सहज ही मिलता रहता है, वह अुनमें था। अुन्हों
द्रव्य अेकत्र करनेका लोभ कभी रखा नहीं। अिस कारण ह
भाअियोंके लिअे वे बहुत थोड़ी सम्पत्ति छोड़ गये।

माता साध्वी स्त्री थी। वह बहुत श्रद्धालु थी। पूजापाठ कि
विना कभी भोजन न करती। मन्दिरमें हमेशा जाती। वह कठिन
कठिन व्रत शुरू करती और अुन्हें निर्विघ्न समाप्त करती। अिकट
दो-तीन अुपवास अुसके निकट मामूली चीज थी। अेक चातुर्मास
अुसने यह व्रत लिया था कि सूर्यनारायणका दर्शन करनेके बाद
भोजन करना। अुस चौमासेमें हम वालक वादलोंकी ओर देखा कर

कि कव सूरज दिखायी पड़े और कव माँ भोजन करे। जैसे दिन याद है कि जब हम सूरजको देखते और 'माँ, माँ, सूरज निकला' कहते, और माँ कदम बढ़ाती हुआ आती, अतनेमें सूरज भाग जाता। 'कोयी बात नहीं, आज भाग्यमें भोजन बढ़ा नहीं होगा', कहकर माँ लौट जाती और अपने काममें डूब जाती।

बचपन पोरबन्दरमें ही बीता। मुझे किसी पाठशालामें भरती किया गया था। मुश्किलसे कुछ पढ़ाई सीखा था। उन दिनों लड़कोंके साथ मैं शिक्षकको गालीभर देना सीखा था। और कुछ भी याद नहीं पड़ता। इससे अनुमान करता हूँ कि मेरी बुद्धि मन्द रही होगी।

२

बचपन

जब पिताजी राजकोट गये तब मेरी उमर कोयी सात सालकी रही होगी। मुझे राजकोटकी गाँवठी शालामें भरती किया गया। वहाँ मेरी गिनती मुश्किलसे ही साधारण छात्रोंमें हुआ होगी। गाँवठी शालासे मुहल्लेकी शालामें और वहाँसे हाजीस्कूलमें। यहाँ तक पहुँचते हुअे मेरा बारहवाँ वर्ष बीत चुका था। इस उमर तक मैंने कभी भी शिक्षकोंको ठगा नहीं और न कोयी मित्र ही बनाये। मैं बहुत ही शरमीला लड़का था। पाठशालामें अपने कामसे ही काम रखता था। घण्टी बजते समय पहुँचना और पाठशालाके बन्द होने पर घर भागना। मुझे किसीसे बातें करना अच्छा न लगता था। मनमें यह डर बना रहता था कि 'कहीं कोयी मेरा मजाक तो न बुझायेगा ?'

हाजीस्कूलके पहले ही वर्षमें शिक्षा-विभागके इन्स्पेक्टर स्कूलका निरीक्षण करने आये थे। अन्होंने पहली कक्षाके लड़कोंको पाँच शब्द लिखाये। उनमें से अेक शब्दके हिज्जे मैंने गलत लिखे। शिक्षकने मुझे अपने बूटकी नोक मारकर चेताया; पर मैं क्यों चेतने लगा ?

मुझे यह खयाल ही न आ सका, कि शिक्षक मुझे सामनेवाले लड़केकी पट्टी देखकर द्विज्जे सुधार लेनेका विचारा कर रहे हैं। मैंने तो यह माना था कि शिक्षक जिस बातकी निगरानी रख रहे हैं कि हम एक-दूसरेकी चोरी न करें। शिक्षकने बादमें मुझे मेरी 'मूर्खता' समझायी; लेकिन मेरे मन पर अनुकी अनुस समझाविशका कोयी असर न हुआ। मैं दूसरे लड़कोंकी कॉपीमें से चोरी करना कभी सीख न सका।

जिस सबके रहते भी मैं शिक्षकके प्रति अपना विनय कभी न चूका। बड़ोंके दोष न देखनेका गुण मुझमें सहज ही था। मैं यह समझ चुका था कि बड़ोंकी आज्ञाका पालन करना चाहिये। वे जो कहें, सो करना; करें उसके क्राजी खुद न बनना।

साधारणतः पाठशालाकी पुस्तकोंके सिवाय और कुछ पढ़नेका मुझे शौक न था। मैं जिसलिये पाठ पढ़ता था कि पाठ तैयार करने चाहिये, जुलाहना न सहना चाहिये, शिक्षकको धोखा न देना चाहिये। लेकिन मन अलसा जाता और पाठ अक्सर कच्चे रह जाते। किन्तु पिताजी द्वारा खरीदा गया 'श्रवण-पितृभक्ति' नाटक पढ़नेकी विच्छा मुझे हुयी। उसे मैं अतिशय रसपूर्वक पढ़ गया। काँचमें चित्र दिखाने-वालेसे मैंने वह दृश्य भी देखा, जिसमें श्रवण अपने माता-पिताको काँचमें बैठकर ले जाता है। मुझ पर अिन दोनों बातोंकी गहरी छाप पड़ी, और मनमें विचार आने लगे कि 'मुझे भी श्रवणके समान बनना चाहिये'।

... अिन्हीं दिनोंमें मैंने 'हरिश्चन्द्र' नाटक देखा। उसे बार-बार देखनेकी विच्छा होने लगी। पर यों बार-बार जाने तो देता ही कौन? फिर भी अपने मनमें मैंने जिस नाटकको सैकड़ों बार खेला होगा। मुझे हरिश्चन्द्रके सपने आते। मनमें एक ही धुन रहती— 'हरिश्चन्द्रकी तरह सत्यवादी सब क्यों नहीं हो सकते?' जैसी विपत्तियाँ हरिश्चन्द्र पर पड़ीं, वैसी विपत्तियोंको सहना और सत्यका पालन करना ही वास्तविक सत्य है। हरिश्चन्द्रका दुःख देखकर और उसकी याद करके मैं बहुत रोया हूँ।

बालविवाह

१३ वर्षकी अुम्रमें पोरबन्दरमें मेरा विवाह हुआ। मेरे मझले भाअीका, मेरे काकाके छोटे लड़केका और मेरा विवाह अेक साथ हुआ। अिन तीनों विवाहोंकी तैयारियाँ कअी महीनोंसे चल रही थीं। हम भाअियोंको तो अिन तैयारियोंसे ही पता चला कि विवाह होनेको है। अुस समय मेरे मनमें तो अितना ही था कि अच्छे-अच्छे कपड़े पहनेंगे, बाजे बजेगे, अच्छा भोजन मिलेगा और अेक नअी लड़कीके साथ विनोद करनेको मिलेगा — अिससे अधिक और कोअी अभिलाषा न थी। विषय भोगनेकी वृत्ति तो बादमें पैदा हुआ।

ब्याह होने पर दो निर्दोष बालकोंने अनजाने संसारमें प्रवेश किया। हम दोनों अेक-दूसरेसे डरते थे; शरमाते तो थे ही। धीमे-धीमे अेक-दूसरेको पहचानने लगे, बोलने लगे। हम दोनों समान अुम्रके हैं। मैंने पतिकी ठसकसे रहना शुरू किया।

अुन दिनों निबंधोंकी छोटी पुस्तिकायें निकलती थीं। अुनमें से कुछ निबंध मेरे हाथमें आते और मैं अुन्हें पढ़ डालता। यह आदत तो थी ही कि पढ़ने पर जो पसंद न आये, अुसे भूल जाना और जो पसंद आये, अुस पर अमल करना। पढ़ा था कि अेकपत्नीव्रत पालना पतिका धर्म है। हृदयमें यह बात रमी रही। सत्यका शौक तो था ही, अिसलिअे पत्नीके साथ विश्वासघात तो हो ही न सकता था; अिसी कारण यह भी समझमें आ चुका था कि दूसरी स्त्रीके साथ संबध नहीं रह सकता।

लेकिन मुझे अेकपत्नीव्रत पालना है, तो पत्नीको अेकपतिव्रत पालना चाहिये। अिस विचारके कारण मैं अीर्ष्यालु पति बन गया। 'पालना चाहिये' में से 'पलवाना चाहिये' के विचार पर आ पहुँचा। और अगर पलवाना है, तो मुझे निगरानी रखनी चाहिये। पत्नीकी

पवित्रताके वारेमें शंका करनेका कोबी कारण मेरे पास नहीं था। लेकिन अधीर्ष्या कारण देखनेके लिये ठहरती कहाँ है? फलतः हमारे बीच दुःखद झगड़े होते, और हम बच्चोंके बीच अबोला मामूली चीज बन जाता।

लेकिन मेरी वक्तका मूल प्रेममें था। मैं अपनी पत्नीको आदर्श स्त्री बनाना चाहता था; और भावना यह थी कि हम दोनों अकेल-दूसरेमें ओतप्रोत रहें।

मैं अपनी स्त्रीके प्रति विपयासक्त था। जिस आसक्तिके साथ ही मुझमें कर्तव्यपरायणता थी। सबेरा होते ही नित्य कर्म तो करने ही चाहियें। किसीको ठगा जा ही नहीं सकता। अपने अिन विचारोंके कारण मैं अनेक संकटोंसे बचा हूँ। फिर, प्रचलित प्रथाके अनुसार पत्नीको बार-बार मायके जाना होता था; जिससे आसक्ति पर सहज ही अंकुश रहता। विवाहके पहले छः वर्षोंमें, हम टुकड़े-टुकड़े करके कुल तीन सालसे अविच्छिन्न-अक साथ नहीं रहे होंगे।

४

हाथीस्कूलमें

ब्याहके बाद मेरी पढ़ाबी जारी रही। हाथीस्कूलमें मेरी गिनती बुद्ध छात्रोंमें न होती थी। विद्यार्थीकी पढ़ाबी और आचरणके वारेमें हर साल माता-पिताके पास प्रमाणपत्र भेजे जाते थे। उनमें कभी आचरण या अभ्यास खराब होनेकी टीका मेरे विषयमें नहीं हुई। मुझे अपनी होशियारीका कोबी गर्व न था। अिनाम या छात्रवृत्ति मिलने पर मुझे आश्चर्य होता था। लेकिन अपने व्यवहारके वारेमें मैं बहुत आग्रही था। अपने व्यवहारमें त्रुटि पाकर तो मुझे बरबस रलाबी आ ही जाती थी। मेरे लिये यह असह्य था कि मेरे हाथों असा कोबी काम हो, जिसके लिये शिक्षकोंको मुझे बुलाहना देना पड़े। अक वार मुझे मार खानी पड़ी थी। मुझे मारका दुःख नहीं था, लेकिन जिस बातका मुझे



दि

र

बड़ा दुःख था कि मैं दण्डका पात्र समझा गया। मैं बहुत रोया। यह घटना पहली या दूसरी कक्षाकी है।

कसरतसे मुझे अरुचि थी। अँची कक्षाके विद्यार्थियोंके लिये कसरत - क्रिकेटके अनिवार्य वननेसे पहले मैं कभी कसरत, क्रिकेट या फुटबॉलमें गया ही न था। न जानेमें मेरा शरमीला स्वभाव भी अेक कारण था।

लेकिन पुस्तकोंमें मैंने खुली हवामें घूमने जानेकी सलाह पढ़ी थी; और वह मुझे अच्छी लगी थी। जिसलिये हाजीस्कूलकी अँची कक्षाओंके समयसे मुझे घूमने जानेकी आदत पड़ गयी थी। वह अन्त तक रही। जिसकी वजहसे मेरा शरीर अपेक्षाकृत कसा हुआ बना।

अरुचिका दूसरा कारण था, पिताजीकी सेवा करनेकी तीव्र अिच्छा। स्कूलके बन्द होते ही तुरन्त घर पहुँचकर सेवामें लग जाता था। जब कसरत लाजिमी हो गयी, तो जिस सेवामें विघ्न पड़ा। मैंने प्रार्थना की कि पिताजीकी सेवाके लिये कसरतसे छुट्टी मिलनी चाहिये; परन्तु छुट्टी न मिली। अेक बार आसमानमें बादल छाये हुये थे, जिस कारण समयका कुछ अन्दाज न रहा। कसरतकी जगह पहुँचा, तो देखा कि सब चले गये हैं। दूसरे दिन हेडमास्टरने मुझसे गैरहाजिर रहनेका कारण पूछा। मैंने तो जो था वही कारण बताया। मास्टरने अुसे सच न माना और सजा दी। मैं झूठा ठहरा! मुझे अतिशय दुःख हुआ। किस तरह सिद्ध कहूँ कि 'मैं झूठा नहीं हूँ'? कोअी अुपाय न सूझा। मन ही मन मुसमुसाकर रह गया; रोया। समझा कि सच बोलने और सच करनेवालेको गार्फ़िल भी न रहना चाहिये।

कसरतसे मुक्ति तो प्राप्त की ही। हेडमास्टरको पिताजीका पत्र मिला कि स्कूलके समयके बाद वे स्वयं मेरी अुपस्थिति अपनी सेवाके लिये आवश्यक समझते हैं। वस, जिस पत्रके कारण मुझे मुक्ति मिली। व्याहके कारण मेरा अेक साल टूट गया था। दूसरी कक्षामें शिक्षकने मेरे सामने यह सुझाव रखा कि मैं अेक ही सालमें तीसरी और चौथी कक्षाकी तैयारी कर लूँ। लेकिन भूमिति मेरी समझमें न आती थी। जिस कारण मैं अक्सर निराश हो अुठता था। कभी

यह विचार आता कि अेक सालमें दो कक्षाओंकी तैयारी करना छोड़ दूं। लेकिन अैसा करनेसे मेरी लाज जाती, और जिन्होंने मेरी लगन पर विश्वास रखकर मुझे चढ़ानेकी सिफारिश की थी, अुन शिक्षककी भी लाज जाती। अिस डरके कारण मैं किये हुअे विचार पर डटा रहा। प्रयत्न करते-करते भूमितिकी कठिनाअी दूर हो गअी, और फिर तो भूमिति मेरे लिये अेक सरल और सरस विषय बन गया।

संस्कृतने मुझे भूमितिसे भी अधिक परेशान किया। छठी कक्षामें मैं हारा। यह सुनकर कि फ़ारसी आसान है, मैं अुन और ललचाया, और अेक दिन फ़ारसीकी कक्षामें जा बैठा। संस्कृत-शिक्षकको दुःख हुआ। अुन्होंने कहा—‘यह तो सोच कि तू लड़का किसका है। क्या तू अपने धर्मकी भाषा न सीखेगा? तेरी कठिनाअी क्या है, सो मुझे बता।’ मैं शरमाया; शिक्षकके प्रेमकी अवगणना न कर सका। मैंने संस्कृत सीखना जारी रखा।

९

दुःखद प्रसंग

हाअीस्कूलमें जिसे मित्रता कहा जा सकता है, अैसे मेरे दो मित्र अलग-अलग वक्तमें थे। अेकका सम्बन्ध लम्बे समय तक न चला। मैंने दूसरेकी सोहवत की, अिस कारण पहलेने मुझे छोड़ दिया। दूसरेकी सोहवत कअी साल तक रही। अिस सोहवतमें मेरी दृष्टि सुधारक की थी। मैं यह देख सकता था कि अुस भाअीमें कुछ दोष थे। लेकिन मैंने अुसमें अपनी निष्ठाका आरोपण किया था। मेरी माताअी, बड़े भाअी और मेरी पत्नी—तीनोंको मेरी यह सोहवत कड़वी लगती थी। मैंने सबको यह कहकर आश्वस्त किया कि ‘वह मुझे गलत रास्ते नहीं ले जायगा, क्योंकि अुसके साथ मेरा सम्बन्ध केवल अुसे सुधारनेके लिये ही है।’ सवने मुझ पर विश्वास

किया और मुझे बेरी राह जाने दिया। वादमें मैं देख सका कि मेरा अनुमान ठीक न था।

जिन दिनों मैं जिस मित्रके सम्पर्कमें आया, उन दिनों राजकोटमें 'सुधारक पंथ' का जोर था। जिस मित्रने मुझे यह बताया कि जिन गृहस्थों आदिके वारेमें यह माना जाता है कि वे मांसाहार और मद्यपान नहीं करते हैं, वे छिपे तौर पर यह सब करते हैं। मुझे तो जिससे आश्चर्य हुआ और दुःख भी। परन्तु मित्रने मांसाहारकी प्रशंसा और वकालत अनेक अुदाहरणोंसे सजाकर कभी वार की। उसके शारीरिक पराक्रम मुझे मुग्ध किया करते। जो शक्ति अपनेमें नहीं होती, उसे दूसरेमें देखकर मनुष्यको आश्चर्य होता ही है। वही हाल मेरा हुआ। आश्चर्यमें से मोह पैदा हुआ।

फिर, मैं बहुत डरपोक था। चोरके, भूतके, साँप वगैराके डरों. घिरा रहता था। ये डर मुझे सताते भी खूब थे। रात कहीं अकेले जानेकी हिम्मत न थी। अन्धेरेमें तो कहीं जाता ही न था; और दीयेके बिना सोना लगभग असम्भव था। मेरे जिस मित्रको बेरी जिन कमजोरियोंका पता था। उसने मुझे यह जँचा दिया कि मांसाहारके प्रतापसे ही वह जिन कमजोरियोंसे मुक्त था। मैं पिघला।

मांसाहार शुरू करनेका दिन निश्चित हो गया। मेरे संस्कार उसके विलकुल ही विपरीत थे। गांधी-परिवार वैष्णव सम्प्रदायका था। यह सम्प्रदाय मांसाहारका निरपवाद विरोध और तिरस्कार करनेवाला था। माता-पिता बहुत ही कट्टर माने जाते थे। मैं उनका परम भक्त था। मैं यह मानता था कि यदि कहीं अन्हें मेरे मांसाहारकी बात मालूम हुआ, तो वे तो बिना मीतके तत्काल मर ही जायँगे। मैं जाने-अनजाने सत्यका सेवक तो था ही। अतएव मैं यह तो नहीं कह सकता कि मांसाहार करनेसे माता-पिताको ठगना होगा, जिस बातका ज्ञान मुझे उस समय न था।

ऐसी स्थितिमें मांसाहार करनेका निश्चय मेरे लिये बहुत गंभीर और भयंकर वस्तु थी।

लेकिन मुझे तो सुधार करना था। मांसाहारका शौक नहीं था। मैं तो बलवान और हिम्मतवाला बनना चाहता था ; दूसरोंको अंसा बननेके लिये न्योतना था ; और फिर अंग्रेजोंको हराकर हिन्दुस्तानको स्वतंत्र करना चाहता था। सुधारके जिस जोशमें मैं होश भूल बैठा।

चोरोंकी तरह छिपकर काम करना मुझे अच्छा नहीं मालूम होता था। मैं उसे शर्मकी बात समझता था। लेकिन जिस समय सुधारका अुत्साह और जीवनमें महत्त्वका फेरफार करनेका आकर्षण भी जोर पर था। मैंने मांसाहार शुरू किया और अेक वर्षमें पाँच-छः बार मांस खाया।

जब-जब जिस प्रकारका खाना खाया जाता, तब-तब घरमें भोजन करनेकी बात जमती ही न थी। जब माँ खानेके लिये बुलाती, तो 'आज भूख नहीं है', 'हजम नहीं हुआ है' जिस तरहके बहाने बनाने पड़ते थे। जब-जब मुझे यह कहना पड़ता, तब-तब दिलको भारी आघात पहुँचता था। मँके सामने अैसी झूठ ! फिर, अगर माता-पिताको मालूम हो जाय कि लड़का मांसाहारी हो गया है, तब तो अुन पर विजली ही टूट पड़े। जिस तरहके विचार मेरे हृदयको अन्दरसे खोखला बना रहे थे। जिसलिये मैंने निश्चय किया — 'मांस खाना आवश्यक है; अुसका प्रचार करके हिन्दुस्तानको सुधारेंगे; लेकिन माता-पिताको धोखा देना और झूठ बोलना मांस खानेसे भी बुरा है। जिसलिये माता-पिताके जीतेजी मांस नहीं खाया जा सकता। अुनकी मृत्युके बाद स्वतंत्र होने पर खुले तौर पर मांस खाना ठीक होगा, और जब तक वह समय न आवे तब तक मांसाहारका त्याग करना अुचित है।' मैंने मित्रको अपना यह निश्चय जता दिया और तबसे मांसाहार जो छूटा सो छूटा ही छूटा। माता-पिता तो जिस बातको कभी जान ही नहीं पाये।

माता-पिताको धोखा न देनेके शुभविचारसे प्रेरित होकर मैंने मांसाहार छोड़ा ; लेकिन अुस मित्रकी मित्रता नहीं छोड़ी।

जिसी सोहवतके कारण मैं व्यभिचारमें भी फँस जाता। मित्रने मुझे पाप-घरमें भेजा ! मैं वहाँ गया, लेकिन बिना गिरे लौट आया। अीश्वर

जिसे बचाना चाहता है, वह गिरना चाहते हुअे भी पवित्र रह सकता है। जिस तरह बच जानेके लिये मैंने सदा ही श्रीस्वरका आभार माना है।

अितना सब होने पर भी मुझे इस बातका होश न हुआ कि इस मित्रकी मित्रता अनिष्ट है। अैसा होनेसे पहले मुझे अभी और कड़वे अनुभव लेने ही थे।

पति-पत्नीके नाते हम दोनोंके बीच जो कुछ दुराव पैदा होता और कलह जागता, उसका अेक कारण यह मित्रता भी थी। मैं जितना प्रेमी अुतना ही वहमी पति था। मेरे वहमको बढ़ानेवाली यह मित्रता थी, क्योंकि मित्रकी सचाजी पर मुझे अविश्वास था ही नहीं। इस मित्रकी बात मानकर मैंने अपनी धर्मपत्नीको बहुत-कुछ दुःख पहुँचाया है। इस हिंसाके लिये मैं अपनेको कभी माफ़ नहीं कर सका हूँ। इस वहमका पूरा-पूरा नाश तो तभी हुआ जब मुझे अहिंसाका सूक्ष्म ज्ञान हुआ; अर्थात् जब मैं ब्रह्मचर्यकी महिमा समझा और समझा कि पत्नी पतिकी दासी नहीं, बल्कि अुसकी सहचारिणी है।

६

चोरी

अिन दो अनुभवोंसे पहले अपने अेक रिश्तेदारके साथ मुझे वीड़ी पीनेका शौक हो गया था। मेरे काकाको वीड़ी पीनेकी आदत थी। अतअेव अुन्हें और दूसरोंको घुआँ निकालते देखकर हमें भी वीड़ी फूंकनेकी अिच्छा हो आजी। गाँठमें पैसे थे नहीं, अिसलिये काका वीड़ीके जो ठूँठ फेंक दिया करते थे, हमने अुन्हें चुराना शुरू किया। लेकिन ठूँठ भी हर समय मिल नहीं सकते थे। अिसलिये नौकरकी गाँठमें जो दो-चार पैसे होते, अुनमें से बीच-बीचमें अेकाध चुरा लेनेकी आदत डाली, और हम वीड़ी खरीदने लगे। किन्तु हमें सन्तोष न हुआ। अपनी पराधीनता हमें खलने लगी। इस बातका दुःख रहने

लगा कि वड़ोंकी आज्ञाके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। हम बुकता खुठे और हमने तो आत्महत्या करनेका निश्चय किया !

हम दोनों जंगलमें गये और घतूरेके बीज ढूंढ लाये। शामका समय खोजा। केदारजीके मंदिरकी दीपमालिकामें घी चढ़ाया, दर्शन किये और अकान्त ढूंढा। लेकिन जहर खानेकी हिम्मत न पड़ी। अगर फौरन ही मौत न आवी तो ? मरनेसे लाभ ही क्या ? पराधीनताको ही क्यों न सहन किया जाय ? फिर भी दो-चार बीज खाये। और अधिक खानेकी हिम्मत ही न हुई। दोनों मौतसे डरे और तय किया कि रामजीके मंदिरमें जाकर और दर्शन करके शांत हो जाना तथा आत्महत्याकी बातको भूल जाना है।

आत्महत्याके जिस विचारका अेक परिणाम यह हुआ कि हम दोनों जूटी बीड़ी चुराकर पीनेकी और साय ही नौकरके पैसे चुराकर खुनसे बीड़ी खरीदने और फूंकनेकी आदत भूल ही गये। बड़ेपनमें मुझे बीड़ी पीनेकी कभी बिच्छा ही नहीं हुयी, और मैंने सदा ही यह माना है कि यह आदत जंगली, गन्दी और हानिकारक है।

जिस समय बीड़ीका दोप हुआ, उस समय मेरी उमर कोयी चारह-तेरह सालकी रही होगी ; शायद जिससे भी कम।

लेकिन जिससे भी अधिक गंभीर चोरीका अेक दूसरा दोप मेरे हाथों हुआ। उस समय मेरी उमर पंद्रह सालकी रही होगी। मुझे सड़े भायीने कोयी पन्चीस रुपयेका कर्ज बढ़ा लिया। हम दोनों भायी खुसे चुकानेके वारेमें सोचा करते थे। मेरे भायीके हाथमें सोनेका ठोस कड़ा था। उसमें से अेक तोला सोना काटना कठिन न था।

कड़ा कटा। कर्ज अदा हुआ। लेकिन मेरे लिखे यह बात असह्य हो गयी। आगे कभी चोरी न करनेका मैंने दृढ़ निश्चय किया। मुझे लगा कि पिताजीके सामने यह सब स्वीकार भी कर लेना चाहिये। जीभ तो खुलती न थी। जिस बातका भय भी न था कि पिताजी खुद मुझे मारेंगे। उन्होंने कभी हममें से किसी भायीको मारा न था। लेकिन वे स्वयं दुःखी होंगे और शायद सिर पीट लेंगे तो ?

मुझे लगा कि जिस जोखिमको अुठाकर भी दोष कबूल करना ही चाहिये, जिसके बिना शुद्धि न होगी।

आखिर मैंने चिट्ठी लिखकर दोष कबूल करने और माफ़ी माँगनेका निश्चय किया। मैंने चिट्ठी लिखी और हाथोंहाथ दी। चिट्ठीमें सारा दोष कबूल किया और सज़ा चाही। बहुत अनुनय-विनयके साथ लिखा कि स्वयं अपने अूपर दुःख न ओढ़ें और प्रतिज्ञा की कि भविष्यमें फिर कभी अैसा दोष न होगा।

मैंने काँपते हाथों पिताजीके हाथमें यह चिट्ठी रखी। मैं अुनकी खटियाके सामने बैठ गया। अुस समय अुन्हें भगन्दरका कष्ट था। जिस कारण वे खटिया पर लेटे थे। अुन्होंने चिट्ठी पढ़ी। आँखसे मोतीकी बूंदें टपकीं। चिट्ठी भीग गयी। अुन्होंने क्षणभरके लिये आँखें मूंदीं, चिट्ठी फाड़ डाली, और खुद पढ़नेके लिये जो अुठ बैठे थे, सो फिर लेट गये।

मैं भी रोया ; पिताजीके दुःखको समझ सका। मोतीकी अुन बूंदोंके प्रेमवाणने मुझे वींधा ; मैं शुद्ध बना।

मेरे लिये यह अहिंसाका पदार्थ-पाठ था। अुस समय तो मैंने जिसमें पिताके प्रेमके अतिरिक्त और कुछ नहीं देखा, लेकिन आज मैं जिसे शुद्ध अहिंसाके नामसे पहचान सकता हूँ।

जिस प्रकारकी शांत क्षमा पिताजीके स्वभावके प्रतिकूल थी। मैंने सोचा था कि वे क्रोध करेंगे, कटुवचन कहेंगे, और कदाचित् अपना सिर पीट लेंगे। किन्तु अुन्होंने जिस अपार शांतिका परिचय दिया, अुसका कारण शुद्ध भावसे दोषकी स्वीकृति ही थी। मेरी स्वीकृतिसे पिताजी मेरे वारेमें निर्भय बने और अुनका महान् प्रेम वृद्धिगत हुआ।

पिताजीकी मृत्यु

मेरी अुमरके १६वें वर्षमें पिताजीका अवसान हुआ। वे लम्बे समय तक रोग-शय्या पर रहे। जिस वीच मैंने अुनकी खूब सेवा की। मेरा काम नर्सका था। खाने-पीनेसे जो समय बचता था, अुसे स्कूलमें अथवा पिताजीकी सेवामें ही विताता था। जब अुनकी आज्ञा मिलती और अुनकी तवीयतको आराम होता, तब शामको घूमने जाता था। रात हमेशा पैर दवाता और वे अिजाज़त देते तब अथवा अुनके सो जाने पर सोने जाता था। मुझे यह सेवा अतिशय प्रिय थी। मैं विद्यालयकी पढ़ाअी करनेके धर्मको समझता था, और अुससे भी अधिक माता-पिताकी भक्तिके धर्मको समझता था। फिर भी विषय-वासना मुझ पर सवारी कस सकती थी। पिताजीके पैर तो दवाता था, लेकिन साथ ही मन शयन-गृहकी ओर दीड़ा करता था; और जब मुझे सेवासे छुट्टी मिलती थी, तो मैं खुश होता था।

अंतिम रात्रिकी मैं बड़ी देर तक पैर दवाता रहा। काकाजीने सो जानेको कहा। किसीको यह खयाल तो था ही नहीं कि यह रात आखिरी रात होगी। मैं सीधा शयन-गृहमें पहुँचा। स्त्री तो बेचारी गहरी नींदमें थी। मैंने अुसे जगाया। पाँच-सात मिनट बीते होंगे, कि अितनेमें मुझे पिताजीके गुजर जानेकी खबर मिली। मैं शरमाया, बहुत दुःखी हुआ और समझा कि यदि मैं विषयान्ध न होता, तो अंतिम घड़ीमें जिस तरहका विछोह न हुआ होता, और मैं अंतिम क्षण तक पिताजीके पैर दवाता होता। जिस काले दागको मैं आज तक भूल नहीं सका हूँ। माता-पिताके प्रति मेरी भक्तिकी कोवी सीमा नहीं थी। अुसके लिये मैं सब कुछ छोड़ सकता था। लेकिन अुनकी सेवाके समय भी मेरा मन विषयको छोड़ न सकता था, यह अुस सेवामें रही हुअी अक्षम्य न्यूनता थी। इसी कारण मैंने अपनेको अेकपत्नीव्रतका पालनेवाला मानते हुअे भी विषयान्ध माना है। इससे छूटनेमें मुझे बहुत समय लगा, और छूटनेसे पहले अनेक धर्म-संकटोंका सामना करना पड़ा।

धर्मकी झाँकी

छः या सात वर्षसे लेकर सोलह वर्षकी उमर तक मेरी जो पढ़ाई हुई, उसमें मैंने स्कूलमें धर्मकी शिक्षा कहीं भी प्राप्त न की। तिस पर भी वातावरणमें से कुछ न कुछ तो मिलता ही रहा। यहाँ धर्मका अुदार अर्थ करना चाहिये — धर्म अर्थात् आत्मबोध, आत्मज्ञान।

मेरा जन्म वैष्णव सम्प्रदायमें हुआ था, जिसलिये समय-समय पर 'हवेली' में जाना होता रहता था। लेकिन उसके प्रति श्रद्धा अुत्पन्न न हुई। मुझे हवेलीका वैभव अच्छा न लगा। हवेलीमें चलनेवाली अनीतिकी बातें सुनता रहता था। उसके कारण उसके प्रति मन अुदास हो गया था। वहाँसे मुझे कुछ भी न मिला।

लेकिन जो चीज हवेलीसे न मिली, वह मुझे अपनी दाईसे मिली। मैं भूत-प्रेत आदिसे डरा करता था। रंभाने मुझे समझाया कि जिसकी औषधि रामनाम है। भूत-प्रेतके भयसे बचनेके लिये मैंने बचपनमें रामनामका जप शुरू किया। वह अधिक समय तक नहीं टिका। लेकिन बचपनमें जो बीज बोया गया था, वह नष्ट नहीं हुआ। आज रामनाम मेरे लिये अमोघ शक्ति है।

जिन्हीं दिनोंमें मेरे काकाके अेक लड़केने मुझे रामरक्षाका पाठ सिखानेका प्रबन्ध किया, और मैंने सवरे स्नानके बाद अुसे हमेशा पढ़ जानेका नियम रखा। जब तक पोरबन्दरमें रहा तब तक तो यह नियम निभा। राजकोटके वातावरणमें यह टिक न सका। वैसे, जिस क्रियाके विषयमें मुझे कोई खास श्रद्धा नहीं थी।

लेकिन जिस चीजने मेरे मन पर गहरी छाप डाली थी, वह थी रामायणका पारायण। पिताजीकी बीमारीका कुछ समय पोरबन्दरमें बीता था। वहाँ वे रोज रातको रामजीके मंदिरमें रामायण सुना करते थे। सुनानेवाले रामचन्द्रजीके अेक परम भक्त, लाधा महाराज थे। वे दोहा, चौपायी गाते और अर्थ समझाते। स्वयं अुसके रसमें लीन

हो जाते और श्रोता जनोंको भी लीन कर देते । अुन दिनों मेरी अुमर तो तेरह सालकी रही होगी, किन्तु मुझे अुनके पाठमें खूब रस आता था । यह रामायण-श्रवण रामायण विषयक मेरे अत्यन्त प्रेमकी नींव है । आज मैं तुलसीदासकी रामायणको भक्तिमार्गका सर्वोत्तम ग्रन्थ मानता हूँ ।

कुछ महीनों बाद हम राजकोट आये । वहाँ जिस प्रकारके पाठकी व्यवस्था न थी, हाँ, अेकादशीके दिन भागवत पढ़ी जाती थी । मैं अुसमें कभी-कभी जा बैठता था । लेकिन भट्टजी रस अुत्पन्न नहीं कर पाये । आज मैं यह देख सकता हूँ कि भागवत अैसा ग्रन्थ है, जिसे पढ़कर बर्मरस अुत्पन्न किया जा सकता है । मैंने तो अुसे गुजरातीमें अतिशय रसपूर्वक पढ़ा है ।

राजकोटमें अनायास ही मुझे सब सम्प्रदायोंके प्रति समान भाव रखनेकी तालीम मिली । वहाँ मैं हिन्दूधर्मके प्रत्येक सम्प्रदायके प्रति आदरभाव रखना सीखा । क्योंकि माता-पिता हवेलीमें जाते, शिवालयमें जाते, और राममंदिरमें भी जाते तथा साथमें हम भाजियोंको ले जाते अथवा भेजा करते थे ।

जिसके साथ ही पिताजीके पास जैन धर्माचार्योंमें से कोबी न कोबी हमेशा आते रहते । वे पिताजीके साथ धर्मकी और व्यवहारकी बातें करते । जिनके अलावा, पिताजीके मुसलमान और पारसी मित्र थे । वे अपने-अपने धर्मकी बातें करते और पिताजी अुनकी बातोंको सम्मानपूर्वक और प्रायः रसपूर्वक सुना करते । चूँकि मैं पिताजीकी परिचर्यामें रहता था, जिसलिये अैसे वार्तालापोंके समय प्रायः वहाँ अुपस्थित रहता था । जिस सारे वातावरणका मुझ पर यह प्रभाव पड़ा कि मुझमें सब धर्मोंके प्रति समान भाव पैदा हो गया ।

जिस प्रकार अद्यपि दूसरे धर्मोंके प्रति मनमें समभाव अुत्पन्न हो गया था, तो भी यह नहीं कहा जा सकता कि मुझमें अीश्वरके प्रति आस्था थी । जिन्हीं दिनों मेरे पिताजीके पुस्तक-संग्रहमें से मुझे मनुस्मृतिका भाषांतर देखनेको मिला । अुसमें संसारकी अुत्पत्ति आदिके विषयमें बातें पढ़ीं । अुन पर मेरी श्रद्धा नहीं जमी । अुलटे, कुछ

नास्तिकता पैदा हुआ। मैंने अपने दूसरे काकाके लड़केके सामने अपनी शंकायें रखीं। किन्तु वे मेरा समाधान न कर सके। मनुस्मृतिके खाद्याखाद्य प्रकरणमें और दूसरे प्रकरणोंमें भी मैंने प्रचलित प्रथाका विरोध पाया। और, अगुन दिनों मनुस्मृति पढ़कर मैं अहिंसा तो विलकुल न सीखा।

लेकिन अेक वातने मनमें जड़ जमा ली—यह संसार नीति पर टिका हुआ है। नीति-मात्रका समावेश सत्यमें हुआ है। सत्यकी तो शोध ही करनी रही। यों दिनोंदिन सत्यकी महिमा मेरी दृष्टिके सामने बढ़ती गयी। सत्यकी व्याख्या विस्तृत होती गयी, और अभी भी होती ही रहती है।

साथ ही, नीतिका अेक छप्पय भी हृदयमें बस गया। अपकारका बदला अपकार नहीं अपकार ही हो सकता है, यह वस्तु जीवनका सूत्र बन गयी। अुसने मुझ पर साम्राज्य चलाना शुरू किया। अपकारीका भला चाहना और करना मेरे अनुरागका विषय बन गया। मैंने अुसके अनगिनत प्रयोग किये। वह चमत्कारी छप्पय यों है:

पाणी आपने पाय, भलुं भोजन तो वीजे;
 आवी नमावे शीश, दंडवत कोडे कीजे।
 आपण घासे दाम, काम महोरोनुं करीजे;
 आप अुगारे प्राण, ते तणा दुःखमां मरीजे।
 गुण केडे तो गुण दश गणो, मन, वाचा कर्म करी;
 अवगुण केडे जे गुण करे, ते जगमां जीत्यो सही।

(अर्थ :— जो हमें पानी पिलावे, अुसे हम भोजन करावें। जो हमारे सामने शीश झुकावे, अुसे हम अुमंगसे दण्डवत् प्रणाम करें। जो हमारे लिये अेक पैसा भी खर्चें, अुसके लिये हम गिन्नियोंका काम कर दें। जो हमारे प्राण बचावे, अुसके दुःखको दूर करनेमें हम अपने प्राण तक न्यौछावर कर दें। अपकार करनेवालेके प्रति तो मन, वाणी और कर्मसे दस गुना अपकार करना ही चाहिये। लेकिन जगमें सच्चा और सार्थक जीना अुसीका है, जो अपकार करनेवालेके प्रति भी अपकार करता है।)

विलायतकी तैयारी

सन् १८८७ में मैट्रिक्युलेशनकी परीक्षा पास की। घरके बड़ोंकी अच्छा थी कि पास होने पर मैं कॉलेजमें भरती होऊँ और आगे पहुँ। भावनगरका खर्च कम था, जिसलिये भावनगरके शामलदास कॉलेजमें जानेका निश्चय हुआ। वहाँ मुझे कुछ आता न था, सब कठिन मालूम होता था, अध्यापकोंके व्याख्यानोमें न तो रस आता था, न कुछ समझ ही पड़ता था। पहली टर्म (सत्र) पूरी करके घर आया।

मावजी दवे परिवारके पुराने मित्र और सलाहकार तथा विद्वान् और व्यवहारकुशल ब्राह्मण थे। अिन छुट्टियोंके दिनोंमें वे घर आये। माताजी और बड़े भाईके साथ बातचीत करते हुअे अुन्होंने मेरी पढ़ाईके बारेमें पूछताछ की और आग्रहपूर्वक सलाह दी कि अगर कवा गांधीकी गादी सँभालनी है, तो आपको अिसे वैरिस्टर बननेके लिये विलायत भेजना चाहिये। मुझे तो भाता था और बदन बतल दिया। बड़े भाई सोचमें पड़ गये — पैसेका क्या होगा? और मेरे जैसे नवयुवकको अितनी दूर कैसे भेजा जाय! माताजीको कुछ सूझ न पड़ा। अुन्होंने काकाकी सलाह लेनेकी कहा।

पोरबन्दरके अेडमिनिस्ट्रेटर गांधी परिवारके लिये अच्छी राय रखते थे। बड़े भाईने सोचा, अुनकी मारफ़त राज्यकी ओरसे थोड़ी-बहुत मदद मिल सके, तो ली जाय। मुझे अुनका यह विचार अच्छा लगा। मैं डरपोक था, लेकिन अिस वार मेरा डर भाग गया। मैं पोरबन्दर जानेको तैयार हुआ। काकाने कहा — “मैं तुझे विलायत जानेकी — समुद्र लाँघनेकी — अिजाजत क्योंकर दूँ? लेकिन मैं बाधक नहीं बनूँगा। सच्ची अिजाजत तो तेरी माँकी है। यदि वह तुझे अिजाजत दे, तो तू बेखटके जाना। यह कहना कि मैं तुझे रोकूँगा नहीं। मेरे आशीर्वाद तो तुझे हैं ही।”

फिर मैं अेडमिनिस्ट्रेटरसे मिला। उसने थोड़ेमें बात खुटा दी — “तू वी० अे० हो जा, वादमें मुझसे मिलना। अभी कोअी मदद नहीं दी जायगी।”

मैं राजकोट लौटा। जोशीजीने (दवेने) सलाह दी कि कर्ज लेकर भी मुझे विलायत भेजा जाय। मैंने सुझाया कि मेरी स्त्रीके हिस्सेके जेवर बेच डाले जायँ। अनुसे दो-तीन हजार रुपयोंसे अधिक रकम मिलनेवाली न थी। भाजीने वीड़ा अुठाया कि वे, जैसे भी वनेगा, रुपयोंका प्रबंध करेंगे।

माताने सब तरहकी पूछताछ शुरू की। किसीने कहा — नौजवान विलायत जाकर विगड़ जाते हैं; किसीने कहा — वे वहाँ मांसाहार करने लगते हैं; कोअी बोला — वहाँ बिना शराबके काम ही नहीं चलता। माताने ये सारी बातें मुझसे कहीं। मैंने कहा — “लेकिन क्या तू मुझ पर विश्वास न करेगी? मैं तूझे धोखा न दूंगा। शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं अिन चीजोंसे बचूंगा।”

माता बोली — “मैं तुझ पर विश्वास करती हूँ। लेकिन दूर देशमें क्या हो? मेरी तो अकल काम नहीं करती। मैं बेचरजी स्वामीसे पूछूंगी।” वे भी परिवारके सलाहकार थे। अुन्होंने मदद की; मुझसे तीन प्रतिज्ञायें लिवाअीं, और मैंने मांस, मदिरा तथा स्त्री-सेवनसे दूर रहनेकी प्रतिज्ञा ली। माताने आज्ञा दे दी।

गुरुजनोंके आशीर्वाद लेकर मैं विलायत जानेके लिये बड़े भाअीके साथ बम्बअी पहुँचा। भाअीने मित्रोंसे सुना कि चौमासेमें समुद्र तूफानी हो जाता है। अुन्होंने अिसका जोखिम अुठाकर तुरंत भेजनेसे अिनकार किया। मैं अनुकूल समयकी राह देखता बम्बअीमें रुक गया; भाअी राजकोट लौट गये।

अिस बीच जातमें खलवली मची। जात बुलाअी गअी। मुझे जातकी ‘वाड़ी’ में हाअिर रहनेका फ़रमान मिला। मैं गया। मुझमें अेकाअेक हिम्मत आ गअी। हाअिर रहनेमें न संकोच हुआ, न डर लगा। जातके सेठ और मेरे बीच सवाल-जवाब हुआ। मैंने कहा — “विलायत जानेका अपना निश्चय मैं बदल नहीं सकता। मेरे

पिताजीके मित्र और सलाहकार, जो विद्वान् ब्राह्मण हैं, मानते हैं कि मेरे विलायत जानेमें कोबी दोष नहीं है। मुझे अपनी माताजीकी और भाबीकी आज्ञा भी मिल चुकी है।”

सेठने कहा — “लेकिन क्या तू जातका हुक्म नहीं मानेगा ?”

मैंने जवाब दिया — “मैं लाचार हूँ। मुझे लगता है कि जिसमें जातको बीचमें न पड़ना चाहिये।”

जिस अुत्तरसे सेठको रोप हो आया। मुझे दो-चार सुना दी। मैं शान्तभावसे बैठा रहा। सेठने हुक्म दिया — “जिस लड़केको आजसे जात बाहर माना जायगा।”

मुझ पर जिस ठहरावका कोबी असर न हुआ ; बड़े भाबी भी दृढ़ रहे। और सन् १८८८ के सितम्बर महीनेकी ४ तारीखको मैंने बम्बयीका बन्दरगाह छोड़ा।

शुरूके महीने

स्टीमरमें ही मेरी कसौटी शुरू हो गयी। अंग्रेजीमें व मुझे आदत ही न थी। मुसाफिर अंग्रेज थे। अउनके साथ करना आता न था। काँटे-चम्मचसे खाना मैं जानता न था। पूछनेकी हिम्मत न होती थी कि कौनसी चीज विना मांस है। जिसलिअे मैं खानेकी मेज पर तो कभी गया ही नहीं। जो मिठाबी वगैरा लेकर चला था, मुख्यतः अुसीसे काम अपनी भीरता छोड़ न सका।

अेक अंग्रेजने मुझसे वातचीत करना शुरू किया। मांस न मेरे आग्रहकी वात सुनकर वे हँसे और बोले कि अिंग्लैण्डमें तो सरदी पड़ती है कि मांसके विना चल ही नहीं सकता। किन्तु मैंने कहा — “मैं अपनी माताजीके साथ वचन गया हूँ, जिसलिअे मैं जिसे ले नहीं सकता। अगर जिसके विना ही न होगा, तो मैं वापस हिन्दुस्तान चला जाऊँगा, लेकिन मांस रगिज न खाऊँगा।”

सुख-दुःखके साथ यात्रा पूरी करके मैं साअुधेम्प्टन वन्दरगाह फ्रेद फलालैनका कोट-पतलून पहने अुतरा और अेक होटलमें गक्टर प्राणजीवन महेता वहाँ मुझसे मिलने आये। अुन्होंने प्रेम नोद किया और युरोपके रीति-रिवाजोंकी अनेकानेक वातें ज्ञाअीं।

होटल महँगा था। मैं अेक-दो दिन वहाँ रहा और फिर अेक कोठ मिलने पर अुसमें जा बसा। मैं बहुत ही परेशान हो अया। मे

याद बहुत आने लगी। माँका प्रेम मूर्तिमंत होने लगा। रात पढ़ती और मैं रोना शुरू कर देता। अजब लोग थे, अजब रहन-सहन थी, घर भी अजब थे। खाने-पीनेका परहेज था ही, और खाने योग्य पदार्थ रखे और रसहीन लगते थे। मेरी हांलत सरोतेके बीच सुपारी-जैसी हो गयी। विलायतमें अच्छा लगता नहीं था, और वापस देश जाना जैचता न था। जब विलायत पहुँच गया हूँ, तो आग्रह यही था कि तीन साल पूरे कर ही लूँ।

डॉक्टर महेता मेरी कोठड़ीमें मुझे मिलने आये। अन्हें वह जगह पसंद न पड़ी। अन्होंने मुझे अेक मित्रके घरमें ठहराया। मित्रने अंग्रेजी रीति-रिवाज मिखाये और अंग्रेजीमें कुछ बात करनेकी आदत भी अन्होंने डाली।

मेरे भोजनका प्रश्न बहुत बड़ा प्रश्न बन गया। विना नमक और मसालेकी साग-तरकारी रुचती न थी। सुबह तो ओटमीलका दलिया बनता था, अतः अुससे पेट थोड़ा भर जाता था, पर दोपहर और शामको मैं सदा भूखा रहता था। मित्र मुझे रोज मांसाहारके लिये समझाते। मैं प्रतिज्ञाका सहारा लेकर चुप हो जाता। मित्र अेक दिन बहुत खीझे और बोले—“निरक्षर माँके सामने यहाँकी परिस्थिति जाने विना की गयी प्रतिज्ञाका मूल्य ही क्या है? अैसी प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा ही नहीं।”

लेकिन मैं टससे मस न हुआ।

मित्र रोज दलील करते। लेकिन मेरे पास तो छत्तीस रोगोंको मिटानेवाला अेक ही नन्ना था। मित्र जितना ही मुझे समझाते, मेरी दृढ़ता अुतनी ही बढ़ती। रोज अीश्वरसे रक्षाकी याचना करता और मुझे रक्षा मिलती। मैं जानता न था कि अीश्वर कौन है। लेकिन रम्भा द्वारा दी गयी श्रद्धा अपना काम कर रही थी।

अेक दिन मित्रने मेरे सामने वैथमका ग्रंथ पढ़ना शुरू किया। अन्होंने अुसका विवेचन किया। मैंने अुत्तर दिया—“मैं अैसी सूक्ष्म बात नहीं समझता। मैं कबूल करता हूँ कि मांस खाना चाहिये। लेकिन

संक्षिप्त आत्मकथा

अपनी प्रतिज्ञाके बन्धनको मैं तोड़ नहीं सकता। जिसके बारेमें मैं कोअी दलील नहीं कर सकता। मैं आपके प्रेमको समझता हूँ। आपका हेतु समझता हूँ। लेकिन लाचार हूँ। प्रतिज्ञा टूट नहीं सकती।”

असके बाद मित्रने दलील करना छोड़ दिया। मैं मित्रके घर अेक महीना रहा। डॉक्टर महेताने अब मुझे अेक परिवारमें रखा।

यहाँ मुझे मांसाहारकी चर्चामें न पड़ना पड़ा। लेकिन जो खानेको मिलता, सो सब फीका लगता। मैं शरमाता और भूखा रहता। अभी मेरी पढ़ाअी तो शुरू हुआी न थी। मैं मुश्किलसे समाचार-पत्र पढ़ने लगा था। हिन्दुस्तानमें तो मैंने कभी समाचार-पत्र पढ़े नहीं थे। मैंने भ्रमण शुरू किया। मुझे निरामिष अन्नाहार देनेवाला भोजनगृह खोजना था। मैं रोज दस-बारह मील चलता। अस तरह भटकते हुआे अेक दिन मैं फेरिंग्डन स्ट्रीट पहुँचा और वहाँ 'वेजि-टेरियन रेस्टोरां'का नाम पड़ा। जो आनन्द बालकको मनपसंद चीजके मिलनेसे होता है, वही मुझे हुआ। अन्दर दाखिल होनेसे पहले ही मैंने काँचकी खिड़कीमें साँल्टकृत 'अन्नाहारकी हिमायत' नामक पुस्तक देखी। अेक शिल्िंग देकर पुस्तक खरीदी और खाने वैठा। विलायत आनेके बाद अुस दिन पहली बार भरपेट खानेको मिला। अीश्वरने मेरी भूख बुझायी। साँल्टकी पुस्तक पढ़ी। मुझ पर 'अुसकी अच्छी छाप पड़ी। जिस दिन मैंने यह पुस्तक पढ़ी, अुस दिनसे मैं स्वेच्छापूर्वक अर्थात् विचारपूर्वक अन्नाहारमें मानने लगा। माताके निकट की गअी प्रतिज्ञा अब मुझे विशेष आनन्द देनेवाली बनी; और स्वयं अन्नाहारी रहकर दूसरोंको वैसा बनानेका लोभ जागा।

‘सभ्य’ पोशाकमें

अन्नाहार पर मेरी श्रद्धा दिन-दिन बढ़ने लगी। सॉल्टकी पुस्तकने आहारके विषयमें अधिक पढ़नेकी मेरी जिज्ञासाको तीव्र बनाया। जितनी पुस्तकें मुझे मिलीं, मैंने खरीद लीं और पढ़ डालीं। जिस वाचनका परिणाम यह हुआ कि मेरे जीवनमें आहारके प्रयोगोंको महत्त्वका स्थान मिल गया।

जिस बीच अन् मित्रकी मेरे संबंधकी चिन्ता मिटी न थी। अन्होंने प्रेमवश यह माना कि अगर मैंने मांसाहार न किया, तो मैं कमजोर हो जाऊंगा, यही नहीं, वल्कि मैं ‘बुद्धू’ भी बनूंगा। अन्होंने मुझे सुधारनेका अेक अन्तिम प्रयत्न किया — मुझे नाटक दिखाने ले जानेका न्योता दिया। नाटकमें जानेसे पहले मुझे अुनके साथ भोजनगृहमें भोजन करना था। शुरूमें ही ‘सूप’ आया। मैं परेशान हुआ। परोसनेवालेको पास बुलाया। मित्र समझ गये और चिढ़कर बोले: ‘अगर तुझे अब भी यही किचकिच करनी हो, तो जाकर किसी छोटे भोजनगृहमें भोजन कर ले और वाहर मेरी राह देख।’ जिस प्रस्तावसे मुझे खुशी हुई। मैं अुठा और अेक दूसरे भोजनालयको तलाशना शुरू किया। पास ही मैं अेक अन्नाहार देनेवाला भोजनालय था, लेकिन वह बन्द हो चुका था। मैं भूखा रहा। हम नाटक देखने गये। मित्रने अुस घटनाके वारेमें अेक भी शब्द मुंहसे न निकाला।

हमारे बीच यह अन्तिम मित्र-युद्ध था। हमारा संबंध न तो टूटा, और न कड़ुवा बना। मैं अुनके समस्त प्रयासोंकी जड़में रहे हुअे प्रेमको ताड़ सका था, जिस कारण विचार और आचारकी भिन्नता रहते हुअे भी अुनके प्रति मेरा आदर बढ़ा।

लेकिन मुझे लगा कि मुझको अुनका डर दूर करना चाहिये। मैंने निश्चय किया कि मैं जंगली नहीं रहूंगा, सभ्य पुरुषके लक्षण लूंगा,

और दूसरे प्रकारोंसे समाजमें मिलने-जुलने योग्य बनकर अन्नाहार विषयक अपनी विचित्रताको ढँक लूंगा।

मैंने 'सभ्यता' सीखनेके लिये अपनी हैसियतसे बाहरका और छिछला रास्ता अपनाया।

मैंने 'आर्मी और नेवी' स्टोरमें कपड़े बनवाये। जहाँ शौक्तीन लोगोंके कपड़े सिलते थे, वहाँ १० पौंड पर बत्ती रखकर शामकी पोशाक सिलवायी। भोले और बादशाही दिलवाले बड़े भाजीकी मारफ़त खास सोनेकी अक चैन, जो दोनों जेवोंमें लटक सके, मँगवायी और वह मिल भी गयी। टाजी वाँवनेकी कला हस्तगत की। बड़े आजीनेके सामने खड़े रहकर ठीकसे टाजी वाँवनेमें और वालोंमें पट्टी डालकर माँग निकालनेमें हर रोज दस मिनटकी बरबादी तो होती ही थी। टोपी पहनते और जुतारते समय हाथ माँग संभालनेके लिये सिर पर बरबस पहुँच ही जाते थे। साथ ही, जब समाजमें बैठे होते तब माँग पर हाथ रखकर वालोंको ठिकाने रखतेकी अक निराली और सभ्य क्रिया चलती ही रहती।

लेकिन यह अितनी टीमटाम ही काफी न थी। सभ्यताके दूसरे कुछ बाह्य गुण भी जान लिये थे और अुनका विकास करना था। सभ्य पुरुषको नाचना आना चाहिये। उसे फ्रेंच ठीक-ठीक जानना चाहिये। साथ ही, सभ्य पुरुषको लच्छेदार भाषण करना भी आना चाहिये। मैंने नाचना सीख लेनेका निश्चय किया। अक कक्षामें भरती हो गया। अक सत्रके कोजी तीन पौंड जमा कर दिये। लगभग तीन हफ़्तोंमें कोजी छः पाठ लिये होंगे। पैर बराबर तालसे पड़ते न थे। सोचा, वायोलिन बजाना सीख लूँ। अिससे सुर और तालका अंदाज़ बैठ सकेगा। तीन पौंड वायोलिन खरीदनेमें स्वाहा किये और अुसकी शिक्षा पर भी कुछ खर्च किया। भाषण करना सीखनेके लिये अक तीसरे शिक्षकका घर देखा। अुसे भी अक गिनी तो देनी ही पड़ी। वेलकी 'स्टैण्डर्ड अेलो-क्यूशनैस्ट' खरीदी।

अिन वेलसाहवने मेरे कानमें घंटी बजायी; मैं जागा।

मुझे कहाँ अंग्लैण्डमें सारी जिन्दगी बितानी है ? मैं लच्छेदार भापण करना सीख कर क्या करूँगा ? नाचना सीखकर मैं सभ्य कैसे बनूँगा ? वायोलिन तो देशमें भी सीखा जा सकता है । मैं तो विद्यार्थी हूँ । मुझे विद्याध्ययन बढ़ाना चाहिये । मुझे अपने धंधेसे संबंध रखनेवाली तैयारी करनी चाहिये । अपने सद्व्यवहारसे सभ्य माना जाबूँ तो ठीक ही है, अन्यथा मुझे यह लोभ छोड़ना चाहिये । मैंने जिस आशयके अुद्गारोंवाला अेक पत्र अपने भापण-शिक्षकके नाम भेज दिया । नाच-शिक्षिकाको भी अैसा ही अेक पत्र लिखा । वायोलिन-शिक्षिकाके घर वायोलिन लेकर पहुँचा । मैंने अुसे अनुमति दी कि वह जितने भी दाम आयें अुतने लेकर अुसे बेच डाले ।

सभ्य बननेकी यह सनक कोअी तीन महीने रही होगी । पोशाककी टीमटाम वर्षों तक टिकी । लेकिन मैं विद्यार्थी बना ।

१२

फेरफार

नाच आदिके मेरे प्रयोगोंका समय स्वैराचारका समय न था । अुसमें कुछ समझदारी थी । अपनी मूछाँके जिस कालमें भी मैं अमुक हृद तक सावधान था । पाअी-पाअीका हिसाब रखता था । खर्चका अंदाज था । मैंने यह निश्चय किया कि हर महीने १५ पाँडसे अधिक न खर्चूँगा । बसमें जानेके अथवा डाकके खर्चको भी मैं हमेशा लिख लिया करता था । और सोनेसे पहले हमेशा जमा-खर्चका मेल बैठा लिया करता था । यह आदत अन्त तक बनी रही ।

अब मैंने अपना खर्च आधा कर डालनेका विचार किया । अब तक मैं परिवारोंमें रहता था । जिसके बदले मैंने यह तय किया कि अपना ही अेक कमरा लेकर अुसमें रहना ठीक होगा । साथ ही, यह भी तय किया कि कामके अनुसार तथा अनुभव प्राप्त करनेकी दृष्टिसे अलग-अलग मुहल्लोंमें घर बदलते रहना है । घर अैसी जगहोंमें पसंद

संक्षिप्त आत्मकथा

किये कि जहाँसे कामके स्थान तक आधे घंटेमें पैदल जाया जा सके और गाड़ीभाड़ा बचे। जिसके कारण काम पर जाते समय ही टहलनेकी व्यवस्था हो गयी। और जिस व्यवस्थाकी वदौलत मैं हमेशा आठ-दस मील तो सहज ही घूम लेता था। मुख्यतः अपनी जिस आदतके कारण ही मैं विलायतमें क्वचित् ही बीमार पड़ा हूँगा। शरीर भलीभाँति कस गया। परिवारके साथ रहना छोड़कर दो कमरे किरायेसे ले लिये, अकेले सोनेके लिये और अकेले बैठनेके लिये।

जिस तरह आधा खर्च बचा।

वैरिस्टरकी परीक्षाके लिये बहुत पढ़ना जरूरी न था। मेरी कच्ची अंग्रेजी मुझे दुःख देती थी। अकेले मित्रने कहा: 'तू लंदनकी मैट्रिक्युलेशन परीक्षा पास कर ले। उसके लिये तुझे मेहनत करनी होगी, पर तेरा साधारण ज्ञान बढ़ जायगा। खर्चमें थोड़ी भी वृद्धि न होगी।' मैं यह जानकर चौंका कि लेटिन और दूसरी भाषा अनिवार्य है। मित्रने मुझे समझाया। मैंने लेटिन सीखने और ली हुई फ्रेंचको पूरा करनेका विचार किया। जिस प्रकार सभ्य बनते-बनते मैं तो अकेले अत्यन्त अद्यमी विद्यार्थी बन गया। परीक्षामें बैठे, लेटिनमें नापास हुआ, दुःखी हो गया, लेकिन हारा नहीं। लेटिनमें रस आने लगा था।

द्वारा परीक्षा देनेकी तैयारीके साथ ही रहन-सहनमें अधिक सादगी लानेके प्रयत्न शुरू किये। मुझे लगा कि अभी मेरे परिवारकी गरीबीसे मेल खानेवाला सादा जीवन मेरा बना नहीं है। भाभीकी तंगदस्ती और अूनकी अुदारताके विचारने मुझे आकुल-व्याकुल बना दिया। मैं देखता था कि लोग मुझसे अधिक सादगीके साथ रह लेते हैं। मैं अैसे अनेकानेक गरीब विद्यार्थियोंके संपर्कमें आया था। सादी रहन-सहन पर लिखी गयी पुस्तकें भी मैंने पढ़ी थीं। मैंने अपने दो कमरे अुठा दिये। प्रति सप्ताह आठ शिलिंग पर अकेले कोठड़ी किराये पर ली। अेक अँगोठी खरीदी और सुबहका भोजन हाथसे बनाना शुरू किया। दोपहरको बाहर खा लेता और शामको फिर घरमें कोको तैयार करके अुसे रोटीके साथ लेता था। जिस प्रकार मैं रोज अकेले शिलिंगसे

लेकर सवा शिल्पिके अंदर अपने भोजनकी व्यवस्था करना सीखा। मेरा यह समय अधिकसे अधिक पढ़ाजीका समय था। जीवनमें सादगी आ जानेसे समय अधिक बचा। दूसरी बार परीक्षामें बैठ आर पास हुआ।

लेकिन सादगीके कारण जीवन रसहीन न बना। बुलटे, जिन फेरफारोंकी वजहसे मेरी अंदर और बाहरकी स्थितिमें अकेता पैदा हुई; अपने परिवारकी स्थितिके साथ मेरी रहन-सहनका मेल बैठा; जीवन अधिक सारगर्भ बना; मेरे आत्मानन्दका पार न रहा।

१३

आहारके प्रयोग

जैसे-जैसे मैं जीवनमें गहरा पँठता गया, वैसे-वैसे बाहरके और अन्तरके आचारमें फेरफार करनेकी जरूरत मालूम होती गयी। जिस गतिसे रहन-सहन और खर्चमें फेरफार हुआ, उसी गतिसे अथवा उससे भी अधिक वेगसे मैंने अपने आहारमें फेरफार करना शुरू किया। अन्नाहार पर लिखी गयी अंग्रेजी पुस्तकोंमें लेखकोंने बहुत सूक्ष्म विचार किया था। अन्होंने उसमें अन्नाहारकी छानवीन धार्मिक, वैज्ञानिक, व्यावहारिक और वैद्यक दृष्टिसे की थी। मुझे पर जिन चारों दृष्टियोंका असर पड़ा और अन्नाहार देनेवाले भोजनालयोंमें मैं जिन चार प्रकारकी दृष्टियोंवाले लोगोंके साथ मिलने-जुलने लगा। विलायतमें जिस विषयसे संबंध रखनेवाला अके मण्डल था और उसका अपना अके साप्ताहिक पत्र भी था। मैं साप्ताहिकका ग्राहक और मण्डलका सदस्य बना। कुछ ही समयमें मुझे उसकी कमेटीमें स्थान दिया गया। वहाँ मेरा परिचय जैसे लोगोंसे हुआ, जो अन्नाहारियोंमें स्तंभ रूप माने जाते थे। मैं प्रयोगोंमें अलङ्ग गया।

घरसे जो मिठाजी और मसाले वगैरा मँगाये थे, उनका अुपयोग वन्द किया, और मेरे मनने दूसरा रास्ता पकड़ा। मसालोंका शीक मन्दा

संक्षिप्त आत्मकथा

पड़ गया और जो भाजी रिचमण्डमें विना मसालेकी होनेके कारण फीकी लगती थी, वह अब केवल अुवाली हुअी स्वादिष्ट लगने लगी। अैसे अनेक अनुभवोंने मुझे सिखाया कि स्वादका सच्चा स्थान जीभ नहीं, वल्कि मन है।

अुन दिनों अेक पन्थ अैसा भी था, जो चाय-काँफीको हानिकारक मानता और कोकोका समर्थन करता था। अब तक मैं यह समझ चुका था कि केवल शरीर-व्यापारके लिये आवश्यक पदार्थ ही लेना अुचित है, अिसलिये मैंने चाय-काँफीका मुख्यतः त्याग किया और अुनकी जगह कोको लेने लगा।

भोजनालयमें दो विभाग थे। अेकमें जितनी चीजें खाओ अुतने पैसे देनेकी व्यवस्था थी। वहाँ अेक वारके भोजन पर अेक शिल्लिंगसे दो शिल्लिंग तक खर्च होता था। दूसरे विभागमें छः पेनीमें तीन पदार्थ और रोटीका अेक टुकड़ा मिलता था। जिन दिनों मैंने बहुत किफ़ायत शुरू की, अुन दिनों मैं अक्सर अिस छः पेनीवाले विभागमें ही जाता था।

अिन प्रयोगोंके अन्तर्गत अुपप्रयोग तो बहुतेरे हुअे। अुनमें अण्डे खानेका भी अेक प्रयोग हुआ। स्टार्चरहित आहारका समर्थन करनेवालेने अण्डोंकी बहुत स्तुति की थी और यह सिद्ध किया था कि अण्डे मांस नहीं हैं। यह तो निश्चित ही था कि अण्डोंके सेवनसे किसी प्राणधारी जीवको दुःख नहीं पहुँचता था। अिस दलीलके फेरमें पड़कर मैंने माँके साथ की हुअी प्रतिज्ञाके रहते हुअे भी अण्डे खाये, लेकिन मेरी यह मूर्छा क्षणिक थी। प्रतिज्ञाका नया अर्थ करनेका अधिकार मुझे न था। अर्थ तो प्रतिज्ञा करानेवालेका ही माना जाना चाहिये। मांस न खानेकी प्रतिज्ञा करानेवाली माताको अण्डोंका तो खयाल तक न था। अतअेव ज्यों ही मुझे प्रतिज्ञाके रहस्यका भान हुआ, मैंने अण्डे लेना छोड़ दिया और वह प्रयोग भी छोड़ दिया। मैंने अण्डोंका त्याग किया। मेरे लिये यह कठिन हो गया, क्योंकि वारीकीसे पूछताछ करने पर पता चला कि अन्नाहारके भोजनालयोंमें भी अण्डोंवाली अनेक चीजें बनती थीं। अिस कारण

परोसनेवालेसे पूछना जरूरी होता था। जिस प्रकार जिसके कारण मैं एक जंजालसे छूटा, क्योंकि थोड़ी और विलकुल सादी चीजें ही ले सकता था। दूसरी ओर थोड़ा आघात भी पहुँचा, क्योंकि जीभसे लगी हुयी अनेक वस्तुओंका त्याग करना पड़ा। लेकिन यह आघात क्षणिक था। प्रतिज्ञा-पालनका स्वच्छ, सूक्ष्म और स्थायी स्वाद मुझे अुस क्षणिक स्वादकी तुलनामें अधिक प्रिय मालूम हुआ।

१४

शरमीलापन

अन्नाहारी मंडलकी कार्यकारिणी समितिमें मैं चुन तो लिया गया, और मैं समितिकी हर बैठकमें हाज़िर भी रहने लगा। लेकिन बोलनेके लिये जीभ खुलती ही न थी। लम्बे समय तक यही स्थिति रही। जिस बीच समितिमें एक गंभीर विषय निकला। अुन दिनों वहाँ कृत्रिम अुपायों द्वारा सन्तानोत्पत्तिको नियंत्रित करनेका आन्दोलन चल रहा था। डॉक्टर अेलिन्सन समितिमें थे, वे अिन अुपायोंके हिमायती थे और मजदूरोंमें अिनका प्रचार करते थे। मुझे ये विचार भयंकर मालूम हुअे। लेकिन जब डॉक्टर अेलिन्सनको समितिसे हटानेका प्रस्ताव सामने आया, तो मुझे अुसमें शुद्ध अन्याय प्रतीत हुआ। क्योंकि मंडलका हेतु केवल अन्नाहारका प्रचार करना था, दूसरी नीतिका नहीं।

किन्तु समितिमें बोलनेकी हिम्मत मुझमें न थी। मैंने अपने विचारोंको लिखकर सभापतिके सामने रखनेका निश्चय किया। लिखे हुअे विचारोंको पढ़ जानेकी भी मेरी हिम्मत न पड़ी। सभापतिने अुसे दूसरे सदस्यसे पढ़वा लिया। डॉक्टर अेलिन्सनका पक्ष हार गया। लेकिन मेरा अपना विश्वास था कि अुनका पक्ष सच्चा था, जिसलिये मुझे सम्पूर्ण सन्तोष रहा।

पहले तो मुझे यह सब बहुत अटपटा और कठिन मालूम हुआ। कुछ सूझता न था कि क्या बातें की जायें। लेकिन बादमें मैं तैयार होने लगा। उस स्त्रीके साथ बातचीत करना भी अच्छा लगने लगा।

अब मैं क्या कहूँ? मैंने सोचा — “यदि मैंने इस भद्र महिलासे अपने विवाहकी बात कह दी होती, तो कितना अच्छा होता? क्या उस दशामें वह मुझ-जैसेसे विवाह करनेकी अच्छा रखती? अब भी देर नहीं हुआ है। यदि मैं सत्य कह दूँगा, तो अधिक संकटसे बच जाऊँगा।”

यह सोचकर मैंने उसे एक पत्र लिखा। उसमें अपने विचार इस प्रकार प्रकट किये —

“मैं आपके प्रेमके योग्य नहीं हूँ। जब मैं आपके घर आने लगा, तभी मुझे यह कह देना चाहिये था कि मैं तो विवाहित हूँ। आपसे यह बात छिपानेका मुझे अब बहुत दुःख होता है। - किन्तु आज अीश्वरने मुझे सत्य कहनेकी हिम्मत दी है, इससे मुझे आनंद हो रहा है। आप मुझे माफ़ करेंगी? जिन बहनके साथ आपने मेरा परिचय कराया है, उनके साथ मैंने किसी प्रकारकी अनुचित छूट नहीं ली है। मुझे इस बातका पूरा भान है कि मैं ऐसी छूट ले ही नहीं सकता। लेकिन स्वभावतः आपकी अच्छा तो यही देखनेकी हो सकती है कि किसीके साथ मेरा सम्बन्ध कायम हो जाय। आपके मनमें यह चीज और आगे न बढ़े, इस विचारसे भी मुझे आपके सामने सत्य प्रकट कर देना चाहिये।

“यदि इस पत्रके मिलने पर आप मुझे अपने यहाँ आनेके लिये नालायक मानेंगी, तो मुझे उसका ज़रा भी बुरा मालूम न होगा। यदि आप मेरा त्याग न करेंगी, तो उससे मुझे खुशी होगी।”

लगभग लौटती डाकसे मुझे उस विधवा मित्रका जवाब मिला। उसने लिखा था —

“आपका खुले दिलसे लिखा पत्र मिला। हम दोनों खुश हुआँ और खूब हँसीं, लेकिन मेरा न्योता कायम है।

अगले रविवारको हम आपकी राह अवश्य देखेंगी। हमारी मित्रता तो जैसी थी वैसी ही बनी रहेगी।”

अिस प्रकार मुझमें असत्यका जो जहर घुस गया था, उसे मैंने ाहर निकाला और फिर तो कहीं भी अपने विवाह आदिकी बातें रनेमें मैं झिझकता न था।

१६

धार्मिक परिचय

विलायतमें रहते हुअे कोयी अेक साल बीता होगा कि अितनेमें दो थियाँसोफिस्ट मित्रोंसे पहचान हुयी। अुन्होंने मुझसे गीताजीकी बात की। वे अेडविन ऑर्नल्डका गीताजीका अनुवाद पढ़ते थे। लेकिन अुन्होंने तो मुझे अपने साथ संस्कृतमें गीता पढ़नेके लिये निमंत्रित किया। मैं शर्मिन्दा हुआ। क्योंकि मैंने तो गीता संस्कृत या प्राकृतमें पढ़ी ही न थी। मैंने मित्रोंसे यह हकीकत कही, और अुनके साथ गीता पढ़ना शुरू किया।

‘ध्यायतो विषयान्पुंसः’ से शुरू होनेवाले दूसरे अध्यायके दो श्लोकोंका मेरे मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। मुझे अुस समय यह भास हुआ कि भगवद्गीता अमूल्य ग्रन्थ है। धीरे-धीरे मेरी यह मान्यता बढ़ती गयी, और आज तत्त्वज्ञानके लिये मैं अुसे सर्वोत्तम ग्रन्थ मानता हूँ। अपनी निराशाकी घड़ियोंमें अिस ग्रन्थने मेरी अमूल्य सहायता की है।

अिन्हीं भाअियोंने मुझे ऑर्नल्डका ‘बुद्धचरित’ पढ़नेके लिये कहा। अुसे मैंने भगवद्गीतासे भी अधिक रसपूर्वक पढ़ा।

अुन्होंने मुझे मंडम ब्लैवेट्स्कीके और श्रीमती वेसेण्टके दर्शन कराये। मुझे सोसायटीमें भरती होनेके लिये भी कहा। मैंने विनय-पूर्वक अिनकार किया और कहा—“मेरा धर्मज्ञान नहींके बराबर है, अिसलिये मैं किसी भी पंथमें सम्मिलित नहीं होना चाहता।” अुनके कहनेसे मैंने मंडम ब्लैवेट्स्कीकी पुस्तक ‘की टु थियाँसोफी’

पढ़ी। उसे पढ़नेके बाद हिन्दूधर्मकी पुस्तकें पढ़नेकी अच्छा हुआ, और पादरियोंके मुँहसे सुनी हुयी यह राय कि हिन्दूधर्म वहमोंसे ही भरा है, दिलसे निकल गयी।

अन्हीं दिनों मुझे मैञ्चेस्टरके अेक भले ख्रिस्ती मिले। अन्होंने मेरे साथ ख्रिस्ती धर्मकी चर्चा चलायी। मुझे वाअिवल पढ़नेकी सलाह दी, और वाअिवल खरीद कर ला दी। मैंने उसे शुरू किया, लेकिन मैं 'पुराना करार' पढ़ ही न सका।

जब 'नये करार' पर आया, तो उसका अेक अलग ही प्रभाव पड़ा। अीशुके गिरि-प्रवचनका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ा। वह दिलमें वस गया। बुद्धिने उसकी तुलना गीताजीके साथ की। मुझे उसमें यह पढ़कर अपार आनन्द हुआ कि "जो तुझसे कुरता माँगे, उसे तू अँगरखा देना", "जो तेरे दाहिने गाल पर तमाचा मारे, तू उसके सामने वायाँ गाल करना।" मुझे शामिल भट्टका छप्पय याद आ गया। मेरे बालमनने गीता, ऑर्नल्डकृत 'बुद्धचरित' और अीशुके वचनोंका अेकीकरण किया। मेरे मनको यह बात जँच गयी कि त्यागमें धर्म है।

अिस वाचनसे दूसरे धर्माचार्योंकी जीवनी पढ़नेकी अच्छा हुआ। किसी मित्रने मुझे कार्लअिलकी 'विभूतियाँ और विभूति-पूजा' पुस्तक पढ़नेकी सलाह दी। उसमें से मैंने पैगम्बर सम्बन्धी भाग पढ़ा, और मुझे अुनकी महत्ताका, वीरताका और तपश्चर्याका खयाल आया।

अिसके बाद मैं परीक्षाकी पुस्तकोंके सिवाय अन्य कुछ पढ़नेकी फुरसत न पा सका। लेकिन मेरे मनने यह गाँठ बाँध ली कि मुझे धर्मग्रन्थ पढ़ने चाहियें, और सब मुख्य धर्मोंका योग्य परिचय प्राप्त कर लेना चाहिये।

नास्तिकताके बारेमें भी कुछ जाने बिना काम कैसे चलता? मैंने ब्रेडलॉकी पुस्तक पढ़ी। लेकिन मुझ पर उसकी कुछ भी छाप न पड़ी। मैं नास्तिकता-रूपी सहारेके रेगिस्तानको लाँघ गया। अुन दिनों श्रीमती वेसेण्टकी कीर्ति खूब ही फैली हुयी थी। वे नास्तिक न रहकर आस्तिक हो गयी हैं, अिस चीज़ने भी मुझे नास्तिकवादके प्रति अुदासीन बनाया।

निर्वलके बल राम

सन् १८९० में पोर्टस्मथमें अन्नाहारियोंका सम्मेलन था। उसमें मुझे और अेक हिन्दुस्तानी मित्रको निमंत्रित किया गया था। हम दोनों वहाँ पहुँचे। हम दोनोंको अेक महिलाके घर ठहराया गया था। पोर्टस्मथ-जैसे खलासियोंके बन्दरगाहमें यात्रियोंके लिये निवासकी खोज करने पर यह कहना कठिन हो जाता है कि कौनसे घर अच्छे हैं और कौनसे बुरे।

हम रात सभासे घर लीटे। भोजन करके ताश खेलने बैठे। विलायतके अच्छे घरोंमें भी अिस प्रकार मेहमानोंके साथ गृहिणी ताश खेलने बैठती है। ताश खेलते समय निर्दोष विनोद सब कोधी करते हैं। यहाँ वीभत्स विनोद शुरू हुआ। मैं भी उसमें सम्मिलित हुआ। वाणीमें से कृतिमें जानेकी तैयारी ही थी, लेकिन मेरे भले साथीके मनमें राम बसे। उन्होंने कहा — “अरे, तुझमें यह कलजुग कैसा ! तेरा यह काम नहीं। तू यहाँसे भाग जा।”

मैं शरमाया। सावधान हुआ। मन ही मन अुन मित्रका अपकार माना। माताके सामने ली हुअी प्रतिज्ञा याद आयी। मैं भागा; थरथर काँपता हुआ अपनी कोठरीमें पहुँचा। छाती घड़क रही थी। क्रांतिलके हाथसे वच निकलने पर किसी शिकारकी जो हालत होती है, वही मेरी हुअी।

परस्त्रीको देखकर विकारवश होने और उसके साथ खेल खेलनेकी अिच्छा होनेका यह पहला प्रसंग था। उस रात मुझे नींद नहीं आयी। अनेक प्रकारके विचारोंने मुझ पर धावा बोल दिया। मैंने बहुत सावधान होकर चलनेका निश्चय किया। घर न छोड़ा; लेकिन दूसरे ही दिन सम्मेलनके समाप्त होने पर पोर्टस्मथ छोड़ दिया। उस समय मैं यह विलकुल नहीं जानता था कि धर्म क्या है, अीश्वर

क्या है, और वह हममें किस प्रकार काम करता है। उन दिनों तो लौकिक ढंग पर मैं अितना ही समझा था कि अीश्वरने मुझे बचा लिया। 'अीश्वरने बचा लिया', वाक्यका अर्थ आज मैं बहुत समझने लगा हूँ। लेकिन साथ ही यह भी जानता हूँ कि जिस वाक्यकी पूरी कीमत् मैं अभी कूत नहीं सका हूँ।

१८

बैरिस्टर तो बने, किन्तु आगे क्या ?

बैरिस्टर बननेके लिये दो बातें आवश्यक थीं। अेक टर्म पूरी करनेकी, अर्थात् सत्र सम्हालनेकी, और दूसरी, कानूनकी परीक्षा देनेकी। सत्र सम्हालनेका अर्थ था, दावतें खाना। और, दावतें खानेका मतलब यह न था कि खाना खाना ही चाहिये, बल्कि जरूरत जिस बातकी थी कि नियत समय पर हाजिर रहें और खाना खतम होनेके समय तक वहाँ बैठें। खानेमें अच्छे-अच्छे पदार्थ होते और पीनेके लिये अच्छे दर्जेकी शराब होती।

शराब मेरे कामकी थी नहीं। चार जनोके बीच शराबकी दो बोतलें मिलतीं, जिसलिये अनेक चौकड़ियोंमें मेरी माँग रहा करती। जिस खान-पानसे बैरिस्टरीमें क्या वृद्धि हो सकती है, सो मैं न तब समझ सका, न बादमें।

कानूनकी पढ़ाअी आसान थी। परीक्षाकी पुस्तकें नियत थीं। लेकिन अुन्हें तो क्वचित् ही कोअी पढ़ता था। रोमन लॉ पर और अिंग्लैडके कानून पर छोटी-छोटी टिप्पणियाँ लिखी हुअी मिलती थीं। अुन्हें पढ़कर पास होनेवाले मैंने देखे थे। लेकिन मुझे लगा कि मुझको मूल पुस्तकें पढ़ ही लेनी चाहियें। न पढ़नेमें मुझे विश्वासघात मालूम हुआ। जिसलिये मैंने तो मूल पुस्तकोंकी खरीदी पर खासा खर्च किया।

परीक्षायें पास कीं। सन् १८९१ की १० जूनको मैं वैरिस्टर कहलाया। ११वीं जूनको अंग्लैंडके हाजीकोर्टमें ढाढी शिल्लिंग देकर अपना नाम दर्ज कराया; १२ जूनको हिन्दुस्तानके लिये लौट पड़ा।

लेकिन मेरी निराशा और डरका पार न था। वैरिस्टर कहलाना आसान मालूम हुआ। लेकिन वैरिस्टर कराना कठिन लगा। कानून तो पढ़े, लेकिन वकालत करना न सीखा। कानूनमें मैंने कुछ धार्मिक सिद्धान्त पढ़े, जो मुझे अच्छे लगे, लेकिन मेरी समझमें यह न बैठ कि अपने धन्वेमें उनका उपयोग किस प्रकार हो सकेगा।

फिर पढ़े हुये कानूनोंमें हिन्दुस्तानके कानूनका तो नाम तक न था। मुझे वकीलके नाते अपनी आजीविका प्राप्त करनेकी शक्ति-सम्पादन करनेके बारेमें भी बड़ी शंका मालूम होने लगी।

मैंने अपने अेक-दो मित्रोंके सामने ये कठिनायियाँ रखीं। अुन्होंने सुझाया कि मैं दादाभायीकी सलाह लूँ। मैं उनसे मिला, लेकिन उनके सामने अपनी कठिनायियाँ रखनेकी मेरी हिम्मत न हुयी। मैं मि० फ्रेडरिक पिंकटसे मिला। अुन्होंने कहा—“फ्रीरोजशाह अथवा वदरु-हीन तो अेक-दो ही होते हैं। तुम यह निश्चित समझो कि साधारण प्रामाणिकता और लगनसे मनुष्य वकालतका धन्वा आरामके साथ कर सकता है।” अिन दो चीजोंकी पूंजी मेरे पास पर्याप्त मात्रामें थी। अिसलिये अपने दिलकी गहरायीमें मुझे थोड़ी आशा बँधी।

अिस प्रकार निराशाके बीच तनिक-सी आशाका जामन लेकर मैं थरथराते पैरों ‘आसाम’ स्टीमरसे बम्बयीके बन्दरगाह पर अुतरा।

रायचन्दभाभी

बम्बयीकी खाड़ीमें समुद्र तूफानी था, और अदनसे ही अुसकी यह स्थिति थी। सब बीमार थे, अकेला मैं मौज कर रहा था। तूफान देखनेके लिये डेक पर रहता और वहाँ भीगता भी था। बाहरका यह तूफान मेरे निकट तो अन्दरके तूफानकी निशानी-जैसा ही था। लेकिन जिस तरह बाहरी तूफानके बीच मैं शांत रह सका था, अन्दरके तूफानके बारेमें भी वही बात नहीं कही जा सकती। जातिका प्रश्न तो था ही। धन्धेकी चिन्ता थी। तिस पर मैं सुधारक ठहरा; अिसलिये मनमें कुछ सुधार सोच रखे थे, अुनकी भी चिन्ता थी। दूसरी अेक चिन्ता अनसोची पैदा हो गयी। मैं माँके दर्शानोंके लिये अधीर हो रहा था। जब हम किनारे पहुँचे, तो मेरे बड़े भाभी वहाँ मौजूद ही थे। डॉक्टर महेताका आग्रह था कि मैं अुनके घर अुतरूँ, अिसलिये मुझे वही ले गये। माताके स्वर्गवासके विषयमें मैं कुछ भी न जानता था। घर पहुँचने पर मुझे यह खबर सुनायी गयी और स्नान कराया गया। पिताकी मृत्युसे मुझे जो चोट पहुँची थी, अुसकी तुलनामें अिस मृत्युके समाचारसे मुझे कहीं अधिक चोट पहुँची। मेरे मनकी अनेक मुरादें बरबाद हो गयीं। लेकिन अिस मौतके समाचार सुनकर मैं फूटफूटकर रोया नहीं। आँसुओंको प्रायः रोक पाया था। और, मैंने अिस तरह बरतना शुरू कर दिया, मानो माताकी मृत्यु हुयी ही नहीं। डॉक्टर महेताके भाजी रेवाशंकर जगजीवनके साथ तो जन्मकी मित्रता गँठ गयी। कवि रायचन्द डॉक्टरके बड़े भाजीके जमाजी थे,

रायचन्दभाभी

और रेवांशंकर जगजीवनकी पेड़ीके भागीदार और कार्यकर्ता थे। उस समय उनका उमर २५ सालसे अधिक न थी; फिर भी वे चारित्र्यवान और ज्ञानी थे। वे शतावधानी माने जाते थे। मुझे जिस शक्तिकी ओर्ष्या हुआ, किन्तु मैं उस पर मुग्ध न हुआ। मैं तो मुग्ध हुआ उनके व्यापक शास्त्रज्ञान पर, उनके शुद्ध चारित्र्य पर, और आत्मदर्शनकी उनकी जबरदस्त लगन पर।

वे स्वयं हज़ारोंका व्यापार करते, हीरा-मोतीकी परख करते, और व्यापारकी अलज्ञानें सुलझाते। लेकिन ये बातें उनका अपना विषय न थीं। उनका विषय था, आत्माकी पहचान। मैंने उन्हें कभी मूर्च्छित स्थितिमें नहीं देखा। जब कभी मैं उनकी दुकान पर पहुँचता, वे मुझसे धर्मचर्चाके सिवाय और कोई चर्चा ही न करते। यद्यपि उस समय मुझे अपनी दिशाका ज्ञान न था, और न यही कहा जा सकता था कि मुझे साधारणतः धर्मचर्चामें रस था, तो भी रायचन्द भाभीकी धर्मचर्चामें मुझे रसका अनुभव होता था। उनके अनेक वचन मेरे दिलमें सीधे अंतर जाते थे। मेरे मनमें उनकी वृद्धिके लिये आदर था। उनकी प्रामाणिकताका भी मैं अतना ही आदर करता था। अपने आध्यात्मिक संकटमें मैं उनका सहारा लेता था।

रायचन्दभाभीके प्रति अतना आदर रखते हुए भी मैं अपने धर्मगुरुके रूपमें उन्हें अपने हृदयमें स्थान न दे सका। मेरी खोज आज भी जारी है।

मेरे जीवन पर गहरी छाप डालनेवाले आधुनिक मनुष्य तीन हैं: रायचन्दभाभीने अपने जीवित सम्पर्कसे, टॉल्स्टॉयने 'स्वर्ग तेरे हृदयमें है' नामक अपनी पुस्तकसे, और रस्किनने 'अन टु दिस लास्ट' -- 'सर्वोदय' नामक पुस्तकसे मुझे चकित किया।

संसार-प्रवेश

जातिका झगड़ा खड़ा ही था। दो 'तड़ें' पड़ गयी थीं। अंक पक्षने मुझे तुरन्त जातमें ले लिया। दूसरा पक्ष न लेने पर डटा रहा। जातमें लेनेवाले पक्षको सन्तुष्ट करनेके लिये राजकोट ले जानेसे पहले भाभी मुझे नासिक ले गये। वहाँ गंगास्नान कराया, और राजकोट पहुँचने पर जात जिमाभी।

अस काममें मुझे कोयी दिलचस्पी न रही। बड़े भाभीका प्रेम मेरे लिये अगाध था, अुनके प्रति मेरी भक्ति भी अुतनी ही थी; अिसलिये अुनकी अिच्छाको आदेशरूप समझकर मैं यंत्रकी तरह, बिना समझे, अुनकी अिच्छाके अनुकूल होता रहा।

जिस 'तड़'से मैं जात बाहर रहा, अुसमें प्रवेश करनेका प्रयत्न मैंने कभी न किया। जातिके बहिष्कार-विषयक क्रायदेका मैं पूरा आदर करता था। अपने सास-ससुरके घर या अपनी बहनके घर पानी तक न पीता था। वे छिपे तौर पर पिलानेको तैयार होते, परंतु जो बात खुलेमें न की जा सके, अुसे छिपकर करनेके लिये मेरा मन तैयार ही न होता था।

स्त्रीके साथ मेरा संबंध अभी तक मैं जैसा चाहता था, वैसा बन न सका था। विलायत हो आने पर भी मैं अपने द्वेषी स्वभावको छोड़ न सका। हर बातमें मेरी हुज्जत और मेरा वहम जारी रहा। अेक समय तो अैसा आया कि मैंने अुसे मायके ही भेज दिया, और अत्यन्त कष्ट पहुँचानेके बाद फिर साथमें रखना कबूल किया।

मुझे बच्चोंकी शिक्षाके बारेमें भी सुधार करने थे। बड़े भाभीके बच्चे थे और मेरे भी अेक लड़का था। खयाल यह था कि मैं अुन्हें अपने साथ रखूँ। कुछ हद तक मैं अिसमें सफल भी हो सका। बच्चोंका

साथ मुझे बहुत अच्छा लगा और उनके साथ विनोद करनेकी आदत आज तक बनी हुई है।

यह तो स्पष्ट था कि खान-पानमें भी सुधार करना चाहिये। घरमें चाय-काँफीको स्थान मिल चुका था। मैं अपने सुधार लेकर आया। ओटमील पॉरिज (दलिया) दाखिल हुआ, चाय-काँफीके बदले कोको चला। लेकिन परिवर्तन नामका ही था। चाय-काँफीमें कोकोकी बढ़ती-मात्र हुई थी। घरमें बूट और मोजोंका प्रवेश हो ही चुका था। मैंने कौट-मतलूनसे घरको पुनीत किया!

यों खर्च तो बढ़ा, लेकिन उसे लाता कहाँसे?

मित्रोंने सलाह यह दी कि मुझे थोड़े समयके लिये बम्बयी जाकर हावीकोर्टका अनुभव लेना चाहिये। मैं बम्बयीके लिये रवाना हुआ।

घर बसाया। रसोबिया रखा। लेकिन मेरे लिये चार-पाँच महीनेसे अधिक बंबयी रहना संभव ही न हुआ, क्योंकि खर्च बढ़ता जाता था, और आमदनी कुछ न थी।

जिस प्रकार मैंने संसारमें प्रवेश किया। वैरिस्टरी मुझे अखरने लगी। दिखावा ढेरका, काम पायीका। अपनी जिम्मेदारीका खयाल मुझे दबोचने लगा।

२१

पहला मुकदमा

बम्बयीमें एक ओर कानूनकी पढ़ाई शुरू हुई, दूसरी ओर आहारके प्रयोग चले, तीसरी तरफसे भावीने मेरे लिये मुकदमे खोजनेका बुधोग शुरू किया।

हर महीने खर्च बढ़ता था। बाहर वैरिस्टरीकी तल्ली लगाना और घरमें वैरिस्टरीके लिये तैयारी करना! मेरा मन जिन दोनोंका मेल किसी तरह मिला न पाया। जिसलिये मैं व्याकुल चित्तसे पढ़ाई करता रहा।

अितनेमें तक्रदीरसे ममीवाडीका केस मुझे मिला। स्मॉल काँज्र कोर्टमें जाना था। लेकिन दलालको कमीशन देनेका सवाल अुठा। मैं अेकसे दो न हुआ। कमीशन बिलकुल न दिया। फिर भी केस तो मिला। केस आसान था। मुझे 'ब्रीफ' के रु० ३० मिले।

मैं अदालतमें खड़ा तो हुआ, लेकिन पैर काँप रहे थे और सिर चकरा रहा था। सवाल पूछना सूझता न था।

मैं बैठ गया। दलालसे कहा—“मुझसे यह केस न चल सकेगा, पटेलके पास जाओ। मुझे दी हुयी फीस वापस ले लो।”

मैं भागा; शरमाया। निश्चय किया कि जब तक पूरी हिम्मत न आवे, केस न लूंगा, और फिर दक्षिण अफ्रीका जाने तक कोर्टमें गया ही नहीं।

लेकिन दूसरा अेक केस अर्जी तैयार करनेका था। मैंने अर्जी तैयार की। मित्रमंडलीको पढ़कर सुनायी। वह अर्जी पास हुयी और मुझे तनिक विश्वास हुआ कि मैं अर्जी लिखने जितनी योग्यता तो बढ़ा ही लूंगा।

किन्तु मेरा अुद्योग बढ़ता गया। मुफ्तमें अर्जियाँ लिखनेका धन्धा करूँ, तो अर्जियाँ लिखनेका काम तो मिलेगा, लेकिन अुससे कहीं वच्चे झुनझुना खेल पायेंगे ?

मैंने सोचा कि मैं शिक्षकका काम तो कर सकता हूँ। अखवारमें विज्ञापन देखकर अर्जी भेजी, लेकिन चूँकि मैं वी० अे० न था, अिसलिये मुझे वह काम न मिला !

मैं लाचार हो गया। मेरे हाथ ढीले पड़ गये। बड़े भाडीको चिन्ता हुयी। हम दोनोंने सोचा कि बम्बडीमें और अधिक समय विताना निरर्थक है। कुल करीव छः महीने रहनेके बाद बम्बडीका घर अुठा दिया।

जब तक बम्बडीमें था, मैं वहाँ हर रोज़ हाडीकोर्ट जाता रहा। लेकिन यह नहीं कह सकता कि वहाँ कुछ सीखा।

घर गिरगाँवमें था, फिर भी मैं क्वचित् ही गाडीभाड़ा खरचता था। अक्सर नियमित रूपसे पैदल ही जाता था। अिसमें पूरे ४५

पहला आघात

मिनट लगते थे, और वापस घर आनेके समय भी विला नागा पैदल ही आता था। जब मैं कमाने लगा तब भी जिस प्रकार पैदल ऑफिस जानेकी आदत मैंने अन्त तक कायम रखी।

२२

पहला आघात

बम्बयीसे निराश होकर राजकोट पहुँचा। अलग ऑफिस खोला। गाड़ी किसी तरह चली। अर्ज़ियाँ लिखनेका काम मिलने लगा, और हर महीने औसत तीन सौ रुपयेकी आमदनी होने लगी।

जिस प्रकार यद्यपि मेरी आर्थिक गाड़ी चल निकली थी, तो भी जीवनका पहला आघात जिन्हीं दिनों पहुँचा। मैंने कानसे सुन रखा था कि ब्रिटिश अधिकारी कैसा होता है; अब मुझे वह अपनी आँखों देखनेको मिला।

अस समयके पोलिटिकल अेजण्टको मेरे भाजीके वारेमें भ्रम हो गया था। जिन अधिकारीसे मैं विलायतमें मिला था। यह कहा जा सकता है कि वहाँ मुन्होंने अच्छी मित्रता निभायी थी। भाजीने सोचा कि जिस परिचयसे लाभ अुठाकर मैं पोलिटिकल अेजण्टको दो शब्द कहूँ और अुन पर कोअी वुरा असर पड़ा हो, तो अुसे मिटानेका प्रयत्न करूँ। मुझे यह बात ज़रा भी न जँची। लेकिन भाजीका मुलाहज़ा तोड़ न सका। अपनी अिच्छाके विरुद्ध मैं गया।

मैं मिला और पुरानी पहचान बतायी। लेकिन मैंने तुरन्त ही देखा कि विलायतमें और काठियावाड़में भेद था। अपनी कुर्सी पर बैठे हुअे अफसरमें और छुट्टी पर गये हुअे अफसरमें भी भेद था। अधिकारीने पहचान क़वूल की। लेकिन पहचानके साथ ही वे अधिक अँठ गये। मैंने अपनी बात शुरू की। साहव अघीर हुअे; अुठे — 'अव आपको जाना चाहिये।'

मैंने कहा — 'लेकिन मेरी बात तो पूरी सुन लीजिये।' साहब बहुत नाराज हुये — 'चपरासी, जिसको दरवाजा बताओ।' चपरासी दौड़ा आया। मैं तो अभी कुछ बड़बड़ा ही रहा था। चपरासीने मुझे हाथ लगाया और मुझको दरवाजेके बाहर निकाल दिया।

साहब गये, चपरासी गया। मैं चला, अकुलाया, खीझा। मैंने तुरन्त चिट्ठी बसीटी; भेजी। थोड़ी ही देरमें साहबका सवार जवाब दे गया — 'आपको जो कार्रवाजी करनी हो, सो करनेके लिये आप स्वतंत्र हैं।'

भाजीसे चर्चा की। वे दुःखी हुये। वकील-मित्रोंसे बात की। मुझे केस रखना आता ही कहाँ था? उस समय सर फ़ीरोज़शाह महेता राजकोटमें थे। उनका सलाह पुछवाजी। सलाह मिली कि चिट्ठी फाड़ डालो और अपमानको पी जाओ।

मुझे यह नसीहत ज़हरकी तरह कड़वी लगी। लेकिन जिस कड़वी घूँटको गलेके नीचे अतारनेके सिवाय और कोजी चारा न था। मैं जिस अपमानको भूल तो सका ही नहीं, लेकिन मैंने जिसका सदुपयोग किया — 'फिर कभी अपनेको ऐसी स्थितिमें नहीं डालूंगा, जिस तरह किसीकी सिफ़ारिश नहीं कहूँगा।' जिस नियमको मैंने कभी नहीं तोड़ा। जिस आघातने मेरे जीवनकी दिशा बदल दी।

दक्षिण अफ्रीकाकी तैयारी

मेरा अधिकतर काम तो जिस अधिकारीकी अदालतमें रहता था। खुशामद मुझसे हो नहीं सकती थी। मैं उसे अनुचित रीतिसे रिज्ञाना नहीं चाहता था। उसके नाम शिकायतकी धमकी भेजकर मैं शिकायत न कहूँ और उसे कुछ भी न लिखूँ, यह भी मुझे अच्छा न लगा।

जिस बीच मुझे काठियावाड़की खटपटका भी थोड़ा अनुभव हुआ। यह वातावरण मुझे ज़हर-सा लगा। मुझे बराबर जिस बातकी चिन्ता रहने लगी कि मैं अपनी स्वतंत्रता किस तरह बचा सकूँगा। मैं अदासीन बना; अकुलाया।

जिस बीच भाभीके पास पोरबन्दरकी अेक मेमण पेढीका सन्देश आया — 'हमारा व्यापार दक्षिण अफ्रीकामें है। हमारी पेढी बड़ी है। हमारा अेक बड़ा केस बहुत समयसे चल रहा है। अगर आपके भाभीको भेजें, तो वह हमारी मदद करे और उसे भी कुछ मदद मिल जाय। वह हमारा केस हमारे वकीलको समझा सकेगा।'

भाभीने मुझसे जिसकी चर्चा की। मैं जिस सबका अर्थ न समझ सका। लेकिन मैं ललचाया।

मेरे भाभीने मुझे दादा अब्दुल्लाके भागीदार स्व० सेठ अब्दुल-करीम जवेरीसे मिला दिया। हमारे बीच बातचीत हुई। करीम सेठने कहा — 'अेक सालसे अधिक आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जाने-आनेका फ्रस्ट क्लासका किराया और रहने-खानेके खर्चके अलावा १०५ पाँड देंगे।'

जिसे वकालत नहीं कह सकते। यह तो नौकरी थी। लेकिन मुझे तो जैसे-तैसे हिन्दुस्तान छोड़ना था। मैंने सेठ अब्दुलकरीमका प्रस्ताव स्वीकार किया और दक्षिण अफ्रीका जानेके लिये तैयार हुआ।

नाताल पहुँचा

वियोगका जो दुःख विलायत जाते समय हुआ था, दक्षिण अफ्रीका जाते समय वैसा दुःख नहीं हुआ। जिस वार केवल पत्नीके साथका वियोग दुःखदायी था। विलायतसे लौटनेके बाद अकेले दूसरे वालककी प्राप्ति हुयी थी। हमारे आपसके प्रेममें अभी विषय तो विद्यमान था ही, फिर भी अुसमें निर्मलता आने लगी थी। मेरे विलायतसे लौटनेके बाद हम बहुत कम साथमें रहे थे।

मुझे दादा अब्दुल्लाके बम्बयीवाले अेजण्टकी मारफ़्त टिकट खरीदवाना था, लेकिन स्टीमरमें कैबिन खाली न थी। मैंने डेकमें जानेसे अिनकार किया। अेजण्टकी अनुमति लेकर स्वयं मैंने टिकट प्राप्त करनेका प्रयत्न किया। मैं स्टीमरके बड़े अधिकारीसे मिला। अुसकी कैबिनमें अेक हिंडोला खाली रहता है, सो वह मुझे देनेको तैयार हो गया। मैं खुश हुआ। सेठसे चर्चा की और टिकट खरीदवाया। यों सन् १८९३ के अप्रैल महीनेमें मैं अुमंगभरा दिल लेकर अपनी तकदीर आजमानेके लिये दक्षिण अफ्रीकाको रवाना हुआ।

लामू और मोम्बासा होकर हम जंजीवार पहुँचे। जंजीवारमें बहुत ही रुकना था — आठ या दस दिन। यहाँ नयी स्टीमर बदलनी होती थी।

कप्तानके प्रेमका कोअी पार न था। जिस प्रेमने मेरे लिये अुल्टा रूप धारण किया। अुसने मुझे अपने साथ सैर पर चलनेका न्योता दिया। साथमें अेक अंग्रेज़ मित्रको भी न्योता था। हम तीनों कप्तानके मछुअे पर सवार हुअे। मैं जिस सैरका मतलब विलकुल न समझा था।

हम हड्डी औरतोंके अहातेमें पहुँचे। हरबेक बेक-बेक कमरेमें वन्द हो गया। लेकिन मैं तो शर्मका मारा कमरेमें वन्द होकर बैठा ही रहा। कप्तानने मुझे पुकारा। मैं तो जिस तरह अन्दर घुसा था, उसी तरह बाहर निकल आया। मैंने जीश्वरका आभार माना कि बस वहनको देखकर मेरे मनमें रंचमात्र भी विकार पैदा न हुआ। मुझे अपनी जिस दुर्बलता पर तिरस्कार पैदा हुआ कि मैं कोठरीमें वन्द होनेसे ही जिनकार करनेकी हिम्मत न दिखा सका।

अपने जीवनमें जिस प्रकारकी मेरी यह तीसरी कसीटी थी। मेरा बचन मेरे पुरुषार्थकी बदीलत न था। यदि मैंने कोठरीमें वन्द होनेसे साफ़ जिनकार किया होता, तो वह मेरा पुरुषार्थ माना जाता। अपनी रक्षाके लिये मुझे तो बेक जीश्वरका ही आभार मानना है। लेकिन जिस क्रिस्सेके कारण जीश्वरके प्रति मेरी आस्था बढ़ी, और मैं झूठी शर्म छोड़नेकी थोड़ी हिम्मत भी बटोर सका।

जंजीवारसे मौजाम्बिक और वहाँसि मजी महीनेके करीब में आखिर नाताल पहुँचा।

अनुभवोंकी वानगी

डरवन नातालका बन्दरगाह कहा जाता है। अब्दुल्ला सेठ मुझे लिवाने आये थे। स्टीमर डॉकमें पहुँची और नातालके लोग स्टीमर पर अपने मित्रोंको लेने आये, तभी मैं समझ गया कि यहाँ हिन्दुस्तानीकी बहुत अिज्जत नहीं होती।

मुझे घर ले गये। अब्दुल्ला सेठने अपने कमरेके पड़ोसवाला कमरा मुझे दिया। वे मुझे न समझते थे, मैं अुन्हें न समझता था। अपने भाजी द्वारा भेजे गये कागज़-पत्र अुन्होंने पढ़े और अविक बवराये। अुनको अैसा प्रतीत हुआ मानो भाजीने अुनके घर सफ़ेद हाथी सं-४

वांध दिया है। मेरी साहवी ठाठवाली रहन-सहन अन्हें खर्चीली मालूम हुआ। अुस समय मेरे लिये वहाँ कोअी खास काम न था।

अब्दुल्ला सेठ पढ़े-लिखे बहुत कम थे, लेकिन अुनका अनुभव-ज्ञान प्रचुर था। बुद्धि अुनकी तीव्र थी। अंग्रेजीका ज्ञान केवल वातचीत करने जितना रोजके अभ्याससे प्राप्त कर लिया था। हिन्दुस्तानियोंमें अुनकी बड़ी अिज्जत थी। अुनका स्वभाव वहमी था।

अुन्हें अिस्लामका अभिमान था। वे तत्त्वज्ञानकी बातोंका शौक रखते थे। अुनके सहवाससे मुझे अिस्लामका व्यावहारिक ज्ञान ठीक-ठीक मिला। जबसे हम अेक-दूसरेको पहचानने लगे, अुसके बादसे वे मेरे साथ बहुत धर्मचर्चा किया करते थे।

दूसरे या तीसरे दिन वे मुझे डरवनकी अदालत दिखाने ले गये। वहाँ कुछ जान-पहचान कराअी। अदालतमें मुझे अपने वकीलके पास वैठाया। मजिस्ट्रेट मेरी ओर देखता रहा। अुसने मुझसे पगड़ी अुतारनेको कहा। मैंने अुतारनेसे अिनकार किया और अदालत छोड़ी।

मेरे भाग्यमें तो यहाँ भी लड़ाअी ही लिखी थी।

अब्दुल्ला सेठने मुझे पगड़ी अुतरवानेका भेद समझाया। जिसने मुसलमानी पोशाक पहनी हो, वह अपनी मुसलमानी पगड़ी पहन सकता है। दूसरे हिन्दुस्तानियोंको अदालतमें दाखिल होते ही अपनी पगड़ी अुतारनी चाहिये।

अिन दो-तीन दिनमें ही मैंने यह देखा कि हिन्दुस्तानी अपने-अपने तंग दायरे बनाकर बैठ गये हैं। अेक भाग मुसलमान व्यापारियोंका था; वे अपनेको 'अरब' कहते थे। दूसरा भाग हिन्दू अथवा पारसी मेहताओंका था। हिन्दू मेहता अघरमें लटकते थे। अुनमें से कोअी 'अरब' में मिल जाते। पारसी अपना परिचय परशियनके नामसे देते। अेक चौथा और बड़ा वर्ग तामिल, तेलगू और अुत्तरी हिन्दुस्तानके गिरमितियों और गिरमित-मुक्त हिन्दुस्तानियोंका था। अंग्रेज अिन गिरमितियोंको कुलीके नामसे पहचानते थे, और चूँकि अिनकी संख्या बड़ी थी, अिसलिये दूसरे हिन्दुस्तानियोंको भी कुली ही कहते थे। कुलीके बदले 'सामी' भी कहते थे।

अिस कारण मैं 'कुली वैरिस्टर' ही कहलाया। व्यापारी, कुली व्यापारी कहलाते।

अिस स्थितिमें पगड़ी पहननेका प्रश्न अेक वड़ा प्रश्न बन गया। पगड़ी अुतारनेका मतलब था, अपमान सहन करना। मैंने यह भी सोचा कि मैं हिन्दुस्तानी पगड़ीको छुट्टी दे दूँ और अंग्रेजी टोप पहन लूँ, जिससे अुसे अुतारनेमें अपमान मालूम न हो और मैं झगड़ेसे बच जाऊँ।

अब्दुल्ला सेठको यह सूचना जँची नहीं। अुन्होंने कहा: "अगर आप अिस समय अँसा कोअी फेरफार करेंगे, तो अुसका अनर्थ होगा। जो दूसरे लोग देशकी ही पगड़ी पहनना चाहते होंगे, अुनकी हालत नाजुक बन जायगी। फिर, आपको तो अपने देशकी पगड़ी ही शोभा दे सकती है। अगर आप अंग्रेजी टोपी पहनेंगे, तो आपकी गिनती 'वेटर' में होगी।"

अिन वाक्योंमें लौकिक समझदारी थी, देशाभिमान था, और थोड़ी संकीर्णता थी।

कुल मिलाकर अब्दुल्ला सेठकी दलील मुझे जँची। मैंने पगड़ीके क्रिस्सेको लेकर अपने और पगड़ीके बचावमें अखवारोंके लिअे अेक पत्र लिखा। अखवारोंमें मेरी पगड़ीकी खूब चर्चा चली, और तीन-चार दिनके अन्दर ही अनायास दक्षिण अफ्रीकामें मेरा विज्ञापन हो गया।

मेरी पगड़ी तो लगभग अखीर तक रही।

प्रिटोरिया जाते हुअे

डरबनमें अभी मैं जान-पहचान बढ़ा ही रहा था कि अितनेमें पेढ़ीके वकीलकी ओरसे पत्र आया कि केसके लिअे तैयारी की जानी चाहिये। और या तो अब्दुल्ला सेठको स्वयं प्रिटोरिया जाना चाहिये या किसीको वहाँ भेजना चाहिये।

सेठने मुझसे जानेके वारेमें पूछा। मैंने कहा : 'मुझे केस समझायें तो मैं बताऊँ।' अन्होंने अपने मुनीमोंको केस समझानेमें लगाया।

मैंने देखा कि अिस केसका आधार वहीखातों पर है। जमा-खर्चके हिसाबको जाननेवाला ही केस समझ और समझा सकता है। मुनीम जमा-अुधारकी बातें करते और मैं घबराता। मुझे पता न था कि पी० नोट क्या चीज है। मैंने मुनीमके सामने अपना अज्ञान प्रगट किया और मुझे अुसे मालूम हुआ कि पी० नोटका मतलब प्रॉमिसरी नोटसे है। मैंने जमा-खर्चके हिसाबकी किताब खरीदी और अुसे पढ़ गया। थोड़ा आत्मविश्वास पैदा हुआ। मामला कुछ समझमें आया। मैं प्रिटोरिया जानेके लिअे तैयार हुआ।

सेठने कहा : 'मैं अपने वकीलको लिखूंगा। वह आपके ठहरनेका प्रबन्ध कर देंगे। प्रिटोरियामें मेरे मेमण दोस्त हैं; लेकिन आपका अुनके यहाँ ठहरना ठीक न होगा। आपके नाम मेरे खानगी पत्र वसूरा पहुँचेंगे। यदि अुनमें से कोअी अिन सबको पढ़ ले, तो हमारे केसको नुकसान पहुँचे। अुनके साथ जितना कम सम्बन्ध हो अुतना ही अच्छा।'

मैंने कहा : 'आपके वकील मुझे जहाँ ठहरायेंगे, मैं वहीं ठहरूँगा। अथवा कोअी अलग घर ढूँढ़ लूँगा। आप निश्चिन्त रहें। आपकी अेक भी खानगी बात प्रकट न होगी। लेकिन मैं मिलता-जुलता सब किसीसे

रहूँगा। मुझे तो प्रतिपक्षीके साथ भी मित्रता साधनी है। अगर मुझसे वन पड़ा तो मैं कोशिश यह कहूँगा कि यह मामला घर बैठे सुलझ जाय। आखिर तैयब सेठ भी तो आपके सगे ही हैं?’

अब्दुल्ला सेठ कुछ चींके। लेकिन जिस दिन यह चर्चा हुअी, उस दिन मुझे डरवन पहुँचे कोयी छः-सात दिन हो चुके थे। हम अके-दूसरेको जानने और समझने लगे थे। मैं अब सफ़ेद हाथी लगभग नहीं रहा था। अन्होंने कहा—

‘हाँ, आ. . . . आ. . . .। अगर समझीता हो जाय, तो उसके जैसी अच्छी कोयी बात नहीं। लेकिन तैयब सेठ झट समझने-वाले जीव नहीं हैं। जिसलिये जो भी कुछ करें, होशियारीसे करें।’

मैं बोला : ‘आप जिसकी विलकुल फ़िक्र न करें। मुझे केंसकी चर्चा तैयब सेठसे या किसीसे करनेकी जरूरत ही नहीं। मैं तो यही कहूँगा कि दोनों घर बैठे केस सुलझा लो, ताकि वकीलोंके घर भरने न पड़ें।’

सातवें या आठवें दिन मैं डरवनसे रवाना हुअा। मेरे लिये पहले दर्जेका टिकट खरीदा गया।

नातालकी राजधानी मैरिट्सवर्गमें ट्रेन क़रीब ९ बजे पहुँची। अके मुसाफ़िर आया। उसने मेरी ओर देखा। मुझे अपनेसे भिन्न रंगवाला पाकर वह परेशान हुअा। बाहर निकला। अके-दो अफ़सरोंको लेकर आया। किसीने मुझसे कुछ कहा नहीं। आखिर अके अफ़सर आया। उसने मुझे आखिरी डब्बेमें जानेको कहा। हमारे बीच सवाल-जवाब हुअे; लेकिन मैंने स्वयं अुतरनेसे अिनकार कर दिया। सिपाही आया। उसने हाथ पकाड़ा और मुझे धक्का मारकर नीचे अुतारा। मेरा सामान अुतार दिया। मैंने दूसरे डब्बेमें जानेसे अिनकार किया। ट्रेन रवाना हो गअी। मैं वेटिंग रूममें बैठा। अपना हयझोला साथमें रखा, बाक़ी सामानको मैंने हाथ न लगाया।

अुन दिनों सर्दीका मौसम था। अूँचाजीवाले प्रदेशमें दक्षिण अफ़्रीकाका जाड़ा बहुत सख़्त होता है। मुझे जोरोंकी सर्दी मालूम हुअी।

संक्षिप्त आत्मकथा

मेरा ओवरकोट मेरे सामानमें था, लेकिन सामान माँगनेकी हिम्मत न पड़ी। कहीं फिर अपमान हो जाय तो? जाड़ेसे काँपता रहा।

मैंने अपने धर्मका विचार किया— 'या तो मुझे अपने अधि-कारोंके लिये लड़ना चाहिये अथवा लौट जाना चाहिये; अन्यथा जो भी अपमान हो, तो सहन करके प्रिटोरिया पहुँचना चाहिये और जिस केसको निपटाकर वापस देश जाना चाहिये। केसको लटकता छोड़कर भागना तो नामर्दी मानी जायगी। मुझे जो दुःख उठाना पड़ा, सो तो ऊपर-ऊपरका दर्द था, और वह गहरे पैठे हुअे अंक महारोगका लक्षण था। जिस महारोगका नाम था, रंगद्वेष। यदि जिस गहरे रोगको मिटानेकी शक्ति हो, तो उस शक्तिका उपयोग करना चाहिये और अगर जिस प्रयत्नमें दुःख उठाने पड़ें, तो उठाने चाहियें।' जिस प्रकारका निश्चय करके मैंने यह तय किया कि दूसरी ट्रेनमें, जैसे भी वने, आगे जाना ही चाहिये।

सबेरे-सबेरे मैंने जनरल मैंनेजरके नाम अंक लम्बा शिकायती तार भेजा। दादा अब्दुल्लाको भी सूचित किया। वे जनरल मैंनेजरसे मिले और उसने मुझे विना रोकटोकके मेरे मुकाम तक पहुँचानेके लिये स्टेशन मास्टरको कहा। सेठकी सूचना पाकर व्यापारी मुझे स्टेशन पर मिलने आये। अन्होंने मेरे सामने अपने ऊपर आनेवाली मुसीबतोंका वयान किया। सारा दिन इसी तरहकी बातें सुननेमें बीता। रात पड़ी। ट्रेन आजी। मेरे लिये जगह तैयार ही थी। ट्रेन मुझे चार्ल्स-टायुनकी ओर ले चली।

और अधिक संकट

ट्रेन सवेरे चार्ल्सटाउन पहुँची। अून दिनों चार्ल्सटाउनसे जोहानिसबर्ग पहुँचनेके लिये ट्रेन न थी, बल्कि घोड़ोंकी शिकरम थी। मुसाफिर सब शिकरमके अन्दर ही बैठते। लेकिन मैं तो 'कुली' माना जाता था। अपरिचित-सा लगता था; जिसलिये शिकरमवालेकी नीयत यह थी कि मुझे गोरे मुसाफिरोंके पास बैठाना न पड़े तो अच्छा। शिकरमके बाहर अर्थात् कोचवानके दायें बायें दो बैठकें थीं। अूनमें से एक बैठक पर शिकरम-कंपनीका एक अधिकारी गोरा बैठता था। वह अन्दर बैठा और मुझे कोचवानकी बगलमें बैठाया। मैं समझ गया कि यह कोरमकोर अन्याय है, अपमान है। लेकिन मैंने जिस अपमानको पी जाना अुचित समझा। मन ही मन बेचैन तो बहुत ही रहा।

कोयी तीन बजे शिकरम पारडीकोप पहुँची। अब अूस अधिकारी गोरेने चाहा कि वह मेरी जगह पर बैठे। अूसने मुझे पैर रखनेके पटिये पर बैठनेको कहा। मैं जिस अपमानको सहनेमें असमर्थ था। जिसलिये मैंने अूससे डरते-डरते कहा — 'मैं अन्दर जानेको तैयार हूँ। लेकिन आपके पैरके पास बैठनेको तैयार नहीं।'

मेरे अितना कहते ही मुझ पर तमाचोंकी झड़ी बरस गयी और अूसने मेरी बांह पकड़कर मुझे नीचे घसीटना शुरू किया। मैंने बैठकके पासके सीखचोंको भूतकी तरह कचकचाकर पकड़े रखा और निश्चय किया कि हाथ चाहे टूट जायें मगर सीखचोंको न छोड़ूँगा। वह गोरा अधिकारी मुझे गालियाँ दे रहा था, खींच रहा था, और मार भी रहा था, मगर मैं चुप था। मुसाफिरोंमें से कुछको दया आयी और अूनमें से कुछ यह कह अुठे — 'जिस बेचारेको वहाँ बैठने दे। जिसे नाहक मार मत; जिसकी बात सच है। अगर वहाँ नहीं बैठने देता है, तो जिसे यहाँ हमारे पास अन्दर बैठने दे।' सुनकर

वह खिसियाया; फलतः अुसने मुझे मारना वन्द कर दिया; मेरी वाँह छोड़ दी; अूपरसे दो-चार ज़्यादा गालियाँ दीं, और दूसरी तरफ़ अेक हॉटेण्टॉट नौकर बैठा था, अुसे अपने पैरोंके पास बैठाकर वह खुद वाहर बैठा। शिकरम रवाना हुआ। मेरी छाती तो अभी बड़क ही रही थी। मुझे शक था कि मैं जीतेजी मुकाम पर भी पहुँचूँगा या नहीं। वह गोरा मेरी ओर आँखें निकाल कर देखता ही रहता था। वह मुझे अँगुली दिखाता और बड़बड़ाया करता। मैं तो चुप ही रहा, और प्रभुसे प्रार्थना करता रहा कि वह मेरी मदद करे।

रात पड़ी। स्टैण्डर्टन पहुँचे। कुछ हिन्दुस्तानियोंके चेहरे देखे। मुझे शांति मालूम हुआ। वे मुझे अीसा सेठकी दुकान पर ले जानेके लिये आये थे। दुकान पर पहुँचनेके वाद मैंने सवको अपने पर जो घीती थी, अुसका क्रिस्ता सुनाया। अुन्होंने भी अपने कड़वे अनुभवोंका वर्णन करके मुझे आश्वासन दिया। मैंने शिकरम-कंपनीके अेजण्टको पत्र लिखा। अुसने मुझे सूचित किया कि मुझको दूसरे मुसाफ़िरोंकी वरावरीमें ही जगह मिलेगी। सवेरे अीसा सेठके लोग मुझे शिकरम पर ले गये। वहाँ मुझे योग्य जगह मिली। विंतां किसी परेशानीके में अुस रात जोहानिसवर्ग पहुँचा।

मुझे महम्मद कासिम कमरुद्दीनकी दुकानका आदमी लेने आया था। लेकिन न मैंने अुसे देखा, न वह आदमी मुझे पहचान सका। मैंने अेक होटलमें ठहरनेका प्रयत्न किया, लेकिन मैंनेजरने मुझे नहीं ठहराया। मैं कमरुद्दीनकी दुकान पर गया। वहाँ देखा कि अट्टलगनी सेठ मेरी राह ही देख रहे थे। अुन्होंने मेरा स्वागत किया। मैंने अुनसे होटलकी वात कही। वे खिलखिलाकर हँस पड़े। बोले — 'हमें यहाँ कोअी होटलमें ठहरने भी देता है?' अुन्होंने ट्रान्सवालमें पड़नेवाले दुःखोंका अितिहास कह सुनाया।

आम तौर पर यहाँ हमारे लोगोंको पहले या दूसरे दर्जेका टिकट देते ही नहीं थे। लेकिन मैंने तो पहले दर्जेमें ही जानेका विचार किया। टिकटके लिये मैंने स्टेशन मास्टरको चिट्ठी लिखी और अुसका जवाब पानेके लिये मैं फ्राँकफोट, नेकटाबी आदि लगाकर स्टेशन पहुँचा।

प्रिटोरियामें

स्टेशन-मास्टर ट्रान्सवालर न था, बल्कि हॉलैण्डर था। उसने मुझे वस्तुस्थिति समझायी और टिकट दिया। अब्दुलगनी सेठ मुझे विदा करने आये थे। यह कौतुक देखकर वे खुश हुये। अन्हें आश्चर्य हुआ। लेकिन अन्होंने मुझे होशियार किया — 'आप सही-सलामत प्रिटोरिया पहुँच जायें, तो भर पायें। गाई आपको पहले दर्जेमें आरामसे बैठने न देगा।' मैं तो पहले दर्जेके डब्बेमें जाकर बैठा। ट्रेन रवाना हुयी।

जर्मिस्टन पहुँचने पर गाई टिकट देखने निकला। मुझे देखकर ही वह चिढ़ गया। अँगुलीसे जिसारा करके कहा — 'तीसरे दर्जेमें जा।' जिस डब्बेमें अेक ही अंग्रेज मुसाफिर था। उसने गाईको आड़े हाथों लिया — 'देखते नहीं हो कि जिसके पास पहले दर्जेका टिकट है? मुझे जिसके बैठनेसे थोड़ी भी अड़चन नहीं है।' और मुझसे कहा — 'आप अपने आरामसे बैठे रहिये।'

गाई वड़वड़ाया और चल दिया।
रातके करीब आठ बजे ट्रेन प्रिटोरिया पहुँची।

२८

प्रिटोरियामें

प्रिटोरिया स्टेशन पर दादा अब्दुल्लाके वकीलका कोबी आदमी मुझे लिवाने आया न था। मैं परेशान हुआ। मुझे अँदेशा था कि होटलमें कोबी ठहरायेगा नहीं। स्टेशनके खाली होने तक मैं वहीं ठहरा रहा। मैंने टिकट कलेक्टरसे पूछना शुरू किया। उसने विनयपूर्वक अुत्तर दिये। किन्तु वह मेरी बहुत अधिक मदद कर सकनेकी स्थितिमें न था। पास ही अेक अमेरिकन हव्शी सज्जन खड़े थे। अन्होंने मुझसे बातचीत शुरू की। वे मुझे अमेरिकन मालिकके अेक छोटे होटलमें ले गये। मालिक मुझे अेक रातके लिये ठहरानेको राजी हुआ, लेकिन उसने शर्त यह की कि मुझे अपने कमरेमें ही खाना होगा, ताकि अुसके गोरे ग्राहक अुसे छोड़ न जायें। मैंने शर्त कबूल की। मुझे कमरा दिया गया।

कुछ देर बाद मालिक मेरे पास आया। उसने कहा — 'मैंने अपने ग्राहकोंसे आपके बारेमें बात करके पूछताछ की है। अन्हें कोजी आपत्ति न होगी, यदि आप भोजनगृहमें जीमें। साथ ही, आप जितने समय तक यहाँ रहना चाहें, रहें। अन्हें जिसमें भी कोजी अड़चन नहीं। जिसलिअे अब आप चाहें, तो मेरे भोजनगृहमें पधारें, और जब तक आपकी अिच्छा हो तब तक यहाँ रहें।'

मैं भोजनालयके कमरेमें गया। निश्चिन्त भावसे भोजन किया।

दूसरे दिन सुबह वकीलके घर गया। अुनका नाम था, अे० डब्ल्यू० वेकर। अुनसे मिला। वे मुझेसे प्रेमपूर्वक मिले और मेरे बारेमें थोड़ी हकीकत पूछी, जो मैंने अुन्हें कही। केसके बारेमें बातचीत करते हुअे कहा — 'केस लम्बा और अुलझन भरा है, जिसलिअे आपसे तो मैं अुतना ही काम ले सकूंगा, जितनेसे मुझे आवश्यक हकीकत वगैरा जाननेको मिल सके। लेकिन अब अपने मुक्किलके साथ पत्र-व्यवहार करना मेरे लिअे आसान हो जायगा।'

मेरे लिअे रहनेका प्रबन्ध करनेकी दृष्टिसे वे मुझे अेक भटियारेकी स्त्रीके घर ले गये; स्त्रीने मुझे ठहराना क्वूल किया।

मि० वेकर वकील और धर्माग्रही पादरी थे। अपनी पहली ही मुलाकातमें अुन्होंने धर्म-सम्बन्धी मेरी मनोदशा जान ली। मैंने अुनसे कह दिया — 'मैं जन्मसे हिन्दू हूँ। मुझे हिन्दूधर्मका बहुत ज्ञान नहीं है। दूसरे धर्मोंका ज्ञान भी कम ही है। मैं कहाँ हूँ, क्या मानता हूँ, मुझे क्या मानना चाहिये, सो सब मैं जानता नहीं। मैं अपने धर्मका गहराअीसे निरीक्षण करना चाहता हूँ। यथाशक्ति दूसरे धर्मोंका अभ्यास करनेका मेरा अिरादा है।'

यह सब सुनकर मि० वेकर खुश हुअे। अुनके अपने कुछ साथी थे। वे हमेशा अेक वजे कुछ मिनटोंके लिअे अिकट्टा होते थे और आत्माकी शांति अेवं प्रकाश (ज्ञानके अुदय)के लिअे प्रार्थना करते थे। अुन्होंने मुझे अुसमें सम्मिलित होनेको कहा। मैंने क्वूल किया कि जहाँ तक बनेगा, आता रहूंगा।

हम विखरे। होटलका बिल चुकाया। मैं नये घरमें गया। घरकी मालकिन भली स्त्री थी। जिस परिवारके साथ तुरत हिलमिल जानेमें मुझे देर न लगी।

शाम हुआ। ब्यालू किया। और फिर तो मैं अपने कमरेमें जाकर विचारोंमें शर्क हो गया। मैंने देखा कि मेरे लिये तुरत कोयी काम नहीं है। अद्दुल्ला सेठको खबर भेजी। मि० वेकरकी मित्रताका क्या अर्थ हो सकता है? ख्रिस्तीधर्मके अभ्यासमें मुझे कहाँ तक बढ़ना चाहिये? हिन्दूधर्मका साहित्य कहाँसे प्राप्त करना चाहिये? उसे जाने बिना मैं ख्रिस्तीधर्मके स्वरूपको क्योंकर जान सकता था? अके ही निर्णय कर सका—मुझे जो अभ्यास सहज भावसे करना पड़े, सो मैं निष्पक्षपातपूर्वक कहूँ, और जीश्वर जिस समय जो सुझा दे, मि० वेकरके समुदायको उस समय वही जवाब दूँ। जब तक मैं अपने धर्मको पूरी तरह समझ न सकूँ, तब तक मुझे दूसरा धर्म अपनातेका विचार नहीं करना चाहिये। जिस प्रकार सौचते-सोचते मैं निद्रावश हुआ।

२९

ख्रिस्तियोंका सम्पर्क

दूसरे दिन अके वजे मैं मि० वेकरके प्रार्थना-समाजमें गया। वहाँ मि० कोट्स आदिसे जान-पहचान हुआ। सवने घुटनोंके बल बैठकर प्रार्थना की। मैंने भी अनुकानुकरण किया। प्रार्थनामें जिसकी जो अच्छा हो, सो वह जीश्वरसे माँगे। जिस प्रार्थनामें भजन-कीर्तन नहीं होता था। सवके लिये यह समय दोपहरके भोजनका था, जिसलिये जिस प्रकार प्रार्थना करके सब अपने-अपने भोजनके लिये जाते। प्रार्थनामें पाँच मिनटसे ज्यादा समय लगता ही न था।

मि० कोट्स शुद्ध मनके अके कट्टर नौजवान क्वेकर थे। अनुके साथ मेरा गाढ़ परिचय हो गया। हम प्रायः टहलनेको भी जाने लगे। वे मुझे दूसरे ख्रिस्तियोंके घर ले जाते।

कोट्सने मुझे पुस्तकोंसे लाद दिया। ज्यों-ज्यों वह मुझे पहचानते जाते, त्यों-त्यों जो पुस्तक अन्हें जँचती, वे मुझे पढ़नेके लिये देते। मैंने भी केवल श्रद्धावश अन-अन पुस्तकोंको पढ़ना स्वीकार किया। हम अिन पुस्तकोंकी चर्चा भी करते।

कोट्सकी ममताका पार न था। अन्होंने मेरे गलेमें वैष्णवी कण्ठी देखी। अिसे अन्होंने अेक वहम समझा और वे कण्ठी देखकर दुःखी हुअे — 'तुम-जैसेको यह वहम शोभा नहीं देता, लाओ अिसे तोड़ डालूँ।'

'यह कण्ठी टूट नहीं सकती; माताजीकी प्रसादी है।'

'लेकिन क्या तुम अिसे मानते हो?'

'मैं अिसका गूढार्थ नहीं जानता। मैं नहीं समझता कि अिसे न पहननेसे मेरा कोअी अनिष्ट होगा। लेकिन जो माला माताजीने मुझे प्रेमपूर्वक पहनायी है, जिसे पहनानेमें अन्होंने मेरा श्रेय समझा है, अुसे मैं बिना कारण त्यागूंगा नहीं। समय पाकर वह जीर्ण होगी और टूट जायगी, तो दूसरी प्राप्त करके पहननेका लोभ मुझे न होगा। लेकिन यह कण्ठी टूट नहीं सकती।'

कोट्स मेरी दलीलकी कद्र न कर सके, क्योंकि अन्हें तो मेरे धर्मके प्रति ही अनास्था थी। वे तो मुझे अज्ञान कूपमें से अुवारनेकी आशा रखते थे। अन्होंने जिस तरह मुझे पुस्तकोंसे परिचित कराया, अुसी तरह जिन्हें वे धर्माग्रही ख्रिस्ती मानते थे, अुनसे भी मेरा परिचय कराया।

हिन्दुस्तानियोंसे परिचय

नातालमें जो स्थान दादा अब्दुल्लाका था, प्रिटोरियामें वही स्थान सेठ तैयब हाजी खान महम्मदका था। पहले ही हफ्तेमें मैंने उनसे परिचय कर लिया। मैंने उन्हें अपना यह विचार बताया कि मैं प्रिटोरियाके प्रत्येक हिन्दुस्तानीसे मिलना चाहता हूँ। मैंने हिन्दुस्तानियोंकी स्थितिका अध्ययन करनेकी अपनी विच्छा प्रकट की, और जिस सारे काममें उनकी मदद चाही। उन्होंने खुशी-खुशी मदद देना क़बूल किया।

हिन्दुस्तानियोंकी सभा जुड़ी। कहा जा सकता है कि उसमें मैंने अपने जीवनका पहला भाषण किया। मैं सत्यके विषयमें बोलना चाहता था। व्यापारियोंके मुँहसे मैं सुना करता था कि व्यापारमें सत्य नहीं चलता। उन दिनों मैं जिस बातको मानता न था। आज भी नहीं मानता। अपने भाषणमें मैंने जिस विचारका डटकर विरोध किया, और व्यापारियोंको उनकी दोहरी जिम्मेदारियोंका भान कराया। परदेशमें आनेसे उनकी जिम्मेदारी देशमें रहनेके मुकाबले बढ़ गयी थी, क्योंकि मुट्ठीभर हिन्दुस्तानियोंकी रहन-सहन परसे करोड़ों हिन्दुस्तानियोंका माप निकलता था।

मुझे सभाके परिणामसे सन्तोष हुआ। हर महीने अथवा हर हफ्ते ऐसी सभा करनेका निश्चय किया। न्यूनाधिक नियमित रूपसे यह सभा होती, और उसमें विचारोंका आदान-प्रदान हुआ करता। यों मैं प्रिटोरियामें ट्रान्सवालके और फ्रीस्टेटके हिन्दुस्तानियोंकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थितिका गहरा अध्ययन कर सका।

कुलीगिरीका अनुभव

ऑरेंज फ्रीस्टेटमें तो अके कानून पास करके सन् १८८८ में या उससे पहले हिन्दुस्तानियोंके सभी हक छीन लिये गये थे। ट्रान्सवालमें १८८५ में कड़ा कानून बना। अके कानून असा भी बना था कि हिन्दुस्तानी आदमी 'फुटपाथ' पर अधिकारपूर्वक चल नहीं सकता; रातके नौ बजे बाद बिना परवानके बाहर नहीं निकल सकता।

मैं मि० कोट्सके साथ अक्सर रात घूमने निकलता। घर लौटते समय दस भी बज जाते। इस कारण वे या अुनके कोअी मित्र मुझे स्थानीय सरकारी वकील डॉ० क्रायुजेके पास ले गये। अुन्हें यह बात असह्य प्रतीत हुअी कि मेरे लिये परवाना लेना लाजिमी है। अुन्होंने मुझे परवाना देनेके बदले अपनी तरफसे अके पत्र दिया। अुसका आशय यह था कि मैं चाहे जिस समय, चाहे जहाँ जाऊँ, पुलिसको चाहिये कि वह इसमें मेरे लिये कोअी बाधा न डाले। मैं इस पत्रको हमेशा अपने साथ रखकर घूमता-फिरता था। कभी अुसका अुपयोग करना नहीं पड़ा। लेकिन अिसे तो मात्र अके संयोग ही समझना चाहिये।

डॉ० क्रायुजेने मुझे अपने घर आनेके लिये आमंत्रित किया। हमारे बीच मित्रता स्थापित हुअी। अुनके जरिये मेरा परिचय अुनके विशेष प्रसिद्ध भाअीसे हुआ। वे जोहानिसवर्गमें पब्लिक प्रॉसीक्यूटर नियुक्त हुअे थे। बादमें ये संबंध मेरे लिये सार्वजनिक रीतिसे अुपयोगी हो पाये थे, और अिनके कारण मेरे कुछ सार्वजनिक काम सरल हो सके थे।

फुटपाथ पर चलनेका प्रश्न मेरे लिये तनिक गम्भीर परिणामवाला सिद्ध हुआ। मैं हमेशा प्रेसीडेण्ट स्ट्रीटके रास्ते अके खुले मैदानमें जाता था। इस मुहल्लेमें प्रेसीडेण्ट क्रूगरका घर था। अुसके सामने अके

सिपाही पहरा देता रहता। मैं प्रायः हमेशा जिस सिपाहीके बहुत नज़दीक से गुज़रा करता था। लेकिन सिपाहीने मुझसे कभी कुछ न कहा। सिपाही समय-समय पर बदलते रहते थे। एक बार एक सिपाहीने विना चेतावनीके, फुटपाय परसे अ़तर जानेको कहे विना ही, मुझे धक्का मारा, लात मारी, और नीचे अ़तार दिया। मैं तो गहरे विचारमें डूब गया। मेरे अ़ससे लात मारनेका कारण पूछनेसे पहले ही, कोट्सने, जो अ़धरसे गुज़र रहे थे, मुझे पुकार कर कहा—

‘गांधी, मैंने सब कुछ देखा है। यदि तुझे केस चलाना हो, तो मैं गवाही दूंगा।’

मैंने कहा—‘मैं तो यह नियम ही बना चुका हूँ कि मुझ पर जो कुछ बीते, अ़सके लिये मैं अ़दालतकी सीढ़ी कभी न चढ़ूंगा। अ़तअ़व मुझे केस चलाना नहीं है।’

कोट्सने अ़स सिपाहीसे डच भाषामें वातचीत की। सिपाहीने मुझसे माफ़ी माँगी। मैं तो अ़से माफ़ कर ही चुका था।

लेकिन अ़सके बाद मैंने अ़स गलीसे जाना छोड़ दिया।

जिस घटनाने भारतवासियोंके प्रति मेरी भावनाको अधिक तीव्र बना दिया। मैंने देखा कि स्वाभिमानकी रक्षा करनेकी विच्छा रखनेवाले भारतीयके लिये दक्षिण अ़फ़्रीका योग्य देश नहीं है। मेरा मन अधिकाधिक यही सोचनेमें लगने लगा कि जिस हालतको किस प्रकार बदला जा सकता है। लेकिन अभी मेरा मुख्य धर्म तो दादा अब्दुल्लाके केसको सँभालनेका ही था।

मुकदमेकी तैयारी

प्रिटोरियामें मुझे जो अेक वर्ष मिला, वह मेरे जीवनमें अमूल्य था। सार्वजनिक काम करनेकी अपनी शक्तिका कुछ अंदाज मुझे यहाँ हुआ, और यहीं मुझे अुसे सीखनेका अवसर मिला। धार्मिक भावना अपने आप तीव्र होने लगी। और, कह सकता हूँ कि सच्ची वकालत भी मैं यहीं सीखा। वकीलके नाते मैं विलकुल नालायक नहीं रहूँगा, जिसका विश्वास भी मुझे यहीं हुआ। वकील बननेकी चावी भी यहीं मेरे हाथ लगी।

दादा अब्दुल्लाका मुकदमा छोटा न था। दावा ४०,००० पौण्डका यानी छः लाख रुपयोंका था।

दोनों पक्षोंकी ओरसे अच्छेसे अच्छे सॉलीसिटर और वैरिस्टर लगाये गये थे। वादीके केसको सॉलीसिटरके लिअे तैयार करने और हकीकतोंका पता लगानेका सारा बोझ मुझ पर था। मैं समझ गया कि जिस केसको तैयार करनेमें मुझे अपनी ग्रहणशक्ति और व्यवस्था-शक्तिका ठीक-ठीक अन्दाज हो जायेगा।

मैंने केसमें पूरी दिलचस्पी ली। मैं अुसमें तन्मय हो गया। मैंने खूब मेहनत की। मुझे धार्मिक चर्चा आदिमें और सार्वजनिक काममें बहुत दिलचस्पी थी, और मैं अुनमें समय भी देता था। फिर भी मेरे निकट यह चीज गौण थी। मैं केसकी तैयारीको प्रधानता देता था। मैंने मुवक्किलके केसको अन्त तक देखकर यही परिणाम निकाला कि अुसका केस बहुत मजबूत है। कानूनको अुसकी मदद करनी ही चाहिये।

लेकिन मैंने देखा कि जिस मामलेको लड़ते-लड़ते दोनों संबंधी वरवाद हो जायेंगे।

मैंने तैयब सेठसे विनती की। आपसमें निपटा लेनेकी सलाह दी। मुझे लगा कि मेरा धर्म दोनोंसे मित्रता रखनेका था, दोनों संबंधियोंको मिलानेका था। मैंने समझौतेके लिअे जी-तोड़ मेहनत की। तैयब सेठ

मान गये। आखिर पंच नियुक्त हुअे। केस चला। केसमें दादा अब्दुल्ला जीते।

लेकिन केवल अितनेसे मुझे संतोप न हुआ। यदि पंचके निर्णय पर अमल हो, तो तैयब सेठ अतनी रकम अेक साथ दे ही न सकें। रास्ता जिसका अेक ही था — दादा अब्दुल्ला अुन्हें पर्याप्त समय दें। दादा अब्दुल्लाने अुदारतासे काम लेकर बहुत लम्बा समय दिया। दोनों पक्ष प्रसन्न हुअे। दोनोंकी प्रतिष्ठा बढ़ी। मेरे सन्तोपका पार न रहा। मैं सच्ची वकालत सीखा, मनुष्यका अच्छा पहलू खोजना सीखा, मनुष्य-हृदयमें प्रवेश करना सीखा। मैंने देखा कि वकीलका कर्त्तव्य दोनों पक्षोंके बीच पड़ी हुअी दरारको पाटनेका है। जिस शिक्षणने मेरे मनमें अैसी जड़ें जमाअीं कि बीस वर्षकी मेरी वकालतका मुख्य समय अपने ऑफिसमें बैठकर सैकड़ों मामलोंको निपटानेमें ही बीता। जिसमें मैंने कुछ खोया नहीं। यह भी नहीं कह सकता कि धन खोया। आत्मा तो खोयी ही नहीं।

३३

धार्मिक मंथन

मेरे भविष्यके वारेमें मि० वेकरकी चिन्ता बढ़ती जाती थी। वे मुझे वेल्सिंग्टन कन्वेन्शनमें ले गये। अुन्हें आशा थी कि जिस सम्मेलनमें होनेवाली जागृति, अुसमें आनेवाले लोगोंका धार्मिक अुत्साह और अुनकी निष्कपटताका मेरे हृदय पर अंसा गहरा प्रभाव पड़ेगा कि मैं ख्रिस्ती बने बिना न रह सकूंगा।

लेकिन मि० वेकरका अंतिम आधार प्रार्थनाकी शक्ति पर था। अुसकी महिमाके विषयमें मैंने सब कुछ तटस्थ भावसे सुना। मैंने अुनसे कहा कि यदि ख्रिस्ती बननेका अंतरनाद आया, तो अुसे स्वीकार करनेमें मेरे लिये कोयी भी वस्तु बाधक न होगी। अंतरनादके वश होना मैं जिससे पहले कभी वर्षोंसे सीख चुका था। अुसके वश होनेमें सं-५

मुझे आनन्द आता था। उसके विरुद्ध जाना मेरे लिये कठिन और दुःखरूप था।

सम्मेलनमें श्रद्धालु ख्रिस्तियोंसे भेंट हुयी। उसमें सम्मिलित होने-वालोंकी धार्मिकताको मैं समझ सका, उसकी कदर कर सका। किन्तु मुझे अपनी मान्यतामें — अपने धर्ममें — परिवर्तन करनेका कोयी कारण न मिला। मुझे ऐसा प्रतीत न हुआ कि अपनेको ख्रिस्ती कहलाने पर ही मैं स्वर्गमें जा सकता हूँ या मोक्ष पा सकता हूँ। जब मैंने यह बात अुन भले ख्रिस्ती मित्रोंसे कही, तो अुन्हें आघात तो पहुँचा, किन्तु मैं लाचार था।

मेरी कठिनाधियाँ गहरी थीं। मेरे गले यह बात अुतरती न थी, कि 'अेक अीशु ख्रिस्त ही अीश्वरका पुत्र है। अुसे जो मानेगा, वही तरेगा।' मैं अीशुको अेक त्यागी, महात्मा और दैवी शिक्षकके रूपमें मान सकता था। लेकिन अुसे अेक अद्वितीय पुरुषके रूपमें मानना सम्भव न था। अीशुकी मृत्युसे संसारको भारी दृष्टान्त मिला, लेकिन अुसकी मृत्युमें कोयी गूढ़, चमत्कारिक प्रभाव था, अिस बातको मेरा हृदय स्वीकारता न था। ख्रिस्तियोंके पवित्र जीवनमें से मुझे अैसी कोयी चीज न मिली, जो दूसरे धर्मानुयायियोंके जीवनसे न मिलती हो। सिद्धान्तकी दृष्टिसे ख्रिस्ती सिद्धान्तोंमें मुझे कोयी अलौकिकता दिखायी नहीं दी। त्यागकी दृष्टिसे हिन्दू-धर्मानुयायियोंका त्याग मुझे श्रेष्ठतर मालूम हुआ। ख्रिस्ती-धर्मको मैं सम्पूर्ण अथवा सर्वोपरि धर्मके रूपमें स्वीकार न सका।

अपना यह हृदय-मन्थन मैंने अवसर पाकर ख्रिस्ती मित्रोंके सम्मुख रखा। वे मुझे अिसका कोयी सन्तोषजनक अुत्तर न दे सके।

लेकिन जिस तरह मैं ख्रिस्ती धर्मको अंगीकार न कर सका, अुसी तरह हिन्दूधर्मकी संपूर्णताके विषयमें अथवा अुसके सर्वोपरि होनेके विषयमें भी अुस समय मैं कोयी निश्चय न कर सका। हिन्दूधर्मकी त्रुटियाँ मेरी आँखोंके सामने तैरा करती थीं। यदि अस्पृश्यता हिन्दूधर्मका अंग है, तो वह मुझे अुसका सड़ा हुआ और फ़ाजिल अंग प्रतीत हुआ। और सम्प्रदायों, तथा अनेक जात-विरादरियोंके अस्तित्वको मैं समझ न सका।

को जाने कलकी ?

जिस प्रकार ख्रिस्ती मित्र मुझे प्रभावित करनेका प्रयत्न कर रहे थे, उसी प्रकार मुसलमान मित्रोंका भी प्रयत्न शुरू था। अब्दुल्ला सेठ मुझे खिस्लामका अध्ययन करनेके लिये ललचा रहे थे। उसकी खूबियोंकी चर्चा तो वे करते ही रहते।

मैंने अपनी मुसीबतें रायचन्दभाजीके सामने रखीं। हिन्दुस्तानके दूसरे धर्मशास्त्रियोंके साथ भी पत्र-व्यवहार किया। उनके जवाब भी आ पहुँचे। रायचन्दभाजीके पत्रसे मुझे कुछ शान्ति प्राप्त हुयी। मुन्होंने मुझे वीरज रखने और हिन्दूधर्मका गहरा अध्ययन करनेकी सलाह दी। उनके अेक वाक्यका भावार्थ जिस प्रकार था — 'निष्पक्षपातपूर्वक विचार करते हुये मुझे यह प्रतीति हुयी है कि हिन्दूधर्ममें जो सूक्ष्म और गूढ़ विचार हैं, आत्माका निरीक्षण है, दया है, वह दूसरे धर्ममें नहीं है।'

मेरा अध्ययन मुझे अेक अैसी दिशामें ले गया, जो ख्रिस्ती मित्रोंके लिये जिष्ट न था। यद्यपि मैं उनके सोचे हुये मार्ग पर नहीं मुड़ा, तो भी उनके समागमने मुझमें जो धर्म-जिज्ञासा जाग्रत की, उसके लिये तो मैं उनका चिर ऋणी बन गया।

३४

को जाने कलकी ?

मुक़दमा पूरा होने पर मुझे लगा कि अब प्रिटोरियामें रहना निरर्थक है। मैं डरवन पहुँचा। वहाँ जाकर हिन्दुस्तान लौटनेकी तैयारी की। अब्दुल्ला सेठने सिडनहैममें मेरे लिये अेक भोजका कार्यक्रम रखा था।

वहाँ सारा दिन बिताना था। मेरे सामने कुछ अखवार पड़े थे। मैं अुन्हें देख रहा था। अेक कोनेमें मैंने अेक ही छोटा-सा पैरा देखा। शीर्षक था, 'ख्रिष्टियन फ्रेञ्चायिज'। आशय उसका यह था कि नातालकी बारासभामें हिन्दु-

स्तानियोंको अपने सदस्य चुननेके जो अधिकार थे, वे रद्द कर दिये जायें। मैं जिस क़ानूनसे अपरिचित था। मजलिसमें आये हुये किसीको भी हिन्दुस्तानियोंके हक़ छीननेवाले जिस विलका कोयी पता न था। मैंने अब्दुल्ला सेठसे पूछा। अन्होंने कहा — 'अिन मामलोंमें हम क्या जानें? हमें तो व्यापार पर कोयी आफ़त आती है, तो अुसका पता चलता है। अख़वार पढ़ते हैं, तो अुसमें भी भाव-तावकी बातें ही समझते हैं। क़ानूनकी बातोंको हम क्या जानें? हमारे आँख-कान तो हैं, हमारे गोरे वकील।'

'लेकिन हमारे यहाँ यहीके जनमे और अंग्रेज़ी पढ़े-लिखे जो अितने सारे नौजवान हिन्दुस्तानी हैं, वे क्या करते हैं?'

अब्दुल्ला सेठने सिर पर हाथ रखा और कहा — 'अरे भाबी, अुनसे हमें क्या मिल सकता है? वे तो हमारे पास भी नहीं फटकते, और सच पूछो तो हम भी अुन्हें नहीं पहचानते। वे ख़िस्ती ठहरे। जिसलिअे पादरियोंके पंजेमें रहते हैं। और पादरी गोरे हैं। वे सरकारके तावेमें हैं!'

मेरी आँख खुली। सोचा, अिन लोगोंको अपनाना चाहिये। क्या ख़िस्ती धर्मका यही अर्थ है? वे ख़िस्ती हैं, जिसलिअे देशके नहीं रहे, और परदेशी बन गये?

लेकिन मुझे तो वापस देश लौटना था। जिसलिअे अूपरके विचारोंको मूर्त्तिमंत न किया। अब्दुल्ला सेठसे कहा —

'लेकिन यदि यह क़ानून ज्योंका त्यों पास हो गया, तो आपको भारी पड़ जायगा। यह तो हिन्दुस्तानियोंकी हस्तीको मिटानेका पहला क़दम है। जिसमें स्वाभिमानकी हानि है।'

'तो आप क्या सलाह देते हैं?'

हमारी जिस बातचीतको दूसरे मेहमान भी ध्यानसे सुन रहे थे। अुनमें से अेकने कहा — 'मैं आपसे सच बात कहूँ? अगर आप जिस स्टीमरसे न जायँ और अेकाध महीना रुक जायँ, तो जिस तरह आप कहेंगे, हम लड़ेंगे।' दूसरे कह अुठे —

‘यह सच बात है। अब्दुल्ला सेठ, आप गांधीभाषीको रोक लीजिये।’

अब्दुल्ला सेठ अस्ताद थे। वे बोले — ‘अब अिन्हें रोकनेका मुझे अधिकार नहीं, अथवा जितना मुझे है अतना आपको है। लेकिन आप जो कहते हैं, सो ठीक है। हम सब अिन्हें रोक लें। मगर ये तो वैरिस्टर हैं, अिनकी फीसका क्या होगा?’

मुझे बुरा लगा और मैं बीच ही में बोल अूठा —

‘अब्दुल्ला सेठ, अिसमें मेरी फीसका सवाल अुठता ही नहीं। सार्व-जनिक सेवामें फीस कैसी? यदि मैं रुका, तो अेक सेवकके नाते ही रुकूंगा। अगर आपका विश्वास हो, कि सब मेहनत करेंगे, तो मैं अेक महीना रुक जानेको तैयार हूँ। अितना जरूर है कि यद्यपि आपको मुझे कुछ देना नहीं होगा, फिर भी अैसे काम त्रिलकुल बिना पैसेके तो हो ही नहीं सकते।’ कभी आवाजें अेक साथ सुनायी पड़ीं — ‘खुदाकी मेहर है। पैसे तो अिकट्ठा हो जायेंगे। आदमी भी हैं। बस, अेक आप रहना कबूल कर लीजिये।’

मजलिस, मजलिस न रही और कार्यकारिणी-समिति बन गयी। मैंने मनमें लड़ायीकी रूपरेखा निश्चित की। मैंने अेक महीना रह जानेका निश्चय किया।

अिस प्रकार अीश्वरने दक्षिण अफ्रीकामें मेरे स्थायी निवासकी नींव डाली और स्वाभिमानकी लड़ायीका बीज बोया गया।

रुका

सन् १८९३ में नातालकी हिन्दुस्तानी जनताके अग्रगण्य नेता सेठ हाजी मुहम्मद हाजीदादा माने जाते थे। जिसलिये उनके सभापतित्वमें अेक सभा हुआ। उसमें फ्रेञ्चाअिज विलका विरोध करनेका प्रस्ताव पास हुआ। स्वयंसेवकोंकी भरती हुआ। आये हुअे दुःखके सामने नीच-अूँच, छोटे-वड़े, मालिक-नौकर, जात-पाँत, धर्म-प्रान्त आदिके भेद मिट गये। सब हिन्दकी सन्तान और सेवक थे।

मैंने सभाको वस्तुस्थिति समझाअी। जगह-जगह तार रवाना हुअे। जवाबमें विलकी चर्चा दो दिनके लिये मुलतवी रही। सब खुश हुअे।

अर्जियाँ तैयार हुआ। सहियाँ ली गयीं। अर्जियाँ रवाना हुआ। अखबारमें छपी। बिल तो पास हो गया।

सब जानते थे कि यही परिणाम होगा। लेकिन क्रौममें नव-जीवनका संचार हुआ। सब कोअी समझने लगे कि हम अेक क्रौम हैं। मात्र व्यापारी हक्कोंके लिये ही नहीं, बल्कि क्रौमी हक्कोंके लिये लड़ना भी सबका धर्म है।

राज्यके प्रधानके नाम अेक जंगी अर्जियाँ भेजनेका ठहराव किया। जिस अर्जियाँ पर जितनोंकी सहियाँ ली जा सकें, लेनी थीं। अेक पखवाड़ेमें अर्जियाँ भेजने योग्य सहियाँ मिल गयीं।

अर्जिके कारण हिन्दुस्तानकी आम जनताको नातालका पहला परिचय हुआ। 'टाअिम्स ऑफ अिण्डिया' ने उस पर अग्रलेख लिखा, और हिन्दुस्तानियोंकी माँगका अच्छा समर्थन किया। लन्दनके 'टाअिम्स' का समर्थन मिला। जिससे विलको स्वीकृति न मिलनेकी आशा बँधी।

अब मेरे लिये नाताल छोड़ना कठिन हो गया। लोगोंने मुझे अत्यन्त आग्रहके साथ कहा कि मैं स्थायी रूपसे नातालमें ही बस

जाऊं। मैंने मन ही मन निश्चय किया था कि मुझे सार्वजनिक खर्च पर हरगिज़ न रहना चाहिये। मैंने अलग घर बसानेकी आवश्यकता अनुभव की। उस समय मैंने यह माना कि घर भी अच्छा और अच्छी बस्तीमें लेना चाहिये।

मैंने यह सोचा कि दूसरे वैरिस्टोंकी तरह रहनेसे क़ौमका सम्मान बढ़ेगा। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि जिस प्रकारका घर मैं तीन सौ पाँड प्रतिवर्षके बिना चला ही न सकूँगा। मैंने निश्चय किया कि कोबी अतनी रकमकी बकालतका विश्वास दिला सके, तभी मैं रह सकता हूँ। और मैंने क़ौमके लोगोंसे अपने निश्चयकी चर्चा की।

जिस पर बहस हुई। आखिर नतीजा यह निकला कि कोबी बीस व्यापारियोंने एक वर्षके लिये मेरा बर्षासन निश्चित कर दिया। जिसके अलावा दादा अब्दुल्ला बिदायीके समय जो भेंट देनेवाले थे, उसके बदले अन्होंने मुझे आवश्यक फर्नीचर खरीद दिया। और, मैं नातालमें रह गया।

३६

काला चोगा

मुझे बकालतकी सनद लेनी थी। मैंने अर्जी दी। साथमें दो प्रसिद्ध गोरे व्यापारियोंके प्रमाण-पत्र भेजे और अंटेरनी-जनरल मि० अस्कम्बने अर्जी पेश करना मंजूर किया।

बकील-मंडलने मेरी अर्जीका विरोध करनेका निश्चय किया। उसके बकीलने अब्दुल्ला सेठकी मारफ़त मुझे बुलाया। अन्होंने मेरे साथ शुद्ध हृदयसे बात की। अन्हें गोरोंके प्रमाण-पत्रसे संतोष नहीं हुआ। अन्होंने अब्दुल्ला सेठका शपथ-पत्र चाहा; और जिसका जिक्र करते हुये जो भाव प्रदर्शित किया, उससे मुझे क्रोध आ गया। लेकिन मैंने उसे रोका। आवश्यक शपथ-पत्र तैयार किया और अन्हें दिया। लेकिन

वकील-मंडलने अपना विरोध अदालतके सामने पेश किया। अदालतने उसे रद्द कर दिया।

मुख्य न्यायाधीशने कहा — 'अदालतके नियमोंमें काले-गोरेका भेद नहीं है। हमें मि० गांधीको वकालत करनेसे रोकनेका अधिकार नहीं। अर्जी मंजूर की जाती है। मि० गांधी, आप शपथ ले सकते हैं।'

मैं अुठा। रजिस्ट्रारके सामने शपथ ली। शपथ लेनेके बाद तुरत ही मुख्य न्यायाधीशने कहा — 'अब आपको अपनी पगड़ी अुतारनी चाहिये। वकीलके नाते वकीलोंकी पोशाकसे संबंध रखनेवाले अदालती नियमका पालन आपको भी करना चाहिये।'

मैं अपनी मर्यादा समझा। मैंने पगड़ी अुतारी।

अब्दुल्ला सेठको और दूसरे मित्रोंको मेरी यह नरमी (अथवा कमजोरी?) अच्छी न लगी। मैंने अुन्हें समझानेका प्रयत्न किया। लेकिन अुनको संतोषजनक ढंगसे समझा न सका। मेरे जीवनमें आग्रह और अनाग्रह हमेशा साथ-साथ ही चलते रहे हैं। सत्याग्रहके लिये यह अनिवार्य है, अैसा वादमें कभी वार मैंने अनुभव किया है। अपनी अिस समाधान-वृत्तिके लिये मुझे कभी वार जानका खतरा अुठाना पड़ा है, और मित्रोंके असन्तोषको सहना पड़ा है। लेकिन सत्य वज्रके समान कठिन है और कमलके समान कोमल है।

वकील-मंडलके विरोधने दक्षिण अफ्रीकामें दूसरी वार मेरे विज्ञापनका काम किया।

नाताल अिण्डियन काँग्रेस

वकीलका धन्वा करना मेरे लिये गौण वस्तु थी, और हमेशा गौण ही रही। नातालमें अपने निवासको सार्यक बनानेके लिये तो मुझे सार्वजनिक काममें तन्मय होना था। मुझे एक संस्थाकी स्थापना करना आवश्यक मालूम हुआ। इसलिये मैंने अब्दुल्ला सेठसे सलाह की, दूसरे साथियोंसे मिला, और हमने एक सार्वजनिक संस्था खड़ी करनेका निश्चय किया। यों सन् १८९४ के मखी महीनेकी २२वीं तारीखको 'नाताल अिण्डियन काँग्रेस' का जन्म हुआ।

मैंने शुरूमें ही यह सीख लिया था कि सार्वजनिक काम कभी कर्ज लेकर न करना चाहिये। दूसरे कामोंके वारेमें लोगोंका चाहे विद्वास किया जा सके, लेकिन पैसेके वारेमें विद्वास नहीं किया जा सकता। मैं यह देख चुका था कि लिखवायी हुयी रकम देनेका धर्म लोग कहीं भी नियमित रीतिसे पालते नहीं हैं। इसलिये 'नाताल अिण्डियन काँग्रेस' ने कभी कर्ज लेकर काम किया ही नहीं।

सदस्य बनानेमें साथियोंने असीम अुत्साहका परिचय दिया था। बहुतेरे लोग खुश होकर नाम लिखाते और तुरन्त पैसे दे देते। लेकिन पैसा अिकट्ठा करना ही तो हमारा हेतु न था। आवश्यकतासे अधिक पैसे न रखनेके तत्त्वको भी मैं समझ चुका था।

काँग्रेसकी पायी-पायीका हिसाव शुरूसे ही साफ़ रहा था। शुद्ध हिसावके विना शुद्ध सत्यकी रक्षा करना असंभव है।

काँग्रेसका दूसरा अंग अपनिवेशमें जनमे हुअे हिन्दुस्तानियोंकी सेवा करनेका था। इसके लिये 'कॉलोनियल वॉर्न अिण्डियन अेज्युकेशनल अेसोसियेशन' की स्थापना की गयी।

काँग्रेसका तीसरा अंग था, वाहरी काम। जिसमें दक्षिण अफ्रीकाके अंग्रेजोंमें और सुदूर अिंग्लैण्ड तथा हिन्दुस्तानमें सच्ची स्थितिका प्रचार

करनेका काम था। जिस हेतुसे मैंने दो पुस्तिकायें लिखीं। जिन दोनों पुस्तिकाओंको तैयार करनेमें मैंने बहुत मेहनत और अध्ययन किया था। उसका परिणाम भी वैसा ही हुआ। जिस कार्यके निमित्तसे दक्षिण अफ्रीकामें हिन्दुस्तानियोंके मित्र पैदा हुअे। अंग्लैण्डमें और हिन्दुस्तानमें सब पक्षोंकी ओरसे मदद मिली, और काम लेनेका मार्ग मिला तथा निश्चित हुआ।

३८

बालासुन्दरम्

जैसी जिसकी भावना, वैसा उसका फल; अपने वारेमें मैंने जिस नियमको अनेक बार लागू होते देखा है। लोगोंकी, अर्थात् गरीबोंकी सेवा करनेकी मेरी प्रबल विच्छाने हमेशा गरीबोंके साथ मेरा मेल अनायास ही करा दिया है।

नाताल विण्डियन कांग्रेसमें गिरमिटियोंका दल भरती नहीं हुआ था। अुनके मनमें कांग्रेसके प्रति अनुराग तभी अुत्पन्न होता, जब कांग्रेस अुनकी सेवा करती। अुसे अैसा अवसर प्राप्त हो गया।

अेक दिन फटे कपड़े पहना हुआ, थर-थर काँपता, मुँहसे लहू बहाता हुआ, आगेके दो दाँत जिसके टूट गये थे, अैसा अेक हिन्दुस्तानी मद्रासी हाथमें साफ़ा लिये रोता-रोता. मेरे पास आकर खड़ा हुआ। अुसे अुसके मालिकने बुरी तरह मारा था। जिसके कारण बालासुन्दरम्के दो दाँत टूट गये थे।

मैंने अुसे डॉक्टरके पास भेजा। चोटके वारेमें प्रमाण-पत्र प्राप्त करके मैं बालासुन्दरम्को मजिस्ट्रेटके पास ले गया। अुसने प्रमाण-पत्र पढ़कर मालिकके नाम समन्स जारी करनेका हुक्म दिया।

मेरा अिरादा मालिकको सजा करानेका न था। मैं तो बालासुन्दरम्को अुसके पाससे हटाना चाहता था। मैं मालिकसे मिला। अुससे कहा, मैं आपको सजा कराना नहीं चाहता। अगर आप अुसका गिरमिट

दूसरेके नाम लिखनेको राजी हो जायें, तो मुझे संतोप हो। मालिक तो यही चाहता था। मैंने दूसरा मालिक खोज निकाला। मजिस्ट्रेटने गिरमिट दूसरेके नाम करा दिया।

बालासुन्दरम्के केसकी बात गिरमिटियोंमें चारों ओर फैल गयी, और मैं अतृप्त भावी माना गया। मुझे यह बात अच्छी लगी। मेरे दफ्तरमें गिरमिटियोंका ताँता लग गया और मुझे अतृप्त सुख-दुःख जाननेकी सुविधा प्राप्त हुई।

बालासुन्दरम् अपना साफ़ा हाथमें रखकर मेरे सामने आया था। जिस हकीकतमें अतिशय कष्ट रस भरा हुआ है। अतृप्तमें हमारी नामोश्री समायी है। जब कोबी गिरमिटिया या दूसरे अनजान हिन्दुस्तानी किसी भी गोरेके सामने जाते, तो अतृप्तके सम्मानमें पगड़ी अतृप्तते। बालासुन्दरम्ने सोचा कि मेरे सामने भी अतृप्त तरह जाना चाहिये। मैंने अतृप्तसे साफ़ा बाँधनेके लिये कहा। संकोचके साथ अतृप्तने साफ़ा बाँधा, लेकिन जिससे अतृप्त जो खुशी हुई, सो मैं समझ सका। आज तक मैं जिस पहिलीको बूझ नहीं पाया हूँ कि लोग दूसरोंको अपमानित करके अतृप्तमें क्योंकर अपने सम्मानका अनुभव कर सकते हैं!

३९

तीन पौंडका कर

बालासुन्दरम्के क्रिस्सेने मुझे गिरमिटिया हिन्दुस्तानियोंके सम्पर्कमें ला दिया। लेकिन अतृप्त पर कर लादनेका जो आन्दोलन चला, अतृप्तके परिणामस्वरूप मुझे अतृप्तकी स्थितिका अध्ययन करना पड़ा।

सन् १८९४ में नातालकी सरकारने एक विल तैयार किया, जिसके अनुसार गिरमिटिया हिन्दुस्तानियोंको हर साल २५ पौंडका अर्थात् रुपये ३७५ का कर सरकारको देना जरूरी था। मैं तो जिस विलको पढ़कर दिङ्मूढ़ ही बन गया। जिस विषयमें कांग्रेसको जो हलचल करनी चाहिये, सो करनेका प्रस्ताव अतृप्तने पास किया।

सन् १८६० के आसपास जब नातालमें रहनेवाले गोरोंने देखा कि अखकी फ़सल अच्छी हो सकती है, तो अन्होंने मज़दूरोंकी तलाश शुरू की। अन्होंने हिन्दुस्तानकी सरकारके साथ चर्चा चलाकर हिन्दुस्तानी मज़दूरोंको नाताल जाने देनेकी अजाज़त हासिल की। अन्हें लालच यह दिया गया था कि वहाँ अुनको ५ साल तक बंधनमें रहकर मज़दूरी करनी होगी, और पाँच सालके बाद स्वतंत्र रीतिसे नातालमें बसनेका मौक़ा मिलेगा।

अस समय गोरोंकी अिच्छा यह थी कि हिन्दुस्तानी मज़दूर अपने पाँच वर्ष पूरे करनेके बाद ज़मीन जोतें और अपने अुद्यमसे नातालको लाभ पहुँचावें।

हिन्दुस्तानी मज़दूरने अस तरहका लाभ अपेक्षासे अधिक दिया। लेकिन असके साथ ही अुसने तो व्यापार भी शुरू कर दिया। स्वतंत्र व्यापारी भी आये।

गोरे व्यापारी चौंके। अुन्हें व्यापारमें अिन लोगोंकी यह होड़ असह्य मालूम हुआ।

हिन्दुस्तानियोंके साथ गोरोंके विरोधकी जड़ अस बातमें थी। यह विरोध मताधिकार छीन लेने और गिरमिटियों पर कर लादनेके रूपमें क्रानूनी ढंग पर मूर्त्तिमन्त हुआ।

हिन्दुस्तानके वाअिसरायने २५ पाँडका कर तो नामज़ूर कर दिया, लेकिन ३ पाँडका कर वसूल करनेकी स्वीकृति दे दी। असमें अुन्होंने हिन्दुस्तानके हितका तनिक भी विचार नहीं किया। अैसी स्थितिवाले लोगोंसे अस प्रकारका कर दुनियामें कहीं भी वसूल नहीं होता था।

कांग्रेसको जो बात अखरी, वह तो यह थी कि वह गिरमिटियोंके हितकी पूरी रक्षा न कर सकी। और कांग्रेसने अपना यह निश्चय कभी शिथिल नहीं होने दिया, कि तीन पाँडके करको किसी-न-किसी दिन तो हटना ही है। अस निश्चयके पूरा होनेमें २० वर्ष बीत गये।

धर्म-निरीक्षण

जिस प्रकार मैं जो अपनी क्राँमकी सेवामें अत्यंत प्रोत्त हो गया था, उसका कारण था, आत्म-दर्शनकी अभिलाषा। श्रीश्वरका परिचय सेवा द्वारा ही होगा, यह सोचकर मैंने सेवाधर्म स्वीकार किया था। हिन्दु-स्तानकी सेवा करता था, क्योंकि वह सेवा मुझे सहज प्राप्त थी, और मैं उसे करना जानता था। मुझे उसकी खोजके लिये कहीं जाना न पड़ा। मैं तो यात्रा करने, काठियावाड़की खटपटोंसे छुट्टी पाने और जीविकाका जुगाड़ करनेके विचारसे दक्षिण अफ्रीका गया था। लेकिन वहाँ मैं श्रीश्वरकी खोजमें — आत्मदर्शनके प्रयत्नमें फँस गया। ख्रिस्ती भावियोंने मेरी जिज्ञासाको बहुत तीव्र कर दिया था। वह किसी प्रकार शान्त न होती थी; और मैं शान्त होना चाहूँ तो भी ख्रिस्ती भावी-ब्रह्म मुझे शान्त न होने दें, वैसी स्थिति थी।

धार्मिक ग्रंथोंके स्वाध्यायके लिये मुझे जो फ़ुरसत प्रिटोरियामें मिल चुकी थी, वह तो अब असंभव थी। लेकिन जो थोड़ा समय वचता, उसका उपयोग मैं जैसे वाचनमें किया करता। मेरा पत्र-व्यवहार जारी था। रायचन्दभाजी मेरी रहनुमाजी कर रहे थे। किन्हीं मित्रने मेरे लिये नर्मदाशंकरकी 'धर्मविचार' पुस्तक भेज दी। उसकी प्रस्तावना मेरे लिये सहायक सिद्ध हुयी। 'हिन्दुस्तान क्या सिखाता है?' नामक मैक्समूलरकी पुस्तक मैंने बहुत रसपूर्वक पढ़ी। थियॉसोफिकल सोसायटी द्वारा प्रकाशित उपनिषद्का भाषांतर पढ़ा। हिन्दूधर्मके प्रति मेरा आदर बढ़ा। मैं उसकी खूबी समझने लगा। लेकिन दूसरे धर्मोंके प्रति मेरे मनमें कोयी अभाव पैदा न हुआ। मैंने वाशिंगटन अरविगकृत महम्मदका चरित्र और कार्लबिलकृत

महम्मद-स्तुति नामक पुस्तकें पढ़ीं। पैगम्बरके प्रति मेरा सम्मान बढ़ा। मैंने 'जरथुस्तके वचन' नामकी पुस्तक भी पढ़ी। जिस प्रकार मैंने भिन्न-भिन्न संप्रदायोंका न्यूनाधिक ज्ञान प्राप्त किया। आत्मनिरीक्षण बढ़ा।

४१

घरेलू कारबार

मेरे बम्बयीमें और विलायतमें घर बसाकर बैठने और नातालमें घर बसानेमें अन्तर था। नातालमें कुछ खर्च केवल प्रतिष्ठाके विचारसे क्रायम रखे हुआ था। मैंने यह मान लिया था कि नातालमें हिन्दुस्तानी वैरिस्टरके नाते और हिन्दुस्तानियोंके प्रतिनिधिके नाते मुझे अपना खर्च ठीक-ठीक बढ़ाकर रखना चाहिये, जिसलिये वहाँ मैंने अच्छी बस्तीमें और अच्छा घर भाड़े लिया था। घरकी सजावट भी अच्छी रखी थी। भोजन सादा था, लेकिन अंग्रेज मित्रोंको न्योतना होता था। साथ ही, हिन्दुस्तानी साथियोंको भी न्योतता था, जिसलिये सहज ही खर्च भी बढ़ गया।

नौकरका संकट तो सब कहीं अनुभव किया ही। किसीको नौकरकी तरह रखना मुझसे बना ही नहीं।

मेरे साथ अेक साथी था। अेक रसोखिया रखा था, जो परिवारका अंग बन गया। ऑफिसमें जो कारकुन रखे थे, उनमें से भी जिन्हें रखा जा सकता था, उन्हें अपने साथ घरमें ही रखा था।

अूपर जिस साथीकी चर्चा की है, वह बहुत होशियार और मेरी जानमें बफ़ादार था। किन्तु मैं उसे पहचान न सका। मैंने ऑफिसके अेक कारकुनको घरमें रखा था। मेरे साथीके दिलमें उसके प्रति अीर्ष्या पैदा हुई। उसने अैसा जाल रचा, जिससे मेरे मनमें कारकुनके लिये शक पैदा हो। यह कारकुन बहुत स्वतंत्र स्वभावका था। उसने

घर और दफ्तर दोनों छोड़ दिये । मुझे दुःख हुआ । अुसके साथ अन्याय तो नहीं हुआ ? जिसका विचार मुझे बराबर सताता रहा ।

जिस बीच जो मैंने रसोयिया रखा था, अुसे कारणवश दूसरी जगह जाना पड़ा, जिसलिये अुसकी जगह दूसरा रसोयिया रखा ।

जिस रसोयियेको रखे मुश्किलसे दो या तीन दिन हुये होंगे, कि अितनेमें अुसने मेरे घरमें, मेरे बिना जाने, जो बुराजी चल रही थी, सो देख ली और मुझे सावधान करनेका निश्चय किया । लोगोंमें यह धारणा फैल चुकी थी, कि मैं विश्वासशील और अपेक्षाकृत अच्छा आदमी हूँ । जिस कारण नये रसोयियेको मेरे ही घरमें चलनेवाली गन्दगी भयानक मालूम हुअी ।

लगभग वारह वजेका समय था । अैसे समय रसोयिया हाँफता-हाँफता ऑफिसमें आया और मुझसे बोला — 'आपको कुछ देखना हो तो खड़े पैरों घर चलिये ।'

मैंने कहा — 'जिसका मतलब क्या ? तुझे यह बताना चाहिये कि काम क्या है । अैसे समय मेरे लिये घर जाने और देखनेकी बात क्या हो सकती है ?'

'नहीं चलेंगे, तो पछतायेंगे । मैं जिससे अधिक आपको और कुछ कहना नहीं चाहता ।'

अुसकी दृढ़तासे मैं खिंचा । अपने कारकुनको लेकर घरकी ओर चला । रसोयिया आगे-आगे चल रहा था ।

घर पहुँचने पर वह मुझे दुमंजिले पर ले गया । जिस कमरेमें मेरा वह साथी रहता था, अुसकी ओर अिशारा करके बोला — 'यह कमरा खोलकर देखिये ।'

अब मैं समझा । मैंने कमरेका दरवाजा खटखटाया ।

जवाब क्योंकर मिलता ? मैंने बहुत जोरसे दरवाजा खटखटाया । दीवार काँप अुठी । दरवाजा खुला । अन्दर मैंने अेक बदचलन औरत देखी । मैंने अुससे कहा — 'बहन, तू तो यहाँसे चली ही जा । अब फिर कभी जिस घरमें पैर मत रखना ।'

संक्षिप्त आत्मकथा

साथीसे कहा — 'आजसे तुम्हारा और मेरा सम्बन्ध समाप्त हुआ। मैं खूब ठगाया और बेवकूफ बना। मुझे मेरे विश्वासका बैसा बदला तो न मिलना चाहिये था।'

साथी भड़क अुठा। मेरी सब पोल खोल देनेकी मुझे धमकी दी। 'मेरे पास छिपी हुआ कोयी बात है ही नहीं। मैंने जो कुछ भी किया हो, सो तुम खुशी-खुशी प्रकट करना। लेकिन तुम्हारे साथका मेरा सम्बन्ध समाप्त होता है।'

साथी अधिक भड़का। मैंने पुलिस सुपरिण्टेंडेंटकी मदद माँगनेका विचार किया। साथी ठण्डा पड़ा। उसने माफ़ी माँगी और तुरन्त ही घर छोड़कर जाना क़बूल किया। घर छोड़ा।

अिस घटनाने मेरे जीवनको ठीक-ठीक चौकस बनाया। अिसके बाद ही मैं यह स्पष्ट रूपसे देख सका कि अुक्त साथी मेरे लिये मोह-रूप और अनिष्ट था। साथीका चाल-चलन अच्छा न था। फिर भी मैंने यह मान लिया था कि वह मेरे प्रति वफ़ादार है। अुसे सुधारनेका प्रयत्न करनेमें मैं खुद क़रीब-क़रीब सन गया था। मैंने अपने हितैषियोंकी सलाहका निरादर किया था। मोहने मुझे बुरी तरह अंधा बना दिया था।

अगर अिस आकस्मिक घटनाके कारण मेरी आँख न खुली होती, मुझे सत्यका पता न चला होता, तो संभव है कि जो आत्मसमर्पण मैं कर सका हूँ, सो करनेमें मैं कभी समर्थ न होता; मेरी सेवा सदा अधूरी रहती।

लेकिन जिसे राम रखे अुसे कौन चखे? मेरी निष्ठा शुद्ध थी। अिस कारण अपनी भूलोंके बावजूद मैं बच गया।

अुस रसोअियेको तो मानो अीश्वरने ही प्रेरित किया था! वह रसोअी बनाना जानता न था। वह मेरे यहाँ रह न सकता। लेकिन अगर वह न आता, तो दूसरा कोयी मुझे जाग्रत न कर सकता। अितनी सेवा करके रसोअियेने अुसी दिन और अुसी क्षण रुखसत चाही —

देशकी ओर

‘मैं आपके घरमें नहीं रह सकता। आप भोले ठहरे। यहाँ मेरा काम नहीं।’
मैंने आग्रह न किया।

अब मुझे खयाल आया कि अुस कारकुनके प्रति मेरे दिलमें शक पैदा करनेवाला मेरा यह साथी ही था। मैंने अुसके साथ न्याय करनेकी बहुत कोशिश की, लेकिन मैं अुसे सम्पूर्ण रूपसे कभी सन्तुष्ट न कर सका। मेरे लिये यह सदा ही दुःखकी बात रही। टूटे वरतनको कितनी ही मजबूतीके साथ क्यों न जोड़ो, फिर भी वह जोड़ा हुआ ही माना जायगा, सावुत हरगिज नहीं।

४२

देशकी ओर

अब मैं दक्षिण अफ्रीकामें तीन साल रह चुका था। मैं लोगोंको पहचानने लगा था। लोग मुझे पहचानने लगे थे। सन् १८९६ में मैंने छः महीनोंके लिये देश जानेकी विजाजत चाही। मैंने देखा कि मुझे दक्षिण अफ्रीकामें लम्बे समय तक रहना होगा। कह सकते हैं कि मेरी वकालत वहाँ ठीक चल रही थी। सार्वजनिक कामोंमें लोग मेरी अुपस्थितिकी आवश्यकता अनुभव करते थे। मैं भी अुसे अनुभव करता था। जिसलिये मैंने दक्षिण अफ्रीकामें परिवारके साथ रहनेका निश्चय किया और जिसके लिये देश जाकर आना ठीक समझा। साथ ही यह भी खयाल आया कि देश जानेसे कुछ सार्वजनिक काम हो सकेगा। अैसा लगा कि देशमें लोकमत तैयार करके जिस प्रश्नके विषयमें अधिक दिलचस्पी पैदा की जा सकती है।

सन् १८९६ के मध्यमें मैं ‘पोंगोला’ स्टीमरमें देशके लिये रवाना हुआ। यह स्टीमर कलकत्ते जानेवाली थी।

संक्षिप्त आत्मकथा

स्टीमरके टंडेलसे मित्रता हुयी। वह प्लीमथ ब्रदरके सम्प्रदायका था। जिस कारण हमारे बीच अध्यात्म विद्याकी बातें ही अधिक हुयीं। मुसने नीति और धर्मश्रद्धाके बीच भेद किया। जिसमें नीति पर पहरा देना पड़े, वह धर्म मुसे नीरस मालूम हुआ। हम अके-दूसरेको समझा न सके। मैं अपने जिस विचारमें दृढ़ बना कि धर्म और नीति अके ही वस्तुके वाचक हैं।

चौबीस दिनके अन्तमें यह आनन्ददायिनी यात्रा समाप्त हुयी, और मैं हुगलीके सौंदर्यको निरखता हुआ कलकत्ते अुतरा। मुसी दिन मैंने बम्बयीका टिकट कटाया।

४३

हिन्दुस्तानमें

कलकत्तेसे दम्बजी जाते हुये बीचमें प्रयाग पड़ता था। वहाँ ट्रेन ४५ मिनट ठहरती थी। जिस बीच मैंने शहरमें एक चक्कर लगा लेनेका विचार किया। मुझे केमिस्टकी दुकानसे दवा भी खरीदनी थी। दवा देनेमें काफ़ी समय ले लिया। स्टेशन पहुँचते ही मैंने देखा कि गाड़ी चल पड़ी है।

मैं होटलमें ठहर गया और वहींसे अपना काम शुरू करनेका निश्चय किया।

मैंने प्रयागके 'पायोनियर' पत्रके सम्पादकके नाम मुलाक़ातके लिये चिट्ठी लिखी। अन्होंने मुझे तुरन्त ही मिलनेको लिखा। मैं खुश हुआ। अन्होंने मेरी बातें ध्यानसे सुनीं। कहने लगे कि मैं जो भी कुछ लिखूंगा, उस पर वे तुरन्त ही अपनी टिप्पणी देंगे, और बोले—'लेकिन मैं आपसे यह नहीं कह सकता कि आपकी सभी माँगोंको मैं स्वीकार कर ही सकूंगा।' मैंने उनसे शुद्ध न्यायके अतिरिक्त न तो कुछ माँगा और न कुछ चाहा।

वाक़ीका दिन प्रयागके भव्य त्रिवेणी संगमका दर्शन करनेमें और अपने सामने पड़े कामका विचार करनेमें बिताया।

दम्बजीसे बिना रुके राजकोट पहुँचा और एक पुस्तिका लिखनेकी तैयारी की। उसे हरा 'पुट्टा' चढ़ाया था। जिसलिये बादमें वह 'हरी पुस्तिका' के नामसे प्रसिद्ध हुई। उसमें मैंने जान-बूझकर दक्षिण अफ़्रीकाके भारतीयोंकी स्थितिका एक सौम्य चित्र खींचा था।

संक्षिप्त आत्मकथा

‘हरी पुस्तिका’ की प्रतियाँ समूचे हिन्दुस्तानके अखबारों और सभी प्रसिद्ध पक्षोंके लोगोंके नाम भेजी थीं। ‘पायोनियर’ में अुस पर सबसे पहले लेख प्रकाशित हुआ। अुसका सार विलायत पहुँचा, और सारका सार फिर राश्ट्रकी मारफ़त नाताल पहुँचा। वह तार तो केवल तीन पंक्तियोंका था।

अिन्हीं दिनों वम्बजीमें पहली वार महामारीका प्रकोप हुआ। चारों ओर घबराहट फैल रही थी। राजकोटमें भी महामारीके फैलनेका डर था। मुझे लगा कि मैं आरोग्य विभागका काम ठीक तरहसे कर सकता हूँ। मैंने अपनी सेवा स्टेटको देनेकी वात लिखी। स्टेटने कमेटी सकता हूँ। मैंने अपनी सेवा स्टेटको देनेकी वात लिखी। स्टेटने कमेटी वैठाजी और मुझे अुसमें स्थान दिया। मैंने पाखानोंकी सफ़ाजी पर जोर दिया और कमेटीने गली-गलीमें जाकर पाखानोंकी जाँच करनेका निश्चय किया। गरीब लोगोंने अपने पाखानोंकी जाँच करनेका भी आनाकानी नहीं की, यही नहीं, बल्कि अुन्हें जो सुधार सुझाये गये, अुन पर अुन्होंने अमल भी किया। लेकिन जब हम सरकारी अधिकारियोंके घरोंकी जाँचके लिये निकले, तो कभी जगहोंमें तो हमें पाखानोंको जाँचनेकी अिजाज़त भी न मिली। सुधारकी तो वात ही क्या थी?

कमेटीको ढेढ़ोंकी वस्तीमें भी जाना तो था ही। कमेटीके सदस्योंमें से केवल अेक सदस्य मेरे साथ वहाँ जानेको तैयार हुअे। मुझे तो ढेढ़ोंकी वस्ती देखकर सानन्द आश्चर्य ही हुआ। ढेढ़ोंकी वस्तीमें मैं अुस दिन जीवनमें पहली वार गया था। ढेढ़ भाजी-वहन हमें देखकर अचम्भेमें आ गये। अुनकी वस्तीमें पाखाने तो थे नहीं, फिर भी अिजाज़त लेकर मैं अुनके घरमें गया और घरकी तथा आँगनकी सफ़ाजी देखकर खुश ही गया। घरके अन्दर सब लिपा हुआ देखा। आँगन वुहारा हुआ, और जो थोड़े वरतन थे, वे सफ़ और चमचमाते हुअे थे।

राजनिष्ठा और शुश्रूषा

मैंने अपने अन्दर जितनी शुद्ध राजनिष्ठाका अनुभव किया है, दूसरोंमें मुझिलसे ही कहीं ज़ुतनी राजनिष्ठा देखी है। जिस राजनिष्ठाकी जड़में सत्य-विषयक मेरा स्वाभाविक प्रेम था। राजनिष्ठाका या दूसरी किसी वस्तुका दिखावा मुझसे कभी हो ही न सका। जून दिनों भी मैं ब्रिटिश राजनीतिमें दोष तो देखता था, फिर भी कुल मिलाकर मुझे वह नीति अच्छी मालूम होती थी।

दक्षिण अफ्रीकामें मैं अल्टी नीति पाता था। वहाँ रंगद्वेष देखता था। मैं मानता था कि यह क्षणिक और स्थानिक है, जिसलिये राजनिष्ठामें मैं अंग्रेजोंकी प्रतिस्पर्धा करनेका यत्न करता था। बड़ी मेहनत और लगनके साथ मैंने अंग्रेजोंके राष्ट्रगीतका स्वर सीख लिया। और, जब-जब भी बिना आडम्बरके वफ़ादारी जतानेके अवसर आते, मैं जूनमें सम्मिलित होता।

मैं अपने परिवारके बालकोंको 'गॉड सेव दि किंग' सिखाता था। ट्रेनिंग कॉलेजके विद्यार्थियोंको मैंने यह गीत सिखाया था। लेकिन आगे चलकर मुझे यह गीत गाना खला। जैसे-जैसे अहिंसाके बारेमें मेरे विचार प्रबल होते गये, वैसे-वैसे मैं अपनी वाणी और विचारों पर अधिक अंकुश रखने लगा। मैंने अपने मित्र डॉ० बूथके सामने अपनी कठिनायी रखी। उन्होंने भी कबूल किया कि अहिंसक आदमीको जिसे गाना शोभा नहीं देता।

राजकोटमें दक्षिण अफ्रीकाका मेरा काम चल रहा था, कि जिस बीच मैं बम्बयी हो आया। पहले न्यायमूर्ति रानडेसे मिला और बादमें जस्टिस बदरुद्दीन तैयबजीसे मिला। दोनोंने मुझे सर फीरोज़शाहसे मिलनेकी सलाह दी। मैं जूनसे मिलनेवाला था ही। मैं जूनके प्रभावसे चौधियानेको भी तैयार ही था। लेकिन 'बम्बयीके वेताजके बादशाह'

ने मुझे डराया नहीं। पिता जिस प्रेमके साथ अपने नौजवान पुत्रसे मिलता है, वे उसी तरह मिले। अन्होंने मेरी बात सुन ली और कहा — 'गांधी, तेरे लिअे मुझे आम सभा करने की होगी। तेरी मदद करनी चाहिये।' और मुंशीसे सभाका दिन निश्चित करनेको कहा। मुझे आदेश हुआ कि मैं सभाके अेक दिन पहले अुनसे मिल लूं। मैं निर्भय होकर मन ही मन मुस्कराता हुआ घर पहुँचा।

बम्बयीकी अिस यात्राके दिनोंमें मैं वहाँ अपने बहनोअीसे मिलने गया। वे वीमार थे। अुनकी स्थिति गरीबीकी थी। मैं बहन-बहनोअीको लेकर राजकोट पहुँचा। वीमारी अनुमानसे अधिक गंभीर हो गयी। मैंने अुन्हें अपने कमरेमें टिकाया। मैं सारा दिन अुनके पास ही रहने लगा। रातमें भी जागना पड़ता था। अुनकी सेवा करते हुअे मैं दक्षिण अफ्रीकाका काम कर रहा था। बहनोअीका स्वर्गवास हो गया। लेकिन अुनके अंतिम दिनोंमें मुझे अुनकी सेवा करनेका अवसर मिला, अिससे मुझे अत्यधिक सन्तोष हुआ।

जिस तरह वफ़ादारीका गुण मुझमें स्वाभाविक था, उसी तरह शुश्रूषाका भी। वीमार, फिर वे अपने हों या विराने, मुझे अुनकी सेवा करनेका शौक़ था। शुश्रूषाके अिस शौक़ने आगे चलकर विशाल रूप धारण किया। यह शौक़ आगे अितना बढ़ा कि अिसके पीछे मैं अपना धन्धा छोड़ता, अपनी धर्मपत्नीको लगाता और समूचे घरको अपना देता। अिस वृत्तिको मैंने शौक़का नाम दिया है, क्योंकि मैं देख सका हूँ कि ये गुण जब आनन्ददायक होते हैं, तभी टिक सकते हैं। जिस सेवामें आनन्द नहीं आता वह न सेवकको फलती है, न सेव्यको रुचती है। जिस सेवामें आनन्द आता है अुस सेवाकी तुलनामें अैश-आराम या धनोपार्जन आदि कार्य तुच्छ प्रतीत होते हैं।

वम्ब्वी-पूनामें सभा

वहनोबीके देहान्तके दूसरे ही दिन मुझे वम्ब्वीकी सभाके लिये जाना था। सार्वजनिक सभाके लिये अपने भाषण पर विचार करने जितना समय मुझे मिला ही न था। मैं मन ही मन यह सोचता हुआ वम्ब्वी पहुँचा कि बीश्वर मुझे जैसे-तैसे निवाह लेगा। भाषण लिखनेका तो मुझे स्वप्नमें भी खयाल न था।

सभाकी तारीखके अगले दिन शामको पाँच बजे मैं आज्ञानुसार सर फीरोजशाहके आफिसमें हाजिर हुआ। बुन्होंने मुझे भाषण लिखकर पढ़नेकी आवश्यकता समझायी। मैंने भाषण लिखा और छपाया।

मैंने सभामें काँपते-काँपते भाषण पढ़ना शुरू किया; लेकिन मैं हारा; अँची आवाजसे पढ़ न सका। मैंने अपना भाषण अपने पुराने मित्र केसवराव देशपाण्डेके हाथमें रख दिया। लेकिन उससे काम न चला। प्रेक्षकोंने वाच्छाकी जिच्छा प्रकट की। वे बुठे। सभा तुरन्त शांत हो गयी, और सभाजनोंने अथसे जिति तक भाषण सुना। सर फीरोजशाहको भाषण अच्छा लगा। मुझे गंगा नहाने जितना सन्तोप हुआ।

सर फीरोजशाहने मेरा रास्ता आसान कर दिया। वम्ब्वीसे मैं पूना गया। मुझे मालूम था कि पूनामें दो पक्ष थे। मुझे तो सबकी मदद लेनी थी। लोकमान्यसे मिला। बुन्हें मेरा यह विचार पसन्द पड़ा। मुझे प्रोफेसर भाण्डारकर और प्रोफेसर गोखलेसे मिलनेको कहा। मैं गोखलेके पास गया। वे मुझेसे बड़े प्रेमसे मिले और बुन्होंने मुझको अपना बना लिया। बुनके साथ भी मेरा यह पहला परिचय था। लेकिन न जाने क्यों अँसा लगा मानो हम पहले भी मिल चुकें हों। सर फीरोजशाह मुझे हिमालय-जैसे लगे। लोकमान्य समुद्र-जैसे लगे।

संक्षिप्त आत्मकथा

गोखले गंगा-जैसे लगे। अुसमें मैं नहा सकता था। हिमालय चढ़ा नहीं जाता। समुद्रमें डूबनेका भय रहता है। गंगाकी गोदमें तो खेला जा सकता है। अुसमें डोंगियाँ लेकर सैर की जा सकती है। राजनीतिक क्षेत्रमें गोखलेने मेरे हृदयमें जीते-जी जो स्थान बनाया और देहान्तके बाद आज भी अुनका जो स्थान बना हुआ है, वैसा और कोभी नहीं बना सका।

रामकृष्ण भाण्डारकरने मेरा स्वागत अुसी भावसे किया, जिस भावसे पिता पुत्रका करता है। तटस्थ सभापतिके वारेमें मेरे आग्रहकी बात सुनकर अुनके मुँहसे सहज ही यह अुद्गार निकला कि 'वस, यही ठीक है।' वे सभापति-पद स्वीकार करनेको तैयार हो गये। विना किसी होहल्ले और दिखावेके अेक सादे मकानमें पूनाके अिस विद्वान् और त्यागी मंडलने सभा की और मुझे सम्पूर्ण प्रोत्साहनके साथ विदा किया।

वहाँसे मैं मद्रास गया। मद्रास तो पागल हो गया। वहाँ कवियोंके प्रेम और अुत्साहका अितना अधिक अनुभव किया कि यद्यपि वहाँ सबके साथ मुख्यतः अंग्रेजीमें ही बोलना पड़ता था, फिर भी मुझे घरके-जैसा ही मालूम हुआ। वे कौनसे बन्धन हैं, जिन्हें प्रेम तोड़ न सकता हो?

‘जल्दी वापस लौटो’

मद्राससे कलकत्ते गया। कलकत्तेमें मेरी मुश्किलोंका पार न रहा। मैं सुरेन्द्रनाथ वैनर्जीसे मिला। अन्होंने कहा—‘मुझे डर है कि लोग आपके काममें दिलचस्पी नहीं लेंगे।’ अन्होंने जिनके नाम बताये अून सज्जनोंसे मैं मिला। वहाँ मेरी दाल न गली। मेरी मुश्किलें बढ़ती जाती थीं। ‘अमृतवाञ्छार पत्रिका’ के कार्यालयमें गया। वहाँ भी जो सज्जन मुझे मिले, अउनका यह खयाल हो गया था कि मैं कोयी रमता राम होऊँगा। ‘बंगवासी’ने तो हृद कर दी। मुझे अेक घण्टे तक बँठाये ही रखा। सम्पादक महोदय दूसरोंसे बातें करते जाते थे; लोग लौटते जाते थे, लेकिन वे स्वयं मेरी ओर देखते तक न थे। अेक घण्टे तक राह देखनेके वाद जब मैंने अपना प्रश्न छेड़ा, तो अन्होंने कहा—‘आप देखते नहीं हैं, हमारे सामने कितना काम पड़ा है! आपके-जैसे तो हमारे यहाँ बहुतेरे आते रहते हैं। अच्छा यही है कि आप यहाँसे विदा हो जायँ। हमें आपकी बात नहीं सुननी है।’

मैं हारा नहीं। अपने रिवाजके मुताविक मैं अंग्रेजोंसे भी मिला। ‘थिंग्लिशमैन’ के मि० साँण्डर्सने मुझे अपनाया। अउनका ऑफिस मेरे लिअे खुल गया। अउनका अखवार मेरे लिअे खुल गया। अन्होंने अपने अग्रलेखमें घटा-बढ़ी करनेकी स्वतंत्रता भी मुझे दी। हमारे बीच स्नेह स्थापित हुआ। अन्होंने मुझे वचन दिया कि अउनसे जितनी मदद वन पड़ेगी, वे करेंगे। अन्होंने अपना यह वचन अक्षरशः पाला और अपनी तबीयत बिगड़ने तक अन्होंने मेरे साथ पत्र-व्यवहार जारी रखा। मेरे जीवनमें अैसे अनपेक्षित मीठे सम्बन्ध अनेक वेंचे हैं। मि० साँण्डर्सको मेरी जो चीज पसन्द आयी, सो थी अतिशयोक्तिका अभाव और सत्यपरायणता। अन्होंने मुझसे अुलटी-सीवी जिरह करनेमें कोयी कसर

संक्षिप्त आत्मकथा

न रखी। जिसमें अन्होंने देखा कि दक्षिण अफ्रीकाके गोरोंके पक्षको निष्पक्षपातपूर्वक पेश करनेमें और उसकी तुलना करनेमें मैंने कोबी कसर नहीं रखी थी।

मेरा अनुभव मुझे कहता है कि प्रतिपक्षीको न्याय देकर हम अपने लिये जल्दी न्याय प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार अनपेक्षित मदद मिल जानेसे कलकत्तेमें भी सार्वजनिक सभा करनेकी आशा बँधी। अतनेमें डरबनका अेक तार मिला —

‘पार्लियामेंट जनवरीमें बैठेगी। जल्दी वापस लौटो।’

जिस कारण अखबारोंके लिये अेक पत्र लिखकर और फ्रौरन रवाना होनेकी जरूरत बताकर मैंने कलकत्ता छोड़ा।

दादा अब्दुल्लाने स्वयं ‘कुरलैंड’ नामक अेक स्टीमर खरीदा था। उसमें मुझे और मेरे परिवारको मुफ्त ले जानेका अन्होंने आग्रह किया। मैंने आभार सहित अपनी स्वीकृति दी और दिसम्बरके आरम्भमें अपनी धर्मपत्नी, दो लड़कों और अपने स्वर्गीय बहनोजीके अेकमात्र लड़केको लेकर ‘कुरलैंड’ में दूसरी बार दक्षिण अफ्रीकाके लिये रवाना हुआ। जिस स्टीमरके साथ ही ‘नादरी’ नामका दूसरा स्टीमर भी रवाना हुआ। दादा अब्दुल्ला उसके अेजण्ट थे। दोनों स्टीमरोंमें मिलकर लगभग आठ सौ हिन्दुस्तानी मुसाफिर थे। उनमें से आधेसे अधिक लोग ट्रान्सवाल जानेवाले थे।

तूफानके आसार

चूँकि हिन्दू घरोंमें छोटी उमरमें ही विवाह होते हैं, और चूँकि मध्यम श्रेणीके लोगोंमें अधिकतर पति शिक्षित और पत्नी वशिक्षित होती है, जिसलिये पति-पत्नीके जीवनमें अन्तर रहता है और पतिको पत्नीका शिक्षक बनना पड़ता है। मुझे अपनी धर्मपत्नीकी और बालकोंकी पोशाकका, खान-पानका और बोलचालका ध्यान रखना होता था। मुझे अन्हें रहन-सहन सिखानी होती थी। कुछ समयके कुछ संस्मरण अब भी मुझे हैंसते हैं।

मैं जिन दिनोंकी बात लिख रहा हूँ, उन दिनों मैं यह मानता था कि सुधरे हुआओंमें अपनी गिनती करानेके लिये हमारा वाह्याचार जहाँ तक बने वहाँ तक यूरोपियनोंसे मिलता हुआ होना चाहिये। बैसा करनेसे ही प्रभाव पड़ता है और बिना प्रभाव पड़े देशसेवा नहीं हो सकती।

जिसलिये पत्नीकी और बालकोंकी पोशाक मैंने ही पसन्द की। जहाँ यूरोपियन पोशाकका अनुकरण करना बिलकुल अनुचित प्रतीत हुआ वहाँ पारसीका किया। पत्नीके लिये पारसी बहनोंके ढंगकी साड़ियाँ खरीदीं; बच्चोंके लिये पारसी कोट-पतलून लिये। सबके लिये बूट और मोजे तो जरूरी थे ही। पत्नीको और बालकोंको भी ये दोनों चीजें कभी महीनों तक अच्छी न लगीं। लेकिन अन्होंने लाचार होकर पोशाकके जिन परिवर्तनोंको स्वीकार किया। जितनी ही लाचारीसे और अुससे भी अधिक अनिच्छासे अन्होंने खाते समय छुरी-काँटेका अुपयोग शुरू किया। और, जब मेरा मोह नष्ट हुआ,

तो बुन्होंने फिरसे बूट, मोज़ों और छुरी-काँटों आदिका त्याग किया। जिस प्रकार शुरूके फेरफार दुःखदायी थे, उसी प्रकार आदत पड़नेके बाद बुनका त्याग भी दुःखदायी था। लेकिन जिस समय मैं देख रहा हूँ, कि हम सब सुवारोंकी कँचुल बुतारकर हलके हो गये हैं।

हमारा स्टीमर दूसरे बन्दरगाहोंमें ठहरे बिना सीधा नाताल पहुँचनेवाला था। जिसलिये हमें सिर्फ़ अठारह दिनकी यात्रा करनी थी। अभी हमारे पहुँचनेमें तीन या चार दिन बाक़ी थे कि जितनेमें समुद्रमें भयंकर तूफ़ान बुठा; असा मालूम हुआ, मानो मुक़ाम पर पहुँचते ही जिस भावी तूफ़ानका हमें सामना करना था, उसकी यह अेक चेतावनी ही थी। तूफ़ान जितना तेज़ था और जितनी देर तक रहा कि मुसाफ़िर घबरा बुठे।

दुःखमें सब अेक ही गये। भेद भूल गये। हृदयसे जीश्वरको याद करने लगे। हिन्दू-मुसलमान सब साथ मिलकर जीश्वरका स्मरण करने लगे।

जिस चिन्तामें कोबी चौबीस घण्टे बीते होंगे। आखिर बादल विखरे। सूर्यनारायणने दर्शन दिये। कप्तानने कहा— 'तूफ़ान चला गया है।'

लोगोंके चेहरों परसे चिन्ता दूर हुयी, और उसके साथ ही जीश्वर भी लुप्त हो गया! फिरसे मायाका आवरण चढ़ गया।

लेकिन जिस तूफ़ानने मुझे यात्रियोंमें ओतप्रोत कर दिया था। मुझे समुद्र लगता नहीं, चक्कर आते नहीं। जिस कारण मैं यात्रियोंके बीच निर्भय होकर घूम सकता था, उन्हें आश्वासन दे सकता था, और कप्तानकी भविष्यवाणी सुनाता था। यह स्नेह-सम्बन्ध मेरे लिये बहुत बुपयोगी सिद्ध हुआ। हमने १८ या १९ दिसम्बरको डरवनकी खाड़ीमें लंगर डाला। 'नादरी' भी उसी दिन पहुँचा।

तूफान

दक्षिण अफ्रीकाके बन्दरगाहोंमें यात्रियोंके आरोग्यकी पूरी जाँच की जाती है। अगर रास्तेमें किसीको कोबी संक्रामक रोग हुआ हो, तो स्टीमरको सूतकमें—क्वॉरिण्टीनमें—रखते हैं। डॉक्टरने जाँच-पड़ताल करके हमारे स्टीमरके लिये पाँच दिनका सूतक सूचित किया। किन्तु जिस सूतकके आदेशका हेतु केवल आरोग्य न था। डरवनके गोरे नागरिक हमें वापस भगा देनेका आन्दोलन कर रहे थे। अतथेव युनका यह आन्दोलन भी अक्षत आदेशका एक कारण था।

गोरे लगातार जंगी सभायें कर रहे थे। दादा अब्दुल्लाके नाम घमकियाँ भेजते थे। लेकिन वे किसीकी घमकीसे डरनेवाले जीव न थे। हमारे नाम भी घमकियाँ आजीं। मैं यात्रियोंमें खूब धूमा। युनको वीरज बँधाया। बड़े दिनका त्यौहार आया। युस अवसर पर कप्तानने पहले दर्जेके मुसाफिरोंको दावत दी। दावतके बाद मैंने पश्चिमके सुधार पर भाषण किया। लेकिन मेरा दिल तो युस लड़ाकीमें ही लगा हुआ था, जो डरवनमें चल रही थी।

जिस हमलेका केंद्रबिन्दु मैं था। मुझ पर दो आरोप थे—

१. मैंने हिन्दुस्तानमें नातालवासी गोरोंकी अनुचित निन्दा की थी;
२. मैं नातालको हिन्दुस्तानियोंसे भर देना चाहता था।

लेकिन मैं स्वयं बिलकुल निर्दोष था। मैंने किसीको नाताल जाने के लिये ललचाया न था। और मैंने हिन्दुस्तानमें नातालके अंग्रेजोंके बारेमें वैसे एक भी अक्षर नहीं कहा था, जो मैं नातालमें कह न चुका होयूँ।

जिसलिये मैं पश्चिमके सुधारोंके बारेमें सोचा करता था। मैंने उन्हें मुख्यतः हिंसक कहा था; पूर्वके सुधारोंको अहिंसक बताया था। बहुत करके कप्तानने ही पूछा—

‘गोरे जिस तरहकी घमकी दे रहे हैं, उसी तरह अगर वे आपको चोट पहुँचायें, तो आप अपने अहिंसक सिद्धान्तोंका अमल किस तरह करेंगे?’

मैंने जवाब दिया — ‘मुझे आशा है कि उन्हें माफ़ करनेकी और अून पर मुक़दमा न चलानेकी हिम्मत और बुद्धि अीश्वर मुझे देगा। आज भी मेरे मनमें अुनके लिये रोष नहीं है। मुझे अुनका अज्ञान और अुनकी संकुचित दृष्टि देखकर खेद होता है। मैं मानता हूँ कि वे जो कह रहे हैं और कर रहे हैं, वह अुचित ही है, अैसा वे शुद्धभावसे समझते हैं। अिसलिये मेरे निकट रोषका कोअी कारण नहीं रहता।’ पूछनेवाला हँसा।

आखिर २३ वें दिन, अर्थात् सन् १८९७ के जनवरी महीनेकी १३ वीं तारीखके दिन स्टीमरको मुक्ति मिली, और यात्रियोंके लिये अुतारनेका हुक्म जारी हुआ।

४९

कसौटी

यात्री अुतारे। लेकिन मेरे वारेमें मि० अेस्कम्बने, जो अुन दिनों मंत्रि-मण्डलमें थे, कप्तानके नाम सँदेशा भेजा था कि—‘गांधीको और अुसके परिवारको शामके समय अुतारना। अुसके विरुद्ध गोरे बहुत अुत्तेजित हो गये हैं और अुसकी जान जोखिममें है।’ कप्तानने मुझे अिस सँदेशेकी खबर दी। मैंने वैसा करना क्वूल किया। लेकिन अिस सँदेशेको मिले अभी आधा घण्टा भी न हुआ था कि अितनेमें मि० लॉटन आये और कप्तानसे मिलकर अुससे बोले—‘अगर मि० गांधी मेरे साथ चलें, तो मैं अुन्हें अपनी जोखिम पर ले जाना चाहता हूँ। स्टीमरके अेजण्टके वकीलके नाते मैं आपसे कहता हूँ कि मि० गांधीके वारेमें जो सँदेशा आपको मिला है, अुससे आप मुक्त हैं।’ फिर वे मेरे पास आये और मुझसे कुछ अिस प्रकार कहा—

‘अगर आपको जिन्दगीका डर न हो, तो मैं चाहता हूँ कि मिसेज गांधी और वच्चे गाड़ीमें रस्तमजी सेठके घर जायें, और आप व मैं सरे आम पैदल रवाना हों। मुझे यह बिलकुल जँचता नहीं कि आप अँधेरा होने पर चुपचाप शहरमें दाखिल हों। अब तो सब कुछ सांत है, गोरे सब तितर-बितर हो गये हैं।’

मैं सहमत हुआ। मेरी बर्मपत्नी और वच्चे गाड़ीमें रस्तमजी सेठके घर गये और सही-सलामत पहुँचे। मैं कप्तानसे विदा होकर मि० लॉटनके साथ युतरा। रस्तमजी सेठका घर करीब दो मील दूर रहा होगा।

जैसे ही हम स्टीमरसे युतरे, कुछ लड़कोंने मुझे पहचान लिया, और वे ‘गांधी, गांधी’ चिल्ला बुठे। तुरन्त ही दो-चार लोग अिकट्टा हुये और चिल्लाहट बढ़ी। मि० लॉटनने रिक्शा मँगायी। मुझे तो खुसमें बैठना कभी अच्छा न लगता था। यह मेरा पहला ही अनुभव होनेको था। लेकिन लड़के क्योंकर बैठने देते? अन्होंने रिक्शावालेको बमकाया। वह भाग खड़ा हुआ।

हम आगे बढ़े। भीड़ बढ़ती गयी। भीड़ने मुझे मि० लॉटनसे अलग कर दिया। फिर मुझ पर कंकरों और सड़े अंडोंकी झड़ी लग गयी। किसीने मेरी पगड़ी बुड़ा दी। लातें शुरू हुयीं।

मुझे ग्राय आ गया। मैंने पासके घरकी जाफरी थामकर साँस ली। वहाँ खड़े रहनेकी जुगत थी ही नहीं। तमाचे पड़ने लगे।

अितनेमें पुलिसके बड़े अधिकारीकी स्त्री, जो मुझे पहचानती थी, खुस रास्तेसे गुजरी। मुझे देखते ही वह मेरे पास आकर खड़ी हो गयी, और यद्यपि खुस समय बूप नहीं थी, तो भी अपना छाता खोल लिया। अिससे भीड़ कुछ नरम पड़ी। अब प्रहार करने हों, तो मिसेज अलैक्जेंडरको बचाकर ही करने थे।

अिस बीच मुझ पर मार पड़ते देख कोअी हिन्दुस्तानी नौजवान पुलिस-थाने पर दौड़ गया था। सुपरिण्टेण्डेण्टने मुझे बचानेके लिये अेक दस्ता भेजा। वह समय पर आ पहुँचा। मेरा रास्ता पुलिस-

थानेके पाससे ही जाता था। सुपरिण्टेण्डेण्टने मुझे आश्रय लेनेकी सलाह दी। मैंने अिनकार किया।

दस्तेके साथ रहकर मैं सही-सलामत पारसी रुस्तमजीके घर पहुँचा। मेरी पीठ पर अन्धी मार पड़ी थी। सिर्फ़ अेक जगह थोड़ी चोट लगी थी। स्टीमरके डॉक्टर वहीँ हाज़िर थे। अुन्होंने मेरी अच्छी-शुश्रूषा की।

यों अन्दर शांति थी, लेकिन बाहर तो गोरोंने घर घेर लिया था। शाम पड़ चुकी थी। सुपरिण्टेण्डेण्टे वहाँ पहुँच गये थे, और भीड़को विनोद द्वारा वशमें रखनेका यत्न कर रहे थे।

फिर भी वे निश्चिन्त नहीं थे। अुन्होंने मेरे पास सँदेशा भेजा — 'अगर आप अपने मित्रके घर और सम्पत्तिको तथा अपने परिवारको बचाना चाहते हैं, तो आपको मेरी सूचनाके अनुसार अिस घरसे छिपे तौर पर भाग जाना चाहिये।'

भागनेके काममें अुलझ जानेसे मैं अपने घावोंको भूल गया। मैंने हिन्दुस्तानी सिपाहीकी पोशाक पहनी। साथमें दो डिटेक्टिव (जासूस) थे; अुन्होंने भी अपनी पोशाक और रूप बदला। गलीके नाके पर गाड़ी खड़ी थी, अुसमें बैठकर वे मुझे अब अुसी थानेमें ले गये, जहाँ सुपरिण्टेण्डेण्टने मुझे आश्रय लेनेको कहा था। मैंने सुपरिण्टेण्डेण्ट और खुफिया पुलिसके अधिकारियोंका आभार माना।

अिस प्रकार जब अेक ओर मुझे ले जाया जा रहा था, तब दूसरी ओर सुपरिण्टेण्डेण्ट भीड़से गीत गवा रहे थे। जब मेरे सही-सलामत थाने पहुँचनेकी खबर अुन्हें मिली तब अुन्होंने भीड़से कहा — 'आपका शिकार तो अिस दुकानमें से सही-सलामत निकल भागा है।' भीड़के कुछ लोग गुस्सा हुअे, कुछ हँसे। बहुतोंने अिस बातको माननेसे अिनकार किया।

सुपरिण्टेण्डेण्टकी सूचनासे भीड़ने अपने प्रतिनिधि नियुक्त किये। पारसी रुस्तमजीके मकानकी जाँच-पड़ताल करके लौटे और भीड़को राशाजनक खबर सुनायी। सब कोअी सुपरिण्टेण्डेण्टकी समय-सूचकता

और चतुराजीकी स्तुति करते हुये, किन्तु कुछ मन ही मन गुस्सा होते हुये विखर गये।

मि० चेम्बरलेनने तार भेजकर सूचित किया कि मुझ पर हमला करनेवालों पर मुकदमा चलाया जाय और ऐसी व्यवस्था की जाय, जिससे मुझे न्याय मिले। मि० अस्कम्बने मझे अपने पास बुलाया। मुझे जो चोट पहुँची थी, उसके लिये अपना खेद प्रकट किया और हमला करनेवालों पर मुकदमा चलानेकी बात कही।

मैंने जवाब दिया — 'मुझे किसी पर मुकदमा नहीं चलाना है। हमला करनेवालोंको सजा दिलानेसे मुझे लाभ क्या? मैं तो अन्हें दोषी भी नहीं मानता। दोष तो अधिकारियोंका, और अगर आप मुझे कहनेकी विजाजत दें, तो आपका माना जायगा। आप लोगोंको ठीक रास्ते ले जा सकते थे। जब सच्ची हकीकत मालूम होगी और लोग जानेंगे, तो वे पछतायेंगे।'

'तो क्या आप मुझ यह चीज लिखकर देंगे? मुझे मि० चेम्बरलेनको वैसे तार भेजना पड़ेगा। मैं यह नहीं चाहता कि आप जल्दीमें कुछ लिख दें। अितना मैं कबूल करता हूँ कि अगर आप हमला करनेवालों पर मुकदमा नहीं चलायेंगे, तो सब कुछ शांत करनेमें मुझे बड़ी मदद मिलेगी और आपकी प्रतिष्ठा तो अवश्य ही बढ़ेगी।'

मैंने जवाब दिया — 'जिस सम्बन्धमें मेरे विचार स्थिर हो चुके हैं। मेरा यह निश्चय है कि मुझे किसी पर मुकदमा नहीं चलाना है, जिसलिये, मैं आपको यहीं लिखकर देना चाहता हूँ।'

जिस प्रकार कहकर मैंने आवश्यक पत्र लिख दिया।

शांति

जिस दिन मैं अुतरा था, अुसी दिन 'नाताल अेडवरटाभिज़र' का प्रतिनिधि मुझसे मिलकर गया था। अुसने बहुतसे प्रश्न पूछे थे, और अुनके अुत्तरमें मैं प्रत्येक आरुपका जवाव सम्पूर्णतापूर्वक दे सका था।

अिस खुलासेका और हमला करनेवालोंके खिलाफ़ मुक़दमा चलानेसे मेरे अिनकार करनेका अितना अधिक असर पड़ा कि गोरे शरमिन्दा हुअे। अखवारोंने मुझे निर्दोष बताया और हुल्लड़ मचानेवालोंकी निन्दा की। अिस प्रकार परिणाममें मुझे तो लाभ ही हुआ, और मेरा लाभ तो मेरे कार्यका ही लाभ था। हिन्दुस्तानी क़ौमकी प्रतिष्ठा बढ़ी और मेरा मार्ग अधिक सरल हुआ। अिस घटनाके कारण वकीलके नाते मेरा धन्धा भी बढ़ा।

लेकिन अिस प्रकार अगर हिन्दुस्तानियोंकी प्रतिष्ठा बढ़ी, तो साथ ही अुनके प्रति द्वेष भी बढ़ा। गोरोंको विश्वास हो गया कि हिन्दुस्तानियोंमें दृढ़तापूर्वक लड़नेकी शक्ति है, और अिसके साथ ही अुनका भय बढ़ गया! नातालकी धारासभामें दो क़ानून पेश हुअे, जिनसे हिन्दुस्तानियोंकी मुसीबतें बढ़ गयीं। अेकके कारण हिन्दुस्तानी व्यापारियोंके धन्धेको नुक़सान पहुँचा, दूसरेके कारण हिन्दुस्तानियोंकी आमद-रफ़्त पर कड़ा अंकुश रखा गया।

अिन क़ानूनोंने मेरा काम बहुत बढ़ा दिया। झगड़ा अाखिर विलायत पहुँचा, लेकिन क़ानून नामंज़ूर न हुअे।

बाल-शिक्षण

जब मैं डरवनमें अतुरा, उस समय मेरे साथ तीन बालक थे। जिन सबको पढ़ाना कहाँ? गोरोंके लिये जो स्कूल चलते थे, मैं अपने बच्चोंको उनमें भेज सकता था। लेकिन यह सब बर्तीर मेहरवानी और अपवादके रूपमें ही होता। हिन्दुस्तानी बालकोंको पढ़ानेके लिये ख्रिस्ती मिशनकी पाठशालायें थीं। मैं अपने बालकोंको उनमें भेजनेके लिये तैयार न था। वहाँ दी जानेवाली शिक्षा मुझे पसन्द न थी।

मैं स्वयं बालकोंको पढ़ानेका कुछ प्रयत्न करता था, किन्तु वह अत्यन्त अनियमित था।

मैं परेशान हुआ। मैंने अके अके अंग्रेजी शिक्षकके लिये विज्ञापन दिया, जो मेरी रुचिके अनुसार बच्चोंको शिक्षण दे सके। अके अंग्रेज महिला मिली; उसे रख लिया और जिस तरह गाड़ी कुछ आगे बढ़ी।

मैं बालकोंके साथ मात्र गुजरातीमें ही बोलता था। मैं अन्हें देश भेज देनेके लिये तैयार न था। उन दिनों भी मुझे असा लगा करता था कि छोटे बच्चोंको माता-पितासे अलग न रहना चाहिये। सुव्यवस्थित घरमें बालकोंको जो शिक्षा सहज ही मिलती है, वह छात्रालयोंमें नहीं मिल सकती। मेरा बड़ा लड़का काफ़ी सयाना होनेके बाद, अपनी अिच्छासे, अहमदावादके हायीस्कूलमें पढ़नेके लिये दक्षिण अफ्रीकासे ज़ला आया था। दूसरे तीन लड़के कभी किसी स्कूलमें गये ही नहीं।

मेरे ये प्रयोग अपूर्ण थे। मैं स्वयं बालकोंको जितना समय देना चाहता था, दे न सका। जिस कारणसे और दूसरे अनिवार्य संयोगोंके कारण मैं अन्हें अपनी अिच्छानुसार अक्षरज्ञान न दे सका। जिस मामलेमें मेरे सभी लड़कोंकी, न्यूनाधिक प्रमाणमें, मेरे विरुद्ध शिकायत भी रही है। जितना सब होने पर भी मेरी अपनी

राय यह है कि अन्हें जो अनुभव-ज्ञान प्राप्त हुआ है, माता-पिताका जैसा सहवास वे प्राप्त कर सके हैं, स्वतंत्रताका जो पदार्थपाठ अन्हें सीखनेको मिला है, वह सब अन्हें न मिलता, यदि मैंने अुनको जिस किसी भी स्कूलमें भेजनेका आग्रह रखा होता। वे जैसी सादगी और सेवाभाव सीखे हैं, वैसी सादगी और सेवाभाव वे अपनेमें विकसित न कर सके होते, यदि अन्होंने मुझसे अलग रहकर कृत्रिम शिक्षा पायी होती; अुलटे अुनकी कृत्रिम रहन-सहन मुझे मेरे देशकार्यमें कदाचित् विघ्नरूप ही सिद्ध होती।

अिसलिये यद्यपि मैं अन्हें जितना चाहता था, अुतना अक्षरज्ञान नहीं दे सका, तो भी मुझे अँसा तो नहीं लगता कि मैंने अुनके प्रति अपने धर्मका यथाशक्ति पालन नहीं किया है, और न मुझे अिसका कोअी पश्चात्ताप ही होता है।

५२

सेवावृत्ति

मेरा धन्धा ठीक चल रहा था, किन्तु अुससे मुझे सन्तोष न था। मनमें बराबर यह अुधेड़-बुन चलती ही रहती कि जीवन अधिक सादा होना चाहिये, कुछ-न-कुछ शारीरिक सेवाकार्य होना चाहिये।

अितनेमें अेक दिन अेक अपंग कोढी, जो गलित कुष्ठसे पीड़ित था, घर आ पहुँचा। अुसे खाना देकर विदा कर देनेकी हिम्मत न पड़ी। अुसे अेक कमरेमें टिकाया। अुसके घाव साफ़ किये और अुसकी सेवा की।

लेकिन यह काम अिसी तरह लम्बे समय तक चल नहीं सकता था। अुसे हमेशाके लिये घरमें रखनेकी सुविधा न थी, मुझमें हिम्मत न थी। मैंने अुसे गिरमिटियोंके लिये चलनेवाले सरकारी अस्पतालमें भेज दिया।

लेकिन जिससे मुझे तसल्ली न हुयी। शुश्रूपाका असा कोयी काम में हमेशा कर सकूं, तो कितना अच्छा हो! डॉक्टर वूथ सेण्ट अेडम्स मिशनके मुख्य अधिकारी थे। वे हमेशा जो भी कोयी अनुके पास पहुँचता अुसे मुफ्त दवा देते थे। पारसी रुस्तमजीके दानके कारण डॉ० वूथकी देखरेखमें अेक बहुत छोटा अस्पताल खुला। अुसमें दवा देनेके सिलसिलेमें अेकसे दो घण्टेका काम रहता था। मैंने जिस कामको अपने सिर लेने और अपने समयमें से अितना समय वचानेका निश्चय किया। मेरी वकालतका बहुत-सा काम तो ऑफिसमें बैठकर सलाह देने और दस्तावेज तैयार करनेका अथवा झगड़े मिटानेका था। कुछ मुकदमे मजिस्ट्रेटकी अदालतमें रहते थे। अनमें से ज्यादातर तो अैसे होते थे, जिनमें झगड़ेकी गुंजाअिश नहीं थी। जब अैसे मुकदमे होते, तो मि० खान, जो अनु दिनों मेरे साथ ही रहते थे, अनुकी जिम्मेदारी अपने सिर ले लेते थे, और मैं जिस छोटे-से अस्पतालमें काम करने लगा था।

रोज सत्रेरे वहाँ जाना होता था। जाने-आने और अस्पतालमें काम करनेमें हमेशा लगभग दो घण्टे लगते थे। जिस कामसे मुझे हमेशा शांति मिली। मैं दुःखी भारतवासियोंके गाढ़ संपर्कमें आया। आगे चलकर यह अनुभव मेरे लिये बहुत अुपयोगी सिद्ध हुआ।

वच्चोंकी परवरिशका प्रश्न तो मेरे सामने था ही। दक्षिण अफ्रीकामें मुझे दूसरे दो पुत्र हुंअे। अनुका लालन-पालन करके अुन्हें किस तरह बड़ा करना चाहिये, जिस प्रश्नको सुलझानेमें मुझे जिस कामसे अच्छी मदद मिली। मेरा स्वतंत्र स्वभाव मुझे बहुत कसौटी पर चढ़ाता था और आज भी चढ़ाता है। हम दोनोंने निश्चय किया था, कि प्रसूति आदिका काम शास्त्रीय पद्धतिसे करना चाहिये। मैंने बाल-संगोपनका अभ्यास कर लिया। कहा जा सकता है कि अंतिम दो बालकोंका संगोपन, अनुकी परवरिश, मैंने स्वयं की।

मैंने देखा कि यदि बालकोंका लालन-पालन अुचित रीतिसे करना हो, तो माता और पिता दोनोंको बालकोंकी परवरिश आदिका साधारण ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिये।

ब्रह्मचर्य - १

अब ब्रह्मचर्यके विषयमें विचार करनेका समय आया है। अके पत्नीव्रतके लिये तो विवाहके समय ही मेरे हृदयमें स्थान था। पत्नीके प्रति वफ़ादार रहना मेरे सत्यव्रतका अंग था। लेकिन अपनी स्त्रीके प्रति भी ब्रह्मचर्यका पालन करनेकी बात दक्षिण अफ्रीकामें ही स्पष्ट रीतिसे मेरे ध्यानमें आयी।

मुझे पत्नीके साथ कैसा सम्बन्ध रखना चाहिये? पत्नीको विषयभोगका साधन बनानेमें पत्नीके प्रति वफ़ादारी कहाँ रहती है? जब तक मैं विषयवासनाके अधीन रहता हूँ, तब तक मेरी वफ़ादारीका मूल्य प्राकृत ही माना जायगा। हमारे आपसके सम्बन्धमें किसी भी दिन पत्नीकी ओरसे मुझ पर आक्रमण हुआ ही नहीं। इस दृष्टिसे मैं जब चाहूँ तब ब्रह्मचर्यका पालन मेरे लिये सुलभ था। मेरी अशक्ति अथवा आसक्ति ही मुझे रोक रही थी।

जाग्रत होनेके बाद भी दो बार तो मैं निष्फल ही हुआ। प्रयत्न करता था, किन्तु फिसलता था। प्रयत्नका मुख्य हेतु अँचा न था। मुख्य हेतु संतानोत्पत्तिको रोकनेका था। संतानोत्पत्तिकी अनावश्यकता ध्यानमें आते ही संयम-पालनका प्रयत्न शुरू किया।

संयमपालनकी कठिनायियोंका पार न था। खटियाओं अलग डालनी शुरू कीं। रात थकने पर ही सोनेका प्रयत्न किया। जिस सारे प्रयत्नका विशेष परिणाम मैं तुरन्त ही देख न सका। किन्तु आज भूतकाल पर दृष्टिपात करते हुअे देखता हूँ कि अिन सब प्रयत्नोंने मुझे आखिरका बल दिया।

अंतिम निश्चय तो ठेठ १९०६ में ही कर सका। अुन दिनों सत्याग्रहका आरंभ नहीं हुआ था। नातालमें जूलू लोगोंका 'विद्रोह'

हुआ। मैंने नाताल सरकारको अपनी सेवा अर्पित की। जिस सेवाके निमित्तसे मेरे मनमें तीव्र विचार अुत्पन्न हुये। अपने स्वभावके अनुसार मैंने जिसकी चर्चा अपने साथियोंसे की। मुझे प्रतीत हुआ कि संतानोत्पत्ति और सन्तान-पालन सार्वजनिक सेवाके विरोधी हैं। कड़ी कूचें करते समय मैंने देखा कि यदि मुझे लोकसेवामें ही तन्मय हो जाना है, तो पुत्रैपणा और वित्तैपणाका त्याग और वानप्रस्थ-धर्मका पालन करना चाहिये।

विद्रोहके काममें मुझे डेढ़ महीनेसे अधिक समय न देना पड़ा। लेकिन अिन छः हफ्तोंका समय मेरे जीवनका अतिशय मूल्यवान समय था। मैं अिन्हीं दिनों व्रतके महत्त्वको अधिकसे अधिक समझा। मैंने देखा कि व्रत बंधन नहीं, बल्कि स्वतंत्रताका द्वार है। आज तक मुझे अपने प्रयत्नोंमें अुचित सफलता नहीं मिली; क्योंकि मैं निश्चयवान न था। मुझे अपनी शक्तिमें विश्वास न था। मुझे अीश्वरकी कृपामें अविश्वास था, और जिसके कारण मेरा मन अनेक तरंगों और अनेक विकारोंके बश होकर काम करता था। मैंने देखा कि व्रतसे न बंधनेसे मनुष्य मोहमें फँसता है। व्रतसे बंधना वैसा ही है, जैसा व्यभिचारसे छूटकर अेक पत्नीसे सम्बन्ध रखना होता है। यह कहना निर्वलताकी निशानी है कि 'मैं प्रयत्न करनेमें मानता हूँ, व्रतसे बंधना नहीं चाहता', और जिसमें सूक्ष्म रूपमें भोगकी अिच्छा निहित है। जहाँ अमुक वस्तुके लिये सम्पूर्ण वैराग्य अुत्पन्न हुआ है, वहाँ अुसके लिये व्रत अनिवार्य वस्तु है।

ब्रह्मचर्य - २

अच्छी तरह चर्चा करनेके बाद और पुख्ता विचार करके ही सन् १९०६ में व्रत लिया। व्रत लेनेके समय तक मैंने धर्मपत्नीसे परामर्श नहीं किया था; किन्तु व्रत लेते समय किया। उसकी ओरसे मेरा कोई विरोध न हुआ।

शुरू-शुरूमें तो यह व्रत मेरे लिये बहुत ही भारी सिद्ध हुआ। मेरी शक्ति अल्प थी। विकारोंका दमन कैसे हो सकेगा? स्वपत्नीके साथ विकारी सम्बन्धका त्याग अके अतोखी बात मालूम होती थी। फिर भी मैं स्पष्ट रूपसे यह देख सकता था कि यही मेरा कर्तव्य है। मेरी भावना शुद्ध थी। यह सोचकर कि श्रीश्वर शक्ति देगा ही, मैंने निश्चय कर डाला।

आज बीस वर्षके बाद जिस व्रतका स्मरण करते हुये मुझे सानन्द आश्चर्य होता है। संयम-पालनकी वृत्ति तो सन् १९०१ से प्रवृत्त थी, और मैं उसका पालन कर ही रहा था; लेकिन जिस स्वतंत्रता और आनन्दका अपभोग मैं अब करने लगा था, सन् १९०६ से पहले उसका वैसा अपभोग करनेकी बात मुझे याद नहीं पड़ती। क्योंकि अने दिनों मैं वासनावद्ध था, किसी भी समय उसके वश हो सकता था। अब वासना मुझ पर सवार होनेमें असमर्थ हो गयी।

साथ ही, अब मैं ब्रह्मचर्यकी महिमाको अधिकाधिक समझने लगा। व्रत मैंने फिनिक्समें लिया था।

ब्रह्मचर्यके संपूर्ण पालनका अर्थ है, ब्रह्मदर्शन। मुझे यह ज्ञान शास्त्र द्वारा नहीं मिला था। मेरे सामने तो यह अर्थ क्रम-क्रमसे अनुभव-सिद्ध होता गया। व्रतके बाद मैं दिनोंदिन जिस बातको विशेष रूपसे अनुभव

करने लगा कि ब्रह्मचर्यमें शरीर-रक्षण, बुद्धि-रक्षण और आत्माका रक्षण है।

किन्तु कोजी यह न माने कि जहाँ मैं जिसमें से रसपान करता था, वहाँ जिसकी कठिनताका कोजी अनुभव मुझे न होता था। आज ५६ वर्ष पूरे हो चुके हैं, फिर भी जिसकी कठिनताका अनुभव तो होता ही है। यह असिबारा व्रत है। निरन्तर जागृतिकी आवश्यकता देखता हूँ।

ब्रह्मचर्यका पालन करना हो, तो स्वादेन्द्रिय पर क्रावू पाना ही चाहिये। यदि स्वाद पर विजय पा ली जाय, तो ब्रह्मचर्य अतिशय सहज है। जिस कारण अबसे आगेके मेरे आहार-सम्बन्धी प्रयोग केवल अन्नाहारकी दृष्टिसे नहीं, बल्कि ब्रह्मचर्यकी दृष्टिसे होने लगे। मैंने प्रयोग कर-करके यह अनुभव किया कि खुराक कम, सादी, बिना मसालेकी और कृदरती हालतमें खानी चाहिये। जिन दिनों मैं सूखे और हरे वनपत्रव फलों पर ही रहता था, अन्तर्दिनों जिस निर्विकारताका अनुभव हुआ, उसे आहारमें फेरफार करनेके बाद अनुभव न कर सका। फलाहारके दिनोंमें ब्रह्मचर्य सहज था, दुग्धाहारके निमित्तसे वह कष्टसाध्य बन गया है। दूधके समान स्नायु-भोपक और अतनी ही आसानीसे हजम होनेवाला फलाहार अभी तक अपुलब्ध नहीं हुआ है। जिसलिये दूधको विकार पैदा करनेवाली वस्तु मानते हुये भी मैं अभी उसके त्यागकी सलाह किसीको दे नहीं सकता।

वाह्य अपचारोंमें जिस तरह आहारके प्रकार और प्रमाणकी मर्यादा आवश्यक है उसी प्रकार अपवासमें भी है। आहारके बिना जिन्द्रियाँ काम नहीं कर सकतीं। जिसलिये जिन्द्रिय-दमनके हेतुसे जिच्छापूर्वक किये गये अपवास जिन्द्रिय-दमनमें बहुत सहायक होते हैं।

अपवासकी सच्ची अपयोगिता वहीं होती है, जहाँ मनुष्यका मन भी देह-दमनमें साथ देता है। तात्पर्य यह कि मनमें विषयभोगके प्रति विरक्ति पैदा होनी चाहिये। विषयकी जड़ें मनमें होती हैं। मनुष्य अपवास करता हुआ भी विषयासक्त रह सकता है। किन्तु बिना

अुपवासके विषयासक्तिका समूल नाश संभव नहीं। जिसलिये ब्रह्मचर्य-पालनमें अुपवास अनिवार्य अंग है।

ब्रह्मचर्यका प्रयत्न करनेवाले बहुतेरे विफल होते हैं, क्योंकि वे खान-पान और दर्शन आदिमें अब्रह्मचारीकी तरह रहनेकी अिच्छा रखकर भी ब्रह्मचर्यका पालन करना चाहते हैं। जिस प्रयत्नको अुष्ण ऋतुमें शीत ऋतुका अनुभव करने-जैसा कहा जा सकता है। संयमीके और स्वैराचारीके, भोगीके और त्यागीके जीवनके बीच भेद होना ही चाहिये। ब्रह्मचर्यका अर्थ है, मन, वचन, कायासे सब अिन्द्रियोंका संयम। जिस संयमके लिये त्यागकी आवश्यकता है। त्यागके क्षेत्रकी कोअी सीमा ही नहीं। जब तक विचारों पर अितना प्रभुत्व प्राप्त न हो जाय कि बिना अिच्छाके अेक भी विचार न आवे, तब तक संपूर्ण ब्रह्मचर्य संभव नहीं। विचारमात्र विकार है। अुस पर क्रावू पानेका मतलब है, मन पर क्रावू पाना। और मनको वशमें करना तो वायुको वशमें करनेसे भी कठिन है। लेकिन मैंने स्वदेश लौटनेके बाद देखा कि जिस प्रकारका ब्रह्मचर्य केवल प्रयत्न-साध्य नहीं है। अीश्वर साक्षात्कार करनेके लिये जो लोग मेरी व्याख्याके ब्रह्मचर्यका पालन करना चाहते हैं, वे यदि अपने प्रयत्नके साथ ही अीश्वर पर श्रद्धा रखनेवाले भी हैं, तो अुनके लिये निराशाका कोअी कारण नहीं है।

अतअेव रामनाम और रामकृपा ही आत्मार्थीका अंतिम साधन है, जिस बातका साक्षात्कार मैंने हिन्दुस्तानमें ही किया।

सादगी

भोगोंको भोगना शुरू तो किया, लेकिन वह टिक न सका। घरके लिये साज-सामान बसानेके समय तो मुझे अुस पर मोह पैदा हो ही न सका। इसलिये घर बसानेके साथ ही मैंने खर्च कम करना शुरू किया। धोबीका खर्च भी ज्यादा मालूम हुआ। तिस पर चूँकि धोबी नियत समय पर कपड़े नहीं लीटाता था, इसलिये दो तीन दर्जन कमीजसे और अुतने ही कॉलरोंसे भी मेरा काम निकलता न था। मुझे यह व्यर्थ प्रतीत हुआ। इसलिये धोनेका सामान जुटाया। धुलाजी-कलाकी पुस्तक पढ़कर धोना सीखा। पत्नीको भी सिखाया।

आखिर मैंने धोबीके धन्वेमें भी अपने कामके लायक कुशलता प्राप्त कर ली थी, और धोबीकी धुलाजीके मुकाबले घरकी धुलाजी थोड़ी भी घटिया न होती थी।

जिस तरह मैं धोबीकी गुलामीसे छूटा, अुसी तरह नाबीकी गुलामीसे छूटनेका भी प्रसंग प्राप्त हुआ। वैसे, विलायत जानेवाले सभी अपने हाथों हजामत बनाना सीखते ही हैं। लेकिन मैं नहीं जानता कि कोशी वाल काटना भी सीखते हैं। एक बार प्रिटोरियामें मैं एक अंग्रेज नाबीकी दुकान पर पहुँचा। अुसने मेरी हजामत बनानेसे कतबी अिनकार कर दिया और अिनकार करते समय जो तिरस्कार प्रगट किया, सो घातेमें। मुझे दुःख हुआ। मैं बाजारमें पहुँचा। लाल काटनेकी मशीन खरीदी और आबीनेके सामने खड़े होकर लाल काटे। लाल जैसे-तैसे कटे तो सही; किन्तु पीछेके लाल काटनेमें बड़ी कठिनायी हुयी। सीधे तो कट ही न पाये। अदालतमें हँसी हुयी।

सच पूछा जाय तो इसमें अुस नाबीका कोबी दोष न था। अगर वह श्यामवर्ण लोगोंके लाल काटता है, तो अुसकी कमायी हाथसे जाती है। क्या अपने देशमें हम अस्पृश्योंके लाल अुच्च वर्णवाले

हिन्दुओंके नाबीसे कटाने देते हैं? मुझे दक्षिण अफ्रीकामें जिसका वदला अंक नहीं अनेक वार मिला है; और चूँकि मैं यह समझता था कि यह हमारे दोषका परिणाम है, जिसलिअे मुझे जिस पर कभी रोष मालूम नहीं हुआ।

स्वावलम्बन और सादगीके मेरे शौकने आगे चलकर तीव्र रूप धारण किया। जिस चीजकी जड़ तो शुरूसे मौजूद थी ही। अुसके फूलमे-फूलनेके लिअे मात्र सिंचनकी आवश्यकता थी। वह सिंचन अनायास ही मिल गया।

५६

बोअर-युद्ध

बोअर-युद्ध शुरू होनेके समय मेरी सहानुभूति केवल बोअरोंके प्रति थी। लेकिन मैं यह मानता था कि अैसे मामलोंमें व्यक्तिगत विचारोंके अनुसार काम करनेका अधिकार अभी मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। ब्रिटिश राज्यके प्रति मेरे मनमें जो वफादारी थी, वह मुझे वरवस युद्धमें भाग लेनेकी ओर घसीट कर ले गयी। मुझे लगा कि यदि मैं ब्रिटिश प्रजाजनके नाते अधिकार माँग रहा था, तो ब्रिटिश प्रजाजनकी हैसियतसे ब्रिटिश राज्यकी रक्षामें हाथ बँटाना मेरा धर्म था।

जिसलिअे जितने साथी मिले अुतनोंको साथ लेकर और अनेक मुसीबतें सहकर हमने घायलोंकी शुश्रूषा करनेवाली अेक टुकड़ी खड़ी की। डॉ० वूथने हमें घायल योद्धाओंकी सार-सम्हाल करनेकी तालीम दी। हमने सरकारसे प्रार्थना की कि वह हमें लड़ाबीमें सेवा करनेका अवसर दे। लेकिन हमें सूचित किया गया कि अुस समय हमारी सेवाकी जरूरत नहीं थी। समय पाकर हमारी माँग स्वीकार की गयी।

अिस टुकड़ीमें लगभग १,१०० लोग थे। डॉ० वूथ हमारे साथ थे। टुकड़ीने काम बहुत अच्छा किया; यद्यपि अुसे गोलाबारूदके वाहर रहकर काम करना था, और रेडक्रॉसकी हिफाजत प्राप्त थी। अिसके वावजूद, संकटके समय हमें गोलाबारूदकी हदके अन्दर काम करनेका भी मौका मिला। छः हफ्तोंके वाद हमारी टुकड़ीको विदा कर दिया गया।

अुस समय तो हमारे अिस छोटेसे कामकी बहुत स्तुति हुयी। अिसके कारण हिन्दुस्तानियोंकी प्रतिष्ठा बढ़ी। जनरल वूलरने अपने खरीतेमें हमारी टुकड़ीके कामकी तारीफ़ की। मुखियोंको लड़ायीके पदक भी मिले।

हिन्दुस्तानी क्रीम अधिक संगठित हुयी। में गिरमिटवाले हिन्दुस्तानियोंके सम्पर्कमें बहुत अधिक आ सका। अुनमें अधिक जागृति पैदा हुयी। यह भावना अधिक दृढ़ हुयी कि हम सब हिन्दुस्तानी ह। सवने माना कि अब हिन्दुस्तानियोंके माथे पड़े हुअे दुःख दूर होने ही चाहिये। अुस समय तो गोरोंके व्यवहारमें भी स्पष्ट परिवर्तन नज़र आया।

लड़ायीमें जिन गोरोंसे काम पड़ा, अुनके साथकी याद भी मीठी थी। हम हज़ारों टॉमियोंके सम्पर्कमें आये। वे हमसे मित्रताका वरताव करते थे और यह जानकर हमारा आभार मानते थे कि हम वहाँ अुनकी सेवाके लिये हैं।

म्युनिसिपैलिटी — अकाल-फण्ड

समाजके अेक भी अंगका अनुपयोगी रहना मुझे सदा ही अखरा है। जनताके दोष छिपाकर अुसका वचाव करना अथवा दोष दूर किये विना ही अधिकार प्राप्त करना, मुझे हमेशा अरुचिकर प्रतीत हुआ है। बार-बार यह आरोप किया जाता था कि हिन्दुस्तानके लोग अपने घरवार साफ़ नहीं रखते और बहुत गन्दे रहते हैं। अिस आरोपको मिटानेके लिये शुरूमें क्रौमके खास-खास लोगोंके घरोंमें तो सुधार शुरू हो ही चुके थे। लेकिन घर-घर घूमनेका काम तो तभी शुरू हुआ, जब डरवनमें महामारीके प्रवेशका भय मालूम हुआ। अिसमें म्युनिसिपैलिटीके अधिकारियोंका भी हाथ था और अुनकी सम्मति भी थी। हमारी मदद मिलनेसे अुनका काम हलका हो गया, और हिन्दुस्तानियोंको कम मुसीबत सहनी पड़ी।

मुझको कुछ कड़वे अनुभव भी हुअे। स्थानीय सरकारसे अधिकार माँगनेके काममें मैं क्रौमके लोगोंकी मदद जितनी आसानीसे ले सकता था, अुतनी आसानीसे लोगोंको अपना फ़र्ज अदा करनेके काममें मदद देनेके लिये राजी नहीं कर सका। कभी जगहोंमें अपमान होते और कभी जगह विनयपूर्वक लापरवाही दिखायी जाती। गंदगी साफ़ करनेकी तकलीफ़ अुठाना बहुत बुरा मालूम होता था। अिसके कारण मैं अेक सबक़ अधिक अच्छी तरहसे सीखा, और वह यह था कि लोगोंसे कोअी भी काम कराना हो तो धीरज रखना चाहिये।

अिस आन्दोलनका परिणाम यह हुआ कि हिन्दुस्तानी समाजमें लोगोंने घरवारको साफ़ रखनेके महत्त्वको न्यूनधिक मात्रामें स्वीकार किया। अधिकारी-समाजके निकट मेरी साख़ बढ़ी। वे समझ गये कि मेरा धन्वा केवल शिकायतें करने अथवा हक़ माँगनेका ही नहीं था,

वल्कि फ़रियाद करनेमें या अधिकारोंकी माँग करनेमें मैं जितनी दृढ़तासे काम लेता था, आंतरिक सुधारोंके बारेमें भी मैं उतना ही उत्साही और दृढ़ था।

अेक और दिशामें भी समाजकी वृत्तिको विकसित करनेका काम वाक़ी रहा था। जिस अुपनिवेशमें रहनेवालोंको समय पड़ने पर भारतवर्षके प्रति अपने धर्मको समझने और पालनेकी भी ज़रूरत थी। भारतवर्ष तो कंगाल है। लोग धन कमानेके लिये परदेशमें रहना सहन करते हैं। अुनकी कमाओका कुछ न कुछ हिस्सा आपत्तिके समय भारतवर्षको मिलना चाहिये। सन् १८९७ में और अुसके बाद सन् १८९९ में देशमें अकाल पड़े। अिन दोनों अकालोंके समय दक्षिण अफ्रीकासे अच्छी मदद गयी थी।

अिस प्रकार अिन दो अकालोंके अवसर पर जो प्रथा शुरू हुयी, वह आज तक क़ायम है।

अिस तरह दक्षिण अफ्रीकाके हिन्दुस्तानियोंकी सेवा करते-करते मैं स्वयं अेकके बाद अेक अनेक बातें अनायास सीख रहा था। सत्य अेक विशाल वृक्ष है। जैसे-जैसे अुसकी सेवा की जाती है, वैसे-वैसे अुसमें से अनेक फल पैदा होते पाये जाते हैं; अुसका कोअी अन्त ही नहीं होता। ज्यों-ज्यों अुसमें गहरे पैठते हैं, त्यों-त्यों अुसमें से रत्न मिलते रहते हैं, सेवाके अवसर मिलते रहते हैं।

देश-गमन

लड़ाईके कामसे फुरसत पानेके बाद मुझे लगा कि अब मेरा काम दक्षिण अफ्रीकामें नहीं, बल्कि देशमें है। दक्षिण अफ्रीकामें बैठे-बैठे भं मैं कुछ न कुछ सेवा तो अवश्य ही करता, लेकिन मुझे असा प्रतीत हुआ कि वहाँ मेरा मुख्य धन्धा पैसा कमाना ही हो जायगा।

मैंने साथियोंसे मुक्त होनेकी माँग की। बड़ी मुश्किलके बाद मेरी यह माँग अक शर्तके साथ स्वीकार हुई। शर्त यह थी कि अग क्रौमको अक सालके अन्दर मेरी ज़रूरत मालूम पड़े, तो मुझे वाप दक्षिण अफ्रीका पहुँचना चाहिये। मुझे यह शर्त मुश्किल मालूम हुई किन्तु मैं प्रेमपाशसे बँधा हुआ था —

काचे रे तांतणे मने हरजीअे बांधी,
जेम ताणे तेम तेमनी रे;
मने लागी कटारी प्रेमनी.

मीरावाजीकी यह अपुमा थोड़े-बहुत अंशोंमें मुझ पर घटित होती थी। पंच भी परमेश्वर ही हैं। मैं मित्रोंकी बातको ठुकरा नहीं सकत था। मैंने वचन दिया और अिजाज़त पायी।

अिस बार मेरा निकट सम्बन्ध नातालके साथ ही रहा। नातालवे हिन्दुस्तानियोंने मुझे प्रेमामृतसे नहला दिया। जगह-जगह मानपत्र देनेके लिये सभायें हुआँ। और हरअेक जगहसे क्रीमती भेंटें मिलीं।

जब सन् १८९६ में मैं देशके लिये रवाना हुआ था, तब भं भेंटें मिली थीं, लेकिन अिस बारकी भेंटोंसे और सभाओंके दृश्यसे मैं अकुला अुठा। भेंटोंमें सोने-चाँदीकी वस्तुयें तो थीं ही, लेकिन साथ ही अनुममें हीरेकी वस्तुयें भी थीं।

अिन सब वस्तुओंको स्वीकार करनेका मुझे क्या अधिकार हो सकता था? अगर मैं अिन्हें स्वीकार करता तो अपने मनको यह कैसे समझा सकता कि मैं क्रीमकी सेवा पैसे लेकर नहीं करता? अिन भेंटोंमें कुछेक मुवक्किलोंकी भेंटोंको छोड़कर शेष सब मात्र मेरी सार्वजनिक सेवाके निमित्तसे ही थीं। फिर मेरे निकट तो मुवक्किलों और दूसरे साथियोंके बीच कोअी भेद न था। खास-खास मुवक्किल सभी सार्वजनिक काममें भी मदद देनेवाले थे।

फिर, अिन भेंटोंमें ५० गिन्नीका अेक हार कस्तूरवाअीके लिये था। लेकिन अुसे मिली वस्तु भी मेरी सेवाके निमित्तसे थी, अिसलिये अुसे अलग नहीं रखा जा सकता था।

जिस शामको अिन भेंटोंमें से मुख्य-मुख्य भेंटें मिली थीं, वह रात मैंने वावरेकी भाँति जागकर बिताअी। मैं अपने कमरेमें चक्कर काटता रहा, लेकिन बुद्धि किसी तरह सुलझती न थी। सैकड़ोंकी भेंट छोड़ना भारी मालूम पड़ता था। रखना अुससे भी अधिक भारी लगता था। कदाचित् मैं अिन भेंटोंको पचा सकूँ, लेकिन मेरे वालकोंका क्या हो? स्त्रीका क्या हो? अुन्हें शिक्षा तो सेवाकी मिली थी और सेवाके दाम नहीं लेने चाहियें, यह बात अुन्हें हमेशा समझाअी जाती थी। मैं घरमें क्रीमती गहने वगैरा रखता न था। सादगी बढ़ती जाती थी। गहनों और जेवरोंका मोह छोड़नेके लिये अुन दिनों भी मैं दूसरोंसे कहा करता था। तो अब अिन गहनों और जवाहरातोंको मैं क्या करूँ?

मैं अिस निर्णय पर पहुँचा कि मुझे ये चीजें हरगिअ न रखनी चाहियें। पारसी रुस्तमजी आदिको अिन गहनोंका ट्रस्टी नियुक्त करके अुनके नाम लिखनेके लिये अेक पत्रका मसविदा तैयार किया और निश्चय किया कि सवेरे स्त्री-पुत्रादिसे सलाह करके अपना भार हलका कर लूँगा।

वालक तो तुरन्त समझ गये। मुझे खुशी हुअी। वे अपनी माँको समझानेके लिये तैयार हुअे। किन्तु काम अपेक्षासे अधिक कठिन सिद्ध

संक्षिप्त आत्मकथा

हुआ। माँके बाण नोकदार थे। उनमें से कुछ चुभते थे। किन्तु गहने तो मुझे वापस लौटाने ही थे। कभी मामलोंमें मैं जैसे-तैसे सम्मति प्राप्त कर सका। सन् १८९६ और सन् १९०१ में मिली हुयी भेंटें लौटा दीं। उनका ट्रस्ट बना और उनका उपयोग मेरी अथवा ट्रस्टियोंकी अच्छाके अनुसार सार्वजनिक कामके लिये करनेकी शर्त पर वे बैंकमें रखी गयीं।

अपने इस क्रदमके लिये मुझे कभी पश्चात्ताप नहीं हुआ। समय वीतने पर कस्तूरबाको भी इसका औचित्य जँच गया। हम अनेक लालचोंमें से बच गये हैं।

मेरी यह राय बनी है कि सार्वजनिक सेवकके लिये निजी भेंट या उपहार वर्ज्य हैं।

कलकत्तेमें

यों में देश जानेके लिये त्रिदा हुआ।

हिन्दुस्तान पहुँचनेके बाद थोड़ा समय घूमने-फिरनेमें बिताया। यह सन् १९०१ का साल था। उस सालकी कांग्रेसका अधिवेशन कलकत्तेमें होनेवाला था। दीनशा अदलजी वाच्छा सभापति थे। मुझे कांग्रेसमें तो जाना था ही। कांग्रेसका मेरा यह पहला अनुभव था।

बम्बयीसे जिस ट्रेनमें सर फीरोजशाह रवाना हुये उसी ट्रेनमें मैं गया था। मुझे अुनके डब्बेमें एक स्टेशन तक जानेकी आज्ञा मिली थी। उसके अनुसार मैं गया। वे बोले : 'गांधी, आपका काम बनेगा नहीं। आप जैसा कहेंगे वैसा प्रस्ताव तो हम पास कर देंगे, लेकिन अपने देशमें ही हमें कौनसे हक मिलते हैं? जहाँ तक अपने देशमें हमें सत्ता प्राप्त नहीं है, वहाँ तक अपनिवेशोंमें आपकी स्थिति सुधर नहीं सकती।'

मैं तो दंग ही रह गया, किन्तु मैंने यह सोचकर सन्तोष किया कि मुझे कांग्रेसमें प्रस्ताव पेश करने देंगे।

कलकत्तेमें स्वयंसेवक मुझे रिपन कॉलेज ले गया। वहाँ कभी प्रतिनिधियोंको ठहराया गया था; किन्तु व्यवस्थाका अभाव था।

कांग्रेसके अधिवेशनको अेक-दो दिनकी देर थी। मैंने निश्चय किया था कि अगर कांग्रेसके कार्यालयमें मेरी सेवा स्वीकार की जाय, तो मुझे सेवा करनी और अनुभव लेना चाहिये।

जिस दिन हम पहुँचे उसी दिन मैं नहा-धोकर कांग्रेसके कार्यालयमें गया। श्री भूपेंद्रनाथ वसू और श्री घोपाल मंत्री थे। मैं भूपेंद्रवावूके

पास पहुँचा। अन्होंने मुझे घोषाल वावूकी तरफ़ भेजा। मैं अुन पास गया। अुन्होंने मुझे निरखा। ज़रा हँसे और पूछा: 'मेरे पास तो कारकुनका काम है। आप करेंगे?' मैंने जवाव दिया: 'ज़रूर करूँगा।'

घोषालवावूने मुझे कागज़ोंका अेक ढेर निपटानेके लिये सौंप दिया। मैं तो अिस विश्वाससे खुश-खुश हो गया। मैंने कागज़ोंके अुस ढेरको तुरन्त निपटा दिया। घोषालवावू खुश हुअे। मेरा अितिहास जाननेके बाद तो मुझे कारकुनका काम सौंपनेके कारण अुन्हें थोड़ी शर्म मालूम हुअी। मैंने अन्हें निश्चिन्त किया।

हमारे बीच काफ़ी अच्छा सम्बन्ध हो गया। कुछ ही दिनोंमें मुझे कांग्रेसके प्रबन्धका पता चल गया। बहुतसे नेताओंका परिचय हुअा। मैं अुनकी रीति-नीतिको देख सका। समयकी जो वरवादी होती थी, अुसका दर्शन भी मैंने किया। अंग्रेज़ी भाषाका प्राबल्य भी देखा, जिससे अुस समय भी मुझे दुःख हुआ था। मैंने यह भी देखा कि जो काम अेकसे होता था, अुसमें अेकसे अधिक लोग लग जाते थे, और कुछ महत्त्वके काम अैसे रह जाते थे, जिन्हें कोअी भी करता न था।

मेरा मन अिस सारी स्थितिकी टीका करता रहता था। किन्तु चित्त अुदार था, अिसलिये यह मान लेता था कि जो हो रहा है, अुसमें अधिक सुधार सम्भव न होगा। और फलतः किसीके प्रति अरुचि अुत्पन्न न होती थी।

कांग्रेसमें

कांग्रेसका अधिवेशन शुरू हुआ। मंडपका भव्य दृश्य, स्वयंसेवकोंकी क्रतारें, मंच पर वृजुगोंकी बैठक आदि देखकर मैं घबराया।

सभापतिके भाषणके कुछ-कुछ भाग पढ़े गये। विषय-विचारिणी-समितिके सदस्योंका चुनाव हुआ। गोखले खुसमें मुझे ले गये थे। समितिमें अकेके वाद अके प्रस्ताव पास होते गये। मैंने गोखलेको अपने प्रस्तावकी याद दिलायी। वह अुनके ध्यानमें था ही। दूसरा काम समाप्त होने पर अुन्होंने अुस प्रस्तावको याद किया। अुसे वे देख चुके थे, जिसलिये मुझे पेश करनेकी बिजाजत मिली। मैंने काँपते स्वरमें अुसे पढ़ सुनाया। गोखलेने समर्थन किया। सब अेकस्वरसे कह अुठे — 'सर्वसम्मतिसे पास'। और वाच्छाने कहा — 'गांधी, आप पाँच मिनट बोलिये।'

जिस दृश्यसे मैं खुश न हुआ।

कांग्रेसमें लिखा हुआ भाषण न पढ़नेका मेरा निश्चय था, लेकिन दक्षिण अफ्रीकामें भाषण करनेकी जो हिम्मत आयी थी, अुसे मैं यहाँ खो बैठा था।

जब मेरे प्रस्तावका समय आया, तो सभापतिने मेरा नाम पुकारा।

मैं खड़ा हुआ। सिरमें चक्कर आने लगे। जैसे-तैसे प्रस्ताव पढ़ा। मैंने दक्षिण अफ्रीकाके दुःखोंकी कुछ बातें कहीं। अितनेमें सभापतिकी घण्टी बजी। मैंने अभी अपने पाँच मिनट पूरे नहीं किये थे। मैं जानता न था कि यह घण्टी तो मुझे चेतावनी देनेके लिये दो मिनट पहले ही बजायी गयी थी। मुझे दुःख तो हुआ ही। क्योंकि घण्टी बज चुकी थी, जिसलिये मैं तो बैठ ही गया।

प्रस्तावोंका विरोध करने जैसा कुछ था ही नहीं। सब हाथ अुठाते ही थे। सारे प्रस्ताव सर्वसम्मतिसे स्वीकृत होते थे। मेरे

प्रस्तावका भी यही हाल हुआ। जिसलिये मुझे प्रस्तावका महत्त्व मालूम न हुआ, फिर भी कांग्रेसमें प्रस्ताव पास होनेकी ही मेरे आनन्दके लिये पर्याप्त थी।

६१

गोखलेके साथ

कांग्रेस समाप्त हुआ, किन्तु मुझे तो दक्षिण अफ्रीकाके कामके सिलसिलेमें कलकत्ते रहकर चेम्बर ऑफ कॉमर्स आदि मण्डलोंसे मिलना था। जिसलिये मैं कलकत्तेमें अके महीना रहा। मैंने अिण्डिया-क्लबमें रहनेका प्रबन्ध किया। गोखले जिस क्लबमें समय-समय पर विलियर्ड खेलने आते रहते थे। जैसे ही अन्हें पता चला कि मैं कलकत्ते ठहरने-वाला हूँ, अन्होंने मुझे अपने साथ रहनेके लिये आमंत्रित किया। मैंने अुनका आमंत्रण साभार स्वीकारा, लेकिन मुझे खुद ही वहाँ जाना ठीक न मालूम हुआ। अेक-दो दिन राह देखी, अितनेमें गोखले खुद ही मुझे अपने साथ ले गये।

पहले ही दिनसे गोखलेने मुझे यह माननेका मौका न दिया कि मैं अुनका मेहमान हूँ। अन्होंने मुझे अपने छोटे सगे भाभीकी तरह रखा। मेरी सब आवश्यकताओं समझ लीं और अुनके अनुकूल सारी व्यवस्था कर ली। सौभाग्यसे मेरी आवश्यकताओं कम थीं। सब कुछ स्वयं ही करनेकी आदत मैं डाल चुका था, जिसलिये मुझे बहुत ही कम सेवा लेनी पड़ती थी। स्वावलम्बनकी मेरी जिस आदतकी, अुस समयकी मेरी पोशाक आदिकी सुघड़ताकी, मेरे अुद्यमकी और मेरी नियमितताकी अुन पर गहरी छाप पड़ी, और वे जिस सत्रकी अितनी स्तुति करने लगे कि मैं अकुला अुठा।

मुझे कभी अैसा भास नहीं हुआ कि अुनकी कोअी बात मुझसे छिपी हुआ है। जो भी कोअी बड़े आदमी अुनसे मिलने आते, अुनके साथ वे मेरा परिचय करा देते।

गोखलेकी काम करनेकी पद्धतिसे मुझे जितना आनन्द हुआ उतना ही सिखनेको भी मिला। वे अपना एक क्षण भी व्यर्थ न जाने देते थे। मैंने अनुभवसे देखा कि अुनके सारे सम्बन्ध देशकार्यके निमित्तसे ही थे। सारी चर्चा भी देशकार्यके विषयकी ही होती थी। बातचीतमें मैंने कहीं मलिनता, दम्भ अथवा झूठके दर्शन न किये।

गोखले घोड़ा-गाड़ी रखते थे। मैंने अुनसे जिसकी शिकायत की। मैं अुनकी मुश्किलोंको समझ नहीं सका था। 'आप सब जगह ट्राममें क्यों नहीं जा सकते? क्या जिससे नेता-वर्गकी प्रतिष्ठा कम होती है?'

थोड़े दुःखी होकर अुन्होंने मुझे जवाब दिया — 'तो आप भी मुझे समझ न सके? मुझे बड़ी धारासभासे जो मिलता है, अुसे मैं अपने लिये खर्च नहीं करता। जब आपको भी मेरे समान ही बड़ी संख्यामें लोग पहचानने लगेंगे, तब आपके लिये भी ट्राममें घूमना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य ही हो जानेवाला है। यह मान लेनेकी कोधी बजह नहीं है कि नेता लोग जो कुछ करते हैं, सो मीज-शौकके लिये ही करते हैं। आपकी सादगी मुझे पसन्द है। मैं भरसक सादगीसे रहता हूँ, किन्तु आप निश्चय मानिये कि मेरे जैसेके लिये कुछेक खर्च अनिवार्य हैं।'

जिस प्रकार मेरी एक शिकायत तो बराबर रद हुयी। लेकिन दूसरी जो फ़रियाद मुझे पेश करनी थी, अुसका वे कोधी संतोषजनक जवाब नहीं दे सके।

मैंने कहा — 'लेकिन आप तो ठीकसे घूमने भी नहीं जाते। फिर अगर आप बीमार रहते हैं, तो जिसमें आश्चर्य क्या? क्या देशकार्यमेंसे आप व्यायामके लिये भी फ़ुरसत नहीं निकाल सकते?'

जवाब मिला — 'आप मुझे किस समय फ़ुरसतमें पाते हैं कि जब मैं घूमने जा सकूँ।'

मेरे मनमें गोखलेके प्रति जितना आदर था कि मैं अुन्हें प्रत्युत्तर नहीं देता था। अुनके अुक्त अुत्तरसे मुझे संतोष न हुआ। किन्तु मैं चुप रहा। कैसा भी काम क्यों न हो, जिस तरह हम खानेके लिये समय निकालते हैं, अुसी तरह व्यायामके लिये भी निकालना चाहिये। मेरी

संक्षिप्त आत्मकथा

यह नम्र सम्मति है कि असा करनेसे देशकी सेवा अधिक ही होती है, कम नहीं।

गोखलेकी छायामें रहनेसे बंगालमें मेरा काम सरल हो गया। बंगालके अग्रगण्य परिवारोंका मुझे सहज ही परिचय मिला, और बंगालके साथ मेरा निकटका संबंध बन गया। मैं ब्रह्मदेशकी भी डुबकी लगा आया। वहाँसे लौटनेके बाद मैं गोखलेसे विदा हुआ। अुनका विछोह मुझे खला, लेकिन बंगालका अथवा सच पूछो तो कलकत्तेका मेरा काम समाप्त हो चुका था।

अपने धंधेमें पड़नेसे पहले मेरा विचार तीसरे दर्जेमें हिन्दुस्तानकी अेक संक्षिप्त यात्रा करने और तीसरे दर्जेके यात्रियोंके परिचयमें आकर अुनके दुःखोंको समझ लेनेका था। मैंने अपना यह विचार गोखलेके सामने रखा। शुरूमें तो अुन्होंने अिसे हँसीमें टाल दिया, किन्तु जब मैंने अपनी आशाओंका वर्णन किया, तो अुन्होंने खुशी-खुशी मेरी योजनाको मान लिया।

अिस यात्राके लिये मुझे नया सामान खरीदना था। पीतलका अेक डब्बा गोखलेने ही दिया और अुसमें मेरे लिये बैसनके लड्डू और पूरी रखवाअी। पटसनका अेक बैग खरीदा। छाया (पोरबन्दरके पासका गाँव)के अुनका अेक कोट बनाया था। बैगमें वह कोट, तौलिया, कुरता और धोती रख ली थी। ओढ़नेके लिये अेक कम्बल था। अिसके अलावा अेक लोटा साथमें रखा था। अितना सामान लेकर मैं रवाना हुआ। गोखले और डॉ० प्रफुल्लचंद्र राय मुझे स्टेशन तक विदा करने आये। मैंने दोनोंसे न आनेकी विनती की, किन्तु दोनोंने आनेका अपना आग्रह क्रायम रखा। गोखलेने कहा — 'अगर आप पहले दर्जेमें जाते, तो शायद मैं न चलता, लेकिन अब तो मुझे चलना ही है।'

बंबाईमें

गोखलेकी बड़ी जिच्छा थी कि मैं बम्बयीमें स्थिर हो जाऊँ, वहाँ वैरिस्टरका बन्धा करूँ, और अुनके साथ सार्वजनिक काममें हाथ बँटाऊँ।

मेरी अपनी भी यही जिच्छा थी। किन्तु बन्धा मिलनेके वारेमें मुझे आत्मविश्वास न था। पुराने अनुभवोंकी याद भूली न थी। खुशामद करना ज़हर-जैसा लगता था।

जिसलिये पहले तो मैं राजकोटमें ही रहा। केवलराम मावजी दवेने मेरे हाथमें तीन केस दिये। अुनमें दो अपीलें थीं और एक असल केस था। असल केसमें कामयाबी हुई, और दो अपीलोंके वारेमें तो मुझे शुरूसे ही कोबी अँदेशा न था। जिसलिये कुछ अँसा लगा कि बम्बयी जाने पर भी वहाँ कोबी मुश्किल पेश न होगी। फिर भी मैं तो कुछ समय तक राजकोटमें ही रहनेकी बात सोच रहा था। जितनेमें एक दिन केवलराम मेरे पास आये और बोले — 'गांधी, हम आपको यहाँ नहीं रहने देंगे। आपको तो बम्बयी ही जाना होगा।'

'लेकिन वहाँ तो कोबी मेरे हाल तक न पूछेगा। क्या मेरा खर्च आप चलायेंगे?'

'हाँ, हाँ, मैं आपका खर्च चलाऊँगा। बड़े वैरिस्टरकी तरह हम लोग कभी-कभी आपको यहाँ ले आया करेंगे, और लिखने-पढ़नेका जो काम होगा, सो आपको वहाँ भेजते रहेंगे। वैरिस्टरोंको बड़ा या छोटा बनाना तो हम वकीलोंका काम है न? अपना माप तो आप जामनगर और वेरावलमें दे ही चुके हैं, जिसलिये मैं बेफ़िकर हूँ। आप जिस सार्वजनिक कामके लिये पैदा हुये हैं, अुसे हम काठियावाड़में दफ़न नहीं होने देंगे। कहिये, कब जायेंगे?'

‘नातालसे मेरे कुछ पैसे आने वाक़ी हैं, वे झा जायें तो जायूँ।’
पैसे दो-एक हफ़्तोंमें आ गये और मैं दम्बवी गया। पेजिन,
गिलवर्ट और सयानीके ऑफिसमें ‘चेम्बर्स’ किरायेसे लिये और स्थिर
हुआ-सा लगा।

६३

धर्मसंकट

ऑफिसकी तरह ही मैंने गिरगाँवमें घर किरायेसे लिया, लेकिन
अश्वरने मुझे स्थिर न होने दिया। घर लियेको अभी बहुत दिन नहीं
हुये थे कि बितनेमें मेरा दूसरा लड़का अक सल्ट बीमारीकी चपेटमें
आ गया।

डॉक्टरकी सलाह ली। डॉक्टरने कहा—‘बिसके लिये दवा
कोबी काम न करेगी। बिसे तो अण्डे और मुर्राँका शोरवा देनेकी
जरूरत है।’

मणिलालकी अुमर दस वर्षकी थी। मैं अुसे क्या पूछता? अुसका
अभिभावक तो मैं था। निर्णय मुझको करना था। डॉक्टर अक बहुत भले
पारसी थे। ‘डॉक्टर! हम सब तो अन्नाहारी हैं। मैं अपने लड़केको
बिन दोमें से अक भी वस्तु देना नहीं चाहता। आप दूसरा कोबी
अुपाय न बतायेंगे?’ मैंने कहा।

डॉक्टर बोले—‘आपके लड़केकी जान खतरमें है। दूध और पानी
मिलाकर दिया जा सकता है, किन्तु अुससे पूरा पोषण न मिल
सकेगा। आप जानते हैं कि मैं तो बहुतेरे हिन्दू परिवारोंमें जाता हूँ,
लेकिन दवाके नाम पर हम जो भी वस्तु अुन्हें दें, वे
ले लेते हैं।’

‘आप सच ही कह रहे हैं। आपको यही कहना भी चाहिये।
मेरी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। लड़का बड़ा और सयाना होता तो मैं

अवश्य ही उसकी अच्छा जाननेका प्रयत्न करता, और वह जो चाहता सो करने देता। किन्तु आज तो मुझे ही जिस बालकके लिये सोचना है। मुझे तो यह लगता है कि मनुष्यके धर्मकी कसौटी जैसे ही समय होती है। खरा हो या खोटा हो, मैंने अपना यह धर्म माना है कि मनुष्यको मांसादिक न खाने चाहिये। जीवनके साधनोंकी भी हद्द होती है। कुछ बातें ऐसी हैं, जो हमें जीनेके लिये भी नहीं करनी हैं। जैसे समयमें मेरे धर्मकी मर्यादा मुझे अपने लिये और अपनोंके लिये भी मांस अित्यादिका अपुयोग करनेसे रोकती है। जिसलिये मुझे आप जिस खतरकी बात कहते हैं, वह खतरा भुठाना ही होगा।

डॉक्टर भले थे। वे मेरी कठिनायीको समझ गये और अुन्होंने मेरी माँगके मुताबिक मणिलालको देखनेके लिये आना क्वूल किया।

मैं क्यूनीके अपचार जानता था। उसके प्रयोग भी किये थे। यह भी जानता था कि बीमारीमें अपवासका बड़ा स्थान है। मैंने मणिलालको क्यूनीके ढंग पर कटिस्तान कराना शुरू किया।

बुखार अुतरता न था। रातमें कुछ-का-कुछ बकता था। मैं घबराया। कहीं बालकको खो बैठा, तो दुनिया मुझे क्या कहेगी? बड़े भायी क्या कहेंगे? दूसरे डॉक्टरोंको क्यों न बुलाया जाय? वैद्यको क्यों न बुलाया जाय? माँ-बापको क्या अधिकार है, कि वे अपनी ज्ञानहीन अक्ल चलायें।

जिस तरहके विचार आते थे। साथ ही ये विचार भी आते — प्राणी! जो तू अपने लिये करता है, वही लड़केके लिये करेगा, तो परमेश्वर संतुष्ट रहेगा। तुझे जलके अपचारमें श्रद्धा है, दवामें नहीं। डॉक्टर प्राणदान नहीं देता। उसके भी प्रयोग ही चलते हैं। जीवनकी डोरी तो अेक अीश्वरके ही हाथमें है। अीश्वरका नाम लेकर, उस पर श्रद्धा रखकर, तू अपना मार्ग न छोड़।

जिस प्रकार मनमें अुधेड़-बुन चल रही थी। रात पड़ी। मैंने मणिलालको गौली निचोड़ी हुयी चादरमें लपेटनेका निश्चय किया। मैं अुठा। चादर ली। ठंडे पानीमें डुबोयी, निचोयी। अुसमें अुसे सिरसे

पैर तक लपेटा। ऊपरसे दो कम्बल ओढ़ा दिये। सिर पर गीला तौलिया रखा। बुखार तबेकी तरह तप रहा था। पसीना आता ही न था।

मैं बहुत थक चुका था। मणिलालको अुसकी माँके सिपुर्द करके मैं आधे घंटेके लिये थोड़ी हवा खाने, ताजा होने, शांति पानेके विचारसे चौपाटी पर गया। रातके कोअी दस बजे होंगे। लोगोंका आना-जाना कम हो चुका था। मुझे बहुत थोड़ा होश था। मैं विचार-सागरमें डुबकी लगा रहा था। हे अीश्वर, अिस धर्मसंकटमें तू मेरी लाज रखना। मुँहसे 'राम-राम' का रटन तो जारी ही था। कुछ देर अिधर-अुधर टहलकर मैं धड़कती छाती लिये वापस लौटा।

जब मैं घर पहुँचा तो मणिलालको पसीना आ रहा था। बुखार अुतर रहा था। मैंने अीश्वरका आभार माना।

सुबह मणिलालका बुखार हलका मालूम हुआ। दूध और पानी तथा फल पर वह चालीस दिन रहा। मैं निर्भय हो चुका था। बुखार हठीला था, किन्तु क्वावूमें आ चुका था। आज मेरे सब लड़कोंमें मणिलाल सबसे अधिक सुदृढ़ शरीरवाला है।

अिस बातका निराकरण कौन कर सकता है, कि यह रामकी वक्लिश है या जलके अुपचारकी? अल्पाहारकी है या सार-सँभाल की? मैंने तो यह समझा कि अीश्वरने मेरी लाज रख ली, और मैं तो आज भी यही मानता हूँ।

पुनः दक्षिण अफ्रीका

मणिलाल स्वस्थ तो हुआ, किन्तु मैंने देखा कि गिरगांववाला मकान रहने लायक नहीं था। अक्सर नमी थी, पूरा अजुला नहीं था। अतएव रेवाशंकर वैद्यसे सलाह करके हम दोनोंने वम्बयीके किसी अपनगरमें खुली जगहवाला बंगला लेनेका निश्चय किया। सान्ताक्रूज़में एक सुन्दर बंगला मिल गया और हम अक्सरमें रहने गये। असा प्रतीत हुआ कि आरोग्यकी दृष्टिसे अब हम सुरक्षित हैं। मैंने चर्चगेट जानेके लिये पहले दर्जेका पास निकलवाया। पहले दर्जेमें अक्सर मैं अकेला ही रहता, जिससे मनमें कुछ अभिमानका भी अनुभव करता। बहुत दफ्ता बाँदरासे चर्चगेट जानेवाली खास गाड़ी पकड़नेके लिये मैं सान्ताक्रूज़से बाँदरा तक पैदल जाता।

आर्थिक दृष्टिसे मेरा बंधा मेरी अपेक्षासे कुछ अधिक ठीक चलने लगा। दक्षिण अफ्रीकाके मुक्किल मुझे कुछ-न-कुछ काम साँपा करते थे। मुझे असा लगा कि अक्सरसे मेरा खर्च आसानीके साथ निकलता रहेगा। हाजीकोर्टका काम तो मुझे अभी तक कुछ मिलता न था। हाजीकोर्टमें दूसरे नये वैरिस्टरोकी तरह मैं भी केस सुननेके लिये जाता था। वहाँ जो कुछ जाननेको मिलता था, अक्सरकी अपेक्षा समुद्रकी फरफराती हुयी हवाके झोंके खानेका आनन्द अधिक मिलता था। मैंने देखा कि वहाँ जिस तरह झोंके खाना 'फैशन' माना जाता था।

गोखलेकी आँख तो मुझ पर लगी ही रहती थी। हफ्तेमें दो-तीन बार चेम्बरमें आकर मेरी कुशलता पूछ जाते। और कभी-कभी अपने खास मित्रोंको भी साथ लेते आते। अपनी कार्य-पद्धतिसे मुझे परिचित कराते जाते। किन्तु मेरे भविष्यके बारेमें यह कहना ठीक होगा कि अश्वरने मेरा चाहा कभी कुछ बनने ही न दिया।

ज्योंही मैंने स्वस्थ होनेका निश्चय किया और स्वस्थताका अनुभव किया, त्यों ही अचानक दक्षिण अफ्रीकाका तार आया — 'चेम्बरलेन यहाँ आ रहे हैं, आपको आना चाहिये।' मुझे अपना वचन याद था ही। मैंने तार दिया — 'मेरा खर्च भेजिये। आनेको तैयार हूँ।' अन्होंने तुरंत पैसे भेजे और मैं दफ़्तर समेटकर रवाना हुआ।

मैंने सोचा था कि मुझे अेकाध साल तो वहाँ सहज ही लग जायगा। बँगला चालू रखा और यह भी अिष्ट समझा कि बाल-बच्चे अुसीमें रहें।

अुन दिनों में मानता था कि जो नौजवान देशमें कमाते नहीं और साहसी हैं, अुनके लिये परदेश निकल जाना अच्छा है। अिस विचारसे मैं चार-पाँचको अपने साथ ले गया, जिनमें अेक मगनलाल गांधी भी थे।

बाल-बच्चोंका विछोह, बनाये हुअे घोंसलेको तोड़ना, निश्चित वस्तुमें से अनिश्चितमें प्रवेश — यह सब क्षणभरके लिये अखरा। किन्तु मैं तो अनिश्चित जीवनका आदी हो चुका था। अिस संसारमें, जहाँ अीश्वरके या सत्यके सिवाय और कुछ भी निश्चित नहीं है, वहाँ निश्चितताका विचार करना ही दोषमय प्रतीत होता है।

हमारे आसपास यह जो सब दीखता और होता है, सो सब अनिश्चित है, क्षणिक है; अुसमें निश्चयरूपसे जो अेक परमतत्त्व छिपा हुआ है, अुसकी तनिक-सी झाँकी हो, अुस पर श्रद्धा बनी रहे, अिसीमें जीवनकी सार्थकता है। अुस तत्त्वकी खोजमें ही परम पुरुषार्थ है।

यह नहीं कहा जा सकता कि मैं डरबन अेक दिन भी पहले पहुँचा था। मेरे लिये वहाँ काम तैयार ही था। मि० चेम्बरलेनके पास डेप्युटेशनके जानेकी तारीख निश्चित हो चुकी थी। मुझे अुनके समक्ष पढ़नेके लिये अेक प्रार्थना-पत्र तैयार करना था और डेप्युटेशनके साथ जाना था।

६९

नातालमें

मि० चेम्बरलेन दक्षिण अफ्रीकासे साढ़े तीन करोड़ पाँड लेने आये थे। वे अंग्रेजोंका और संभव हो, तो बोअरोंका मन हरण करने आये थे। जिस कारण हिन्दुस्तानी प्रतिनिधियोंको सूखा जवाब मिला।

‘आप जानते हैं कि जिम्मेदार अपनिवेशों पर बड़ी सरकारका अंकुश नाम-मात्रका ही है। आपकी शिकायत तो सच्ची मालूम होती है। मैं अपनी शक्तिभर यत्न कहूँगा। लेकिन आपको, जिस तरह आपसे वन पड़े उस तरह, यहाँके गोरोंको राजी रखकर रहना है।’

प्रतिनिधि उत्तर सुनकर ठंडेगार हो गये। मैंने हाथ धो डाले। मुझे ऐसा लगा कि ‘जब जागे तभी सवेरा’ समझकर फिरसे ककहरा घोटना होगा। सायियोंको समझाया।

मि० चेम्बरलेन ट्रान्सवालके लिये रवाना हुये। मुझे वहाँका केस तैयार करके पेश करना था। प्रिटोरिया किस तरह पहुँचा जाय?

लड़ाईके बाद ट्रान्सवाल वीरान-सा हो गया था। खाने-पीनेको अनाज न था; पहनने-ओढ़नेको कपड़े न थे। जैसे-जैसे माल अिकट्ठा होता जाता था, वैसे-वैसे ही घरवार छोड़कर भागे हुये लोगोंको वापस आने दिया जाता था। जिसके कारण हरअेक ट्रान्सवाल-वासीको पास लेना पड़ता था। गोरोंको तो यह पास माँगे ही मिल जाता था, हिन्दुस्तानियोंके लिये मुश्किल थी।

जिस समय मैं वहाँ पहुँचा, अेशियावासियोंके लिये नया विभाग खुल चुका था। वह धीमे-धीमे अपना जाल फैला रहा था। हिन्दुस्तानी आदमी जिस विभागके नाम अर्जी भेजता। फिर कवी-दिनों बाद

अुसे जवाव मिलता। ट्रान्सवाल जानेके अिच्छुक बहुतेरे थे। अतअेव अुनके लअे दलाल खड़े हो गये। अिन दलालों और अफ़सरोके बीच शरीव अिन्दुस्तानियोंके हज़ारों रुपये लुट गये। मुझेसे कहा गया था कि अिना वसीलेके परवानेकी अिजाज़त मिलती ही नहीं, और कभी-कभी तो वसीलेके रहते भी फ़ी आदमी १००-१०० पौण्ड तक खर्च होता है। अिसमें मेरा पता कहाँ लगता?

मैं अपने पुराने मित्र डरवनके पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्टके पास पहुँचा। अुसने मेरे नामका परवाना जारी कर दिया। मैं प्रिटोरियाके लअे रवाना हुआ।

प्रिटोरिया पहुँचा। अर्जी तैयार की। यहाँ प्रतिनिधियोंके नाम पहलेसे पूछे गये। प्रिटोरियाके अिन्दुस्तानियोंको पता चल गया था, कि अिसमें हेतु मुझे अलग रखनेका था।

६६

ट्रान्सवालमें

नये विभागके अधिकारी समझ न सके कि मैं ट्रान्सवालमें दाखिल किस तरह हुआ। शांति-रक्षाका कानून यह था कि जो अिना परवानेके दाखिल हो, अुसे गिरफ़्तार किया जाय और क़ैदकी सज़ा दी जाय। अिस धाराके अनुसार मुझे गिरफ़्तार करनेकी चर्चाअें चलीं। लेकिन मुझेसे परवाना माँगनेकी किसीकी अिम्मत न पड़ी। जब अधिकारियोंको मालूम हुआ कि मैं परवानेके साथ दाखिल हुआ हूँ, तब अुन्हें निराशा हुआ।

मुझे अिस विभागके अधिकारीसे मिलनेका संदेश मिला। मेरे नाम कोअी पत्र नहीं आया था। अग्रगण्य अिन्दुस्तानियोंको वहाँ निरन्तर जाना पड़ता था। अिस अधिकारीने तैय्यब सेठसे मेरे बारेमें पूछा। सेठके जवावसे साहब नाराज़ हुअे और हुक्म किया—‘गांधीको मेरे पास लाना।’

मैं तैय्यव सेठ वर्गाराके साथ गया। हम सब खड़े रहे। साहवने मुझेसे साफ़ साफ़ कह दिया —

‘आप यहाँके निवासी नहीं माने जा सकते। आपको तो वापस जाना होगा। आप मि० चेम्बरलेनके पास भी नहीं जा सकते। यहाँके हिन्दुस्तानियोंकी रक्षा करनेके लिये तो हमारा विभाग विशेष रूपसे खोला गया है। अच्छा, जाइये।’

साहवने मुझे जवाब देनेका समय ही नहीं दिया। दूसरे साथियोंको रोका। अन्हें धमकाया और सलाह दी कि वे मुझे ट्रान्सवालसे विदा कर दें।

साथी कसैला मुँह लेकर बाहर आये। जिस प्रकार हमारे सामने अचानक ही एक नयी समस्या खड़ी हो गयी।

मुझे जिस अपमानसे बहुत दुःख हुआ। लेकिन पहले जिस प्रकारके अपमान सहन कर चुका था, जिसलिये मैं पक्का हो रहा था। फलतः मैंने यह निश्चय किया कि अपमानकी परवाह न करके तटस्थ भावसे मुझे जो कर्तव्य सूझे, मैं कहूँ।

अुक्त अधिकारीकी सहीसे एक पत्र आया। उसमें लिखा था कि मि० चेम्बरलेन डरवनमें मि० गांधीसे मिल चुके हैं, जिसलिये अब अुनका नाम प्रतिनिधियोंमें से निकाल डालनेकी जरूरत है।

साथियोंको यह पत्र असह्य मालूम हुआ। अुन्होंने डेप्युटेशनके विचारको छोड़ देनेकी जिच्छा प्रकट की। मैंने अुन्हें क्रीमकी नाजुक हालत बतायी। मुझे क्रीमकी मर्यादाका अनुभव था। जिसलिये मैंने साथियोंको शांत किया और मेरे बदले ज्यॉर्ज गाँडफ्रेको, जो हिन्दुस्तानी बैरिस्टर थे, ले जानेकी सलाह दी।

लेकिन जिससे क्रीमका और मेरा काम बढ़ा। मुझे ताना देकर कहनेवाले लोग भी मिले कि — ‘आपके कहनेसे क्रीमने लड़ाईमें हाथ वँटाया, लेकिन उसका परिणाम तो यही निकला न?’

मुझ पर जिसका कोबी असर न हुआ। मैंने कहा — ‘बीती बातोंका विचार करनेकी अपेक्षा यह सोचना अधिक अच्छा है कि अब हमारा कर्तव्य क्या है। सच पूछो तो जिस कामके लिये मुझे बुलाया था,

वह तो अब पूरा हुआ माना जा सकता है। लेकिन मैं मानता हूँ कि आपकी ओरसे अनुमति मिल जाने पर भी मैं अब ट्रान्सवालसे न हटूँगा। अब मेरा काम नातालसे नहीं, बल्कि यहाँसे चलना चाहिये। मुझे अेक वर्षके अन्दर वापस जानेका विचार छोड़ देना चाहिये और यहाँ वकालतकी सनद हासिल करनी चाहिये। अिस नये विभागका सफलतापूर्वक सामना करनेकी हिम्मत मुझमें है। अगर अिसका अैसा सामना न किया गया, तो क्राँम लुट जायगी और शायद यहाँसे क्राँमका पैर अुखड़ जायगा।

अिस तरह मैंने चर्चा चलायी। प्रिटोरिया और जोहानिसबर्गमें रहनेवाले हिन्दुस्तानी अगुओंके साथ सलाह करके अाखिर जोहानिसबर्गमें ऑफिस रखनेका निश्चय किया। मुझे सनद मिली। ऑफिसके लिअे मकान अच्छी जगहमें प्राप्त किया, और वकालत शुरू की।

६७

बढ़ती हुई त्यागवृत्ति

आज तक कुछ-न-कुछ द्रव्य अेकत्र करनेकी अिच्छा रहती थी। परमार्थके साथ स्वार्थका मिश्रण था।

जब बम्बयीमें ऑफिस खोला, तो अेक अमेरिकन बीमा-दलाल मिलने आया था। अुसने मुझसे भावी कल्याणकी बातें कीं। अुस समय तक मैंने दक्षिण अफ्रीकामें और हिन्दुस्तानमें बहुतसे दलालोंको दाद नहीँ दी थी। मेरा खयाल यह था कि बीमा करानेमें कुछ-न-कुछ भीस्ता और अीश्वरके प्रति अविश्वास है। किन्तु अिस बार मैं ललचाया। मैंने दस हज़ार रुपयोंकी पॉलिसी करवायी।

किन्तु दक्षिण अफ्रीकाकी मेरी बदली हुई परिस्थितिने मेरे विचार बदल डाले। दक्षिण अफ्रीकाकी नयी आपत्तिके समयमें मैंने जितने भी कदम अुठाये, सब अीश्वरको साक्षी रखकर ही अुठाये थे। मुझे विलकुल ही अन्दाज़ न था कि दक्षिण अफ्रीकामेरा कितना समय बीतेगा।

मुझे लगता था कि मैं वापस हिन्दुस्तान नहीं जा पाऊंगा। मुझे बाल-बच्चोंको अपने साथ ही रखना चाहिये। अब युनका वियोग होना ही न चाहिये। युनके मरण-शोषणका प्रवन्ध भी दक्षिण अफ्रीकामें ही होना चाहिये। जिस प्रकार विचार करनेके साथ ही मुझे अपनी वह पॉलिमी दुःखद प्रतीत हुई। बीमा-दलालके जालमें फँसनेके लिये मैं लज्जित हुआ। 'तूने यह कैसे मान लिया कि भाभी अगर वापके समान हैं, तो वे छोटे भाभीकी विधवाको भार-स्वरूप मानेंगे? यह भी क्यों सोचा कि तू ही पहले मरेगा? पालन करनेवाला तो बीश्वर ही है; न तू है और न भाभी। बीमा करवाकर तूने अपने बाल-बच्चोंको भी पराधीन बनाया। वे स्वावलम्बी क्यों न बनें? असंख्य गरीबोंके बाल-बच्चोंका क्या होता है? तू अपनेको युनके समान क्यों नहीं मानता?'

जिस प्रकार विचार-प्रवाह चला। जिस पर अमल एक-एक नहीं किया था। मुझे याद पड़ता है कि एक किस्त तो दक्षिण अफ्रीकासे भी भेजी थी।

किन्तु जिस विचार-प्रवाहको बाहरका अुत्तेजन प्राप्त हुआ। दक्षिण अफ्रीकाकी अपनी पहली यात्रामें ख्रिस्ती वातावरणके बीच पहुँचकर मैं धर्मके बारेमें जाग्रत रहा था। जिस वार थियोसॉफीके वातावरणमें रहा। मि० रीच थियोसॉफिस्ट थे। युन्होंने मेरा संपर्क जोहानिसबर्गकी सोसायटीसे करा दिया। मैं उसका सदस्य तो बना ही नहीं, फिर भी मैं प्रायः प्रत्येक थियोसॉफिस्टके गाढ़ संपर्कमें आया। युनके साथ रोज धर्म-चर्चा होती। थियोसॉफीमें भ्रातृभाव पैदा करना और बढ़ाना मुख्य चीज है। हम जिस विषयकी खूब चर्चा करते थे। जहाँ मुझे सदस्योंके विश्वास और आचरणमें भेद नजर आता, वहाँ मैं टीका भी करता था। जिस टीकाका प्रभाव मेरे अपने ऊपर काफ़ी अच्छा हुआ। मैं आत्म-निरीक्षण करने लग गया।

निरीक्षणका परिणाम

यियोसॉफिस्ट मित्र मुझे अपने मंडलमें खींचना अवश्य चाहते थे। किन्तु अँसा करके वे हिन्दूके नाते मुझसे कुछ पानेकी जिच्छा रखते थे। यियोसॉफीकी पुस्तकोंमें हिन्दूधर्मकी छाया और छाप तो पुष्कल है ही; जिसलिअे अिन भाजियोंने माना कि मैं अुनकी मदद कर सकूँगा। मैंने हिन्दू-अुन्हें समझाया कि संस्कृतका मेरा अभ्यास नहींके वरावर है। मैंने हिन्दू-धर्मके प्राचीन ग्रंथ संस्कृतम पढ़े नहीं हैं। भाषान्तरके द्वारा भी मेरा वाचन कम ही हुआ है। किन्तु वहाँ मेरी हालत 'जहाँ झाड़ नहीं, तहाँ अेरण्ड ही झाड़' जैसी बन गयी। किसीके साथ विवेकानन्दका 'राजयोग' पढ़ना शुरू किया, तो किसीके साथ मणिलाल नभूभाजीका। अेक मित्रके साथ 'पातंजल योगदर्शन' पढ़ना पड़ा। कअियोंके साथ गीताका अभ्यास शुरू हुआ। 'जिजासु-मंडल' के नामसे अेक छोटा-सा मंडल भी स्थापित किया, और नियमित अभ्यास शुरू हुआ। गीताके प्रति मेरा प्रेम और श्रद्धा तो थी ही। अब अुसमें गहरे पैठनेकी आवश्यकता अनुभव की। मेरे पास अेक-दो अनुवाद थे। अुनकी मददसे मूल संस्कृत समझ लेनेका प्रयत्न किया और प्रतिदिन अेक अथवा दो श्लोक कंठ करनेका निश्चय किया। सुवह दतौन और स्नानके समयका अुपयोग मैंने कंठ करनेके लिये किया। दतौनमें पंद्रह मिनट और स्नानमें बीस मिनट बीतते थे। दतौन अंग्रेजी ढंगसे खड़े-खड़े करता था। सामनेकी दीवार पर गीताके श्लोक लिखकर लटका देता और अुन्हें आवश्यकतानुसार देखता और रटा करता था। जिस तरह रटे हुअे श्लोक वादमें स्नानसे निपटते समय तक पक्के हो जाते। जिस बीच पिछले श्लोकोंका नित्य अेक पाठ हो जाता। जिस प्रकार मुझे याद है कि मैंने तेरह अध्याय तक गीता कंठाग्र कर ली थी। मेरे लिये गीताकी पुस्तक आचारकी अेक प्रौढ़ मार्ग-दर्शक पुस्तक बन गयी। जिस पुस्तकने मेरे वार्षिक कोशका काम किया। जिस प्रकार

अपरिचित अंग्रेजी शब्दके हिज्जों अथवा अुसके अर्थके लिखे में अंग्रेजी शब्द-कोश टटोलता था, अुसी प्रकार आचार-विषयक कठिनाधियों और अुसकी अटपटी पहेलियोंको मैं गीताजीकी मददसे सुलझाता था। अपरिग्रह, समभाव आदि शब्दोंने मुझे वाँव लिया। समभाव कैसे बढ़ाना, कैसे अुसकी रक्षा करना? अपमान करनेवाले अधिकारियों, रिश्वत लेनेवाले अधिकारियों, व्यर्थका विरोध करनेवालों, और कल तकके साथियों आदिके साथ ही जिन्होंने ज़बरदस्त अुपकार किया है, अैसे सज्जनोंके बीच भेद न करनेका अर्थ क्या? अपरिग्रहका पालन किस प्रकार होता होगा? देह अपने आपमें कौन कम परिग्रह है? स्त्री-पुत्रादि परिग्रह नहीं तो और क्या है? पुस्तकोंके ढेरोंवाली आलमारियाँ क्या जला देनी चाहियें? घर फूँककर तीर्थ करना चाहिये? तुरन्त ही अुत्तर मिला कि घर फूँके बिना तीर्थ होता ही नहीं। अंग्रेजी क़ानूनने मदद की। स्नेलकी क़ानून-विषयक सिद्धान्तोंकी चर्चाका स्मरण हुआ। गीताजीके अभ्यासके परिणाम-स्वरूप 'ट्रस्टी' शब्दका अर्थ विशेष रूपसे समझा। क़ानूनके शास्त्रके प्रति आदर बढ़ा। अुसमें भी मैंने धर्मके दर्शन किये। गीताजीसे मैं यह समझा कि ट्रस्टीके पास करोड़ोंकी संपत्ति होने पर भी मुमुक्षुको अपना वरताव अैसा रखना चाहिये, मानो ट्रस्टकी अेक पायी भी अुसकी नहीं है। मुझे यह दीयेकी तरह साफ़ दीखा कि अपरिग्रही वननेमें, समभावी होनेमें हेतुका, हृदयका परिवर्तन आवश्यक है। रेवाशंकरभायीको लिख डाला कि बीमेकी पॉलिसी खत्म कर दें। कुछ वापस मिले तो ले लें, न मिले तो समझें कि दिये हुअे पैसे गये। बालकोंकी और स्त्रीकी रक्षा अुनका और हमारा सिरजनहार करेगा। जिस आशयका पत्र भेजा। पितृतुल्य भायीको लिखा — 'अब तक तो मेरे पास जो वचा सो आपको अर्पित किया, अब मेरी आशा छोड़ दें। अब जो वचेगा, सो यहीं क़ौमके लिखे खर्च होगा।'

मैं भायीको यह बात झट समझा न सका। पहले तो अुन्होंने मुझे कड़े शब्दोंमें, अपने प्रति मेरे धर्मका बोध कराया — 'मुझे पित्तसे अधिक चतुर न बनना चाहिये। जिस तरह पित्ताने परिवारका पोषण किया, अुस तरह मुझे भी करना चाहिये।' वगैरा। मैंने अुत्तरमें विनयपूर्वक लिखा

कि मैं पिताका ही काम कर रहा हूँ। यदि परिवारके अर्थको थोड़ा व्यापक बना लें, तो मेरी बात समझमें आने-जैसी मालूम होगी। भाजीने आशा छोड़ी। लगभग अवोला-जैसा ले लिया। मुझे जिससे दुःख हुआ। लेकिन जिसे मैं धर्म समझता था, उसे छोड़नेमें कहीं अधिक दुःख होता था। मैंने हलका दुःख सहन किया। फिर भी भाजीके प्रति मेरी भक्ति निर्मल और प्रचण्ड थी। भाजीका दुःख अुनके प्रेमसे पैदा हुआ था। अुन्हें मेरे पैसेसे भी बढ़कर मेरे सदाचारकी खास जरूरत थी। अपने आखिरी दिनोंमें भाजी पसीजे। मृत्युशय्या पर पड़े-पड़े अुन्होंने अनुभव किया कि मेरा कदम ही अच्छा और धर्मानुकूल था। अुनका अत्यन्त करुणाजनक पत्र मिला। यदि पिता पुत्रसे माफ़ी माँग सकता हो, तो अुन्होंने मुझसे माँगी। मुझे लिखा कि मैं अुनके लड़कोंकी परवरिश अपने ढंगसे करूँ। मुझसे मिलनेके लिये अधीर हुआ। मुझे तार किया। मैंने तारसे जवाब दिया — 'आधिये।' लेकिन हमारा मिलाप वदा न था।

निरामिषाहारकी भेंट

जीवनमें जैसे-जैसे त्याग और सादगी बढ़ी और धर्म-जागृतिमें वृद्धि हुई, वैसे-वैसे निरामिषाहारका और अुसके प्रचारका शौक बढ़ता गया। प्रचारका काम मैंने अेक प्रकारसे ही करना जाना है — आचारसे, और आचारके साथ ही जिज्ञासुसे बातचीत करके। थियोसॉफिस्ट मंडलकी अेक महिला साहसी थी। अुसने बड़े पैमाने पर अेक निरामिषाहारी-गृह खोला। अिस महिलाको कलाका शौक था। काफ़ी खर्चीली थी और हिसाबका बहुत भान न था। शुरूमें अुसका काम छोटे पैमाने पर चला। लेकिन अुसने अुसमें वृद्धि करने और बड़ी जगह प्राप्त करनेका निश्चय किया। अिसके लिये मेरी मदद चाही। अुस समय मुझे अुसके हिसाब-किताबकी कोअी जानकारी न थी। मैंने मान लिया था कि अुसका अनुमान ठीक ही होगा। मेरे पास सुविधा थी।

कयी मुवक्किलोंकी रकममें मेरे पास रहती थीं। अूनमें से अेककी अिजाजत लेकर अुसकी रकममें से लगभग अेक हंजार पींड दिये। कोयी दो-तीन महीनोंमें ही मुझे मालूम हो गया कि ये पैसे वापस नहीं मिलेंगे। अितनी बड़ी रकम खोनेकी शक्ति मुझमें नहीं थी। मेरे पास अितने पैसोंका दूसरा अुपयोग था। पैसे वापस लीटे ही नहीं। किन्तु विश्वासू वद्रीके पैसे क्यौंकर डूवते? अुसने तो मुझीको जाना था। मैंने वे पैसे भर दिये।

अपने अेक मुवक्किल मित्रसे मैंने पैसोंकी अिस लेन-देनकी बचा की। अुन्होंने मुझे मीठा अुलाहना देते हुअे जाग्रत किया—

“भाअी, (दक्षिण अफ्रीकामें ‘महात्मा’ न बना था, ‘वापू’ भी न था। मुवक्किल मित्र मुझे ‘भाअी’ कहकर ही वुलाते थे।) यह आपका काम नहीं। हम तो आपके विश्वास पर चलनेवाले हैं। ये पैसे आपको वापस नहीं मिलेंगे। वद्रीको तो आप बचा लेंगे और अपनी गाँठके खोयेंगे। किन्तु सुधारके अैसे कामोंमें सब मुवक्किलोंके पैसे देने लगेंगे, तो मुवक्किल मर मिटेंगे। और आप भिखारी बनकर घर बैठेंगे। अिससे आपके सार्वजनिक कामको धक्का पहुँचेगा।”

अिन मुवक्किलकी चेतावनी मुझे सच्चवी लगी। वद्रीके पैसे तो मैं भर सका, लेकिन यदि अुन्हीं दिनों मैंने दूसरे हंजार पीण्ड खोये होते, तो अुनकी भरपाअी करनेकी मुझमें थोड़ी भी शक्ति न थी, और मुझे कर्जमें ही डूवना पड़ता। और कर्जका धन्वा तो मैंने अपने सारे जीवनमें कभी किया ही नहीं, और अुसके प्रति मेरे मनमें हमेशा भारी अरुचि रही है। मैंने देखा कि सुधारके लिये भी अपनी शक्तिके बाहर जाना अुचित नहीं। मैंने यह भी अनुभव किया कि अिस प्रकारके लेन-देनमें पड़ कर मैंने गीताके तटस्थ निष्काम कर्मवाले मुख्य पाठका अनादर किया है। यह भूल मेरे लिये दीपस्तम्भ बन गयी।

मेरे विविध प्रयोग

जैसे-जैसे मेरे जीवनमें सादगी बढ़ती गयी, वैसे-वैसे रोगोंके लिये दवा लेनेकी अरुचि, जो शुरूसे ही थी, बढ़ती गयी। जब मैं डरवनमें वकालत करता था, तब डॉ० प्राणजीवनदास महेता मुझे बुलाने आये थे। उन दिनों मुझे कमजोरी रहती थी और कभी-कभी सूजन भी आ जाती थी। अन्होंने जिसका अिलाज किया था और उससे मुझे आराम हुआ था। उसके बाद मुझे वापस देश लौटने तक कोअी अुल्लेख योग्य व्याधि हुअी हो, सो याद नहीं पड़ता।

किन्तु जोहानिसर्वगमें मुझे कब्ज रहती और बीच-बीचमें सिर भी दुखा करता। रेचनकी कोअी न कोअी दवा लेकर स्वास्थ्य ठीक रखता था। भोजन तो हमेशा पथ्यकारक ही करता था, लेकिन उससे मैं विलकुल व्याधि-मुक्त नहीं हुआ। मनमें यह अिच्छा वनी ही रहती थी कि रेचनसे भी छुट्टी मिले तो अच्छा हो।

मैं तीन बार पेट भरकर खाता और दोपहरकी चाय भी पीता था। मैं कभी अल्पाहारी न था। निरामिषाहारमें भी बिना मसालेके जितने स्वाद किये जा सकते थे, करता था। छः-सात बजेसे 'पहले शायद ही अुठता था। मैंने 'नो ब्रेकफास्ट अेसोसिएशन' के विषयमें पढ़ा। उस परसे मुझे लगा कि यदि मैं सबेरेका खाना छोड़ दूँ, तो सिरके दर्दसे अवश्य ही मुक्ति पा जाऊँ। मैंने सबेरेका भोजन छोड़ा। कुछ दिन तक यह कठिन तो मालूम हुआ, लेकिन सिरका दर्द सदाके लिये चला गया। उस परसे मैंने यह नतीजा निकाला कि मेरी खुराक जरूरतसे ज्यादा थी।

लेकिन जिस फेरफारसे कब्जकी शिकायत दूर नहीं हुअी। क्यूनीके कटिस्तानके अपचार किये, उनसे थोड़ा आराम हुआ। मैंने मिट्टीके अपचारके बारेमें पढ़ा, और उसका अपचार शुरू किया। मुझ पर

असका आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ा। उससे कब्जकी मेरी शिकायत विलकुल मिट गयी। जिसके बाद मैंने अपने ऊपर और अपने अनेक साथियों पर मिट्टीके अपचार आजमाये हैं, और मुझे याद नहीं पड़ता कि उनमें मैं कभी निष्फल हुआ हूँ।

देशमें आनेके बाद मैं जैसे अपचारोंके संबंधमें आत्मविश्वास खो बैठा हूँ। प्रयोग करनेका और अेक जगह स्थिर बैठनेका मुझे अवसर भी नहीं मिल पाया। फिर भी मिट्टी और पानीके अपचारोंके संबंधमें मेरी श्रद्धा जैसी शुरुमें थी, आज भी बहुत-कुछ वैसी ही है। मैं तो मानता हूँ कि मनुष्योंको दवा लेनेकी आवश्यकता क्वचित् ही होती है। पथ्य और पानी, मिट्टी अित्यादि घरेलू अपचारोंसे अेक हजारमें से नी सी निन्यानत्रे केस अच्छे हो सकते हैं।

पल-पल पर वैद, हकीम और डॉक्टरके घर दीड़नेसे और शरीरमें अनेक प्रकारके पाकों और रसायनोंकी भरनेसे मनुष्य अपने जीवनको न केवल अल्पायु बनाता है, बल्कि अपने मन परके क्रावूको खो बैठता है। फलतः वह मनुष्यत्व खोता है और शरीरका स्वामी रहनेके बदले शरीरका गुलाम बनता है।

मिट्टीके प्रयोगोंके जैसा मेरा आहारका भी प्रयोग था। उसके संबंधमें मैंने 'आरोग्य-विषयक साधारण ज्ञान' * नामक पुस्तकमें विस्तारसे लिखा है। उसमें लिखे गये अपने विचारोंमें फेरफार करनेकी आवश्यकता मैंने अनुभव नहीं की। फिर भी अपने आचारमें मैंने महत्त्वके फेरफार किये हैं।

उक्त पुस्तकके लिखनेमें — अन्य लेखनकी भाँति — केवल धर्म-भावना ही कारण रूप थी, और वही आज भी मेरे प्रत्येक कार्यमें विद्यमान है। जिसलिअे उसमें दिये गये कुछ विचारों पर मैं आज अमल नहीं कर सकता हूँ, जिससे मुझे खेद होता है और शरम मालूम होती है।

* 'आरोग्यकी कुंजी' के नामसे गांधीजीने यह पुस्तक द्वारा लिख डाली है; जिसका हिन्दी अनुवाद हमारे यहांसे प्रकाशित हो चुका है। जिसलिअे अब उसे देखना चाहिये।

— प्रकाशक

लेकिन मेरे भाग्यमें हिन्दुस्तानमें रहते हुअे अपने प्रयोगको सम्पूर्णता तक पहुँचाना बदा न था।

खाने-पीनेके साथ आत्माका कोअी संबंध नहीं। वह न खाती है, न पीती है। जो पेटमें जाता है वह नहीं, बल्कि जो वचन अन्दरसे निकलते हैं, वे हानि-लाभ पहुँचाते हैं, आदि दलीलोंको मैं जानता हूँ। अिनमें तथ्यांश है। लेकिन यहाँ तो दलीलमें अुतरे बिना मैं अपना यह दृढ़ निश्चय ही प्रकट किये देता हूँ कि जो अीश्वरसे डर कर चलना चाहता है, अैसे साधक और मुमुक्षुके लिअे अपने आहारका चुनाव — त्याग और स्वीकार — अुतना ही आवश्यक है, जितना विचार और वाणीका त्याग और स्वीकार आवश्यक है।

७१

बलवानके साथ मुठभेड़

अेशियाअी अधिकारियोंका बड़े-से-बड़ा केन्द्र जोहानिसबर्गमें था। अिस केन्द्रमें हिन्दुस्तानी, चीनी आदिका रक्षण नहीं, बल्कि भक्षण होता था, यह मुझे साफ़ दीख रहा था। मेरे पास रोज़ शिकायतें आतीं — 'हकदार दाखिल नहीं हो सकते और वगैर हक़वाले सौ-सौ पौण्ड देकर चले आ रहे हैं। अगर आप अिसका अिलाज न करेंगे, तो और कौन करेगा?' मेरी अपनी भी यही भावना थी। यदि यह सड़ाँध दूर न हुअी, तो मेरा ट्रान्सवालमें बसना व्यर्थ ही कहा जायगा।

मैं प्रमाण अेकत्र करने लगा। जब मेरे पास प्रमाणोंका अच्छा-सा संग्रह हो गया, तो मैं पुलिस-कमिश्नरके पास पहुँचा। अुसने मेरी बात धीरजसे सुनी और प्रमाण प्रस्तुत करनेको कहा। स्वयं ही साक्षियोंकी जाँच की। अुसे विश्वास हो गया, किन्तु मेरी तरह वह भी जानता था कि दक्षिण अफ्रीकामें गोरे पंचोंसे गोरे गुनहगारको दण्डित कराना कठिन था। फिर भी वह कार्रवाअी करनेके लिअे तैयार हुअा।

दो अधिकारियोंके वारंमे ज़रा भी शक न था, जिसलिये उन दोके नाम वारण्ट जारी हुये, मुक़दमा चला। सबूत भी अच्छे मिले। फिर भी दोनों छुट गये!

मैं बहुत निराश हुआ। पुलिस-कमिश्नरको भी दुःख हुआ। मुझे वकीलके धंधेसे अरुचि उत्पन्न हो गयी। पर यह देखकर कि बुद्धिका उपयोग दोपको छिपानेमें किया जा रहा है, मुझे बुद्धि ही अप्रिय लगने लगी।

दोनों अधिकारियोंका अपराध अितना प्रसिद्ध हो चुका था कि उनके बरी हो जाने पर भी सरकार अन्हें निवाह तो संकी ही नहीं। दोनों बरखास्त किये गये और बेनियायी केन्द्र कुछ स्वच्छ बना। अब क्रीमको तसल्ली हुयी और हिम्मत भी आयी।

मेरी प्रतिष्ठा बढ़ी। मेरा धंधा भी बढ़ा। क्रीमके जो सैकड़ों पीण्ड हर महीने रिश्वत ही में खर्च होते थे, उनमें से बहुतसे बचे। जो अप्रामाणिक थे, वे तो अभी भी अपनी चराबी जारी रखे हुये थे। किन्तु जो प्रामाणिक थे, वे अपनी प्रामाणिकताकी रक्षा कर सके थे।

ये अधिकारी अितने अवम थे, फिर भी व्यक्तिगत रूपसे मेरे दिलमें उनके विरुद्ध कुछ न था। मेरे जिस स्वभावको वे जानते थे। और जब उनकी कंगाल हालतमें मुझे अन्हें मदद पहुँचानेका अवसर मिला था, तब मैंने उनकी मदद भी की थी।

जिसका असर हुआ। गोरोंके जिस वर्गके सम्पर्कमें मैं आया, वे मेरे प्रति निर्भय बनने लगे; और यद्यपि मुझे उनके विभागके विरुद्ध अक्सर लड़ना पड़ता था, तीखे शब्दोंका उपयोग करना पड़ता था, फिर भी वे मेरे साथ मीठा सम्बन्ध रखते थे। उन दिनों मुझे जिस बातका ठीक-ठीक ज्ञान नहीं था कि जिस प्रकारका व्यवहार मेरे स्वभावका अेक अंग ही था। बादमें यह बात मेरे समझमें आयी कि अैसे व्यवहारमें सत्याग्रहकी जड़ निहित है, और वह अहिंसाका अेक विशिष्ट अंग है।

मनुष्य और अुसका काम, ये दो भिन्न चीज़ें हैं। अच्छे कामोंके प्रति आदर और बुरोंके प्रति तिरस्कार होना ही चाहिये। किन्तु

अच्छे-बुरे काम करनेवालोंके प्रति हमेशा आदर अथवा दया होनी चाहिये। वैसे, समझनेमें यह चीज आसान है, फिर भी जिसका अमल कम-से-कम होता है। यही कारण है कि जिस दुनियामें जहर फैलता रहता है।

सत्यकी शोषके मूलमें जिस प्रकारकी अहिंसा मौजूद है। मैं प्रतिक्षण यह अनुभव करता रहता हूँ कि जब तक यह हाथमें न आवे तब तक सत्य मिलता ही नहीं। व्यवस्थाके विरुद्ध झगड़ा शोभा देता है, व्यवस्थापकके विरुद्ध झगड़ा करना अपने विरुद्ध करनेके समान है। क्योंकि सब अेक ही कूंचीसे चित्रित हैं, अेक ही ब्रह्माकी सन्तान हैं। व्यवस्थापकमें तो अनंत शक्तियाँ विद्यमान हैं। व्यवस्थापकका अनादर — तिरस्कार — करनेसे अुन शक्तियोंका अनादर होता है, और वैसे होनेसे व्यवस्थापकको और साथ ही दुनियाको नुकसान पहुँचता है।

७२

अेक पुण्य स्मरण

मेरे जीवनमें बार-बार अैसी घटनायें घटती ही रही हैं, कि जिनके द्वारा मैं अनेक धर्मावलम्बियों और अनेक जातियोंके गाढ़ परिचयमें आ सका हूँ। जिन सबके अनुभव परसे यह कहा जा सकता है, कि मैंने अपनी और विरानों, देशी और विदेशी, गोरों और कालों, हिन्दू और मुसलमान अथवा ख्रिस्ती, पारसी या यहूदीके बीच कभी कोई भेद नहीं किया।

मेरा हृदय अैसे किसी भेदको पहचान ही न सका। जिस चीजके मैं अपने लिये गुण नहीं मानता, क्योंकि जिस प्रकार अहिंसा, ब्रह्मचर्य अपरिग्रह आदि यमोंके विकासके लिये प्रयत्न करनेका और अु प्रयत्नके अभी तक चालू रहनेका मुझे पूरा भान है, अुस तरह जिस प्रकारके अभेदको सिद्ध करनेके लिये मैंने कोई खास प्रयत्न कि हो, अैसा मुझे याद नहीं पड़ता।

जब मैं डरवनेमें वकालत करता था, तो अक्सर मेरे मुंशी या कारकुन मेरे साथ रहते थे। उनमें हिन्दू और ख्रिस्ती थे, अथवा प्रांतकी दृष्टिसे कहूँ तो गुजराती और मद्रासी थे। मुझे याद नहीं पड़ता कि उनके वारेमें मेरे मनमें कभी भेदभाव उत्पन्न हुआ हो। अन्हें मैं अपने परिवारका अंग ही मानता था और यदि जिसमें पत्नीकी ओरसे कोशी विघ्न आता, तो मैं अुससे लड़ता था।

एक मुंशी ख्रिस्ती थे। उनके माता-पिता पंचम जातिके थे। घरकी रचना पाश्चात्य ढंगकी थी। हर कमरेमें मोरीके वदले पेशावके लिये खास वरतन रहता था। अुसे अुठानेका काम नीकरका नहीं, वल्कि हम पति-पत्नीका था। पंचम कुलमें जनमे हुआ ये मुंशी नये थे। उनका वरतन भी हमींको अुठाना था। कस्तूरवाजी दूसरे तो अुठाली थी, लेकिन अुसकी दृष्टिमें अिसे अुठाना हदसे बाहरकी बात थी। हमारे बीच कलह शुरू हुआ। मेरा अुठाना अुसे बरदाश्त न होता था और खुद अुसके लिये अुसे अुठाना भारी हो गया था।

किन्तु मैं जितना प्रेमी अुतना ही घातक पति था। मैं अपनेको अुसका शिक्षक भी मानता था। और अिस कारण अपने अन्वप्रेमके बश होकर अुसे खूब ही सताता था।

यों अुसके केवल वरतन अुठाकर ले जाने भरसे मुझे सन्तोप न हुआ। सन्तोप तो मुझे तभी हो, जब वह अुसे हँसते मुँह ले जाय। अिसलिये मैंने दो बातें अूँचे स्वरमें कहीं। मैं बड़बड़ा अुठा— 'यह कलह मेरे घरमें नहीं चलेगा।'

यह वचन तीरकी तरह चुभा।

पत्नी धधक अुठी— 'तो अपना घर अपने पास रखो, मैं यह चली।'

मैं तो अीश्वरको भूल बैठा था। दयाका अंश भी न रह गया था। मैंने हाथ पकड़ा। सीढ़ीके सामने ही बाहर निकलनेका दरवाजा था। मैं अिस गरीबिनी अवलाको पकड़कर दरवाजे तक खींच ले गया। दरवाजा आधा खोला।

आँखोंसे गंगा-जमुना वह रही थी, और कस्तूरवाजी बोली —

‘आपको तो लाज नहीं है। मुझे है। तनिक तो शरमाइये। मैं बाहर निकलकर जाऊँगी कहाँ? यहाँ माँ-बाप नहीं हैं, जो अُنके घर चली जाऊँ। मैं औरत हूँ, अिसलिये मुझे आपके घूँसे खाने होंगे। अब जरा शरमाइये और दरवाजा बन्द करिये। कोअी देख लेगा, तो दोनोंमें से किसी अेककी भी शोभा न रहेगी।’

मैंने मुँह तो लाल रखा, लेकिन साथ ही शरमिन्दा भी हुआ। दरवाजा बन्द कर लिया। यदि पत्नी मुझे नहीं छोड़ सकती थी, तो मैं भी अुसे छोड़कर कहाँ जानेको था? हमारे बीच झगड़े तो बहुत हुअे हैं, किन्तु परिणाम हमेशा मंगलकारी ही रहा है। पत्नीने अपनी अद्भुत सहनशक्तिसे विजय पाअी है।

यह घटना तो हमारे वीते युगकी है। आज न मैं मोहान्ध पति हूँ, न शिक्षक। कस्तूरवाजी चाहे तो आज मुझे धमका सकती है। आज हम कसौटी पर परखे हुअे मित्र हैं, अेक-दूसरेके प्रति निर्विकार बनकर रहते हैं। मेरी बीमारीमें विना किसी बदलेकी अिच्छा रखे मेरी सेवा-टहल करनेवाली वह सेविका है।

अूपरकी घटना सन् १८९८में घटी थी। अुस समय मैं ब्रह्मचर्यके पालनके बारेमें कुछ भी जानता न था। यह वह समय था, जब मुझे अिस बातका स्पष्ट भान न था कि पत्नी केवल सहधर्मिणी, सहचारिणी और सुख-दुःखकी साथिन है। मैं जानता हूँ कि अुन दिनों मैं यह मानकर चलता था कि वह विषयभोगका भाजन है, और पतिकी चाहे जैसी आज्ञाको पालनेके लिये पैदा हुअी है।

सन् १९०० के वर्षसे मेरे विचारोंमें गंभीर परिवर्तन हुआ। १९०६में अुनकी परिणति हुअी। जैसे-जैसे मैं निर्विकार बनता गया, वैसे-वैसे मेरी घर-गृहस्थी शांत, निर्मल और सुखी बनती गअी है, और आज भी बनती जा रही है।

अिस पुण्य स्मरणसे कोअी यह न मान बैठे कि हम आदर्श-दम्पती हैं। अथवा मेरी धर्मपत्नीमें कुछ भी दौष नहीं है। या कि

अब तो हमारे आदर्श अेक ही हैं। कस्तूरवाजीका अपना कोअी स्वतंत्र आदर्श है या नहीं, सो वह वेचारी खुद भी जानती न होगी। संभव है कि मेरे बहुतसे आचरण अुसे आज भी अच्छे न लगते हों। अिसके वारेमें हम कभी चर्चा नहीं करते, करनेमें सार नहीं। किन्तु अुसमें अेक गुण बहुत बड़ी मात्रामें है। अिच्छासे हो या अनिच्छासे, ज्ञानपूर्वक हो या अज्ञानपूर्वक, मेरे पीछे-पीछे चलनेमें अुसने अपने जीवनकी सार्थकता मानी है, और स्वच्छ जीवन वितानेके अपने प्रयत्नमें मुझे कभी रोकना नहीं है। अिस कारण, यद्यपि हमारी बुद्धि-शक्तिमें बहुत अंतर है, तो भी मुझे यह लगा है कि हमारा जीवन सन्तोपी, सुखी और अूर्ध्वगामी है।

७३

अंग्रेजोंसे परिचय — १

जब यह कथा लिखनी शुरू की थी, मेरे पास कोअी योजना तैयार न थी। अिन अध्यायोंको मैं अपने सामने कुछ पुस्तकें, डायरी या दूसरे कागज़-पत्र रखकर नहीं लिख रहा हूँ। कहा जा सकता है कि लिखनेके दिन अन्तर्यामी मुझे जिस तरह कहता है, मैं अुस तरह लिखता हूँ। जो क्रिया मेरे अन्तरमें चलती है, मैं निश्चयपूर्वक नहीं जानता कि अुसे अन्तर्यामीकी क्रिया कहा जा सकता है या नहीं। लेकिन कअी वर्षोंसे मैंने जिस प्रकार अपने बड़े-से-बड़े माने गये और छोटे-से-छोटे गिने जानेवाले कार्य किये हैं, अुसकी छानबीन करते हुअे मुझे यह कहना अनुचित प्रतीत नहीं होता कि वे अन्तर्यामीकी प्रेरणासे हुअे हैं।

अन्तर्यामीको मैंने देखा नहीं, जाना नहीं। संसारकी अीश्वर-विषयक श्रद्धाको मैंने अपनी बना लिया है। यह श्रद्धा किसी प्रकार मिटाधी नहीं जा सकती, अिसलिअे अुसे श्रद्धारूपसे पहचानना छोड़कर मैं अनुभवके रूपमें ही पहचानता हूँ। फिर भी, अिस प्रकारसे अनुभवके रूपमें अुसका परिचय देना भी सत्य पर अेक प्रकारका प्रहार करना

है, जिसलिअे कदाचित् अधिक अुचित तो यह कहना ही होगा कि शुद्ध रूपमें अुसका परिचय करानेवाला शब्द मेरे पास नहीं है।

मेरी यह मान्यता है कि अुस अदृष्ट अन्तर्यामीके वशीभूत होकर मैं यह कथा लिख रहा हूँ।

अितिहासके रूपमें आत्मकथा-मात्रकी अपूर्णता और अुसकी कठिनाअियोंके बारेमें पहले मैंने जो पढ़ा था, आज अुसका अर्थ मैं अधिक समझता हूँ। मैं यह जानता हूँ कि सत्यके प्रयोगोंकी आत्मकथामें, जितना कुछ मुझे याद है, अुतना सब मैं हरगिज नहीं दे रहा हूँ। कौन जानता है कि सत्यका दर्शन करानेके लिअे मुझे कितना देना चाहिये? अथवा न्यायमंदिरमें अेकांगी और अधूरे प्रमाणोंकी क्या क्रीमत कूती जायगी?

अिस तरह सोचने पर क्षणभरके लिअे मनमें यही विचार आता है, कि क्या अिन अध्यायोंका लेखन बन्द कर देना ही अधिक योग्य न होगा? किन्तु आखिर अिस निश्चय पर पहुँचा हूँ कि जब तक शुरू किया हुआ काम स्पष्ट रूपसे अनीतिमय प्रतीत न हो, तब तक अुसे न छोड़नेके न्यायके अनुसार ही जब तक अन्तर्यामी न रोके, तब तक अिन अध्यायोंका लेखन मुझे जारी रखना है।

यह कथा टीकाकारोंको सन्तुष्ट करनेके लिअे नहीं लिखी जा रही। सत्यके प्रयोगोंमें यह भी अेक प्रयोग ही है। साथ ही, यह दृष्टि भी है ही कि अिससे साथियोंको कुछ आश्वासन मिलेगा। अिसका आरम्भ ही अुनके सन्तोषके लिअे है।

अिस प्रकार मैंने हिन्दुस्तानी कारकुनों और दूसरोंको अपने कुटुम्बियोंकी तरह रखा था, अुसी प्रकार मैं अंग्रेजोंको भी रखने लगा। मेरा यह व्यवहार मेरे साथ रहनेवाले सब लोगोंके लिअे अनुकूल न था। कुछ सम्बन्धोंके कड़ुअे अनुभव भी प्राप्त हुए। किन्तु अैसे अनुभव तो देशी-विदेशी दोनोंके निमित्तसे हुए। कड़ुअे अनुभवोंके लिअे मुझे पश्चात्ताप नहीं हुआ। कड़ुअे अनुभवोंके रहते भी, और यह जानते हुए भी कि मित्रोंको असुविधा होती है और सहन करना पड़ता है, मैंने अपनी आदत नहीं बदली, और मित्रोंने अुसे अुदारतापूर्वक सहन

किया है। मेरा अपना विश्वास यह है कि आस्तिक मनुष्योंमें, जो अपनेमें विद्यमान अश्वरको सबमें देखा चाहते हैं, सबके साथ अलिप्त होकर रहनेकी शक्ति आनी चाहिये। और अंसी शक्ति तभी विकसित की जा सकती है, कि जब जहाँ-जहाँ अनखोजे अवसर आवें, वहाँ-वहाँ अतसे दूर न भागकर मात्र नये-नये सम्पर्क स्थापित किये जायें, और वैसा करते हुअे भी राग-द्वेष-रहित रहा जाय।

असलिये जब बोअर-ब्रिटिश-युद्ध शुरू हुआ, तब अपना घर भरा हुआ होते हुअे भी मैंने जोहानिसवर्गसे आये हुअे दो अंग्रेजोंको अपने यहाँ टिकाया। दोनों थियोसॉफिस्ट थे। अिन मित्रोंके सहवासने भी धर्मपत्नीको तो खलाया ही था। मेरे निमित्तसे अुसके वींटे रोनेके अवसर तो अंनेक आये हैं। यद्यपि मुझे याद है कि अिन मित्रोंको रखनेमें कुछ कठिनाअियाँ खड़ी हुअी थीं, फिर भी मैं यह अवश्य कह सकता हूँ कि दोनों व्यक्ति घरके दूसरे लोगोंके साथ हिलमिल गये थे।

७४

अंग्रेजोंसे परिचय - २

अेक बार जोहानिसवर्गमें मेरे पास चार हिन्दुस्तानी कारकुन हो गये थे। मैं नहीं कह सकता कि अुन्हें कारकुन मानूँ या वेटे। किन्तु अिससे मेरा काम न सवा। टार्जिपिंगके अिना तो काम चल ही न सकता था। टार्जिपिंगका जो थोड़ा भी ज्ञान था, सो अेक मुझे ही था। अिन चार नौजवानोंमें से दोको टार्जिपिंग सिखाया, किन्तु अंग्रेजीका ज्ञान कम होनेसे अुनका टार्जिपिंग कभी अच्छा न हो सका। फिर अिन्हींमें से मुझे हिसाबनवीस भी तैयार करने थे। नातालसे अपनी अिच्छानुसार किसीको बुला न सकता था, क्योंकि वगैर परवानेके कोअी हिन्दुस्तानी दाखिल हो ही न पाता था। और अपनी सुविधाके लिये, मैं अधिकारियोंसे मेहरवानीकी भीख माँगनेको तैयार न था।

मैं सोचमें पड़ा। काम अितना बढ़ गया कि कितनी भी मेहनत क्यों न की जाय, मेरे लिये यह संभव न रहा कि मैं वकालत और सार्वजनिक सेवा दोनोंको ठीकसे कर सकूँ।

कारकुनीके लिये अंग्रेज़ स्त्री-पुरुषोंके मिलने पर भी मैं अुन्हें न रखूँ, अैसी कोअी बात न थी। अेक टाइपराइटिंग अेजण्टके द्वारा मुझे मिस डिक नामकी अेक स्कॉच कुमारिका मिल गअी। यह महिला हाल ही स्कॉटलैंडसे आअी थी। अुसे तुरन्त काम पर लगना था। हिन्दुस्तानीके अधीन काम करनेमें अुसे कोअी आपत्ति न थी। वह तुरन्त काम पर आने लगी।

अुसने केवल मेरे कारकुनका ही नहीं, बल्कि मैं यह मानता हूँ, कि सगी लड़की या बहनका पद तुरन्त ही आसानीसे ले लिया। मुझे शायद ही कभी अुसके काममें कोअी गलती निकालनी पड़ी हो। अेक समय अैसा था, जब हजारों पौंडका व्यवहार अुसके हाथमें था, और वह हिसाब-किताब भी रखने लग गअी थी। अुसने तो सम्पूर्ण रूपसे मेरा विश्वास सम्पादन कर लिया था। लेकिन मेरे मन बड़ी बात यह थी कि मैं अुसकी गुह्यतम भावनाओंको जानने जितना अुसका विश्वास सम्पादन कर सका था। अपना साथी पसन्द करनेमें अुसने मेरी सलाह ली। कन्यादान देनेका सौभाग्य मुझीको प्राप्त हुआ। विवाह हो जाने पर अुसने मेरा काम छोड़ दिया।

ऑफिसमें अेक शॉर्टहैण्ड राइटरकी जरूरत तो बराबर रहती ही थी। अेक महिला अिसके लिये भी मिल गअी। नाम था, मिस श्लेशिन। जब वह मेरे पास आअी, अुसकी अुमर कोअी सत्रह सालकी रही होगी। अुसकी कुछ विचित्रताओंसे मि० कैलनवैक और मैं दोनों हार जाते। वह नौकरी करनेके अिरादेसे नहीं आअी थी। अुसे तो अनुभव कमाने थे। अुसके स्वभावमें कहीं रंग-द्वेष तो था ही नहीं। किसीका भी अपमान करनेसे डरती न थी, और अपने मनमें अिसके बारेमें जो विचार आते, सो कहनेमें संकोच न रखती थी। अपने अिस स्वभावके कारण वह कभी-कभी मुझे परेशानीमें डाल देती, लेकिन अुसका सरल और शुद्ध स्वभाव सारी परेशानी दूर कर देता।

अुसकी त्यागवृत्तिका पार न था। अुसने अेक लम्बे समय तक तो मुझे सिर्फ छः पाँड लिये, और दस पाँडसे अधिक लेनेसे तो अुसने अन्त तक साफ़ अिनकार ही किया। जब मैं अधिक लेनेको कहता, तो वह मुझे धमकाती और कहती — 'मैं वेतनके लिअे नहीं रही हूँ। मुझे तो आपके साथ यह काम करना अच्छा लगता है। और आपके आदर्श मुझे पसन्द हैं, अिसलिअे मैं टिकी हूँ।'

जैसी अुसकी त्यागवृत्ति तीव्र थी, वैसी ही अुसकी हिम्मत भी थी। मुझे स्फटिकमणि-सी पवित्रतावाली और क्षत्रियको भी चौंधियानेवाली वीरतासे युक्त जिन महिलाओंके सम्पर्कमें आनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ है, अुनमें से अेक मैं अिस वालाको मानता हूँ।

काम करनेमें अुसने रात या दिनका कोअी भेद कभी जाना नहीं। जब हम सब जेलमें थे, शायद ही कोअी जिम्मेदार आदमी बाहर रहा था, तब वह अकेली समूची लड़ाअीको सँभाले हुअे थी। स्थिति यह थी कि लाखोंका हिसाब अुसके हाथमें, सारा पत्र-व्यवहार अुसके हाथमें, और 'अिण्डियन ओपीनियन' भी अुसके हाथमें। फिर भी वह थकना जानती न थी।

अिडियन ओपीनियन

जिसी अरसेमें श्री मदनजीतने 'अिडियन ओपीनियन' अखवार निकालनेका विचार किया। मेरी सलाह और सहायता माँगी। छापा-खाना तो वे चला ही रहे थे। अखवार निकालनेके विचारसे मैं सहमत हुआ। सन् १९०४ में जिस अखवारका जन्म हुआ। मनसुखलाल नाजर सम्पादक बने। किन्तु सम्पादनका असल बोझ मुझ पर ही पड़ा। मेरे भाग्यमें प्रायः हमेशा दूरसे ही अखवारकी व्यवस्था सँभालनेका योग रहा है।

यह अखवार साप्ताहिक था। मैंने यह न सोचा था कि जिसमें मुझे कुछ पैसे डालने होंगे। लेकिन कुछ ही समयमें मैंने देखा कि अगर मैं पैसे न दूँ, तो अखवार चले ही नहीं। मैं अुसमें पैसे अुँडेलता गया। मुझे अैसे समयकी याद है, जब मुझको हर महीने ७५ पाँड़ भेजने पड़ते थे।

किन्तु अितने वर्षोंके बाद मुझे लगता है कि जिस अखवारने क्रौमकी अच्छी सेवा की है। जिससे धन कमानेका अिरादा तो शुरूसे ही किसीका न था।

जब तक वह मेरे अधीन था, अुसमें किये गये परिवर्तन मेरे जीवनमें हुअे परिवर्तनोंके द्योतक थे। अुसमें मैं प्रतिसप्ताह अपनी आत्मा अुँडेलता था, और जिसे मैं सत्याग्रहके रूपमें पहचानता था, अुसे समझानेका प्रयत्न करता था। जेलके समयोंको छोड़कर दस वर्षोंके, अर्थात् सन् १९१४ तकके 'अिडियन ओपीनियन' के शायद ही कोअी अंक अैसे होंगे, जिनमें मैंने कुछ न लिखा हो। जिसमें मैंने अेक भी शब्द बिना विचारे, बिना तौले लिखा हो, या किसीको केवल खुश करनेके लिये लिखा हो, अथवा जानबूझकर अतिशयोक्ति की हो,

वैसी कोयी चीज मुझे याद नहीं पड़ती। मेरे लिये यह अन्त्रवार संयमकी तालीम सिद्ध हुआ था। उसके बिना मत्प्राग्रहकी लड़ायी चल न सकती।

जिस अन्त्रवारके जरिये मैं मनुष्यके रंग-विरंगी स्वभावको बहुत-कुछ जान पाया। सम्पादक और ग्राहकके बीच निकटका और स्वच्छ सम्बन्ध स्थापित करनेकी ही धारणा होनेसे मेरे पास हृदय अंडैलनेवाले पत्रोंका ढेर लग जाता। अन्हें पढ़ना, अउन पर विचार करना, अउनमें से विचारोंका सार लेकर अउत्तर देना, यह सब मेरे लिये शिक्षाका अुत्तम साधन बन गया था। मैं सम्पादकके दायित्वको भली-भाँति समझने लगा, और मुझे क्रीमके लोगों पर जो प्रभुत्व प्राप्त हुआ, अउसके कारण भविष्यमें होनेवाली लड़ायी हो सकी, शोभित हुयी और अउसे शक्ति मिली।

‘ब्रिडियन ओपीनियन’ के पहले महीनेके कारवारसे ही मैं जिस परिणाम पर पहुँच गया कि समाचारपत्र सेवाभावसे ही चलाने चाहिये। समाचारपत्र अेक अवरदस्त शक्ति है। किन्तु जिस प्रकार निरंकुश पानीका प्रवाह गाँवके गाँव डुवोता और फसलको नष्ट करता है, अउसी प्रकार निरंकुश कलमका प्रवाह भी नाशकी सृष्टि करता है। यदि वैसा अंकुश बाहरसे आता है, तो वह निरंकुशतासे भी अधिक विषैला सिद्ध होता है। अंकुश अन्दरका ही लाभदायक हो सकता है।

‘कुली लोकेशन’

हिन्दुस्तानमें हम अपनी बड़ी-से-बड़ी समाज-सेवा करनेवाले ढेढ़-भंगी अित्यादिको गाँवसे बाहर अलग रखते हैं। गुजरातीमें उनको वस्तीको ‘ढेढ़वाड़ा’ कहते हैं और उनका नाम लेते समय घिनाते हैं। इसी प्रकार ख्रिस्ती यूरोपमें अेक ज़माना अैसा था, जव यहूदी लोग अस्पृश्य माने जाते थे, और उनके लिये जो ‘ढेढ़वाड़ा’ बसाया जाता था, उसे ‘घेटो’ कहते थे। इसी तरह दक्षिण अफ्रीकामें हम हिन्दुस्तानी वहाँके ढेढ़ बने थे।

दक्षिण अफ्रीकामें हम ‘कुली’ के नामसे ‘मशहूर’ हैं। यहाँ तो हम ‘कुली’ शब्दका अर्थ केवल मज़दूर करते हैं। लेकिन दक्षिण अफ्रीकामें इस शब्दका जो अर्थ होता था, उसे ‘ढेढ़’, ‘पंचम’ अित्यादि तिरस्कार-वाचक शब्दों द्वारा ही सूचित किया जा सकता है। वहाँ ‘कुलियों’ के रहनेके लिये जो अलग जगह रखी जाती है, वह ‘कुली लोकेशन’ कहलाती है। जोहानिसबर्गमें अैसा अेक लोकेशन था। यहाँ निन्यानबे वर्षके लिये ज़मीन पट्टे पर दी गयी थी। अुसमें हिन्दुस्तानियोंकी आबादी अत्यन्त घनी थी। वस्ती बढ़ती थी, किन्तु लोकेशन बढ़ नहीं सकता था।

सफ़ाअीकी रक्षा करनेवाले विभागकी अक्षम्य असावधानीसे और हिन्दुस्तानी वाशिन्दोंके अज्ञानके कारण निश्चय ही आरोग्यकी दृष्टिसे लोकेशनकी स्थिति खराब थी। अुक्त विभागने अुसे नष्ट करनेका निश्चय किया, और वहाँकी धारासभासे ज़मीन पर क़ब्ज़ा करनेकी सत्ता प्राप्त की।

वहाँ रहनेवाले अपनी ज़मीनके मालिक थे, इसलिये उनको कुछ-न-कुछ नुक़सानी तो देनी ही चाहिये। नुक़सानीकी रक़म निश्चित करनेके लिये खास अदालत कायम हुयी थी।

अधिकांश दावोंमें मकान-मालिकोंने मुझे अपना वकील किया था। मुझे जिस कामसे धन पैदा करनेकी अिच्छा न थी। मैंने उनसे कह दिया था—‘आप चाहे हारें, चाहे जीतें, मुझे पट्टे पीछे १० पाँड देंगे, तो काफ़ी होगा।’ मैंने अुन्हें जताया कि जिसमें से भी आघोआघ रकम गरीबोंके लिये अस्पताल बनाने या अैसे ही किसी सार्वजनिक काममें खर्च करनेके लिये अलग रखनेका मेरा अिरादा है। यह सुनकर सब बहुत खुश हुअे।

अिन लोगोंने अपने खास दुःखोंको मिटानेके लिये स्वतंत्र हिन्दु-स्तानी व्यापारी वर्गके मंडलसे भिन्न अेक मंडलकी रचना की थी। अुसमें कुछ बहुत शुद्ध हृदयके, अुदार भावनावाले और चरित्रवान् हिन्दुस्तानी भी थे। अुनके द्वारा मैं अुत्तर-दक्षिणके अनगिनत हिन्दुस्तानियोंके गाढ़ सम्पर्कमें आया और केवल अुनका वकील ही नहीं, बल्कि भाअी बनकर भी रहा। सेठ अब्दुल्लाने मुझे गांधी नामसे पहचाननेसे अिनकार किया। अुन्होंने अेक अतिशय प्रिय नाम खोज लिया। वे मुझे ‘भाअी’ कहकर पुकारने लगे। दक्षिण अफ्रीकामें अन्त तक मेरा यही नाम रहा। लेकिन जब ये गिरमिट-मुक्त हिन्दुस्तानी मुझे ‘भाअी’ कहकर पुकारते, तो मुझको अुसमें अेक मिठास मालूम होती।

महामारी - १

अस लोकेशनकी मालिकीका पट्टा जब म्युनिसिपैलिटीने ले लिया, तो वहाँ रहनेवाले हिन्दुस्तानियोंको तुरन्त ही हटाया नहीं गया था। लेकिन दो परिवर्तन हुअे। हिन्दुस्तानी लोग मालिक न रहकर म्युनिसिपल विभागके किरायेदार बने और गन्दगी बढ़ी।

असके कारण हिन्दुस्तानियोंके दिलोंमें वेचैनी थी ही, कि अितनेमें अचानक महामारी फूट निकली। यह महामारी प्राण-घातक थी। यह फेफड़ोंकी बीमारी थी। गाँठवाली महामारीकी तुलनामें यह अधिक भयंकर मानी जाती थी। महामारीका आरंभ सोनेकी अेक खानसे हुआ था। वहाँ अधिकतर हब्बी काम करते थे। कुछ हिन्दुस्तानी भी थे। उनमें से २३ को अचानक छूत लगी और भयंकर महामारीके शिकार बनकर वे लोकेशनमें अपने घर रहने आये।

अुस समय भाजी मदनजीत 'अिण्डियन ओपीनियन' के ग्राहक बनाने और चन्दा वसूल करने आये थे। ये बीमार उनके देखनेमें आये और उनका हृदय व्यथित हुआ। अुन्होंने मुझे चिट्ठी भेजकर तुरन्त आनेको लिखा।

मदनजीतने अेक खाली मकानका ताला निघड़क तोड़ डाला, और अुसे अपने कब्जेमें लेकर अुसमें अिन बीमारोंको रखा। मैं अपनी साअिकल पर लोकेशन पहुँचा। वहाँसे टाअुन क्लार्कको हक्रीकृत भेजी।

डॉ० विलियम गॉडफ्रेको खबर मिलते ही वे दौड़े आये, और बीमारोंके डॉक्टर तथा नर्सका काम करने लगे।

अनुभवके सहारे मेरा यह विश्वास बना है कि भावना शुद्ध हो, तो संकटका सामना करनेके लिये सेवक और साधन मिल ही

जाते हैं। मेरे ऑफिसमें चार हिन्दुस्तानी थे। उन्हें कारकुन कहो, साथी कहो या पुत्र कहो, मैंने उन्हें होमनेका निश्चय किया।

शुश्रूषाकी वह रात भयानक थी। डॉक्टरकी हिम्मतने हमको निडर बना दिया। बीमारोंकी अविक सेवा-टहल हो सके, वैसी स्थिति न थी। चार नौजवानोंकी तनतोड़ मेहनत और निडरता देखकर मेरे हर्षका पार न रहा। उस रात हमने किसी बीमारको न खोया।

७८

महामारी - २

दूसरे दिन म्युनिसिपैलिटीने एक खाली गोदामका क़ब्ज़ा मुझे दिया और बीमारोंको वहाँ ले जानेकी सूचना की। हमने खुद ही उसे साफ़ किया और वहाँ एक तत्काल काम देनेवाला अस्पताल खड़ा कर दिया।

हम नर्सको क्वचित् ही बीमारोंको छूने देते थे। नर्स स्वयं छूनेको तैयार थी। लेकिन हमारी कोशिश यह थी कि उसे जोखिममें न डालें।

बीमारोंको समय-समय पर ब्रैंडी देनेकी सूचना थी। छूतसे बचनेके लिये नर्स हमें भी थोड़ी ब्रैंडी लेनेको कहती और खुद भी लेती। हममें से कोई ब्रैंडी लेनेवाला न था। डॉक्टरकी विजाज़तसे तीन बीमारों पर, जो ब्रैंडीके बिना रहनेको तैयार थे और मिट्टीके प्रयोग करने देनेको राज़ी थे, मैंने मिट्टीका प्रयोग शुरू किया, और उनके माथे और छातीमें जहाँ-जहाँ दर्द होता था वहाँ मिट्टी रखना शुरू किया। बिन तीन बीमारोंमें से दो बचे, बाक़ीके सब बीमारोंका देहान्त हो गया।

जोहानिसवर्गसे सात मील दूर संक्रामक रोगियोंका एक अस्पताल था। वहाँ तम्बू खड़े किये गये, और जो लोग महामारीकी चपेटमें आये, उन्हें वहाँ ले जानेकी व्यवस्था की गयी। हम जिस कामसे मुक्त हुये।

कुछ ही दिनोंमें अुस भली नर्सको महामारी हुआ और अुसका देहान्त हो गया। यह तो कोअी नहीं कह सकता कि वे बीमार क्योंकर बचे, और हमारे बीमारीसे मुक्त रहनेका कारण क्या हुआ। किन्तु मिट्टीके अुपचार पर मेरी श्रद्धा और दवाके रूपमें दारूके अुपयोगके बारेमें मेरी अश्रद्धा बढ़ी। मैं जानता हूँ कि यह श्रद्धा और अश्रद्धा दोनों वेवुनियाद माने जायँगे। परंतु अुस समय मुझ पर जो छाप पड़ी और जो अभी तक बनी हुआ है, अुसे मैं मिटा नहीं सकता।

अिस महामारीके शुरू होते ही मैंने अखवारमें अिसके बारेमें अेक कड़ा पत्र लिखा था। अुस पत्रकी बदौलत मुझे मि० हेनरी पोलाक मिले, और वह पत्र ही जोसेफ डोककी मुलाक़ातका अेक कारण बना।

मैं अेक निरामिष भोजन-गृहमें जीमने जाता था। वहाँ मेरा परिचय मि० आल्वर्ट वेस्टके साथ हुआ। हम हमेशा शामको अुस गृहमें अेकत्र होते और खानेके बाद साथमें घूमने निकलते।

अेक लम्बे समयसे मेरा अपना यह नियम था, कि जब आसपास महामारीकी हवा हो, पेट जितना हलका रहे अुतना ही अच्छा। अिसलिये मैंने शामका खाना बन्द कर दिया था, और दोपहरको अैसे समय पहुँचकर खा आता था, जब कि दूसरे कोअी पहुँचे न होते थे। चूँकि मैं महामारीके बीमारोंकी सेवामें लगा था, अिसलिये दूसरोंके संपर्कमें कम-से-कम आना चाहता था।

मुझे भोजन-गृहमें न देखनेके कारण दूसरे या तीसरे ही दिन सबरेके समय वेस्टने मेरे कमरेका दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खोलते ही वे बोले—

‘आपको भोजन-गृहमें न देखकर मैं तो घबरा अुठा था। अिसलिये यह सोचकर कि अिस वक्त तो आप मिल ही जायँगे, मैं यहाँ आया हूँ। मेरे कर सकने योग्य कोअी मदद हो, तो मुझसे कहिये। मैं बीमारोंकी सेवा-शुश्रूषाके लिये भी तैयार हूँ।’

मैंने कहा — 'आपको नर्सके रूपमें तो मैं कभी न लूंगा। अगर नये वीमार न निकले, तो हमारा काम अके-दो दिनमें ही पूरा हो जायगा। लेकिन अके काम अवश्य है।'

'कौनसा?'

'क्या आप डरवन पहुँचकर 'अिण्डियन ओपीनियन' के प्रेसका प्रबन्ध अपने हाथमें लेंगे?' अुन्होंने अंतिम अुत्तर शाम तक देनेको कहा।

अुसी दिन शामको थोड़ी वातचीत की। वेस्टको हर महीने १० पाँडका वेतन और छापाखानेमें कुछ मुनाफा हो, तो अुसका अमुक भाग देनेका निश्चय किया। दूसरे ही दिन रातकी मेलसे वेस्ट डरवनके लिये रवाना हुअे, और अपनी अुगाहीका काम मुझे सौंपते गये। अुस दिनसे लेकर मेरे दक्षिण अफ्रीका छोड़नेके दिन तक वे मेरे सुख-दुःखके साथी रहे।

७९

लोकेशनकी होली

लोकेशनकी स्थितिके बारेमें म्युनिसिपैलिटी भले ही लापरवाह हो, किन्तु गोरे नागरिकोंके आरोग्यके विषयमें तो वह चौबीस घण्टे जाग्रत थी। अुनके आरोग्यकी रक्षाके लिये खर्च करनेमें अुसने कोअी कसर न रखी, और अिस मीके पर महामारीको आगे बढ़नेसे रोकनेके लिये तो अुसने पानीकी तरह पैसे वहाये। अुसके अिस शुभ प्रयत्नमें मुझसे जितनी मदद वन पड़ी, मैंने दी। मैं मानता हूँ कि यदि मैंने वैसी मदद न दी होती, तो म्युनिसिपैलिटीके लिये काम मुश्किल हो जाता और कदाचित् वह बन्दूकके बलका अुपयोग करती और अपना चाहा सिद्ध करती।

लेकिन वैसा कुछ हो नहीं पाया। हिन्दुस्तानियोंके व्यवहारसे म्युनिसिपैलिटीके अधिकारी खुश हुअे। म्युनिसिपैलिटीकी माँगोंके अनुकूल बरताव करानेमें मैंने हिन्दुस्तानियों पर अपने प्रभावका पूरा-पूरा अुपयोग किया।

लोकेशनके आसपास पहरा बैठ गया। विना अिजाजत न कोअी लोकेशनके वाहर जा सकता था, न विना अिजाजत कोअी अन्दर घुस सकता था। मुझे और मेरे साथियोंको स्वतंत्रता-पूर्वक अन्दर जानेके परवाने दिये गये थे। म्युनिसिपैलिटीका अिरादा यह था कि लोकेशनमें रहनेवाले सब लोगोंको तीन हफ्तेके लिअे जोहानिसबर्गसे तेरह मील दूर अेक खुले मैदानमें तम्बू गाड़कर बसाया जाय और लोकेशनको जला डाला जाय।

लोग बहुत घबराये। लेकिन चूँकि मैं अुनके साथ था, अिसलिअे अुन्हें तसल्ली थी। अिनमें से बहुतेरे गरीब अपने पैसे अपने घरोंमें गाड़कर रखते थे। बैंकका तो वे नाम भी न जानते थे। मैं अुनका बैंक बना। अैसे समय मैं कोअी मेहनताना तो ले ही न सकता था। जैसे-तैसे मैंने अिस कामको पूरा किया। अपने बैंकके मैंनेजरसे मेरी अच्छी जान-पहचान थी। मैंने अुनसे कहा कि मुझे अुनके पास बैंकमें बहुतसी रकम जमा करनी होगी। मैंनेजरने मेरे लिअे सब प्रकारकी सुविधा कर दी। तय हुआ कि जन्तुनाशक पानीसे धोकर पैसे बैंकमें भेज दिये जायँ। लोकेशनमें रहनेवालोंको अेक स्पेशल ट्रेनमें क्लिपस्पुट फार्म पर ले गये। वहाँ अुनके लिअे सीधे-सामानकी व्यवस्था म्युनिसिपैलिटीने की। लोगोंको मानसिक दुःख हुआ। नया-नया-सा लगा। लेकिन कोअी खास तकलीफ़ अुठानी नहीं पड़ी। मैं हर रोज़ अेक बार वाअीसिकल पर वहाँ हो आता था। अिस प्रकार तीन हफ्ते खुली हवामें रहनेसे लोगोंके स्वास्थ्यमें अवश्य ही सुधार हुआ, और मानसिक दुःखको तो वे पहले चौबीस घण्टोंके अन्दर ही अन्दर भूल गये। अतअेव बादमें वे आनन्दसे रहने लगे।

जिस दिन लोकेशनको खाली किया, अुसके दूसरे दिन अुसकी होली की गयी। म्युनिसिपैलिटीने अुसकी अेक भी चीजको बचानेका लोभ न किया। अिसका परिणाम यह हुआ कि महामारी आगे बढ़ ही न पायी और शहर निर्भय बना।

अेक पुस्तकका चमत्कारिक प्रभाव

अिस महामारीने गरीब हिन्दुस्तानियों पर मेरे प्रभुत्व, मेरे धन्धे, और मेरी जिम्मेदारीको बढ़ा दिया। साथ ही युरोपियनोंके बीच मेरी बढ़ती हुअी कुछ जान-पहचान भी अितनी निकटकी होती गअी कि अुसके कारण भी मेरी नैतिक जिम्मेदारी बढ़ने लगी।

जिस तरह वेस्टसे मेरी जान-पहचान निरामिपाहारी भोजन-गृहमें हुअी, अुसी तरह पोलाककी वात बनी। अुनकी शुद्ध भावनासे मैं अुनकी और आकर्षित हुआ। पहली ही रातमें हम अेक-दूसरेकी पहचानने लगे, और जीवन-विषयक अपने विचारोंमें हमें बहुत साम्य दिखाअी पड़ा।

‘अिण्डियन ओपीनियन’का खर्च बढ़ता जाता था। वेस्टका पहला ही विवरण मुझे चींकानेवाला था। अिस काममें न व्यवस्था थी, न मुनाफ़ा था।

मैं जानता हूँ कि अिस नअी जानकारीके कारण वेस्टकी दृष्टिमें मेरी गिनती अुन लोगोंमें हुअी होगी, जो जल्दीमें दूसरोंका विश्वास कर लेते हैं। सत्यके पुजारीको तो बहुत सावधानी रखनी चाहिये। पूरे विश्वासके बिना किसीके मन पर आवश्यकतासे अधिक प्रभाव डालना भी सत्यको लांछित करना है। अिस वातको जानते हुअे भी जल्दीमें विश्वास करके काम लेनेकी अपनी प्रकृतिको मैं ठीकसे सुधार नहीं सका। अिसमें मैं हैसियतसे अधिक काम करनेके लोभका दोष देखता हूँ। अिस लोभके कारण मुझे जितना वेचैन होना पड़ा है, अुसकी अपेक्षा मेरे साथियोंको कहीं अबिक वेचैन होना पड़ा है। वेस्टका अँगा पत्र आनेसे मैं नातालके लिअे रवाना हुआ। पोलाक तो मेरी सब बातें जानने लगे ही थे। वे मुझे छोड़ने स्टेशन तक आये और यह कहकर कि ‘यह पुस्तक रास्तेमें पढ़ने योग्य है, अिसे पढ़ जाअिये, आपको पसंद आयेगी,’ अुन्होंने रस्किनकी ‘अन्टु दिस लास्ट’ मेरे हाथमें रख दी।

अस पुस्तकको हाथमें लेनेके बाद मैं छोड़ ही न सका। जिसने मुझे जकड़ लिया। ट्रेन शामको डरवन पहुँचती थी। पहुँचनेके बाद मुझे सारी रात नींद नहीं आयी। पुस्तकमें सूचित विचारोंको अमलमें लानेका अिरादा किया।

मेरा पुस्तकी ज्ञान बहुत ही कम है। जिस अनायास या बरवस पाले गये संयमसे मुझे कोअी नुकसान नहीं हुआ। किन्तु जो थोड़ी पुस्तकें पढ़ी हैं, अुन्हें मैं ठीकसे हज़म कर सका हूँ। अैसी पुस्तकोंमें जिसने मेरे जीवनमें तत्काल महत्त्वके रचनात्मक परिवर्तन कराये, वैसी तो यही अेक पुस्तक कही जा सकती है। वादमें मैंने अुसका तरजुमा किया, और वह 'सर्वोदय' के नामसे छपा।

मेरा विश्वास यह है कि जो चीज़ मेरे अन्दर गहराअीमें छिपी पड़ी थी, रस्किनके जिस ग्रन्थरत्नमें मैंने अुसका स्पष्ट प्रतिबिंब देखा, और जिस कारण अुसने मुझ पर अपना साम्राज्य जमाया, और मुझसे अुसमें दिये गये विचारोंको क्रियान्वित कराया।

मैं 'सर्वोदय' के सिद्धान्तको जिस प्रकार समझा हूँ—

१. सबकी भलाअीमें अपनी भलाअी मौजूद है।
२. वकील और नाअी दोनोंके कामकी क्रीमत अेक-सी होनी चाहिये, क्योंकि आजीविकाका हक़ सबके लिये अेक समान है।
३. सादा, मज़दूरीका, किसानका जीवन ही सच्चा जीवन है। तीसरीका मैंने विचार ही नहीं किया था। 'सर्वोदय' ने मुझे दीयेकी तरह दिखा दिया कि पहलेमें दूसरे दोनों समाये हुअे हैं। सवेरा हुआ, और मैं जिस पर अमल, करनेके प्रयत्नमें लगा।

फिनिक्सकी स्थापना

सुबह वेस्टके साथ वातचीत करके मैंने सुझाया कि 'ब्रिण्डियन ओपीनियन' को अेक खेत पर ले जाना चाहिये। वहाँ सब अपने खान-पानके लिये आवश्यक खर्च समान रूपसे लें, सब अपनी खेती करें और बाक्रीके वक्तमें 'ब्रिण्डियन ओपीनियन' का काम करें। वेस्टने बिस सुझावको स्वीकार किया।

प्रेसमें कोबी दस काम करनेवाले थे। मैंने उनसे वातचीत शुरू की। दो जने संस्थामें शामिल होनेको तैयार हुये। दूसरोंने कबूल किया कि मैं जहाँ प्रेस ले जाऊंगा, वहाँ वे आवेंगे।

तुरन्त ही मैंने डरवनसे तेरह मील और फिनिक्ससे ढाबी मील दूर अेक जमीन अेक हजार पींडमें खरीदी। वहाँ कारखाना खड़ा किया, और रहनेके घर बनाये। सगे-संबंधी आदि जो धन कमानेकी जुमंगसे दक्षिण अफ्रीका आये थे, उनको अपने मतमें मिलाने और फिनिक्समें भरती करनेकी कोशिश मैंने शुरू की। कुछ लोग समझे। उन सबमें से आज मैं मगनलाल गांधीका नाम अलगसे लेता हूँ। अपने धंधेको समेटकर जबसे वे मेरे साथ आये हैं, तबसे बराबर टिके हैं, और अपने बुद्धिबलसे, त्यागशक्तिसे तथा अनन्य भक्तिसे वे मेरे आन्तरिक प्रयोगोंके मूल साथियोंमें आज प्रधान पदके अधिकारी हैं, तथा स्वयंशिक्षित कारीगरके नाते मेरे विचारमें वे उनके बीच अद्वितीय स्थान रखते हैं।

बिस प्रकार सन् १९०४ में फिनिक्सकी स्थापना हुयी।

पोलाक

मेरे लिये यह हमेशा दुःखकी बात रही है कि फिनिक्स-जैसी संस्थाकी स्थापना करनेके बाद मैं स्वयं अुसमें बहुत ही कम रह सका। जिसकी स्थापनाके समय मेरी कल्पना यह थी कि मैं भी वहीं जा वसूंगा, अपनी आजीविका अुसमेंसे प्राप्त करूंगा, धीमे-धीमे वकालत छोड़ दूंगा, फिनिक्समें रहते हुअे जो सेवा वन पड़ेगी सो करूंगा, और फिनिक्सकी सफलताको ही सेवा समझूंगा। किन्तु जैसा सोचा था, अिन विचारोंका वैसा अमल ही न पाया। मैंने अक्सर अपने अनुभवसे यह देखा कि हम चाहते हैं कुछ, और होता कुछ और ही है। लेकिन जिसके साथ ही मैंने यह अनुभव भी किया है, कि जहाँ सत्यकी ही साधना और अुपासना होती है, वहाँ परिणाम चाहे हमारी धारणाके अनुसार न निकले, तो भी जो अनसोचा परिणाम निकलता है, वह अकुशल नहीं होता, और कभी-कभी अपेक्षासे अधिक अच्छा होता है। फिनिक्समें जो अनपेक्षित परिणाम निकले और फिनिक्सने जो अनपेक्षित स्वरूप धारण किया, वह अकुशल नहीं था, अितनी बात तो मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ।

संस्थाका काम अभी विलकुल व्यवस्थित न हो पाया था कि अितनेमें जिस नवनिर्मित परिवारको छोड़कर मैं जोहानिसवर्ग भागा। मेरी अैसी स्थिति नहीं थी कि मैं वहाँके कामको लम्बे समयके लिये छोड़ सकता।

फिनिक्ससे लौटकर मैंने पोलाकको जिस महत्त्वके परिवर्तनकी बात सुनायी। अपनी दी हुअी पुस्तकका यह परिणाम देखकर अुनके आनन्दका पार न रहा। वे भी फिनिक्स पहुँच गये।

किन्तु मैं ही अुनको लम्बे समय तक वहाँ रख न पाया। मि०रीचने विलायत जाकर कानूनकी पढ़ाई पूरी करनेका निश्चय किया। फलतः

मैंने पोलाकको सुझाया कि वे ऑफिसमें रहें और वकीलका काम करें। मैंने सोचा यह था कि अुनके वकील बन जानेके बाद आखिर हम दोनों फिनिक्स ही जा पहुँचेंगे।

ये सारी कल्पनायें खोटी ठहरीं। पोलाकको फिनिक्सका जीवन पसन्द था; किन्तु चूँकि मुझ पर अुनका विश्वास था, इसलिये मुझसे कोअी दलील न करके वे मेरे कहने पर जोहानिसवर्ग आये और मेरे ऑफिसमें वकालती कारकूनकी तरह काम करने लगे।

अिस प्रकार फिनिक्सके आदर्श तक झटपट पहुँचनेके शुभ विचारसे मैं अुसके विरोधी जीवनमें अधिकाधिक गहरा अुतरता दिखायी पड़ा; और यदि अीश्वरी संकेत भिन्न ही न होता, तो सादे जीवनके नाम पर फँलाये गये मोहजालमें मैं खुद ही फँस जाता।

८३

मित्रोंके विवाह

अब मैंने अिस बातकी आशा छोड़ दी थी कि जल्दी ही देश जाने अथवा वहाँ जाकर स्थिर होनेका अवसर मिलेगा। अिसलिये पत्नी और बच्चोंको बुलानेका निश्चय किया।

पोलाकको अपने साथ ही रहनेके लिये निमंत्रित किया, और हम सगे भाअीकी तरह रहने लगे। अिस महिलाके साथ पोलाकका विवाह हुआ, अुसके साथ अुनकी मित्रता तो पिछले कअी वर्षोंसे थी, किन्तु पोलाक थोड़े धन-संग्रहकी बाट जोह रहे थे। मैंने दलील देते हुअे कहा — 'अिसके साथ हृदयकी गाँठ बँध गअी है, मात्र धनकी कमीके कारण अुसका वियोग सहना अनुचित है। आपके हिसाबसे तो कोअी गरीब विवाह कर ही नहीं सकता। फिर, अब तो आप मेरे साथ रहते हैं, अिसलिये घरखर्चका सवाल ही नहीं अुठता। मैं तो यह अिष्ट समझता हूँ कि आप जल्दी ही अपना विवाह कर लें।' अुन्होंने मेरी दलीलको तुरन्त ही मान लिया। भावी मिसेस पोलाक तो विलायतमें

थीं। कुछ ही महीनोंमें वे विवाहके लिये जोहानिसवर्ग आ पहुँचीं। वड़े मजिस्ट्रेटके सामने अुनके विवाहकी रजिस्ट्री हुअी।

जिस समय तक ब्रह्मचर्य-विषयक मेरे विचार परिपक्व नहीं हुअे थे। जिसलिये मेरा धंधा कुँआरे मित्रोंका विवाह करा देनेका था। जब वेस्टके लिये पितृ-यात्रा करनेका समय आया, तो मैंने अुन्हें सलाह दी थी कि जहाँ तक बन पड़े वे अपना व्याह करके ही लौटें, और अुन्होंने अुस पर अमल भी किया।

जिस तरह जिन गोरे मित्रोंके व्याह करवाये, अुसी तरह हिंदुस्तानी मित्रोंको प्रोत्साहित किया, कि वे अपने परिवारोंको बुला लें। जिसके कारण फिनिक्स अेक छोटा-सा गाँव बन गया।

८४

घर और शिक्षा

डरबनमें जो घर वसाया था, अुसमें परिवर्तन तो किये ही थे। खर्च अधिक रखा था। फिर भी झुकाव सादगीकी तरफ़ था। किन्तु जोहानिसवर्गमें 'सर्वोदय' के विचारोंने अधिक परिवर्तन कराये। 'वैरिस्टरके घरमें जितनी सादगी रखी जा सकती थी अुतनी तो रखनी शुरू कर ही दी। सच्ची सादगी तो मनकी बढ़ी। हरअेक काम अपने हाथों करनेका शौक़ बढ़ा और बालकोंको भी अुसमें पलोटना शुरू किया।

बाज़ारकी रोटी खरीदनेके बदले हाथसे रोटी बनाना शुरू किया। सात पौंड खर्च करके हाथसे चलानेकी अेक चक्की खरीदी। जिस चक्कीको चलानेमें पोलाक, मैं और बालक मुख्यतः भाग लेते थे। बालकोंके लिये यह कसरत बहुत अच्छी सिद्ध हुअी।

घर साफ़ रखनेके लिये अेक नौकर था। वह कुटुम्बीजनकी तरह रहता था, और अुसके काममें बालक पूरा हाथ बँटाते थे।

मैं यह तो नहीं कहूँगा कि बालकोंके अक्षरज्ञानके प्रति मैं लापरवाह रहा, लेकिन यह ठीक है कि मैंने अुसका त्याग करनेमें संकोच न किया। अुन्हें अक्षरज्ञान करानेकी बिच्छा बहुत थी, प्रयत्न भी करता था, किन्तु जिस काममें हमेशा कोजी-न-कोजी विघ्न आ जाता। अुनके लिये घर पर दूसरी शिक्षाकी सुविधा नहीं की थी। यदि मैं अुन्हें अक्षरज्ञान करानेके लिये अेक घण्टा भी नियमित रूपसे बचा सका होता, तो मैं मानता कि अुन्हें आदर्श शिक्षा प्राप्त हुयी है। मैंने अैसा आग्रह न रखा, जिसका दुःख मुझे और अुन्हें दोनोंको रह गया है। जिस त्रुटिके लिये मुझे पश्चात्ताप नहीं; अथवा है भी, 'तो जितना ही कि मैं आदर्श पिता न बन सका। किन्तु मेरी राय यह है कि अुनके अक्षरज्ञानका होम भी मैंने, अज्ञानसे ही क्यों न हो, फिर भी सद्भावपूर्वक मानी गयी सेवाके लिये किया है। मैं यह कह सकता हूँ कि अुनके चरित्र-निर्माणके लिये जितना कुछ आवश्यक रूपसे करना चाहिये था, सो करनेमें मैंने कहीं भी त्रुटि नहीं रखी है।

८५

जूलू 'विद्रोह'

घर बसाकर बैठनेके बाद स्थिर होकर बैठना मेरे नसीबमें रहा ही नहीं। जोहानिसवर्गमें मैं कुछ स्थिर-सा होने लगा था, कि जितनेमें ही अेक अनसोची घटना घटी। खबर पढ़नेको मिली कि नातालमें जूलू 'विद्रोह' हुआ है। मुझे जूलू लोगोंसे दुश्मनी न थी। 'विद्रोह' के औचित्यके विषयमें भी मुझे शंका थी। किन्तु अुन दिनों में अंग्रेजी सल्तनतको संसारका कल्याण करनेवाली सल्तनत मानता था। मेरी वफ़ादारी हार्दिक थी। मैंने पढ़ा कि स्वयंसेवकोंकी सेना जिस विद्रोहको दवानेके लिये रवाना हो चुकी है।

संक्षिप्त आत्मकथा

मैं अपनेको नातालवासी मानता था। इस कारण मैंने गवर्नरको पत्र लिखा कि अगर जरूरत हो तो घायलोंकी सेवा करनेवाले हिन्दुस्तानियोंकी एक टुकड़ी लेकर मैं सेवाके लिये जानेको तैयार हूँ। तुरन्त ही गवर्नरका स्वीकृति-सूचक जवाब मिला। उक्त पत्र लिखनेसे पहले ही मैंने अपना प्रबंध तो कर ही लिया था। तब यह किया था, कि यदि मेरी माँग मंजूर हो जाय, तो जोहानिसवर्गके घरको अुठा देंगे, मि० पोलाक अलग घर लेकर रहेंगे, और कस्तूरवाजी फिनिक्स जाकर रहेंगी। इस योजनाको कस्तूरवाजीकी पूर्ण सम्मति प्राप्त हुआ।

डरवन पहुँचने पर मैंने चौबीस आदमियोंकी टुकड़ी तैयार की। इस टुकड़ी ने छः हफ्ते सतत सेवा की।

केन्द्र पर पहुँचनेके बाद जब हमारे हिस्से मुख्यतः जूलू घायलोंकी सुश्रूषा करनेका ही काम आया, तो मैं बहुत खुश हुआ। वहाँके डॉक्टर अधिकारीने हमारा स्वागत किया। अुसने कहा—'कोबी गोरे अिन घायलोंकी सेवा करनेके लिये तैयार नहीं होते।' वीमार हमें देखकर खुश हो गये। गोरे सिपाही हमें जखम साफ़ करनेसे रोकनेका प्रयत्न करते; हमारे न मानने पर खीझते और जूलूओंके वारेमें जैसे गन्दे शब्दोंका अुपयोग करते, अुनसे तो कानके कीड़े झड़ जाते।

धीरे-धीरे अिन सिपाहियोंके साथ भी मेरा परिचय हो गया, और अुन्होंने मुझे रोकना बन्द कर दिया। अुनमें से कोबी पेशेदार सिपाही न थे; बल्कि सब स्वयंसेवक थे।

जिन वीमारोंकी सेवा-सुश्रूषाका काम हमें सँपा गया था, अुन्हें कोबी लड़ाजीमें घायल अुअे न मानता था। अुनमें से एक हिस्सा अुन क़ैदियोंका था, जो शकमें पकड़े गये थे। जनरलने अुन्हें कोड़े खानेकी सज़ा दी थी। अिन कोड़ोंसे जो घाव पैदा अुअे थे, सार-सँभालके अभावमें वे पक गये थे। दूसरा भाग अुन लोगोंका था, जो जूलूओंके मित्र माने जाते थे। अिन मित्रोंको सिपाहियोंने भूलसे घायल किया था, यद्यपि अिन्होंने मित्रता-सूचक चिह्न पहन रखे थे।

हृदय-मंथन

‘जूलू-विद्रोह’ में मुझे बहुतसे अनुभव आये और बहुत सोचनेको भी मिला। बोअर-युद्धके समयमें मुझे लड़ाईकी मंयकरता जितनी प्रतीत नहीं हुयी थी, जितनी यहाँ प्रतीत हुयी। यहाँ लड़ाई नहीं थी, किन्तु मनुष्यका शिकार था। मुझे जिसमें रहना बहुत कठिन मालूम हुआ। लेकिन मैं सब कुछ कहुअी घूंटकी तरह पी गया, और मेरे हिस्से जो काम आया है, सो तो केवल जूलू लोगोंकी सेवाका आया है, जिस विचारके सहारे मैंने, अपनी अन्तरात्माको शांत किया।

यहाँ वस्ती बहुत कम थी। पहाड़ों और खाकियोंमें भले, सादे और जंगली माने जानेवाले जूलू लोगोंके कूवोंको छोड़कर और कुछ न था। जिस कारण दृश्य भव्य मालूम होता था। जब जिस निर्जन प्रदेशमें हम किसी घायलको लेकर अथवा यों ही मीलों पैदल जाते होते थे, तब मैं सोचमें डूब जाता था।

यहाँ ब्रह्मचर्यके बारेमें मेरे विचार परिपक्व हुये। मैंने अपने साथियोंसे भी जिसकी थोड़ी चर्चा की। मुझे अभी जिस बातका साक्षात्कार तो नहीं हुआ था, कि अश्वर-दर्शनके लिये ब्रह्मचर्य अनिवार्य वस्तु है, किन्तु मैं यह स्पष्ट देख सका था कि सेवाके लिये यह आवश्यक है। मुझे लगा कि जिस प्रकारकी सेवा तो मेरे हिस्से अधिकाधिक आती रहेगी, और यदि मैं भोगविलासमें, संतानोत्पत्तिमें और संततिके पालन-पोषणमें लगा रहूँ, तो मुझसे संपूर्ण सेवा नहीं हो सकेगी। मैं दो घोड़ों पर सवारी नहीं कर सकता। यदि पत्नी सगर्भा होती, तो मैं निश्चिन्त भावसे जिस सेवामें प्रवृत्त हो ही न सकता। ब्रह्मचर्यका पालन किये बिना परिवारकी वृद्धि करते रहना समाजके अभ्युदयके लिये किये जानेवाले मनुष्यके प्रयत्नका विरोध करनेवाली वस्तु बन जाती है। विवाहित होते हुये भी ब्रह्मचर्यका पालन किया जाय, तो परिवारकी सेवा समाज-सेवाकी

विरोधी न बने। मैं जिस प्रकारके विचार-चक्रमें फँस गया और व्रत ले लेनेके लिये कुछ अधीर भी बन गया। अिन विचारोंसे मुझे अेक प्रकारका आनन्द हुआ और मेरा अुत्साह बढ़ा। कल्पनाने सेवाके क्षेत्रको बहुत विशाल बना दिया।

फिनिक्स पहुँचकर मैंने तो व्रत ले लिया कि अबसे आगे जीवन-भर ब्रह्मचर्यका पालन करूँगा। अुस समय मैं जिस व्रतके महत्त्व और जिसकी कठिनाअियोंको पूरी तरह समझ न सका था। जिसकी कठिनाअियोंका अनुभव तो आज तक करता रहता हूँ। जिसके महत्त्वको दिन-दिन अधिकाधिक समझता जाता हूँ।

ब्रह्मचर्यका आरंभ शारीरिक अंकुशसे होता है। किन्तु शुद्ध ब्रह्मचर्यमें तो विचारकी मलिनता भी न रहनी चाहिये। संपूर्ण ब्रह्मचारीके तो स्वप्नमें भी विकारी विचार नहीं होते। और जहाँ तक विकारी सपने आते हैं, वहाँ तक यह मानना चाहिये कि ब्रह्मचर्य बहुत अपूर्ण है।

मुझे कायिक ब्रह्मचर्यके पालनमें भी महान् कष्ट सहना पड़ा है। आज यह कहा जा सकता है कि मैं अुसके विषयमें निर्भय बना हूँ। लेकिन मुझे अपने विचारों पर जो जय प्राप्त करनी चाहिये, सो मुझे मिल नहीं सकी है। मुझे नहीं लगता कि मेरे प्रयत्नमें न्यूनता रहती है। लेकिन मैं अभी तक यह समझ नहीं सका हूँ कि हम जिन विचारोंको नहीं चाहते, वे हम पर कहाँसे और किस प्रकार हमला करते हैं। मुझे जिसमें संदेह नहीं है कि मनुष्यके पास विचारोंको भी रोकनेकी चावी है। लेकिन अभी तो मैं जिस निर्णय पर पहुँचा हूँ कि यह चावी भी हरअेकको अपने लिये खुद खोज लेनी है।

जिस प्रकार जिस ब्रह्मचर्यका पालन मैं अिच्छा अथवा अनिच्छासे सन् १९०० से करता आया हूँ, व्रतपूर्वक अुसका आरंभ सन् १९०६ के मध्यसे हुआ।

आहारके अधिक प्रयोग

मन-वचन-कायासे ब्रह्मचर्यका पालन कैसे हो, यह एक फ़िकर; और सत्याग्रहके युद्धके लिये अधिक-से-अधिक समय किस तरह वच सके, और अधिक शुद्धि किस प्रकार हो, यह दूसरी फ़िकर; इन दो फ़िकरोंने मुझे आहारमें अधिक संयम और अधिक फेरफार करनेके लिये प्रेरित किया। साथ ही, पहले जो फेरफार मैं मुख्यतः आरोग्यकी दृष्टिसे करता था, वे अब वार्षिक दृष्टिसे होने लगे।

असमें उपवास और अल्पाहारने अधिक स्थान लिया। जिसमें विषयव्रासना रहती है, उसमें जीभके स्वाद भी अच्छी मात्रामें होते हैं। मेरी भी यही स्थिति थी। जननेन्द्रिय और स्वादेन्द्रिय पर काबू पानेकी कोशिशमें मुझे अनेक कठिनायियोंका सामना करना पड़ा है, और आज भी मैं यह दावा नहीं कर सकता कि मैंने दोनों पर जय प्राप्त की है। मैंने अपने आपको अत्याहारी माना है। मैंने अेकादशीका फलाहार और उपवास शुरू किया। जन्माष्टमी आदि दूसरी तिथियाँ भी पालना शुरू किया, किन्तु संयमकी दृष्टिसे मैं फलाहार और अन्नाहारके बीच बहुत भेद न देख सका। इसलिये तिथियोंके दिन निराहार उपवास अथवा अेकाशनको अधिक महत्त्व देने लगा। साथ ही, प्रायश्चित्तादिका कोई निमित्त मिलता, तो उस निमित्तसे भी अेक वारका उपवास कर डालता था।

असमें मैंने यह भी देखा कि उपवासादि जिस हद तक संयमके साधन हैं, उसी हद तक वे भोगके साधन भी बन सकते हैं। इस कारण मैं आहारकी वस्तुमें और उसके परिमाणमें फेरफार करने लगा। किन्तु रस तो पीछा पकड़े ही हुअे थे। जिस चीज़को छोड़ता, और उसके बदले जिसे लेता, उसमें से अेक नया ही और अधिक रस पैदा हो जाता! अनुभवने सिखाया कि मनुष्यको स्वादके लिये नहीं, बल्कि शरीरके

निर्वाहके लिये ही खाना चाहिये। जब प्रत्येक अिन्द्रिय केवल शरीरके और शरीरके द्वारा आत्माके दर्शनके लिये ही काम करती है, तब उसके रस शून्यवत् होते हैं, और तभी कहा जा सकता है कि वह स्वाभाविक रूपसे वरतती है।

८८

घरमें सत्याग्रह

मुझे जेलका पहला अनुभव सन् १९०८ में हुआ। उस समय मैंने देखा कि जेलमें क़ैदियोंसे जो कुछ नियम पलवाये जाते हैं, संयमी अथवा ब्रह्मचारीको उनका पालन स्वेच्छापूर्वक करना चाहिये। जैसे, क़ैदियोंको सूर्यास्तसे पहले पाँच बजे खा लेना होता है। अन्हें चाय-काँफी नहीं दी जाती। नमक खाना हो, तो अलगसे लेना होता है। स्वादके लिये तो कुछ खाया ही नहीं जा सकता।

अतएव जेलसे छूटनेके बाद मैंने तुरन्त फेरफार किये। भरसक चाय पीना बन्द किया और शामको जल्दी खानेकी आदत डाली, जो आज स्वाभाविक हो गयी है।

किन्तु अेक अैसा प्रसंग बन पड़ा, जिसके कारण नमकका भी त्याग किया, जो लगभग दस वर्ष तक तो अखण्ड भावसे कायम रहा। मैंने पढ़ा था कि मनुष्यके लिये नमक खाना जरूरी नहीं है। और, यह तो मुझे सूझा ही था कि नमक न खानेसे ब्रह्मचारीको लाभ होता है। मैंने यह भी पढ़ा और अनुभव किया था कि कमज़ोर शरीरवालेको दाल न खानी चाहिये। किन्तु मैं अन्हें तुरन्त छोड़ न सका था। दोनों चीज़ें मुझे प्रिय थीं।

शस्त्रक्रियासे कस्तूरवागीका जो रक्तस्राव बन्द हुआ था, वह फिर शुरू हो गया। किसी प्रकार बन्द ही न होता था। अकेले पानीके अुपचार व्यर्थ सिद्ध हुअे। दूसरी दवा करनेका आग्रह न था। मैंने अुससे नमक और दाल छोड़नेकी विनती की। बहुत मनाने पर भी

मानी नहीं। आखिर अुसने कहा—‘दाल और नमक छोड़नेको तो कोयी आपसे कहे, तो आप भी न छोड़ेंगे।’ मुझे दुःख हुआ और हर्ष भी हुआ। मुझे अपना प्रेम ऊँड़ेलनेका अवसर मिला। अुसके हर्षवश मैंने तुरन्त ही कहा—‘मुझे वीमारी हो और वैद जिस चीजको या दूसरी किसी चीजको छोड़नेके लिये कहे, तो मैं अवश्य छोड़ दूँ। लेकिन जा, मैंने तो अेक सालके लिये दाल और नमक दोनों छोड़े। तू छोड़े या न छोड़े, सो अलग बात है।’

पत्नीको बहुत पश्चात्ताप हुआ। वह कह लुठी—‘मुझे माफ़ कीजिये। आपका स्वभाव जानते हुअे भी मैं कहते कह गयी। अब में तो दाल और नमक नहीं खाऊँगी। लेकिन आप अपनी बात लौटा लें। यह तो मेरे लिये बहुत बड़ी सजा हो जायगी।’

मैंने कहा—‘अगर तू दाल-नमक छोड़ेगी तो अच्छा ही होगा। लेकिन मैं ली हुअी प्रतिज्ञा लौटा नहीं सकता। मनुष्य किसी भी निमित्तसे संयम क्यों न पाले, अुसमें लाभ ही है।’

मैं जिसे सत्याग्रहका नाम देना चाहता हूँ, और जिसको अपने जीवनकी मीठी स्मृतियोंमें से अेक मानता हूँ।

जिसके बाद कस्तूरवाजीकी तवीयत खूब सँभली।

स्वयं मुझ पर तो जिन दोनोंके त्यागका अच्छा ही असर हुआ। त्यागके बाद नमक अयवा दालकी अिच्छा तक न रही। अिन्द्रियोंकी शक्तिका अधिक अनुभव करने लगा। और संयमको बढ़ानेकी तरफ़ मन दौड़ने लगा। वैद्यक दृष्टिसे दोनों चीजोंके त्यागके विषयमें दो मत हो सकते हैं, किन्तु मुझे जिसमें कोयी शंका ही नहीं कि संयमकी दृष्टिसे तो जिन दोनों चीजोंके त्यागमें लाभ ही है। भोगी और संयमीके आहार भिन्न, अुनके मार्ग भिन्न होने चाहियें। ब्रह्मचर्यका पालन करनेकी अिच्छा रखनेवाले भोगीका जीवन विताकर ब्रह्मचर्यको कठिन और कभी-कभी लगभग असम्भव बना डालते हैं।

संयमकी ओर

अब दिन-प्रतिदिन ब्रह्मचर्यकी दृष्टिसे आहारमें परिवर्तन होते गये। अिनमें पहला परिवर्तन दूध छोड़नेका हुआ। मुझे पहले-पहले रायचन्द्र भाजीसे मालूम हुआ था कि दूध अिन्द्रिय-विकार पैदा करनेवाली वस्तु है। अन्नाहार-विषयक अंग्रेजी पुस्तकोंके वाचनसे अिस विचारमें वृद्धि हुई। लेकिन जब तक ब्रह्मचर्यका व्रत नहीं लिया था, तब तक दूध छोड़नेका कोअी खास अिरादा नहीं कर सका था। यह चीज तो मैं बहुत पहलेसे समझने लगा था कि शरीरके निर्वाहके लिये दूध आवश्यक नहीं है। लेकिन वह झट झूटनेवाली चीज न थी। मैं यह अधिकाधिक समझने लगा था कि अिन्द्रिय-दमनके लिये दूध छोड़ना चाहिये। अिन्हीं दिनों मेरे पास कलकत्तेसे कुछ साहित्य आया, जिसमें गाय-भैंस पर ग्वालों द्वारा किये जानेवाले घातक अत्याचारोंकी चर्चा थी। अिस साहित्यका मुझ पर चमत्कारिक प्रभाव पड़ा। मैंने अिस सम्बन्धमें मि० कैलनवैकसे चर्चा की। अुन्होंने दूध छोड़नेकी सलाह दी। मैंने अुसका स्वागत किया। हम दोनोंने अुसी क्षण टॉल्स्टॉय फार्म पर दूधका त्याग किया। यह घटना सन् १९१२ में हुई।

अितने त्यागसे शांति न हुई। दूध छोड़नेके कुछ ही समय बाद केवल फलाहारके प्रयोगका निश्चय किया। फलाहारमें भी जो सस्तेसे सस्ता फल मिले, अुसीसे अपनी गुजर चलानेका विचार था। गरीब-से-गरीब आदमी जैसा जीवन विताता है, हम दोनोंको वैसा जीवन बितानेकी अुमंग थी। हमने फलाहारकी सुविधाका भी खूब अनुभव किया।

यद्यपि मैंने ब्रह्मचर्यके साथ आहार और अुपवासका निकट सम्बन्ध सूचित किया है, तो भी यह चौकस है कि अुसका मुख्य

आधार मन पर है। मैला मन उपवाससे शुद्ध नहीं होता। आहारका अुस पर प्रभाव नहीं पड़ता। मनका मैल तो विचारसे, अीश्वरके ध्यानसे और आखिर अीश्वरी प्रसादसे ही छूटता है।

जिन दिनों दूध और अनाज छोड़कर फलाहारका प्रयोग शुरू किया, अुन्हीं दिनों संयमके हेतुसे उपवास भी शुरू किये। मि० कैलनवैक जिसमें भी मेरे साथ हो गये। ब्रह्मचर्यके व्रतको सहारा पहुँचानेके लिये मैंने अेकादशीके दिन उपवास रखनेका निश्चय किया। फलाहारी उपवास तो अब मैं हमेशा ही रखने लगा था। जिसलिये मैंने पानीकी छूट रखकर पूरे उपवास शुरू किये।

मेरा अनुभव यह है कि उपवासादिसे मुझ पर तो आरोग्य और विषयकी दृष्टिसे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। फिर भी मैं यह जानता हूँ कि अैसा कोअी अनिवार्य नियम नहीं है, कि उपवास आदिसे सब पर अैसा प्रभाव पड़ेगा ही। अिन्द्रिय-दमनके हेतुसे किये गये उपवाससे ही विषयोंको संयत करनेका परिणाम निकल सकता है। अतलव यह, कि उपवासके दिनोंमें विषयको संयत करने और स्वादको जीतनेकी सतत भावना रहने पर भी अुसका शुभ परिणाम निकल सकता है। संयमीके मार्गमें उपवासादि अेक साधनके रूपमें आवश्यक हैं, किन्तु ये ही सब कुछ नहीं हैं। और, यदि शरीरके उपवासके साथ मनका उपवास न हो, तो अुसकी परिणति दम्भमें हो और वह हानिकारक सिद्ध हो।

शिक्षक

टॉल्स्टॉय-आश्रममें बालकों और बालिकाओंके लिये शिक्षाका कुछ-न-कुछ प्रबन्ध आवश्यक था। खास अिसी कामके लिये शिक्षक रखना असम्भव था, और मुझे अनावश्यक प्रतीत हुआ। शिक्षाकी प्रचलित पद्धति मुझे पसन्द न थी। सच्ची पद्धति क्या हो सकती है, अिसका अनुभव मैं ले नहीं पाया था। अितना समझता था कि आदर्श स्थितिमें सच्ची शिक्षा तो माँ-बापकी निगरानीमें ही हो सकती है। सोचा यह था कि चूँकि टॉल्स्टॉय-आश्रम अेक परिवार है और मैं अुसमें पिताकी जगह हूँ, अिसलिये अिन नवयुवकोंके निर्माणकी जिम्मेदारी मुझे यथाशक्ति अुठानी चाहिये।

अिस कल्पनामें बहुतसे दोष तो थे ही। नवयुवक मेरे पास जन्मसे नहीं थे। सब अलग-अलग वातावरणमें पले थे। सब अेक ही धर्मके भी न थे।

किन्तु मैंने हृदयकी शिक्षाको अर्थात् चरित्रके विकासको हमेशा पहला स्थान दिया है। और यह सोचकर कि अुसका परिचय तो जिस किसी अुमरमें और कितने भी प्रकारके वातावरणोंमें पले अुअे बालकों और बालिकाओंको न्यूनाधिक प्रमाणमें कराया जा सकता है, अिन बालकों और बालिकाओंके साथ मैं रात और दिन पिताकी तरह रहता था। मैंने चरित्रको अुनकी शिक्षाका पाया माना था। यदि पाया पक्का हो, तो अवकाश मिलने पर दूसरी बातें बालक मदद ले या अपनी ताकतसे खुद जान-समझ सकते हैं।

फिर भी मैं यह तो समझता था कि थोड़ा-बहुत अक्षरज्ञा तो कराना ही चाहिये, अिसलिये कक्षाओं शुरू कीं। शारीरिक शिक्षाकी आवश्यकता समझता था। यह शिक्षा अुन सहज ही मिल रही थी।

आश्रममें नौकर तो थे ही नहीं। पाखाना सफ़ाबीने लेकर रसोधी बनाने तकके सारे काम आश्रमवासियोंको ही करने होते थे। फलोंके पेड़ बहुत थे। नधी बोनी करनी ही थी। छोटे-बड़े सबको, जो रसोधीके काममें लगे न होते थे, रोज़ अमुक समय बगीचेमें काम करना ही पड़ता था। जिसमें बड़ा हिस्सा बालकोंका था। जिस काममें बच्चेके शरीर भलीभाँति कसे जाते थे। जिसमें बच्चे आनन्द आता था, और फलतः दूसरी कमरतकी या खेल-कूदकी बच्चे कोभी जरूरत न रहती थी।

शारीरिक शिक्षाके सिलसिलेमें ही शारीरिक धन्धेकी शिक्षाका भी खुल्लेख कर दूँ। बिरादा यह था कि सबको कोधी न कोधी अपुयोगी धन्धा सिखाया जाय। मि० कॅलनवैक चप्पल बनाना सीख आये। बच्चेसे मैंने सीखा और जो बालक जिस धन्धेको सीखनेके लिये तैयार हुये बच्चे मैंने यह सिखाया। आश्रममें बड़कीका काम जानने-वाला अके साथी था, जिसलिये यह काम भी कुछ हद तक सिखाया जाता था। रसोधीका काम तो लगभग सभी बालक सीख गये।

टॉल्स्टॉय-आश्रममें शुरूसे ही यह रिवाज डाला था कि जिस कामको हम शिक्षक न करें, उसे बालकोंसे न कराया जाय। और, बालक जिस काममें लगे हों, उसमें बच्चेके साथ उसी कामको करने-वाला अके शिक्षक हमेशा रहे। जिस तरह बालकोंने जो सीखा, अमुंगके साथ सीखा।

अक्षरज्ञान

अक्षरज्ञान कराना कठिन मालूम हुआ। मेरे पास उसके लिये आवश्यक सामग्री न थी। खुद मुझे, जितना मैं चाहता था अतना समय नहीं था, अतनी योग्यता न थी। शारीरिक काम करते-करते मैं थक जाता, और जिस समय थोड़ा आराम करनेकी जरूरत होती, उसी समय पढ़ाईके वर्ग लेने होते थे।

अक्षरज्ञानके लिये अधिक-से-अधिक तीन घण्टे रखे थे। हरअेक बालकको उसकी मातृभाषा द्वारा ही शिक्षा देनेका आग्रह था। सबको अंग्रेजी भी सिखायी ही जाती थी। उसके अलावा गुजरातके हिन्दू बालकोंको थोड़ा संस्कृतका और सब बालकोंको हिन्दीका परिचय कराया जाता था। इतिहास, भूगोल और अंकगणित सबको सिखाना था। यही पाठ्यक्रम था।

मुख्यतः आश्रमके ये बालक सब निरक्षर और पाठशालामें कहीं न पढ़े हुअे थे। मैंने सिखाते-सिखाते देखा कि मुझे अन्हें सिखाना तो कम ही है। ज्यादा काम तो अुनकी आदत छुड़ाने, अुनमें स्वयं पढ़नेकी रुचि जगाने और अुनकी पढ़ाई पर निगरानी रखनेका ही था। मुझे पाठ्य-पुस्तककी आवश्यकता कभी प्रतीत न हुअी। मेरा खयाल यह है कि शिक्षक ही विद्यार्थीकी पाठ्य-पुस्तक है। जिन्होंने अपने मुंहसे सिखाया था, उसका स्मरण आज भी बना हुआ है। बालक आँखसे जितना ग्रहण करते हैं, उसकी अपेक्षा कानसे सुनी हुअी बातको वे थोड़े परिश्रमसे और बहुत अधिक ग्रहण कर सकते हैं।

आत्मिक शिक्षा

विद्यार्थियोंके शरीर और मनको शिक्षित करनेकी अपेक्षा आत्मा को शिक्षित करनेमें मुझे बहुत परिश्रम करना पड़ा। मैं मानता था कि अन्हें अपने-अपने धर्मग्रन्थोंका साधारण ज्ञान होना चाहिये, जिसलिये मैंने यथाशक्ति जिस बातकी व्यवस्था की थी, कि अन्हें वैसा ज्ञान मिल सके। किन्तु जिसे मैं बुद्धिकी शिक्षाका अंग मानता हूँ। आत्माकी शिक्षा एक भिन्न ही विभाग है। आत्माका विकास करनेका अर्थ है, चरित्रका निर्माण करना, अीश्वरका ज्ञान पाना, आत्मज्ञान प्राप्त करना। जिस ज्ञानको प्राप्त करनेमें बालकोंको बहुत अधिक मददकी जरूरत होती है, और जिसके बिना दूसरा ज्ञान व्यर्थ है, हानिकारक भी हो सकता है, अैसा मेरा विश्वास था।

मैंने सुना है कि लोगोंमें यह वहम फैला हुआ है कि आत्म-ज्ञान चौथे आश्रममें प्राप्त होता है। लेकिन जो लोग जिस अमूल्य वस्तुको चौथे आश्रम तक मुलतवी रखते हैं, वे आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करते, बल्कि बूढ़ापा और दूसरी तरफ़ दयाजनक वचन पाकर पृथ्वी पर भाररूप बनकर जीते हैं; और जिस प्रकारका अनुभव व्यापक पाया जाता है।

आत्मिक शिक्षा किस प्रकार दी जाय? मैं बालकोंसे भजन गवाता, अन्हें नीतिकी पुस्तकें पढ़कर सुनाता; किन्तु जिससे भी मुझे सन्तोष न होता। मैंने देखा कि यह ज्ञान पुस्तकों द्वारा तो दिया ही नहीं जा सकता। शरीरकी शिक्षा जिस प्रकार शारीरिक कसरत द्वारा दी जाती है, बुद्धिकी बौद्धिक कसरत द्वारा, अुसी प्रकार आत्माकी आत्मिक कसरत द्वारा दी जा सकती है। आत्माकी कसरत शिक्षकके आचरण द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। जिसलिये युवक हाजिर हों, चाहे न हों, शिक्षकको सदा सावधान रहना चाहिये। मैं

झूठ बोलूँ और अपने शिष्योंको सच्चा बनानेका प्रयत्न करूँ, तो वह व्यर्थ ही होगा। डरपोक शिक्षक शिष्योंको वीरता नहीं सिखा सकता। व्यभिचारी शिक्षक शिष्योंको संयम किस प्रकार सिखाये? मैंने देखा कि मुझे अपने पास रहनेवाले युवकों और युवतियोंके सम्मुख पदार्थ-पाठ-सा बनकर रहना चाहिये। जिस प्रकार मेरे शिष्य मेरे शिक्षक बने। कहा जा सकता है कि टॉल्स्टॉय-आश्रमका अधिकतर संयम जिन युवकों और युवतियोंकी वदौलत था।

आश्रममें अेक युवक बहुत अधम मचाता, झूठ बोलता और किसीसे दवता नहीं था। अेक दिन उसने बहुत ही अधम मचाया। मैं घबरा उठा। मैं विद्यार्थियोंको कभी सजा न करता था। जिस वार मुझे बहुत क्रोध हो आया। मैं उसके पास पहुँचा। समझाने पर वह किसी प्रकार समझता ही न था। मुझे धोखा देनेका भी प्रयत्न किया। मैंने अपने पास पड़ा हुआ रूल उठाकर उसकी बाँह पर मारा। मारते समय मैं काँप रहा था। विद्यार्थी रो पड़ा। उसने मुझसे माफ़ी माँगी। मेरे रूलमें उसे मेरे दुःखका दर्शन हो गया। जिस घटनाके बाद उसने फिर कभी मेरा सामना न किया। लेकिन उस दिन उसे रूल मारनेका पछतावा मेरे दिलमें आज तक बना हुआ है। उसे मारकर मैंने अपनी आत्माका नहीं, बल्कि अपनी पशुताका दर्शन कराया था।

मैं बालकोंको मार-पीटकर पढ़ानेका हमेशा विरोधी रहा हूँ। रूलकी घटाने मुझे जिस बातके लिये अधिक सोचनेको विवश किया, कि विद्यार्थीके प्रति शिक्षकका क्या धर्म है? उसके बाद युवकों द्वारा जैसे ही दोष हुअे, लेकिन मैंने फिर कभी दण्ड-नीतिका अपुयोग नहीं किया। जिस प्रकार आत्मिक ज्ञान देनेके प्रयत्नमें मैं स्वयं आत्माके गुणको अधिक समझने लगा।

भले-बुरेका मिश्रण

आथ्रममें कुछ लड़के बहुत ही बूधमी और दुष्ट स्वभावके थे। कुछ आवारा थे। अन्हींके साथ मेरे तीन लड़के थे। जिसी तरह पले हुये दूसरे भी बालक थे। लेकिन मि० कैलनवैकका ध्यान तो जिस ओर ही था कि वे आवारा युवक और मेरे लड़के अके जगह किस तरह रह सकते हैं। अके दिन वे बोल अठे— 'आपका यह तरीका मुझे जरा भी जँचता नहीं है।'

मैंने कहा— 'मैं अपने लड़कों और जिन आवारा लड़कोंके बीच भेद कैसे कर सकता हूँ? जिस समय तो मैं दोनोंके लिये समानरूपसे जिम्मेदार हूँ। ये नीजवान मेरे बुलाये आये हैं। जिसलिये जिन्हें यहीं रखना चाहिये। दूसरे, क्या मैं आजसे अपने लड़कोंको यह भेदभाव सिखाऊँ कि वे दूसरे कुछ लड़कोंके मुकाबले बूँचे हैं? उनके दिमागमें जिस प्रकारके विचारको ठूसना ही अन्हें गैररास्ते ले जाने-जैसा है। आजकी स्थितिमें रहनेसे वे गढ़े जायेंगे और अपने आप सारासारकी परीक्षा करने लगेंगे।'

यह नहीं कहा जा सकता कि प्रयोगका परिणाम बुरा निकला। मैं नहीं मानता कि अुससे मेरे लड़कोंको कोयी नुकसान हुआ। अुलटे मैं यह देख सका कि अुन्हें लाभ हुआ है। अगर माता-पिताकी देखरेख ठीक-ठाक हो, तो अुनके भले और बुरे बच्चोंके साथ रहने और पढ़नेसे भलोंकी कोयी हानि नहीं होती।

प्रायश्चित्तरूप उपवास

कुछ जेलवासियोंके रिहा होने पर टॉल्स्टॉय-आश्रममें थोड़े ही लोग रह गये। जिनमें अधिकतर फिनिक्सवासी थे। जिसलिये मैं आश्रमको फिनिक्स ले गया। फिनिक्समें मेरी कड़ी परीक्षा हुयी। आश्रमवासियोंको फिनिक्स छोड़कर मैं जोहानिसवर्ग गया। वहाँ कुछ ही दिन रहा था कि मेरे पास दो व्यक्तियोंके भयंकर पतनके समाचार पहुँचे। सत्याग्रहकी महान् लड़ाजीमें कहीं भी निष्फलता-सी दिखायी पड़ती, तो मुझे अुससे कोअी आघात न पहुँचता। किन्तु जिस घटनाने मुझ पर वज्र-प्रहार-सा किया। मैं तिलमिला अुठा। मैंने अुसी दिन फिनिक्सकी गाड़ी पकड़ी। मि० कैलनवैकने मेरे साथ चलनेका आग्रह किया। पतनके समाचार मुझे अुन्हींके द्वारा मिले थे।

रास्तेमें मैंने अपने धर्मको समझ लिया। मैंने अनुभव किया कि अपनी निगरानीमें रहनेवालोंके पतनके लिये अभिभावक अथवा शिक्षक न्यूनाधिक अंशमें जिम्मेदार तो हैं ही। जिस घटनामें मेरी जिम्मेदारी मुझे स्पष्ट प्रतीत हुयी। मुझको मेरी पत्नीने सावधान तो कर ही दिया था। किन्तु स्वभावसे विश्वासी होनेके कारण मैंने पत्नीकी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया था। साथ ही, मुझे यह भी लगा कि जब मैं जिस पतनके लिये प्रायश्चित्त करूँगा तभी ये पतित मेरे दुःखको समझ सकेंगे, और अुससे अुन्हें अपने दोषका भान होगा और कुछ-न-कुछ अन्दाज वैठेगा। अतएव मैंने सात दिनके अुपवास और साढ़े चार महीनोंके अेकाशनका व्रत लिया। कैलनवैकने भी मेरे साथ ही अैसा व्रत रखनेका आग्रह किया। मैं अुनके निर्मल प्रेमको रोक न सका। जिस निश्चयके बाद मैं तुरन्त ही शांत हो गया। दोषितोंके प्रति क्रोध न रहा और अुनके लिये मनमें मात्र दया ही रह गयी।

मेरे अुपवाससे सबको कण्ट तो हुआ, लेकिन अुसके कारण वातावरण शुद्ध बना। सबको पाप करनेकी भयंकरताका बोध हुआ। और विद्यार्थियों अेवं विद्यार्थिनियोंके और मेरे बीचका सम्बन्ध अधिक मजबूत और सरल बन गया।

अिसके कुछ समय बाद ही मुझे चौदह अुपवास करनेका अवसर मिला था। मेरी यह धारणा है कि अुसका परिणाम अपेक्षासे भी अधिक अच्छा निकला था।

अिन घटनाओं पर से मैं यह सिद्ध करना नहीं चाहता कि शिष्योंके प्रत्येक दोषके लिये शिक्षकोंको हमेशा अुपवास आदि करने चाहिये। लेकिन मैं मानता हूँ कि कुछ परिस्थितियोंमें अिस प्रकारके प्रायश्चित्त रूप अुपवासकी गुंजाअिश अवश्य है। किन्तु अुसके लिये विवेक और अधिकार अपेक्षित है।

९९

गोखलेसे मिलने

जब सन १९१४ में सत्याग्रहकी लड़ाअी समाप्त हुई, तो गोखलेकी विच्छानुसार मुझे अिंग्लैंड होते अुसे हिन्दुस्तान पहुँचना था। अिसलिये जुलाअी महीनेमें कस्तूरवाअी, कैलनवैक और मैं — तीनों — विलायतके लिये रवाना अुसे। सत्याग्रहकी लड़ाअीके दिनोंमें मैंने तीसरे दर्जेमें सफ़र करना शुरू किया था। अिसलिये समुद्री मार्गके लिये भी तीसरे दर्जेका टिकट कटाया।

मि० कैलनवैकको दूरवीनका अच्छा शौक था। दोअेक क्रीमती दूरवीनें अुनके पास थीं। अिस सम्बन्धमें हमारे बीच रोज़ चर्चा होती। मैं अुन्हें यह समझानेका प्रयत्न करता कि यह हमारे आदर्शके और हम जिस सादगी तक पहुँचना चाहते हैं, अुसके अनुकूल नहीं है।

अेक दिन अिसको लेकर हमारे बीच जोरकी ठन गयी। मैंने कहा — 'हमारे बीच अिस प्रकारके झगड़े हों, अिससे अच्छा तो यह है

संक्षिप्त आत्मकथा

कि हम अिन दूरवीनोंको ही समुद्रमें फेंक दें और अिनकी कोअी चर्चा ही न करें?’

मि० कैलनवैकने तुरन्त ही जवाब दिया—‘अिस मनहूस चीजको जरूर फेंक दो।’

मैंने कहा—‘मैं फेंकता हूँ।’

अुन्होंने अूतनी ही तत्परतासे अुत्तर दिया—‘मैं सचमुच ही कहता हूँ कि जरूर ही फेंक दो।’

मैंने दूरवीन फेंक दी। वह कोअी ७ पाँडकी थी। लेकिन अुसकी क्रीमत जितनी दामोंमें थी, अुससे ज़्यादा अुस परके मि० कैलनवैकके मोहमें थी। फिर भी अुन्होंने अिस सम्बन्धमें कभी दुःखका अनुभव नहीं किया। अुनके और मेरे वीच अैसे कअी अनुभव होते रहते।

हम दोनोंके आपसी सम्बन्धसे हमें रोज़ नया सीखनेको मिलता था। क्योंकि दोनों सत्यका ही अनुसरण करके चलनेका प्रयत्न करते थे। सत्यका अनुसरण करनेसे क्रोध, स्वार्थ, द्वेष अित्यादि सहज ही शांत होते थे; शांत न होते, तो सत्य मिलता न था। राग-द्वेषादिसे भरापूरा मनुष्य सरल चाहे हो ले, वाचिक सत्यका पालन चाहे कर ले, किन्तु अुसे शुद्ध सत्य मिल ही नहीं सकता। शुद्ध सत्यकी शोधका अर्थ है, राग-द्वेषादि द्वंद्वसे सर्वथा मुक्ति प्राप्त करना।

जब हमने यात्रा शुरू की थी, तब मुझे अुपवास समाप्त किये बहुत समय न बीता था। मुझमें पूरी शक्ति नहीं आअी थी। स्टीमरमें रोज़ डेक पर चलनेकी कसरत करके ठीक-ठीक खाने और खाये हुअेको हज़म करनेका प्रयत्न करता था। लेकिन अिसके साथ ही मेरे पैरकी पिंडलियोंमें ज़्यादा दर्द रहने लगा। विलायत पहुँचनेके वाद मेरा दर्द बढ़ा। विलायतमें डॉ० जीवराज महेतासे पहचान हुअी थी। अुन्हें अुपवास और दर्दका अितिहास सुनाने पर अुन्होंने कहा—‘अगर आप कुछ दिनोंके लिये पूरा आराम न करेंग, तो पैरोंके सदाके लिये वेकार हो जानेका डर है।’ अिसी समय मुझे पता चला कि लम्बे अुपवास करनेवालेको खोअी हुअी ताकत झट प्राप्त करने या बहुत खानेका

लोभ कभी न करना चाहिये। अुपवास करनेकी अपेक्षा अुपवास छोड़नेमें अधिक सावधान रहना पड़ता है, और शायद अुसमें संयम भी अधिक होता है।

ब्रिगलैंडकी खाड़ीमें पहुँचते ही हमें लड़ाओ छिड़ जानेके समाचार मिले। हम छठी अगस्तको विलायत पहुँचे।

९६

लड़ाओमें हिस्सा

विलायत पहुँचने पर पता चला कि गोखले तो पेरिसमें अटक गये हैं, और कहना मुश्किल था कि वे कबतक पहुँचेंगे। अुनसे मिले बिना देश जाना न था। जिस बीच क्या किया जाय ? लड़ाओके बारेमें मेरा धर्म क्या था ? जेलके मेरे साथी और सत्याग्रही सोरावजी अडाजणिया विलायतमें ही वैरिस्ट्रीका अभ्यास करते थे। अुनसे और अुनकी मारफ़त डॉ० जीवराज महेता अित्यादि जो लोग विलायतमें पढ़ रहे थे, अुनसे विचार-विमर्श किया। विलायतमें रहनेवाले हिन्दुस्तानियोंकी एक सभा बुलाओ, और अुनके सम्मुख मैंने अपने विचार रखे। मुझे लगा कि विलायतवासी हिन्दुस्तानियोंको लड़ाओमें अपना हिस्सा अदा करना चाहिये। सभामें जिसके विरुद्ध काफ़ी दलीलें दी गयीं। मुझे हमारी स्थिति निरी गुलामीकी स्थिति नहीं लगती थी। मैं तो यह सोचता था कि यदि हम अंग्रेज़ोंके द्वारा और अुनकी मददसे अपनी स्थिति सुधारना चाहते हैं, तो हमें अुनके संकटके समयमें अुनकी मदद करके स्थिति सुधारनी चाहिये। अुनकी शासन-पद्धति दोषपूर्ण होते हुअे भी मुझे अुस समय वह अतनी असह्य नहीं मालूम होती थी, जितनी आज मालूम होती है। किन्तु जिस प्रकार पद्धति परसे मेरा विश्वास अुठ गया है, और जिस कारण मैं आज अंग्रेज़ी

राज्यकी मदद नहीं करता, अुसी प्रकार जिनका विश्वास पद्धति परसे ही नहीं, वल्कि अंग्रेज अधिकारियों परसे भी अुठ चुका था, वे क्योंकर मदद करनेको तैयार होते ?

अुन्होंने देखा कि यही अवसर है, जब जनताकी माँगको दृढतापूर्वक प्रकट करना है, और शासन-पद्धतिमें सुधार करा लेनेका आग्रह रखना है। मैंने अंग्रेजोंकी अिस आपत्तिके समयमें अपनी माँगें पेश करना ठीक न समझा, और लड़ाईके समयमें अधिकारोंकी माँगको मुलतवी रखनेके संयममें सभ्यता और दूरदृष्टिका दर्शन किया। अिस-लिअे मैं अपनी सलाह पर दृढ रहा और लोगोंसे कहा कि जिन्हें भरतीमें अपने नाम लिखाने हों, वे लिखावें। काफ़ी संख्यामें नाम लिखे गये।

अिस विषयमें मैंने लार्ड कूको पत्र लिखा, और हिन्दुस्तानियोंकी माँगको स्वीकार करनेके लिअे घायल सैनिकोंकी सेवा करनेकी तालीम लेना आवश्यक माना जाय, तो वैसी तालीम लेनेकी अिच्छा और तैयारी प्रकट की। लार्ड कूने हिन्दुस्तानियोंकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। घायलोंकी सार-सँभाल करनेकी प्रारंभिक शिक्षाका आरंभ किया। छः हफ़्तोंका छोटा-सा कोर्स था। हम करीब अस्सी आदमी अिस खास कक्षामें सम्मिलित हुअे थे। परीक्षा लेने पर अेक ही आदमी नापास हुआ। जो पास हुअे, अुनके लिअे अब सरकारकी ओरसे क़वायद आदि सिखानेका प्रबन्ध हुआ।

धर्मकी पहेली

ज्यों ही यह खबर दक्षिण अफ्रीका पहुँची कि युद्धमें काम करनेके लिये हमने अपने नाम सरकारके पास भेजे हैं, त्यों ही मेरे नाम वहाँसे दो तार आये। उनमें एक पोलाकका था। उसमें पूछा गया था— 'क्या आपका यह कार्य अहिंसाके आपके सिद्धान्तके विरुद्ध नहीं है?'

अैसे तारकी मुझे कोझी आशा तो थी ही नहीं, क्योंकि 'हिन्द-स्वराज' में मैंने जिस विषयकी चर्चा की थी, और दक्षिण अफ्रीकामें मित्रोंके साथ तो जिसकी चर्चा निरन्तर होती ही रहती थी।

जिस विचार-धाराके वश होकर मैं बोअर-युद्धमें सम्मिलित हुआ था, उसीका अुपयोग जिस वार भी किया था। मैं जिस बातको ठीकसे समझता था कि युद्धमें सम्मिलित होनेका अहिंसाके साथ कोझी मेल बैठ नहीं सकता, किन्तु कर्तव्यका बोध हमेशा दीयेकी तरह स्पष्ट नहीं होता। सत्यके पुजारीको अक्सर ठोकर खानी पड़ती है।

अहिंसा व्यापक वस्तु है। हम हिंसाकी होलीके बीच घिरे हुअे पामर प्राणी हैं। यह वाक्य गलत नहीं है कि 'जीव जीव पर जीता है।' मनुष्य अेक क्षणके लिये भी बाह्य हिंसाके बिना जी नहीं सकता। खाते-पीते, अुठते-बैठते, सभी क्रियाओंमें विच्छा-अनिच्छासे कुछ-न-कुछ हिंसा तो वह करता ही रहता है। यदि वह जिस हिंसासे छूटनेके लिये घोर प्रयत्न करता है, उसकी भावनामें मात्र अनुकंपा होती है, वह सूक्ष्म-से-सूक्ष्म जंतुका भी नाश नहीं चाहता, और यथाशक्ति अुसे बचानेका प्रयत्न करता है, तो वह अहिंसाका पुजारी है। उसकी प्रवृत्तिमें निरन्तर संयमकी वृद्धि होगी, अुसमें निरन्तर करुणा बढ़ती रहेगी। किन्तु देहधारी बाह्य हिंसासे सर्वथा मुक्त नहीं हो सकता।

फिर, अहिंसाकी तहमें अद्वैत-भावना निहित है। और यदि प्राणि-मात्रमें अभेद हो, तो अेकके पापका प्रभाव दूसरे पर पड़ता है; जिस

संक्षिप्त आत्मकथा

कारण मनुष्य हिंसासे विलकुल अस्पृष्ट नहीं रह सकता। समाजमें रहनेवाला मनुष्य समाजकी हिंसामें, अनिच्छासे ही क्यों न हो, अुसका भागीदार बनता है। जब दो राष्ट्रोंके बीच युद्ध छिड़े, तब अहिंसामें विश्वास रखनेवाले व्यक्तिका धर्म है कि वह अुस युद्धको रोके। जो अिस धर्मका पालन न कर सके, जिसमें विरोध करनेकी शक्ति न हो, जिसे विरोध करनेका अधिकार प्राप्त न हो, वह युद्ध-कार्यमें सम्मिलित हो; और सम्मिलित होते हुअे भी अुसमें से अपनेको, अपने देशको और साथ ही संसारको अुबारनेकी हादिक कोशिश करे। मुझे अंग्रेजी राज्यके द्वारा अपने राष्ट्रकी स्थिति सुधारनी थी। अगर अाखिरको मुझे अस राज्यके साथ व्यवहार बनाये रखना हो, अुस राज्यके झण्डेके नीचे रहना हो, तो या तो मुझे प्रकट रूपसे युद्धका विरोध करके अुसका अुस समय तक सत्याग्रहके शास्त्रके अंनुसार बहिष्कार करना चाहिये, जब तक अुस राज्यकी युद्ध-नीतिमें परिवर्तन न हो, अथवा अुसके जो कानून भंग करने योग्य हों, अुनका सविनय-भंग करके जेलकी राह पकड़नी चाहिये, अथवा मुझे अुसके युद्ध-कार्यमें सम्मिलित होकर अुसका मुकाबला करनेकी शक्ति और अधिकार प्राप्त करने चाहियें। मुझमें यह शक्ति न थी। अिसलिये मैंने माना कि मेरे पास युद्धमें सम्मिलित होनेका ही मार्ग बचा था। मैंने बंदूकधारीमें और अुसकी मदद करनेवालेमें अहिंसाकी दृष्टिसे, कोअी भेद नहीं माना। फ़ौजमें मात्र घायलोंकी ही सार-सँभाल करनेके काममें लगा हुआ व्यक्ति भी युद्धके दोषोंसे मुक्त नहीं हो सकता। पोलोकका तार मिलते ही मैंने कुछ मित्रोंसे अुसकी चर्चा की। अपने अूपर दिये गये विचारोंका औचित्य मैं अुस समय भी सब मित्रोंके सामने सिद्ध नहीं कर सका था। प्रश्न सूक्ष्म है। अुसमें मतभेदके लिअे अवकाश है। सत्यका आग्रही मात्र रुद्धिसे चिपट कर ही कोअी काम न करे; वह अपने विचारों पर हठ-पूर्वक डटा न रहे; हमेशा यह मान कर चले कि अुनमें दोष हो सकता है, और जब दोषका ज्ञान हो तब भारी-से-भारी जोखिमोंको अुठाकर भी अुसे स्वीकार करे और प्रायश्चित्त भी करे।

छोटासा सत्याग्रह

जिस प्रकार वर्म समझकर मैं युद्धमें सम्मिलित तो हुआ, लेकिन मेरे नसीबमें न सिर्फ़ खुसमें सीधे हाथ बँटाना नहीं आया, बल्कि जैसे ताजुक समयमें सत्याग्रह करनेकी भी नीवत आ गयी।

जब हमारे नाम मंजूर हुये और दर्ज किये गये, तो हमें पूरी क़वायद सिखानेके लिये एक अधिकारी नियुक्त किया गया। हम सबका खयाल यह था कि ये अधिकारी युद्धकी तालीम देने-भरके लिये हमारे मुक़्तिया थे। वाक़ी सब मामलोंमें दलका मुक़्तिया मैं था। मैं अपने साथियोंके प्रति जिम्मेदार था और साथी मेरे प्रति; अर्थात् हमारा खयाल यह था कि अधिकारीको सारा काम मेरे द्वारा लेना चाहिये। सोहरावजी बहुत सयाने थे। उन्होंने मुझे सावधान किया — 'भायी, ध्यान रखिये, जैसा प्रतीत होता है कि ये सज्जन यहाँ अपनी जहाँगीरी चलाना चाहते हैं। हमें उनके हुकमकी ज़रूरत नहीं। मैं तो देखता हूँ कि मानो ये नौजवान भी हम पर हुकम चलाने आये हैं।' मैं भी सोहरावजीकी मुझाजी बातका देख चुका था।

जिसी अरसेमें मेरी पसलियोंमें सख्त सूजन आ गयी, और खुसके सिलसिलेमें मुझे आख़िर खटियाका सेवन करना पड़ा।

अधिकारीने अपना अविकार चलाना शुरू किया। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि वे सब मामलोंमें हमारे मुक़्तिया हैं। सोहरावजी मेरे पास आये। उनकी बातें सुनकर मैं अविकारीके पास गया, और अपने पास आयी हुयी सब शिकायतें उन्हें सुनायीं। मेरी बात उनके गले न अतरी, और फ़ौजी नियमोंके विरुद्ध मालूम हुयी।

हमने सभा की। सत्याग्रहके गंभीर परिणाम कह सुनाये। लगभग सभीने सत्याग्रहकी शपथ ली। हमारी सभाने यह प्रस्ताव किया कि

संक्षिप्त आत्मकथा

यदि मौजूदा अधिकारी न हटाये जायँ और दलको नये अधिकारी पसन्द न करने दिये जायँ, तो हमारा दल क़वायदमें और कैम्पमें जाना बन्द करेगा।

मैंने यह हज़ीक़त अधिकारीको लिख भेजी और भारत-मंत्रीको भी लिखा। जिसके बाद तो हमारा परस्पर बहुत पत्र-व्यवहार हुआ। अधिकारीने धमकीसे और हिकमतसे हममें फूट पैदा की। शपथ-बद्ध होते हुए भी कुछ लोग कलके या बलके वशमें हो गये। अितनेमें नेटली अस्पतालमें अनपेक्षित संख्यामें घायल सिपाही आ पहुँचे, और अुनकी सार-सँभालके लिये हमारी समूची टुकड़ीकी आवश्यकता पड़ी। जिन्हें अधिकारी खींच सके, वे तो नेटली पहुँच गये। किन्तु दूसरे न गये, और अिंडिया-ऑफिसको यह अच्छा न लगा। मैं विछौने पर पड़ा था, किन्तु दलके लोगोंसे मिलता रहता था। मैं मि० राँवर्ट्सके सम्पर्कमें अच्छी तरह आ चुका था। वे मुझसे मिलने आये और वचे हुए लोगोंको भी भेजनेका आग्रह किया। अुनका सुझाव यह था कि ये लोग अेक अलग दलकी शकलमें जायँ। नेटली अस्पतालमें तो दलको वहाँके मुखियाके अधीन रहना पड़ेगा, जिससे दलवालोंकी मानहानि न होगी। सरकारको अुनके जानेसे सन्तोष होगा और बड़ी संख्यामें आये हुए घायलोंकी सेवा-शुश्रूषा होगी। मेरे साथियोंको और मुझे यह सुझाव पसन्द पड़ा, और वचे हुए विद्यार्थी भी नेटली गये। अकेला मैं ही दाँत पीसता विछौने पर पड़ा रहा।

मेरी बीमारी

जिन दिनों मेरी पसलियोंमें सूजन आधी थी, उस समय गोखले विलायत आ पहुँचे थे। कैलनवैक और मैं हमेशा धुनसे मिलने जाते थे।

मेरी बीमारी चर्चाका विषय बन गयी। आहारके मेरे प्रयोग तो चल ही रहे थे। जीवराज महंता मेरी सार-सँभाल करते थे। उन्होंने दूध और अन्न खानेका बहुत आग्रह किया। शिकायत गोखले तक पहुँची। फलाहारकी 'मेरी दलीलके वारेमें' अन्हें बहुत आदर न था; आग्रह यह था कि आरोग्यकी रक्षाके लिये डॉक्टर जो कहें सो लेना चाहिये।

अनुके आग्रहको ठुकराना मेरे लिये बहुत ही कठिन था। मैंने विचारके लिये चौबीस घण्टेका समय माँगा। कैलनवैकसे चर्चा की। लेकिन मुझे स्वयं ही अन्तनादिका पता लगाना था।

प्रश्न यह था कि कहाँ तक गोखलेके प्रेमके वश होनेमें धर्म था, अथवा यह कि शरीर-रक्षाके लिये अैसे प्रयोगोंको किस हद तक छोड़ना ठीक था। जिसलिये मैंने निश्चय किया कि जिन प्रयोगोंमें से जो प्रयोग केवल धर्मकी दृष्टिसे चल रहा था, उस पर कायम रहकर दूसरे सब मामलोंमें डॉक्टरके वश होना चाहिये। दूधके त्यागमें धर्मभावनाका स्थान मुख्य था। जिसलिये दूधके त्याग 'पर डटे रहनेका निश्चय करके मैं सवेरे अुठा।

शामको गोखलेसे मिलने गया। अन्होंने तुरन्त ही प्रश्न पूछा और मने धीमेसे जवाब दिया— 'मैं सब कुछ कहूँगा, किन्तु आप अेक चीजका आग्रह न कीजिये। मैं दूध और दूधके पदार्थ अथवा माँसाहार नहीं लूँगा। अन्हें न लेनेसे देहपात होता ही, तो वसा लेने देनेमें मुझे तो धर्म मालूम होता है।' जब देखा कि यह

मेरा अंतिम निर्णय है, तो अन्होंने आग्रह करना छोड़ दिया और डॉक्टरको मेरी वृत्तिके अनुसार सूचना दी।

मैं यह देखकर घबराया कि पसलीका दर्द मिट नहीं रहा है। सन् १८९० में मैं डॉ० अेलिन्सनसे मिला था, जो आहारके परिवर्तनके सहारे वीमारियोंका अिलाज करते थे। मैंने अन्हें बुलवाया। वे आये। अन्होंने मेरा आहार निश्चित कर दिया और कुछ दूसरे सुझाव भी दिये। मैंने अुन पर अमल किया। अिससे तबीयतमें थोड़ा सुधार हुआ। डॉक्टर दूसरी वार आये और आहारकी चीजोंमें फेरफार किया। अिस वारका फेरफार मेरे लिये अधिक अनुकूल सिद्ध हुआ।

किन्तु दर्द विलकुल मिटा नहीं था। सावधानीकी जरूरत थी ही। डॉक्टर महेता समय-समय पर मुझे देख तो जाते ही थे। हमेशा ही यह सुननेको मिलता कि 'मेरा अिलाज करायें, तो अभी दुरस्त कर दूँ।'

कभी-कभी लेडी रावर्ट्स मुझे देखने आती थीं। और, अेक दिन मि० रावर्ट्स आ पहुँचे। अन्होंने मुझसे देश जानेका आग्रह किया —

'अिस हालतमें आप नेटली कभी नहीं जा सकेंगे। कड़ाकेकी सर्दी तो अभी आगे पड़ेगी। अवं आप देश जाअिये और वहाँ अपना स्वास्थ्य सुधारिये। अगर तब तक लड़ाबी चलती रही, तो मदद करनेके बहुतेरे अवसर आपको मिलेंगे ही। अन्यथा आपने यहाँ जो किया है, अुसे मैं कम नहीं समझता।'

मैंने अुनकी अिस सलाहको मान लिया और देश जानेकी तैयारी की।

रवानगी

चूँकि मि० कैलनवैक जर्मन थे, जिसलिये अन्हें हिन्दुस्तान जानेकी विजाजत न मिली। अुनके वियोगका दुःख मुझे तो हुआ ही, लेकिन मैं यह देख सका था कि मेरी अपेक्षा अुन्हें अधिक दुःख हुआ था।

हमने तीसरे दर्जेका टिकट कटानेका प्रयत्न किया, किन्तु पी० अेण्ड ओ० के स्टीमरोंमें तीसरे दर्जेके टिकट नहीं मिलते थे, जिसलिये दूसरे दर्जेके लेने पड़े।

डॉक्टर महेताने मेरे शरीरको मीड्ज प्लास्टरकी पट्टीसे बाँध दिया था, और सलाह दी थी कि मैं जिस पट्टीको बाँधी रहने दूँ। दो दिन तक तो मैंने जिसे सहन किया, लेकिन फिर सहन न कर सका, फलतः पट्टी अुतार डाली और नहाने-बानेके लिये छुट्टी पायी। खानेमें मुख्यतः सूखे और हरे मेवेको ही स्थान दिया। तबीयत दिन-प्रतिदिन सुधरती गयी, और स्वेजकी खाड़ीमें पहुँचते-पहुँचते तो बहुत अच्छी हो गयी। मैंने माना कि यह शुभ परिवर्तन मात्र शुद्ध समशीतोष्ण हवाके कारण ही हुआ था।

कुछ दिनोंमें हम बम्बयी पहुँचे। जिस देशमें मैं सन् १९०५ में वापस लौटनेकी आशा रखता था, अुसमें मैं १० साल बाद वापस लौट सका हूँ, यह सोचकर मुझे बहुत आनन्द हुआ। बम्बयीमें गोखलेने सम्मेलन आदिकी व्यवस्था कर ही रखी थी। अुनका स्वास्थ्य नाजुक था, फिर भी वे बम्बयी आ पहुँचे थे। मैं जिस अुमंगके साथ बम्बयी पहुँचा था, कि अुनसे मिलकर और अपनेको अुनके जीवनमें समाकर मैं अपना भार अुतार डालूँगा। किन्तु विघाताने कुछ दूसरी ही रचना रच रखी थी।

मेरी वकालत

अपनी वकालतके समयके और वकीलके नातेवाले अितने संस्मरण मेरे पास हैं, कि अन्हें लिखने बैठूं, तो अन्हेंकी अेक पुस्तक तैयार हो जाय। किन्तु अुनमें से कुछ, जो सत्यसे संबंध रखनेवाले हैं, यहाँ देना शायद अनुचित न माना जायगा।

वकालतके धंधेमें मैंने कभी असत्यका प्रयोग नहीं किया, और वकालतका अधिकतर समय तो केवल सेवाके लिअे ही समर्पित था, तथा अुसके लिअे मैं जेब-खर्चके अलावा कुछ भी न लेता था। कभी-कभी जेब-खर्च भी छोड़ देता था।

विद्यार्थी-अवस्थामें भी मैं यह सुना करता था कि वकालतका धंधा झूठ बोले विना चल ही नहीं सकता। झूठ बोलकर मैं न तो कोअी पद लेना चाहता था और न पैसा कमाना चाहता था। असलिअे मुझे पर अिन बातोंका कोअी प्रभाव नहीं पड़ा था।

दक्षिण-अफ्रीकामें कअी बार असकी कसौटी हो चुकी थी। मैं जानता था कि प्रतिपक्षके साक्षियोंको सिखाया-पढ़ाया गया है, और अगर मैं मुवक्किलके साक्षीको तनिक झूठ बोलनेके लिअे प्रोत्साहित करूँ, तो मुवक्किलके केसमें कामयाबी मिल सकती है, किन्तु मैंने हमेशा असि लालचको छोड़ा है। मेरे दिलमें भी हमेशा यही खयाल बना रहता था कि अगर मुवक्किलका केस सच्चा हो, तो अुसमें कामयाबी मिले और झूठा हो, तो हार हो। मुझे याद नहीं पड़ता कि फीस लेते समय मैंने कभी हार-जीतके आधार पर फीसकी दरें तय की हों। मुवक्किल हारे चाहे जीते, मैं तो हमेशा मेहनताना ही माँगता था, और जीतने पर भी अुसीकी आशा रखता था। मुवक्किलको भी शुरूसे कंह देता — 'मामला झूठा हो, तो मेरे पास मत आना।' आखिर मेरी साख तो यही कायम हुअी थी कि झूठे केस मेरे पास कभी आते ही न थे।

वकालत करते समय मैंने अपनी ऐक्यैसी आदत भी डाली थी, कि मैं अपना अज्ञान न मुवक्किलसे छिपाता था, न वकीलसे। जहाँ-जहाँ मुझे कुछ सूझ नहीं पड़ता, वहाँ-वहाँ मुवक्किलको दूसरे वकीलके पास जानेको कहता अथवा, कोची मुझे वकील करता, तो मैं उससे कहता, कि किसी अधिक अनुभवी वकीलकी सलाह लेकर मैं उसका काम करूँगा। जिस शुद्धताके कारण मैं मुवक्किलोंका अखूट प्रेम और विश्वास सम्पादन कर सका था।

जिस विश्वास और प्रेमका पूरा-पूरा लाभ मुझे अपने सार्वजनिक काममें हुआ।

दक्षिण अफ्रीकामें वकालत करनेका हेतु केवल लोक-सेवा था। जिस सेवाके लिये भी मुझे लोगोंका विश्वास सम्पादन करनेकी आवश्यकता थी। अुदार दिलके हिन्दुस्तानियोंने पैसे लेकर की गयी वकालतको भी सेवा माना, और जब मैंने अुन्हें अुनके हक़ोंके लिये जेलके दुःख सहनेकी सलाह दी, तब अुनमेंसे बहुतांने अुस सलाहको ज्ञानपूर्वक स्वीकार करनेकी अपेक्षा मेरे प्रतिकी अपनी श्रद्धा और मेरे प्रतिके अपने प्रेमके वश ही स्वीकार किया था। सैकड़ों, मुवक्किल न रहकर मेरे मित्र बन गये, सार्वजनिक सेवामें मेरे सच्चे साथी बने, और मेरे कठोर जीवनको अुन्होंने रसमय बना दिया।

१०२

पहला अनुभव

मेरे स्वदेश आनेके पहले जो लोग फिनिक्ससे वापस लौटनेवाले थे, वे यहाँ आ पहुँचे थे। मैंने अन्हें लिखा था कि वे अेण्डूजसे मिल लें और वे जैसा कहें वैसा करें।

शुरूमें अन्हें काँगड़ी गुरुकुलमें ठहराया गया। वहाँ स्व० श्रद्धानन्दजीने अन्हें अपने बालकोंकी तरह रखा। असके बाद अन्हें शांतिनिकेतनमें रखा गया। वहाँ कविवरने और अुनके समाजने अन्हें अुतने ही प्रेमसे नहलाया।

बम्बअीके बन्दरगाह पर अुतरते ही मुझे पता चला कि अुस समय यह परिवार शांतिनिकेतनमें था। असलिअे गोखलेसे मिलनेके बाद मैं वहाँ जानेको अधीर हो गया था।

बम्बअीमें सम्मान स्वीकार करते समय ही मुझे अेक छोटा-सा सत्याग्रह करना पड़ा था। मेरे निमित्तसे मि० पिटीटके यहाँ अेक सभा रखी गअी थी। अुसमें मैं गुजरातीमें जवाब देनेकी हिम्मत न कर सका। अुस महलमें और आँखोंको चौंधियानेवाले अुस ठाटवाटके बीच गिरमिटियोंकी सोहवतमें रहनेवाला मैं अपने-आपको देहाती-जैसा लगा। आजकी पोशाकके मुक्काबले अुस समय पहना हुआ अँगरखा, साफ़ा आदि अपेक्षाकृत सुधरी हुआ पोशाक कही जा सकती है, फिर भी मैं अुस अलंकृत समाजमें अलग ी छिटका पड़ता था। लेकिन वहाँ तो जैसे-तैसे मैंने अपना काम निवाहा, और फीरोज़शाह मेहताकी बग़लमें आसरा लिया।

गुजरातियोंकी सभा तो थी ही। जिस सभाके वारंमे मैंने पहलेसे कुछ बातें जान ली थीं। मि० जिन्ना भी गुजराती थे, जिसलिये सभामें वे भी हाज़िर थे। अन्होंने अपना छोटा और मीठा भाषण अंग्रेज़ीमें किया। दूसरे भाषण भी अविकतर अंग्रेज़ीमें ही हुये। जब मेरे बोलनेका समय आया, तो मैंने अुत्तर गुजरातीमें ही दिया और गुजराती तथा हिन्दुस्तानीके प्रति अपने पक्षपातको कुछ ही शब्दोंमें व्यक्त करके मैंने गुजरातियोंकी सभामें अंग्रेज़ीके अुपयोगके विरुद्ध अपना नम्र विरोध दर्ज कराया। मुझे यह देखकर खुशी हुयी कि मैंने गुजरातीमें अुत्तर देनेकी जो हिम्मतकी थी अुसका किसीने अनर्थ नहीं किया, और सवने मेरे अुस विरोधको सहन कर लिया।

जिस प्रकार दम्बजीमें दो-अेक दिन रहकर और प्रारम्भिक अनुभव लेकर मैं गोखलेकी आज्ञासे पूना गया।

१०३

पूनामें

पूनामें गोखलेने और सोसायटीके सदस्योंने मुझे अपने प्रेमसे नहलाया। गोखलेकी तीव्र विच्छा थी कि मैं भी सोसायटीमें सम्मिलित हो जाऊं। मैं स्वयं तो चाहता ही था, किन्तु सदस्योंको अैसा प्रतीत हुआ कि सोसायटीके आदर्श और काम करनेकी अुसकी रीति मुझसे भिन्न थी। जिसलिये मेरे सदस्य बनने अथवा न बननेके वारंमें अुनके मनमें शंका थी।

मैंने अपने विचार गोखलेको बता दिये थे। मैं सोसायटीका सदस्य बनूं या न बनूं, तो भी मुझे अेक आश्रम खोलकर अुसमें फिनिक्सके साथियोंको रखना और खुद वहाँ बैठना था ही। जिस विश्वासके कारण कि गुजराती होनेसे मेरे पास गुजरातके द्वारा सेवा करनेकी पूंजी अधिक होनी चाहिये, मैं गुजरातमें ही कहीं स्थिर होना चाहता था। गोखलेको यह विचार पसन्द पड़ा था, जिसलिये अन्होंने कहा —

‘आप अवश्य ऐसा कीजिये। सदस्योंके साथकी बातचीतका जो भी परिणाम हो, यह तय है कि आपको आश्रमके लिये द्रव्य मुझीसे लेना है। उसे मैं अपना ही आश्रम समझूंगा।’

मेरा हृदय प्रफुल्लित हुआ। यह सोचकर मैं बहुत खुश हुआ कि मुझे पैसे अगाहनेके धंधेसे मुक्ति मिल गयी है; अब मुझे अपनी जवाबदारी पर नहीं चलना पड़ेगा, बल्कि हरएक परेशानीके समय मेरी रहनुमायीके लिये कोयी होगा। इस विश्वासके कारण मुझे ऐसा लगा, मानो मेरे सिरका बड़ा बोझ अंतर गया हो।

१०४

धमकी यानी क्या ?

बम्बयीसे मुझे अपने बड़े भायीकी विधवाको और दूसरे कुटुम्बियोंको मिलनेके लिये राजकोट और पोरबन्दर जाना था। इसलिये मैं अग्रसर गया।

बम्बयीसे काठियावाड़ तीसरे दर्जेमें ही जाना था। इस यात्रामें मुझे साफ़ा और अँगरखा अंपाधिरूप प्रतीत हुअे। इसलिये मैंने केवल कुर्ता, धोती और आठ-दस आनेकी काश्मीरी टोपी ही पहनी। इस तरहकी पोशाक पहननेवाला गरीब आदमी ही माना जाता है। अने दिनों वीरमगाम अथवा वढ़वाणमें प्लेगके कारण तीसरे दर्जेके मुसाफ़िरोंकी जाँच होती थी। मुझे थोड़ा बुखार था। जाँच करनेवाले अधिकारीने मुझे हुकम दिया कि मैं राजकोटमें डॉक्टरसे मिलूँ, और मेरा नाम लिख लिया।

वढ़वाण स्टेशन पर मुझे वहाँके प्रसिद्ध लोक-सेवक दर्जी मोतीलाल मिले थे। अन्होंने मुझसे वीरमगामकी चुंगी-संबंधी जाँच-पड़ताल और अुस निमित्तसे होनेवाली कठिनायियोंकी चर्चा की थी। मैंने अन्हें संक्षेपमें ही मैं जवाब दिया —

‘आप जेल जानेको तैयार हैं?’

मोतीलालने बहुत दृढ़तापूर्वक जवाब दिया —

‘हम जरूर जेल जायेंगे, लेकिन आपको हमारी रहनुमाजी करनी होगी।’

मोतीलाल पर मेरी आँख टिक गयी। वादमें मैं अुनके संपर्कमें ठीक-ठीक आया था। जब सत्याग्रह-आश्रम स्थापित हुआ, तो वे हर महीने वहाँ कुछ दिन अपनी हाजिरी दर्ज करा ही जाते थे। बालकोंको सीना सिखाते और आश्रमका सिलाजी-काम भी कर जाते थे। वीरमगामकी बात मुझे रोज सुनाते रहते थे। ये मोतीलाल भरी जवानीमें वीमारीके शिकार बन गये।

राजकोट पहुँचने पर मैं दूसरे दिन सवेरे अुस हुक्मके मुताबिक अस्पतालमें हाजिर हुआ। वहाँ तो मैं अपरिचित नहीं था। डॉक्टर शरमाये और जाँच करनेवाले अुक्त अधिकारी पर नाराज होने लगे। मुझे अुस नाराजीका कोजी कारण नजर न आया। अधिकारीने तो अपने धर्मका पालन किया था। काठियावाड़में मैं जहाँ-जहाँ भी घूमा, वहाँ-वहाँ वीरमगामकी चुंगी-संवंधी जाँचके सिलसिलेमें होनेवाली परेशानियोंकी शिकायतें सुनीं। मुझे बिस संवंधमें जो भी सामग्री मिली, मैं अुसे पढ़ गया। वम्बजी-सरकारसे पत्र-व्यवहार शुरू किया। सेक्रेटरीसे मिला। लॉर्ड विलिंग्डनसे भी मिला था। अुन्होंने सहानुभूति प्रकट की, किन्तु दिल्लीकी ढिलाजीकी शिकायत की।

मैंने केन्द्रीय सरकारके साथ पत्र-व्यवहार शुरू किया। जब मुझे लार्ड चेम्सफर्डसे मिलनेका मौका मिला, अुस समय यानी करीब दो सालके पत्रव्यवहारके बाद, मामलेकी सुनवाजी हुयी। कुछ ही दिनोंमें मैंने अखवारमें चुंगी रद्द करने-संवंधी नोटिस पढ़ा।

मैंने बिस जीतको सत्याग्रहकी वुनियाद-जैसा माना। वम्बजी-सरकारके सेक्रेटरीने मुझे वगसरामें किये गये मेरे भाषणमें सत्याग्रहका जो अुल्लेख हुआ था, अुसके बारेमें लिखा और पूछा —

‘क्या आप बिसे धमकी नहीं मानते ? और क्या शक्तिशाली सरकार अैसी धमकीकी परवाह करेगी?’

मैंने जवाब दिया --

‘यह धमकी नहीं है। यह लोक-शिक्षा है। मेरे जैसे व्यक्तिका धर्म है कि वह लोगोंको अपने दुःख दूर करनेके सब वास्तविक अुपाय समझाये। जो जनता स्वतंत्रता चाहती है, अुसके पास अपनी रक्षाका अन्तिम अुपाय होना चाहिये। साधारणतः अैसे अुपाय हिंसक होते हैं। सत्याग्रह शुद्ध अहिंसक शस्त्र है। मैं अुसके अुपयोग और अुसकी मर्यादाको समझाना अपना धर्म मानता हूँ। अंग्रेज सरकार शक्तिशाली है, अिस विषयमें मुझे कोअी शंका नहीं। किन्तु सत्याग्रह सर्वोपरी शस्त्र है, अिस विषयमें भी मुझे कोअी शंका नहीं।’

समझदार सेक्रेटरीने अपना सिर हिलाया और बोले -- ‘हम देखेंगे।’

१०५

शांतिनिकेतन

राजकोटसे मैं शांतिनिकेतन गया। वहाँ शांतिनिकेतनके अध्यापकों और विद्यार्थियोंने मुझे अपने प्रेमसे नहलाया। स्वागतकी विधिमें सादगी, कला और प्रेमका सुन्दर मिश्रण था।

यहाँ मेरे मंडलको अलगसे ठहराया गया था। मगनलाल गांधी अुस मंडलको सम्हाल रहे थे, और फिनिक्स आश्रमके सब नियमोंका पालन सूक्ष्मतासे करते-कराते थे। अुन्होंने अपने प्रेम, ज्ञान और अुद्योगकी बदौलत अपनी सुगंध शांतिनिकेतनमें फैलाअी थी।

अपने स्वभावके अनुसार मैं विद्यार्थियों और शिक्षकोंमें घुलमिल गया, और स्वपरिश्रमके विषयमें चर्चा करने लगा। मैंने वहाँके शिक्षकोंके सामने अपनी यह बात रखी कि वैतनिक रसोअियोंके बदले शिक्षक और विद्यार्थी अपनी रसोअी स्वयं बना लें तो अच्छा हो। कुछ लोगोंको यह प्रयोग बहुत अच्छा लगा। नअी चीज, फिर वह कैसी ही क्यों न हो, बालकोंको तो अच्छी लगती ही है, अिस न्यायसे यह चीज भी

अच्छी लगी, और प्रयोग शुरू हुआ। जब कविश्रीके सामने यह चीज़ रखी गयी, तो अन्होंने अपनी यह सम्मति दी कि यदि शिक्षक अनुकूल हों, तो स्वयं अन्हें तो यह प्रयोग अवश्य ही पसन्द होगा। अन्होंने विद्यार्थियोंसे कहा — ‘अिसमें स्वराज्यकी चावी मौजूद है।’

लेकिन मेहनतके अिस कामको सवा सौ विद्यार्थी और शिक्षक भी अेकदम नहीं अपना सकते थे। अतअेव रोज़ चर्चा होती। कुछ लोग थकते।

आखिर कुछ कारणोंकी वजहसे यह प्रयोग वन्द हो गया। मेरा विश्वास यह है कि अिस जगत्विख्यात संस्थाने थोड़े समयके लिये भी अिस प्रयोगको अपनाकर कुछ खोया नहीं। मैं शांतिनिकेतनमें कुछ समय तक रहनेका अिरादा रखता था। किन्तु विधाता मुझे ज़बरदस्ती घसीट कर ले गया। मैं मुश्किलसे अेक हफ़ता वहाँ रहा होअूंगा, कि अितनेमें पूनासे गोखलेके अवसानका तार मिला। शांतिनिकेतन शोकमें डूब गया। सब मेरे पास समवेदनाके लिये आये। मंदिरमें विशेष सभा की गयी। मैं अुसी दिन पूनाके लिये रवाना हुआ। पत्नी और मगनलालको अपने साथ लिया। वाक्री सब शांतिनिकेतनमें रहे।

वर्दवान तक अेण्डूज़ मेरे साथ आये थे। अन्होंने मुझसे पूछा — ‘क्या आपको अैसा मालूम होता है कि हिन्दुस्तानमें सत्याग्रह करनेका अवसर आवेगा? और अगर अैसा मालूम होता हो, तो कब आवेगा, अिसकी कोअी कल्पना आपको है?’

मैंने जवाब दिया — ‘अिसका जवाब देना मुश्किल है। अभी अेक वर्ष तो मुझे कुछ करना ही नहीं है। गोखलेने मुझसे प्रतिज्ञा करवायी है, कि मुझे अेक वर्ष तक भ्रमण करना है, किसी सार्वजनिक प्रश्न पर अपना विचार न बनाना है, न प्रकट करना है। मैं अिस प्रतिज्ञाको अक्षरशः पालनेवाला हूँ। वादमें भी मुझे किसी प्रश्न पर कुछ कहनेकी ज़रूरत होगी, तभी मैं कहूँगा। अिसलिये मैं नहीं समझता कि पाँच वर्ष तक सत्याग्रह करनेका कोअी अवसर आवेगा।’

मेरा प्रयत्न

पूना पहुँचने पर उत्तरक्रिया आदि संपन्न करके हम प्रश्नकी चर्चामें लग गये कि अब सोसायटी किस तरह निभे अुसमें सम्मिलित होना चाहिये या नहीं। गोखलेके जीतेजी सोसायटीमें दाखिल होनेका प्रयत्न करना जरूरी न था। मु गोखलेकी आज्ञा और अिच्छाके वश होना था। मुझेको यह स्थिति थी। भारतवर्षके तूफ़ानी समुद्रमें पड़ते समय मुझे अेक क जरूरत थी, और गोखले-जैसे कर्णधारकी छायामें मैं सुरक्षित किन्तु अब मुझे अैसा लगने लगा कि सोसायटीमें दाखिल लिअे मुझे सतत प्रयत्न करना होगा। मैंने यह अनुभव कि गोखलेकी आत्मा यह चाहेगी। मैंने विना संकोचके और दृढ़ अिसका प्रयत्न शुरू किया। किन्तु मैंने देखा कि सदस्योंमें मतभेद हमारी सारी चर्चा मीठी थी और केवल सिद्धान्तका अनु करनेवाली थी। लम्बी चर्चाके बाद हम अेक-दूसरेसे अलग सदस्योंने दूसरी सभा तक निर्णयको मुलतवी रखा। घर लौटते हुअे मैं विचारके चक्रमें फँसा। क्या मेरे वहुमतके सहारे दाखिल होना अिष्ट होगा? क्या वह गोखलेके मेरी वफ़ादारी मानी जायगी? अगर मेरे विरुद्ध मत प्रकट हो, तो अुस दशामें मैं सोसायटीकी स्थितिको नाजुक बनानेका निमित्त बनूंगा? मैंने स्पष्ट देखा कि जब तक सोसायटीके सदस्योंमें मुझे दाखिल करनेके वारेमें मतभेद रहे तब तक स्वयं मुझीको दाखिल होनेका आग्र छोड़ देना चाहिये, और अिस प्रकार विरोधी पक्षको नाजुक स्थिति पड़नेसे बचा लेना चाहिये; अुसीमें सोसायटी और गोखलेके प्रति मेरी वफ़ादारी थी। ज्यों ही अन्तरात्तामें अिस निणयका अुदय हुआ, मैंने तत्काल श्री शास्त्रीको पत्र लिखा, कि वे मेरे प्रवेशके विषयमें सभा

बुलायें ही नहीं। सोसायटीमें दाखिल होनेकी अपनी अर्जीको वापस लेकर मैं सोसायटीका सच्चा सदस्य बना।

अनुभवसे मैं देखता हूँ, कि मेरा प्रयाके अनुसार सोसायटीका सदस्य न बनना ही युचित था, और जिन सदस्योंने मेरे प्रवेशके वारेमें विरोध किया था उनका विरोध वास्तविक था। लौकिक दृष्टिसे चाहे मैं सदस्य न रहा होऊँ, फिर भी आध्यात्मिक दृष्टिसे तो मैं सदस्य रहा ही हूँ। लौकिक संबंधकी अपेक्षा आध्यात्मिक संबंध अधिक कीमती है। आध्यात्मिकतासे विहीन लौकिक संबंध प्राण-विहीन देहके समान है।

१०७

कुंभ

मुझे डॉक्टर प्राणजीवनदास महेतासे मिलनेके लिये रंगून जाना था। वहाँ जाते हुये श्री भूपेन्द्रनाथ वसुका निमंत्रण पाकर मैं कलकत्तेमें उनके घर ठहरा। यहाँ बंगाली शिष्टाचारकी पराकाष्ठा हो गयी थी। उन दिनों मैं फलाहार ही करता था। कलकत्तेमें जितना सूखा और हरा मेवा मिला, उतना बिकट्टा किया गया था। मेरे साथियोंके लिये अनेक प्रकारके पक्वान्न बनाये गये थे। मैं जिस प्रेम और विवेकको तो समझा, लेकिन एक-दो मेहमानोंके लिये समूचे परिवारका सारे दिन व्यस्त रहना मुझे असह्य प्रतीत हुआ। जिस मुसीबतसे बचनेका मेरे पास अिलाज न था।

रंगूनमें भी मेरे फलाहारकी अुपाधि अपेक्षाकृत अधिक तो थी ही। मैंने पदार्थों पर तो अंकुश रख लिया था, लेकिन मैंने उनकी कोखी मर्यादा निश्चित नहीं की थी। जिस कारण तरह-तरहका जो मेवा आता, उसका मैं विरोध न करता। नाना प्रकारकी वस्तुओं आँख और जीभके लिये रुचिकर होती हैं। खानेका कोखी निश्चित समय नहीं रहता था। मैं खुद जल्दी खाना पसंद करता था। लेकिन रातके आठ-नौ तो सहज ही बज जाते थे।

सन् १९१५ में हरद्वारमें कुंभका मेला था। अुसमें जानेकी मेरी कोओी अिच्छा न थी। लेकिन मुझे महात्मा मुन्शीरामजीके दर्शनोंके लिये तो जाना ही था। कुंभके अवसर पर गोखलेके सेवक-समाजने अेक बड़ा जत्था भेजा था। तय हुआ था कि अुसकी मददके लिये मैं अपना दल भी ले जाऊँ। शांतिनिकेतनवाली टुकड़ीको लेकर मगनलाल गांधी मुझसे पहले हरद्वार पहुँच गये थे। रंगूनसे लौटकर मैं अुनसे जा मिला।

हमने शांतिनिकेतनमें ही देख लिया था कि भंगीका काम करना हमारा अेक खास धन्धा ही बन जायगा। पाखानोंके लिये डॉ० देवने खड्डे खुदवाये थे। अिन खड्डोंमें जमा होनेवाले पाखानेको समय-समय पर ढँकने और दूसरी तरह साफ़ रखनेका काम फिनक्सकी टुकड़ीके जिम्मे कर देनेकी मेरी माँगको डॉ० देवने खुशी-खुशी मंजूर कर लिया। अिस सेवाकी माँग तो मैंने की, लेकिन अिसे करनेका बोझ मगनलाल गांधीने अुठाया।

मेरा धन्धा तो अधिकतर डेरेके अन्दर बैठकर 'दर्शन' देने और आनेवाले अनेक यात्रियोंके साथ धर्मकी और अैसी ही दूसरी चर्चा करनेका बन गया। मैं 'दर्शन' देते-देते अकुला अुठा। मुझे अुससे अेक मिनटकी भी फुरसत न मिलती। अपने तम्बूके किसी भी हिस्सेमें मैं अेक क्षणके लिये भी अकेला बैठ नहीं सकता था। दक्षिण अफ्रीकामें जो थोड़ी-बहुत सेवा बन पड़ी थी, अुसका अितना गहरा प्रभाव सारे भरतखण्ड पर पड़ा है, सो मैं हरद्वारमें अनुभव कर सका।

मैं तो चक्कीके पाटोंके बीच पिसने लगा। जहाँ प्रकट न होता, वहाँ तीसरे दर्जेके मुसाफ़िरकी तरह कण्ट अुठाता। और जहाँ ठहरता, वहाँ दर्शनार्थियोंके प्रेमसे अकुला अुठता। मेरे लिये यह कहना प्रायः कठिन हो गया है कि अिन दोमें से कौनसी स्थिति अधिक दयाजनक होगी।

अुन दिनों मुझमें घूमने-फिरनेकी शक्ति काफ़ी थी। अिसलिये मैं ठीक-ठीक घूम-फिर सका था। अिस भ्रमणमें मैंने लोगोंकी धर्म-भावनाकी अपेक्षा अुनका वावरापन, अुनकी चंचलता, पाखण्ड और अव्यवस्थाके ही अधिक दर्शन किये। साधुओंका तो जमघट ही

बिकट्टा हुआ था। असा प्रतीत हुआ, मानो वे सिर्फ़ मालपुत्रे और खीर खानेके लिये ही जन्मे हों। यहाँ मैंने पाँच पैरोंवाली गाय देखी। मुझे तो जिससे आश्चर्य हुआ, किन्तु अनुभवी लोगोंने मेरे अज्ञानको तुरन्त दूर कर दिया।

कुंभका दिन आया। मेरे लिये वह धन्य घड़ी थी। मैं यात्राकी भावनासे हरद्वार नहीं गया था। तीर्थ-क्षेत्रमें पवित्रताकी शोधके लिये भटकनेका मोह मुझे कभी रहा न था। किन्तु सत्रह लाख लोग पाखण्डी नहीं हो सकते। अिनमें असंख्य लोग पुण्य कमानेके लिये, शुद्धि प्राप्त करनेके लिये आये थे, जिस वारेमें मुझे कोबी शंका न थी। यह कहना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है, कि जिस प्रकारकी श्रद्धा आत्मांको किस हद तक अपर अुठाती होगी।

मैं विछीने पर पड़ा-पड़ा विचारसागरमें डूबा। चारों ओर फैले हुअे पाखण्डके बीच ये पवित्र आत्मायें भी हैं। वे अीश्वरके दरवारमें दण्डनीय नहीं मानी जायँगी। यदि अैसे अवसर पर हरद्वारमें आना ही पाप हो, तो मुझे प्रकट रूपसे अुसका विरोध करके कुंभके दिन तो हरद्वारका त्याग ही करना चाहिये। यदि आनेमें और कुंभके दिन रहनेमें पाप न हो, तो मुझे कोबी न कोबी कठोर व्रत लेकर प्रचलित पापका प्रायश्चित्त करना चाहिये, आत्मशुद्धि करनी चाहिये। मेरा जीवन व्रतों द्वारा बना है। जिसलिये मैंने कोबी कठिन व्रत लेनेका निश्चय किया। मुझे अुस अनावश्यक परिश्रमकी याद आती, जो कलकत्ते और रंगूनमें मेरे कारण यजमानोंको अुठाना पड़ा था। जिसलिये मैंने आहारकी वस्तुओंकी मर्यादा अाँकने और अँधेरेसे पहले भोजन कर लेनेका व्रत लेना निश्चित किया। चौबीस घण्टोंमें पाँच चीजोंसे अधिक कुछ न खानेका और रात्रि-भोजनके त्यागका व्रत मैंने ले ही लिया। अिन व्रतोंमें अेक भी गली न रखनेका मैंने निश्चय किया। अिन दो व्रतोंने मेरी ठीक-ठीक परीक्षा की है, किन्तु जिस प्रकार परीक्षा की है, अुसी प्रकार ये मेरे लिये ढाल-रूप भी बहुत सिद्ध हुअे हैं। अिनके कारण मेरा जीवन बढ़ा है, और अिनकी वजहसे मैं अनेक वार वीमारियोंसे बच निकलूँ हूँ।

लक्ष्मण झूला

जब मैं पहाड़-से प्रतीत होनेवाले महात्मा मुन्शीरामजीके दर्शन करनेके हेतुसे उनका गुरुकुल देखने गया, तो वहाँ मैंने बहुत शांति अनुभव की। महात्माने मुझे प्रेमसे नहलाया। गुरुकुलमें औद्योगिक शिक्षा दाखिल करनेकी आवश्यकताके बारेमें रामदेवजी और दूसरे शिक्षकोंके साथ काफ़ी चर्चा की। जल्दी ही गुरुकुलसे विदा होते समय मैंने दुःखका अनुभव किया।

मैंने लक्ष्मण झूलेकी बहुत तारीफ़ सुन रखी थी। मैं वहाँ पैदल जाना चाहता था। अक मंजिल हृषीकेशकी और वहाँसे दूसरी लक्ष्मण झूलेकी थी।

हृषीकेशमें बहुतसे संन्यासी मिलने आये थे। उनमें से अकको मेरे जीवनमें बहुत दिलचस्पी पैदा हुयी। मेरे सिर पर शिखा और गलेमें जनेअू न देखकर अन्हें दुःख हुआ, और अन्होंने मुझसे पूछा — 'आप आस्तिक होते हुअे भी जनेअू और शिखा नहीं रखते हैं, अिससे हमारे समान लोगोंको दुःख होता है। ये दो हिन्दूधर्मकी बाह्य संज्ञायें हैं, और प्रत्येक हिन्दूको अन्हें धारण करना चाहिये।'

मैंने कहा — 'मैं जनेअू तो धारण नहीं करूँगा। जिसे न पहनते हुअे भी असंख्य हिन्दू हिन्दू माने जाते हैं, अुसे पहननेकी मैं अपने लिये कोअी जरूरत नहीं देखता। फिर, जनेअू धारण करनेका अर्थ है, दूसरा जन्म लेना; अर्थात् स्वयं संकल्पपूर्वक शुद्ध बनना, अूर्ध्वगामी बनना। आजकल हिन्दूसमाज और हिन्दुस्तान दोनों गिरी हुअी हालतमें हैं। ये दोनों जिस गिरी हुअी हालतमें हैं, अुसमें जनेअू धारण करनेका हमें अधिकार ही क्या है? हिन्दूसमाजको जनेअूका अधिकार तभी हो सकता है, जब वह अस्पृश्यताका मैल धो डाले,

अूँच-नीचकी वात भूल जाय, दूसरे जड़ जमाये हुअे दोपोंको दूर करे, और चारों ओर फैले हुअे अधर्म तथा पाखण्डको मिटावे। जिसलिअे जनेअू धारण करनेकी आपकी वात मेरे गले नहीं अुतरती। किन्तु शिखाके सम्बन्धमें आपकी वात मुझे अवश्य सोचनी होगी। मैं शिखा तो रखता था। अुसे मैंने शरम और डरके मारे ही कटा डाला है। मुझे लगता है कि शिखा धारण करनी चाहिये। मैं जिस सम्बन्धमें अपने साथियोंसे चर्चा कर लूँगा।'

जनेअूके विषयमें दी गयी मेरी दलील स्वामीको अच्छी न लगी।

जब वाह्य संज्ञा केवल आडंबर-रूप हो जाती है अथवा अपने धर्मको दूसरे धर्मसे अलग बतानेके काम आती है, तब वह त्याज्य हो जाती है। मैं नहीं देखता कि आजकल जनेअू हिन्दूधर्मको अूपर अुठानेका साधन है। जिसलिअे अुसके विषयमें मैं तटस्थ हूँ।

शिखाका त्याग स्वयं मेरे लिअे लज्जाजनक था, जिसलिअे साथियोंसे चर्चा करके मैंने अुसे धारण करनेका निश्चय किया।

हृषीकेश और लक्ष्मण झूलेके प्राकृतिक दृश्य बहुत भले लगे। प्राकृतिक कलाको पहचाननेकी पूर्वजोंकी शक्तिके विषयमें और कलाको धार्मिक स्वरूप देनेकी अुनकी दीर्घदृष्टिके विषयमें मैंने मन ही मन अत्यन्त आदरका अनुभव किया।

किन्तु मनुष्यकी कृतिसे चित्तको शांति न मिली। हरद्वारकी तरह ही हृषीकेशमें भी लोग रास्तोंको और गंगाके सुन्दर किनारोंको गन्दा कर देते थे। गंगाके पवित्र पानीको खराब करनेमें भी अुन्हें किसी प्रकारका संकोच न होता था।

लक्ष्मण झूला जाते हुअे लोहेका झूलता पुल देखा। वह पुल प्राकृतिक वातावरणको कलुषित करता था, और बहुत अप्रिय प्रतीत होता था। मेरी अुस समयकी वफ़ादारीको भी यह अुसह्य मालूम हुआ, कि यात्रियोंके जिस रास्तेकी चावी सरकारके हाथों सौंपी गयी थी।

आश्रमकी स्थापना

सन् १९१५ के मजी महीनेकी २५ तारीखके दिन सत्याग्रह आश्रमकी स्थापना हुअी। जब मैं अहमदावादसे गुजरा, तो अनेक मित्रोंने अहमदावाद पसंद करनेको कहा, और आश्रमका खर्च खुद ही उठा लेनेका जिम्मा लिया। मुन्होंने ही मकान खोजकर देना भी क्वूल किया।

अहमदावाद पर मेरी नजर टिकी थी। गुजराती होनेके कारण मैं मानता था कि गुजराती भाषाके द्वारा देशकी अधिक-से-अधिक सेवा कर सकूंगा। यह भी धारणा थी, कि चूंकि अहमदावाद पहले हाथकी बुनायीका केन्द्र था, इसलिये चरखेका काम यहीं अधिक अच्छी तरहसे हो सकेगा। साथ ही, यह आशा भी थी कि गुजरातका मुख्य नगर होनेके कारण यहांके धनी लोग धनकी अधिक मदद कर सकेंगे।

अहमदावादके मित्रोंके साथ जो चर्चायें हुआं, उनमें अस्पृश्योंका प्रश्न भी चर्चाका विषय बना था। मैंने स्पष्ट शब्दोंमें कहा था कि यदि कोई योग्य अन्त्यज भाभी आश्रममें दाखिल होना चाहेगा, तो मैं उसे जरूर दाखिल करूंगा।

मकानोंकी तलाश करते हुअे यह तय किया कि श्री जीवणलाल बैरिस्टरका कोचरबवाला मकान किरायेसे लिया जाय। मुझे अहमदावादमें बसानेकी जिन्होंने आगे बढ़कर कोशिश की थी, उनमें श्री जीवणलाल प्रमुख थे।

तुरंत ही प्रश्न उठा कि आश्रमका नाम क्या रखा जाय? मित्रोंसे सलाह की। हमें तो सत्यकी पूजा, सत्यकी शोध करनी थी, अुसीका आग्रह रखना था। और, दक्षिण अफ्रीकामें मैंने जिस पद्धतिका अुपयोग किया था, भारतवर्षको अुसका परिचय कराना था, और यह देखना था कि अुसकी शक्ति कहाँ तक व्यापक हो सकती है; इसलिये मैंने और

साथियोंने 'सत्याग्रह-आश्रम' नाम पसंद किया। जिस नाममें सेवाका और सेवाकी पद्धतिका भाव सहज ही प्रकट होता था।

आश्रमके संचालनके लिये नियमावली तैयार की और बस पर सम्मतिर्याँ माँगीं। सर गुरुदास वेनर्जीको नियमावली अच्छी लगी, किन्तु बुन्होंने सुझाया कि व्रतोंमें नम्रताके व्रतको स्थान देना चाहिये। यद्यपि मैं जगह-जगह नम्रताके अभावको अनुभव करता था, फिर भी आभास यह होता था कि नम्रताको व्रतमें स्थान देनेसे नम्रता नम्रता न रह जायगी। नम्रताका सम्पूर्ण अर्थ तो शून्यता है। जिस शून्यता तक पहुँचनेके लिये दूसरे व्रत आवश्यक हो सकते हैं। शून्यता तो मोक्षकी स्थिति है। मुमुक्षु अथवा सेवकके प्रत्येक कार्यमें नम्रता — निरभिमानता न हो, तो वह मुमुक्षु नहीं, सेवक नहीं; वह स्वार्थी है, अहंकारी है।

११०

कसौटी पर चढ़े

आश्रमको कायम हुये अभी कुछ ही महीने हुये थे, कि अितनेमें जैसी कसौटीकी मुझे आशा न थी, हमारी वैसी कसौटी हो गयी। भाभी अमृतलाल ठक्करका पत्र मिला — 'अेक गरीब और प्रामाणिक अन्त्यज परिवार है। वह आपके आश्रममें आकर रहना चाहता है। उसे भरती करेंगे?'

मैं चाँका सही। साथियोंको पत्र पढ़नेके लिये दिया। बुन्होंने स्वागत किया। भाभी अमृतलाल ठक्करको लिखा गया कि यदि वह परिवार आश्रमके नियमोंका पालन करनेको तैयार हो, तो उसे भरती करनेकी तैयारी है।

दूदाभायी, अुनकी पत्नी दानीवहन और दूध पीती व घुटनों चलती लक्ष्मी तीनों आये।

सहायक मित्र-मंडलीमें खलवली मच गयी। पैसेकी मदद बंद हुयी। बहिष्कारकी बातें मेरे कानों तक आने लगीं। मैंने साथियोंसे चर्चा करके तय कर रखा था कि — 'यदि हमारा बहिष्कार किया जाय, और हमें कहींसे कोयी मदद न मिले, तो भी अब हम अहमदाबाद नहीं छोड़ेंगे। अन्त्यजोंकी बस्तीमें जाकर अुनके साथ रहेंगे और जो भी कुछ मिलेगा, अुससे अथवा मजदूरी करके अपना निर्वाह करेंगे।

आखिर मंगनलालने मुझे नोटिस दिया — 'अगले महीने आश्रमका खर्च चलानेके लिये हमारे पास पैसे नहीं हैं।'

मैंने धीरजसे जवाब दिया — 'तो हम अन्त्यजोंकी बस्तीमें रहने जायेंगे।'

मुझ पर अैसा संकट यह पहली ही बार नहीं आया था। हर बार अंतिम घड़ीमें साँवलेने मदद भेजी ही है।

अिसके बाद तुरंत ही अेक दिन सबेरे अेक सेठ मोटरमें आये और आश्रमके बाहर आ खड़े हुअे। मैं मोटरके पास गया। सेठने मुझसे पूछा — 'मैं आश्रमको कुछ मदद देना चाहता हूँ। आप लेंगे?'

मैंने जवाब दिया — 'अगर आप कुछ देंगे, तो मैं जरूर लूंगा। मुझे कबूल करना चाहिये कि अिस समय मैं संकटमें भी हूँ।'

दूसरे दिन नियत समय पर मोटरका भोंपू बोला। सेठ अंदर न आये। मैं अुनसे मिलने गया। वे मेरे हाथमें रु० १३,०००)के नोट रखकर विदा हो गये। मुझे लगभग अेक वर्षका खर्च मिल गया।

अिस परिवारको आश्रममें रखकर आश्रमने बहुतेरे, पाठ सीखे हैं। और प्रारंभिक कालमें ही अिस बातके विलकुल स्पष्ट हो जानेसे कि आश्रममें अस्पृश्यताके लिये स्थान है ही नहीं, आश्रमकी मर्यादा निश्चित हो गयी, और अिस दिशामें अुसका काम बहुत सरल हो गया।

१११

गिरमिटकी प्रथा

नातालके गिरमिटियों पर लगा तीन पाँडका वार्षिक कर सन् १९१४ में बुटा दिया गया था, किन्तु गिरमिटकी प्रथा अभी तक बन्द न हुआ थी। भारतभूषण मालवीयजीने धारासभामें विस प्रश्नको बुटाया था, और लॉर्ड हार्डिंगने उनके प्रस्तावको स्वीकार करके घोषित किया था कि 'समय आने पर' विस प्रथाको नष्ट करनेका वचन मुझे सम्राटकी ओरसे मिला है। लेकिन मुझे तो स्पष्ट ही लगा कि विस प्रथाको तत्काल बन्द करनेका निर्णय ही जाना चाहिये। मैंने विस प्रश्नके सिलसिलेमें हिन्दुस्तानका दौरा शुरू किया।

दौरेकी शुरुआत बम्बयीसे की। बम्बयीकी सभाके प्रस्तावमें गिरमिटकी प्रथा बंद करनेकी विनती करनी थी। सवाल था कि कब बन्द की जाय। तीन सुझाव थे— 'जितनी जल्दी हो सके अतनी जल्दी,' '३१ वीं जुलायी' और 'तुरंत'। '३१ वीं जुलायी'का सुझाव मेरा था। मैं तो एक निश्चित तारीख चाहता था, जिससे अिस अवधिमें कुछ न हो, तो आगे क्या करना है अथवा क्या किया जा सकता है, विसकी सूझ पड़े। चर्चके बाद प्रस्तावमें अुक्त तारीख रखी गयी। आमसभामें अुक्त प्रस्ताव रखा गया, और सर्वत्र ३१ वीं जुलायी घोषित हुआ।

मैं कराची, कलकत्ता आदि स्थानोंमें भी हो आया था। सभी जगहोंमें अच्छी सभायें हुआं और सब कहीं लोगोंमें खूब अुत्साह था। जब मैंने आरंभ किया था, तब मुझे यह आशा न थी कि ऐसी सभायें होंगी और लोग अितनी संख्यामें हाजिर रहेंगे।

३१ वीं जुलायीसे पहले गिरमिटकी प्रथाके बन्द होनेका प्रस्ताव प्रकाशित हुआ। सन् १८९४ में विस प्रथाकी निन्दा करनेवाली

पहली अर्जी मैंने तैयार की थी, और आशा रखी थी कि किसी-न किसी दिन यह 'आधी गुलामी' रद्द होगी ही। सन् १८९४ से शुरू हुअे अिस प्रयत्नमें बहुतोंकी सहायता थी। किन्तु यह कहे विना नहीं रहा जाता कि अिसके पीछे शुद्ध सत्याग्रह था।

११२

नीलका दाग

जिस तरह चम्पारनमें आमके वन हैं, उसी तरह सन् १९१७ में वहाँ नीलके खेत थे। चम्पारनके किसान अपनी ही जमीनके ३/२० भागमें नीलकी खेती, अुसके असल मालिकोंके लिये करनेको कानूनसे बँधे हुअे थे। अिसे वहाँ 'तीन कठिया' कहा जाता था।

राजकुमार शुक्ल नामक चम्पारनके अेक किसान थे। अुन पर दुःख पड़ा था। यह दुःख अुन्हें अखरता था। लेकिन अपनी मुसीबतकी वजहसे अुनमें नीलके अिस दागको सबके लिये धो डालनेकी अेक लगन पैदा हो गयी थी।

जब मैं लखनअू कांग्रेसमें गया, तो वहाँ अिस किसानने मेरा पीछा पकड़ा। लखनअूसे मैं कानपुर गया था। वहाँ भी राजकुमार शुक्ल हाजिर मिले। जब मैं आश्रम पहुँचा, तो राजकुमार शुक्ल मेरे पीछे-पीछे वहाँ भी मौजूद थे। 'अब तो दिन मुकरर कीजिये।' मैंने कहा — 'देखिये, मुझे अमुक तारीखको कलकत्ता पहुँचना है। वहाँ आभिये, और मुझे ले जाभिये।' कलकत्तेमें मेरे भूपेन बाबूके घर पहुँचनेसे पहले अुन्होंने अुनके घर अपना डेरा डाल ही लिया था। अिस अनपढ़-अनगढ़ किन्तु निश्चयी किसानने मुझे जीत लिया।

सन् १९१७ के आरंभमें हम दोनों कलकत्तेसे रवाना हुअे। दोनोंकी अेकसी जोड़ी थी। दोनों किसान-जैसे ही मालूम होते थे। राजकुमार शुक्ल जिस गाड़ी पर ले गये, अुस गाड़ीमें हम दोनों सवार हुअे।

सवेरे पटना अतरे। वे मुझे राजेन्द्रवावूके घर ले गये। राजेन्द्रवावू पुरी या कहीं और गये थे।

बिहारमें तो छुआछूतका बहुत सख्त रिवाज था। मेरी बालटीके पानीके छींटे नौकरको भ्रष्ट करते थे। राजकुमारने मुझे अन्दरके पाखानेका अपयोग करनेको कहा। नौकरने बाहरके पाखानेकी ओर अिशाारा किया। मेरे लिये अिसमें परेशान या गुस्सा होनेका कोअी कारण न था। अिस प्रकारके अनुभव कर-करके मैं बहुत पक्का हो चुका था। अिन मनोरंजक अनुभवोंके कारण राजकुमार शुक्लके प्रति जिस तरह मेरा आदर बढ़ा, अुसी तरह अुनके संबंधका मेरा ज्ञान भी बढ़ा। पटनेसे लगाम मैंने अपने हाथमें ली।

११३

बिहारकी सरलता

किसी समय मौलाना मजहरलहक और मैं दोनों लंदनमें पढ़ते थे। अुसके बाद हम सन् '१५ की वम्बअी कांग्रेसमें मिले थे। अुन्होंने पुरानी पहचान बताकर मुझे पटना जाने पर अपने घर आनेका आमंत्रण दिया था। अिस आमंत्रणके सहारे मैंने अुन्हें चिट्ठी भेजी। वे तुरन्त अपनी मोटर लाये और मुझे अपने घर ले चलनेका आग्रह किया। मैंने अुनका आभार माना और अुनसे कहा कि जिस जगह मुझे जाना है, वहाँके लिये वे मुझको पहली ट्रेनसे रवाना कर दें। अुसी दिन शामको मुजफ्फरपुरके लिये ट्रेन जाती थी। अुन्होंने मुझे अुसमें रवाना किया। अुन दिनों आचार्य कृपलानी मुजफ्फरपुरमें रहते थे। मैंने अुन्हें तार किया। वे अध्यापक मलकानीके घर रहते थे। मुझे अुन्हींके यहाँ ले गये।

सवेरे मुवक्किलोंका अेक छोटा-सा दल मुझे मिलने आया। अुनमेंके रामनवमीप्रसादने अपने आग्रहके कारण मेरा ध्यान आकर्षित किया।

‘आप जो काम करने आये हैं, वह जिस जगहसे न होगा। गयाबाबू यहाँके प्रसिद्ध वकील हैं। उनकी ओरसे मैं आग्रह करता हूँ, कि आप उनके घर ठहरें। हम सब सरकारसे डरते तो हैं ही, लेकिन हमसे जितनी बनेगी, हम आपकी मदद करेंगे। राजकुमार शुक्लकी बहुत-सी बातें बिलकुल सच हैं। मैंने बाबू ब्रजकिशोरप्रसाद और राजेन्द्रप्रसादको तार किये हैं। वे दोनों फ़ौरन ही आ जायेंगे और आपको पूरी जानकारी व मदद दे सकेंगे।’

मैं गयाबाबूके घर गया। उन्होंने और उनके परिवारवालोंने मुझे प्रेमसे नहलाया।

ब्रजकिशोरबाबू और राजेन्द्रबाबू आये। ब्रजकिशोरबाबूके प्रति वकील-मंडलका आदरभाव देखकर मुझे सानन्द आश्चर्य हुआ। जिस मंडलीके और मेरे बीच जीवन-भरकी गाँठ बँध गयी।

ब्रजकिशोरबाबूने मुझे सारी हकीकतोंकी जानकारी दी। मैंने कहा—‘अब हमें मुक़दमे चलानेका खयाल छोड़ ही देना चाहिये। जहाँ सब कोसी अितने भयभीत रहते हैं, वहाँ कचहरियोंकी मारफ़त कोसी अिलाज थोड़े ही हो सकता है। लोगोंके लिये तो सच्ची औषध उनके डरको भगाना है। जब तक यह ‘तीन कठिया’ प्रथा रद्द न हो, हम सुखसे बैठ नहीं सकते। मैं तो दो दिनमें जितना देखा जा सके अतना देखने आया था। लेकिन अब देख रहा हूँ कि यह काम तो दो वर्ष भी ले सकता है। यदि इसमें अितना समय भी लगे, तो मैं उसे देनेको तैयार हूँ। मुझे यह तो सूझ रहा है कि जिस कामके लिये क्या करना चाहिये। लेकिन इसमें आपकी मदद जरूरी है।’

ब्रजकिशोरबाबूने शांत भावसे अुत्तर दिया—‘हमसे जो बनेगी सो मदद देंगे, लेकिन हमें समझाअिये कि आप किस प्रकारकी मदद चाहते हैं।’

जिस बातचीतमें हमने सारी रात बितायी। मैंने कहा—‘मुझे आपकी वकालतके अुपयोगकी कम ही जरूरत पड़ेगी। आपके समान

लोगोंसे तो मैं लेखक और दुभापियेका काम लेना चाहूँगा। मैं देखता हूँ, कि जिसमें जेल भी जाना पड़ सकता है। अगर आप जिस जोखिमको बुठाना न चाहें, तो भले न बुठायें। लेकिन वकालत छोड़कर लेखक बनने और अपने धंधेको अनिश्चित अवधिके लिये बन्द रखनेकी माँग करके मैं आप लोगोंसे कुछ कम नहीं माँग रहा हूँ। सारा काम सेवाभावसे और बिना पैसेके होना चाहिये।'

ब्रजकिशोरवावू समझे, किन्तु अन्होंने मुझेसे और अपने साथियोंसे जिरह की। अन्तमें अन्होंने अपना यह निश्चय प्रकट किया — 'हम अितने खोग आप जो काम हमें सौंपेंगे सो कर देनेके लिये तैयार रहेंगे। हममें से जितनोंको आप जिस समय चाहेंगे अतने आपके पास रहेंगे। जेल जानेकी बात नयी है। अुसके लिये हम शक्ति-संचयकी कोशिश करेंगे।'

११४

अहिंसा देवीका साक्षात्कार ?

मुझे तो किसानोंकी हालतकी जाँच करनी थी, किन्तु अुनके संपर्कमें आनेसे पहले मुझे यह आवश्यक मालूम हुआ कि मैं नीलके मालिकोंकी बात सुन लूँ और कमिश्नरसे मिल लूँ। दोनोंको चिट्ठी लिखी।

मालिकोंके मंत्रीके साथ जो मुलाकात हुआ, अुसमें अुसने साफ़ ही कह दिया कि आपकी गिनती परदेशीमें होती है। आपको हमारे और किसानोंके बीच कोअी दखल न देना चाहिये। कमिश्नर साहबसे मिला। अुन्होंने तो धमकाना ही शुरू किया और मुझे सलाह दी कि मैं आगे बढ़े बिना ही तिरहुत छोड़ दूँ।

मैंने सारी बातें साथियोंसे कहीं और कहा कि संभव है, सरकार मुझे जाँच करनेसे रोके और जेल जानेका समय मेरी अपेक्षासे भी पहले आ जावे। अगर गिरफ्तार ही होना है, तो मुझे मोतीहारीमें

और संभव हो तो वेतियामें गिरफ्तार होना चाहिये। और अिसके लिये वहाँ जल्दी-से-जल्दी पहुँच जाना चाहिये।

अिस विचारसे मैं अुसी दिन साथियोंको लेकर मोतीहारीके लिये रवाना हुआ। जिस दिन पहुँचे अुसी दिन सुना कि मोतीहारीसे कोअी पाँच मील दूर रहनेवाले अेक किसान पर अत्याचार किया गया था। मैंने निश्चय किया कि धरणीधरप्रसाद वकीलको साथ लेकर मैं दूसरे दिन सवेरे अुसे देखने जाऊँगा। सवेरे हाथी पर सवार होकर हम चल पड़े। आधे रास्ते पहुँचे होंगे, कि अितनेमें पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्टका आदमी वहाँ आ पहुँचा और मुझे बोला — 'सुपरिण्टेण्डेण्ट साहबने आपको सलाम भेजा है।' मैं समझ गया। अुस जासूसके साथ अुसकी भाड़ेकी गाड़ीमें सवार हुआ। अुसने मुझे चम्पारन छोड़कर जानेका नोटिस दिया। वह मुझे घर ले गया। मैंने अुसे जवाब लिख दिया कि मैं चम्पारन छोड़ना नहीं चाहता हूँ, मुझे तो आगे बढ़ना है और जाँच करनी है। निर्वासनकी आज्ञाका अनादर करनेके लिये मुझे दूसरे ही दिन कोर्टमें हाजिर रहनेका समन मिला।

मैंने सारी रात जागकर मुझे जो पत्र लिखने थे सो लिखे, और ब्रजकिशोरबाबूको सब प्रकारकी आवश्यक सूचनायें दीं।

समनकी बात अेक क्षणमें चारों ओर फैल गयी, और लोग कहते थे कि अुस दिन मोतीहारीमें जैसा दृश्य देखा गया, वैसा पहले कभी देखा न गया था। गौरखबाबूका घर और दफ्तर लोगोंकी भीड़से भर अुठा। लोग क्षण भरको दण्डका भय भुलाकर अपने नये मित्रके प्रेमकी सत्ताके अधीन हुअे।

यहाँ याद रखना चाहिये कि चम्पारनमें मुझे कोअी पहचानता न था। वहाँका किसानवर्ग बिलकुल अनपढ़ था। चम्पारनमें कहीं कांग्रेसका नाम न था। वहाँ लोगोंमें किसीने आजतक कोअी राजनीतिक काम किया ही न था। लोग चम्पारनके बाहरकी दुनियाको जानते न थे। अितने पर भी अुनका और मेरा मिलन पुराने मित्रों-जैसा लगा। अतअेव यह कहनेमें अतिशयोक्ति नहीं, बल्कि अक्षरशः सचायी है, कि

जिसके कारण मैंने वहाँ जीश्वरका, अहिंसाका और सत्यका साक्षात्कार किया। जब मैं जिस साक्षात्कारके अपने अधिकारकी जाँच करता हूँ, तो मुझे लोगोंके प्रति अपने प्रेमके सिवाय और कुछ नहीं मिलता। जिस प्रेमका अर्थ है, प्रेम अथवा अहिंसाके संबंधमें मेरी अविचल श्रद्धा।

११५

मुकदमा वापस लिया गया

मुकदमा चला। सरकारी वकील, मजिस्ट्रेट आदि घबराये हुए थे। अन्हें सूझ नहीं पड़ रहा था कि किया क्या जाय। सरकारी वकील सुनवाधी मुलतवी रखनेकी माँग कर रहा था। मैंने बीचमें दखल दिया और प्रार्थना की कि मुलतवी रखनेकी कोधी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे चम्पारन छोड़नेके नोटिसका अनादर करनेका गुनाह कबूल करना है। यह कहकर मैं उस बहुत ही छोटे वयानको पढ़ गया, जो मैंने तैयार किया था।

अब केसकी सुनवाधीको मुलतवी रखनेकी जरूरत तो रही न थी, किन्तु चूँकि मजिस्ट्रेट और वकीलने जिस परिणामकी आशा न की थी, अतएव सजाके लिये अदादतने केस मुलतवी रखा। जब सजाके लिये कोर्टमें जानेका समय हुआ, तो उससे कुछ पहले मेरे नाम मजिस्ट्रेटका हुकम आया कि गवर्नर साहबके हुकमसे मुकदमा वापस ले लिया गया है। साथ ही कलेक्टरका पत्र मिला कि मुझे जो जाँच करनी हो, मैं कहूँ, और उसमें अधिकारियोंकी ओरसे जो मदद आवश्यक हो, सो माँगूँ।

सारे हिन्दुस्तानको सत्याग्रहका अथवा कानूनके सविनय-भंगका पहला स्थानीय पदार्थपाठ प्राप्त हुआ। अखबारोंमें जिसकी ख़ब चर्चा हुयी, और यों चम्पारनका तथा मेरी जाँचका अनपेक्षित रीतिसे विज्ञापन हुआ।

यद्यपि अपनी जाँचके लिये मुझे संसारकी ओरसे निष्पक्षपातताकी जरूरत थी, फिर भी अखबारोंकी चर्चा और उनके संवाददाताओंकी जरूरत न थी; यही नहीं, वल्कि उनकी अतिशय टीका और जाँचकी लम्बी-चौड़ी रिपोर्टोंसे हानि होनेका भय था। इसलिये मैंने खास खास अखबारोंके सम्पादकोंसे प्रार्थना की थी कि वे रिपोर्टोंको भेजनेका खर्च न अुठावें; जितना छपानेकी जरूरत होगी, उतना मैं भेजता रहूँगा और उन्हें खबर देता रहूँगा।

मैंने इस लड़ाईको कभी राजनीतिक रूप धारण न करने दिया। राजनीतिक काम करनेके लिये भी, जहाँ राजनीतिकी गुंजायिश न हो, वहाँ उसे राजनीतिका स्वरूप देनेसे पाँडेको दोनों दीनसे जाना पड़ता है, और इस प्रकार विषयका स्थानान्तर न करनेसे दोनों सुधरते हैं। चम्पारनकी लड़ाई सिद्ध कर रही थी कि शुद्ध लोक-सेवामें प्रत्यक्ष नहीं, तो भी परोक्ष रीतिसे राजनीति मौजूद ही रहती है।

११६

कार्यपद्धति

अगर गोरखवावूके घर रहकर यह जाँच चलानी हो, तो गोरखवावूको अपना घर खाली करना पड़े। मौंतीहारीमें अभी लोग अितने निभंय नहीं हुअे थे, कि कोई माँगते ही मुझे अपना मकान किराये दे दे। किन्तु चतुर ब्रजकिशोरवावूने अेक लम्बी-चौड़ी जमीनवाला मकान किराये पर लिया और हम अुसमें रहने गये।

अैसी स्थिति नहीं थी कि हम विलकुल विना पैसेके अपना काम चला सकें। जरूरत पड़ने पर ब्रजकिशोरवावू अपनी जेबसे खर्च कर लेते, और कुछ मित्रोंसे भी वसूल करते। यह दृढ़ निश्चय था कि चम्पारनकी जनतासे अेक कौड़ी भी न ली जाय। वह ली जाती, तो अुसके गलत अर्थ लगाये जाते। यह भी निश्चय था कि इस जाँचके लिये हिन्दुस्तानमें सार्वजनिक चंदा न किया जाय। वैसा करने पर यह

जाँच राष्ट्रीय और राजनीतिक रूप वारण्य कर लेती। बम्बईसे मित्रोंने २० १५,०००)की मददका तार भेजा। निश्चय यह हुआ कि ब्रजकिशोरबाबूका दल बिहारके खुगहाल लोगोंसे जितनी मदद ले सके, ले और कम पड़नेवाली रकम में डॉक्टर प्राणजीवनदास महेतासे प्राप्त कर लें। डॉक्टर महेताने लिखा कि जो चाहिये, सो भेगा लें। अतएव द्रव्यके संबंधमें हम निश्चित हुए।

शुद्धके दिनोंमें हमारी रहन-सहन विचित्र थी। बकील-मंडलमें हरएकका अपना रसोआिया था, और हरएकके लिये अलग रसोआी बनती थी। ये सब महाशय रहते तो अपने स्वर्चसे ही थे, किन्तु मेरे लिये अुनकी यह रहन-सहन अुपाधिरूप थी। वे मेरे शब्द-वाणोंको प्रेम-पूर्वक सहते थे। आखिर यह तय हुआ कि नौकरोंको छुट्टी दी जाय, सब अेक साथ खायें, भोजनके नियमोंका पालन करें, और अेक ही रसोआीघरमें सबके लिये केवल निरामिप भोजन ही बनाया जाय। जिससे स्वर्चमें बहुत बचत हुयी, काम करनेकी शक्ति बढी और समय बचा।

किसानोंके दल-के-दल अपनी कहानी लिखाने आने लगे। कहानी लिखनेवालोंको कुछ नियमोंका पालन करना होता था। यद्यपि जिसके कारण समय थोड़ा अधिक स्वर्च होता था, फिर भी बयान बहुत सच्चे और सावित हो सकनेवाले मिलते थे।

जिन बयानोंके लेते समय खुफिया पुलिसका कोडी-न-कोडी अधिकारी हाजिर रहता था। अुसके मुनते और देखते ही सारे बयान लिये जाते थे। जिसका अेक यह लाभ हुआ कि लोगोंमें निर्भयता पैदा हुयी, और जिस डरसे कि झूठ बोलने पर कहीं अधिकारी अुन्हें फाँद न लें, अुनको सावधानीसे बोलना पड़ता था।

मैं निलह्हे गोरोंको गिझाना न चाहता था, बल्कि मुझे तो अुन्हें विनय द्वारा जीतनेका प्रयत्न करना था। जिसलिये जिसके विरुद्ध विशेष शिकायतें आतीं, अुसे मैं पत्र लिखता और अुससे मिलनेका प्रयत्न भी करता। अुनमेंसे कुछ मेरा निरस्कार करते, कुछ अुदासीन रहते और कुछ विनय प्रकट करते।

गाँवोंमें

जैसे-जैसे मैं अनुभव प्राप्त करता गया, वैसे-वैसे मुझे लगा कि अगर चम्पारनमें ठीकसे काम करना हो, तो गाँवोंमें शिक्षाका प्रवेश होना चाहिये। लोगोंका अज्ञान दयाजनक था। गाँवोंमें बच्चे मारे-मारे फिरते थे अथवा माँ-बाप अन्तसे नीलके खेतोंमें दिनभर मजदूरी कराते थे, ताकि अन्हें दिनके दो या तीन पैसे मिल सकें।

साथियोंसे चर्चा करके प्रथम छः गाँवोंमें बच्चोंके लिये पाठशालाओं खोलनेका निश्चय किया। शर्त यह थी कि अुस-अुस गाँवके अगुओंको मकान और शिक्षकके भोजनका खर्च खुद जुटाना था और बाक्री दूसरे खर्चकी व्यवस्था मुझे करनी थी।

सबसे बड़ा सवाल यह था कि शिक्षक कहाँसे लाये जायँ? मैंने अेक आम अपील द्वारा अिस कामके लिये स्वयंसेवकोंकी माँग की। बारह शिक्षकों और शिक्षिकाओंका अेक दल बना।

लेकिन मुझे सिर्फ शिक्षाकी व्यवस्था करके ही रुकना न था। गाँवोंमें गन्दगीका पार न था। बड़ोंको स्वच्छताकी शिक्षा देना आवश्यक था। चम्पारनके लोग रोगोंसे पीड़ा पाते देखे गये थे।

अिस कामके लिये डॉक्टरकी सहायता आवश्यक थी, और मुझे यह सहायता मिल गयी।

सबके बीच तय यह हुआ था कि कोअी निलहे गोरोंके खिलाफ़ दावा दायर न करे, राजनीतिको हाथ न लगाये; कोअी अपने क्षेत्रके बाहर अेक कदम भी आगे न वढ़े। चम्पारनके अिन साथियोंका नियम-पालन अद्भुत था।

पाठशाला, सफ़ाअी और दवाके कामसे लोगोंमें स्वयंसेवाके प्रति विश्वास और आदर वढ़ा, और अुन पर अच्छा असर पड़ा।

लेकिन मुझे खेदके साथ यह कहना चाहिये कि जिस कामको स्थायी रूपसे करनेकी मेरी विच्छा पूरी न हो सकी। तिसपर भी छः महीनों तक जो काम वहाँ हुआ, उसने अपनी जड़ें बितनी जमा लीं कि किसी-न-किसी स्वरूपमें आज तक वहाँ उसका वह बसर बना हुआ है।

११८

अजला पहलू

एक ओरसे समाज-सेवाका काम हो रहा था, और दूसरी ओरसे लोगोंके दुःखोंकी कहानियाँ लिखनेका काम अतरोत्तर बढ़ते पैमाने पर हो रहा था। निलहे गोरोंका क्रोध बढ़ने लगा। मेरी जाँचको बन्द करानेकी अनुकी कोशिशें बढ़ती गयीं।

एक दिन मुझे बिहार-सरकारका पत्र मिला। उसका भावार्थ यों था — 'आपकी जाँचको शुरू हुई काफी बरसा हो चुका है, अतः अब आपको अपनी जाँच बन्द करके बिहार छोड़ देना चाहिये।' पत्र विनय-पूर्वक लिखा गया था, पर उसका अर्थ स्पष्ट था। मैंने लिखा कि जाँचका काम तो अभी देर तक चलेगा और समाप्त होने पर भी जब तक लोगोंके दुःख दूर न हों, मेरा बिरादा बिहार छोड़कर जानेका नहीं है।

गवर्नर सर अेडवर्ड गेटने मुझे बुलाया और कहा कि वे स्वयं एक जाँच-समिति नियुक्त करना चाहते हैं; अन्होंने मुझे उसका सदस्य बननेके लिये निमंत्रित किया। समितिके दूसरे नाम देखनेके बाद मैंने साथियोंसे सलाह की और जिस शर्तके साथ सदस्य बनना कबूल किया कि मुझे अपने साथियोंसे सलाह-मशविरा करनेकी आजादी रहनी चाहिये; और सरकारको यह समझ लेना चाहिये कि सदस्य बन जानेसे मैं किसानोंकी हिमायत करना छोड़ न दूंगा, तथा जाँच हो चुकने पर मुझे संतोष न हुआ, तो किसानोंका मार्ग-दर्शन करनेकी अपनी स्वतंत्रताको मैं हाथसे जाने न दूंगा।

सर अेडवर्ड गेटने अिन शर्त्तोको मुनासिव मानकर अिन्हें मंजूर किया। जाँच-समितिने किसानोंकी सारी शिकायतोंको सही ठहराया, और निलहे गोरोंने जो रकम अनुचित रीतिसे वसूल की थी अुसका कुछ अंश लौटाने तथा 'तीन कठिया' के कानूनको रद्द करनेकी सिफ़ारिश की।

अिस रिपोर्टके सांगोपांग तैयार होने और अन्तमें कानूनके पास होनेमें सर अेडवर्ड गेटका बहुत बड़ा हाथ था। अुन्होंने समितिकी सिफ़ारिशों पर पूरा-पूरा अमल किया।

अिस प्रकार सौ सालसे चले आनेवाले 'तीन कठिया' कानूनके रद्द होते ही अुसके साथ निलहे गोरोंके राज्यका अस्त हुआ, जनताका जो समुदाय वरावर दवा ही रहता था, अुसे अपनी शक्तिका कुछ भान हुआ, और लोगोंका यह वहम दूर हुआ कि नीलका दाग धोये धुल ही नहीं सकता।

११९

मजदूरोंके संपर्कमें

चम्पारनमें अभी मैं समितिके कामको समेट ही रहा था, कि अितनेमें खेड़ासे मोहनलाल पंड्या और शंकरलाल परीखका पत्र आया कि खेड़ा जिलेमें फ़सल नष्ट हो गयी है, और लगान माफ़ करानेकी ज़रूरत है। अुन्होंने आग्रह-पूर्वक लिखा था कि मैं वहाँ पहुँचूँ और लोगोंकी रहनुमाजी करूँ। मौक़े पर पहुँचकर जाँच किये बिना कोअी सलाह देनेकी मेरी अिच्छा न थी, न मुझमें वैसी शक्ति या हिम्मत ही थी।

दूसरी ओरसे श्री अनसूयावाजीका पत्र अुनके मजदूर-संघके वारेमें आया था। मजदूरोंकी तनख्वाहें कम थीं। तनख्वाह बढ़ानेकी अुनकी मांग बहुत पुरानी थी। अिस मामलेमें अुनकी रहनुमाजी करनेका अुत्साह मुझमें था। लेकिन मुझमें यह क्षमता न थी कि अिस अपेक्षाकृत छोटे

प्रतीत होनेवाले कामको भी मैं दूर बँठा कर सकूँ। जिसलिये मीका मिलते ही मैं तुरंत अहमदावाद पहुँचा।

अहमदावादमें खेड़ा जिलेके कामके बारेमें सलाह-मशविरा हो ही रहा था कि जिस बीच मैंने मजदूरोंका काम अपने हाथमें ले लिया।

मेरी हालत बहुत नाजुक थी। मजदूरोंका मामला मुझे मजबूत मालूम हुआ। मिल-मालिकोंके साथ मेरा संबंध मीठा था। उनके विरुद्ध लड़नेका काम विकट था। उनसे चर्चायें करके प्रार्थना की कि वे मजदूरोंकी माँगके संबंधमें पंच नियुक्त करें। किन्तु मालिकोंने अपने और मजदूरोंके बीच पंचके हस्तक्षेपकी योग्यताको स्वीकार न किया।

मैंने मजदूरोंको हड़ताल करनेकी सलाह दी।

रोज नदी किनारे अेक पेड़की छायातले हड़तालियोंकी सभा होने लगी। उसमें वे रोज सैकड़ोंकी संख्यामें हाजिर रहते थे। मैं उन्हें रोज प्रतिज्ञाका स्मरण कराता तथा शांति बनाये रखने और स्वाभिमानकी रक्षा करनेकी आवश्यकता समझाता था।

१२०

आश्रमकी झाँकी

मजदूरोंकी चर्चाको आगे चलानेसे पहले यहाँ आश्रमकी झाँकी कर लेना आवश्यक है।

आश्रमकी जगह कोचरव गाँवमें थी। वहाँ प्लेग शुरू हुआ। प्लेगको मैंने कोचरव छोड़नेका नोटिस माना। श्री पूजाभाजी हीराचंदने आश्रमके लिये आवश्यक ज़मीनकी खोज तुरंत ही कर लेनेका बीड़ा बुटाया। उन्होंने आजके आश्रमवाली ज़मीनका पता लगा लिया। जिसमें मेरे लिये खास प्रलोभन यह रहा कि यह ज़मीन जेलके पास है।

कोजी आठ दिनके अंदर ही ज़मीनका सौदा तय किया। ज़मीन पर न कोजी मकान था, न कोजी पेड़ था। नदीका किनारा और

अकान्त, ज़मीनके हक़में ये दो बड़ी सिफ़ारिशें थीं। हमने तम्बुओंमें रहनेका निश्चय किया, और सोचा कि धीरे-धीरे स्थायी मकान बनाना शुरू कर देंगे।

स्थायी मकान बननेसे पहलेकी कठिनायियोंका पार न था। बारिशका मौसम सामने था। जिस निर्जन ज़मीनमें साँप वग़ैरा थे ही। रिवाज यह था कि सर्पादिकी मारा न जाय। लेकिन अुनके भयसे मुक्त तो हममें से कोअी भी न था, आज भी नहीं है।

फिनिक्स, टॉल्स्टॉय फार्म और सावरमती, तीनों जगहोंमें हिंसक जीवोंको न मारनेके नियमका यथाशक्ति पालन किया गया है। तीनों जगहोंमें निर्जन ज़मीनें वसानी पड़ी थीं। तीनों स्थानोंमें सर्पादिका अुपद्रव ठीक-ठीक था। तिस पर भी आज तक अेक भी जान खोनी न पड़ी, जिसमें मेरे समान श्रद्धालुको तो अीश्वरके हाथका, अुसकी कृपाका ही दर्शन होता है। कोअी यह निरर्थक शंका न अुठावे कि अीश्वर कभी पक्षपात नहीं करता, मनुष्यके दैनिक कामोंमें दखल देनेके लिये वह निकम्मा नहीं बैठा है, आदि। मैं जिस चीज़को, जिस अनुभवको, दूसरी भाषामें रखना नहीं जानता। अीश्वरकी कृतिको लौकिक भाषामें प्रकट करते हुअे भी मैं जानता हूँ कि अुसका 'कार्य' अवर्णनीय है। किन्तु यदि पामर मनुष्य वर्णन करने बैठे, तो अुसके पास तो अपनी तोतली बोली ही हो सकती है। साधारणतः सर्पादिको न मारने पर भी समाजके पच्चीस वर्ष तक वचे रहनेको संयोग माननेके बदले अीश्वरकी कृपा मानना वहम हो, तो अैसा वहम भी संग्रह-योग्य है।

अुपवास

मजदूरोंने शुरूके दो हफ्तों तक खूब हिम्मत दिखायी; शांति भी खूब रखी; प्रतिदिनकी सभाओंमें बड़ी संख्यामें हाजिर भी रहे। प्रतिज्ञाका स्मरण तो मैं अुन्हें रोज़ कराता ही था। वे रोज़ पुकार-पुकार कर कहते थे — 'हम मर मिटेंगे, लेकिन अपनी टेक कभी न छोड़ेंगे।'

लेकिन आखिर वे कमजोर पड़ने लगे, और मुझे डर मालूम हुआ कि कहीं वे किसीके साथ ज़बरदस्ती न कर बैठें। मैं यह सोचने लगा कि जैसे समयमें मेरा बर्न क्या हो सकता है। जिस प्रतिज्ञाके करनेमें मेरी प्रेरणा थी, जिसका मैं प्रतिदिन साक्षी बनता था, वह प्रतिज्ञा क्योंकर टूटे? जिस विचारको आप चाहे अभिमान कहिये, चाहे जिसे मजदूरोंके प्रति और सत्यके प्रति प्रेम कहिये।

सबरेका समय था। मैं सभामें बैठा था। मुझे कुछ पता न था, कि मुझेको क्या करना है। किन्तु सभामें ही मुंहसे निकल गया — 'यदि मजदूर फिरसे तैयार न हों और फ़ैसला होने तक हड़तालको चला न सकें, तो और तब तक मुझे अुपवास करने हैं।'

जो मजदूर हाजिर थे, वे सब हक्के-बक्के रह गये। वे अेक साथ कह अुठे — 'आप नहीं, हम अुपवास करेंगे। लेकिन आपको अुपवास करने न चाहिये, हमें माफ़ कीजिये, हम अपनी प्रतिज्ञा पालेंगे।'

मैंने कहा — 'आपको अुपवास करनेकी ज़रूरत नहीं। आपके लिये तो यही बस है कि आप अपनी प्रतिज्ञाका पालन करें। हमारे पास पैसा नहीं है। हम मजदूरोंको भीखका अन्न खिलाकर हड़ताल चलाना नहीं चाहते। आप कुछ मजदूरी कीजिये और अुससे अपनी रोज़की रोटीके लायक पैसा कमा लीजिये; अैसा करेंगे, तो फिर हड़ताल कितने ही दिन क्यों न चले, आप निश्चिन्त रह सकेंगे। मेरा अुपवास तो अब फ़ैसलेसे पहले न टूटेगा।'

जिस अुपवासमें अेक दोष था। मालिकोंके साथ मेरा संवंध मीठा था। जिसलिये अुन पर अुपवासका प्रभाव पड़े विना रह ही न सकता था। मैं जानता था कि सत्याग्रहीके नांते मैं अुनके विरुद्ध अुपवास कर ही नहीं सकता। अुन पर कोअी प्रभाव पड़े, तो वह मजदूरोंकी हड़तालका ही पड़ना चाहिये। मेरा प्रायश्चित्त अुनके दोषोंके लिये न था; मजदूरोंके दोषोंके निमित्तसे था। मैं मजदूरोंका प्रतिनिधि था, जिसलिये अुनके दोषसे मैं दोषित होता था। मालिकोंसे मैं केवल प्रार्थना ही कर सकता था, अुनके विरुद्ध अुपवास करना अुन पर ज्यादती करनेके समान था। फिर भी मैं जानता था कि मेरे अुपवासका प्रभाव अुन पर पड़े विना रहेगा ही नहीं। प्रभाव पड़ा भी। किन्तु मैं अपने अुपवासको रोक न सकता था। मैंने स्पष्ट देखा कि अैसा दोषमय अुपवास करना मेरा धर्म है।

मैंने मालिकोंको समझाया — 'मेरे अुपवासके कारण आपको अपना मार्ग छोड़नेकी तनिक भी जरूरत नहीं।' अुन्होंने मुझे कड़ुअे-मीठे ताने भी दिये। अुन्हें वैसा करनेका अधिकार था।

मालिक केवल दयावश होकर समझौता करनेका मार्ग ढूँढने लगे। श्री आनंदशंकर ध्रुव भी वीचमें पड़े। आखिर वे पंच बनाये गये, और हड़ताल टूटी। मुझे केवल तीन अुपवास करने पड़े। मालिकोंने मजदूरोंमें मिठाअी वाँटी। अिक्कीस दिनमें समझौता हुआ।

बढ़ती मालूम हुई, वैसे-वैसे सरकारको भी अधिक अग्र कार्यवाही करनेकी इच्छा हुई। लोगोंमें घबराहट फैली। कुछने लगान जमा कर दिया। दूसरे मन ही मन यह चाहने लगे कि सरकारी अधिकारी उनका सामान जप्त करके लगान वसूल कर लें, तो भर पायें। कुछ मर-मिटने वाले भी निकले।

भयभीत लोगोंको प्रोत्साहित करनेके लिये मोहनलाल पंड्या ने नेतृत्वमें मैंने एक अैसे खेतमें खड़ी प्याजकी तयार फ़सलको अुत्तार लेनेकी सलाह दी, जो अनुचित रीतिसे जप्त किया गया था। मेरी दृष्टिमें इससे क़ानूनका भंग न होता था। लेकिन अगर क़ानून टूटता होता तो भी मैंने यह सुझाया कि मामूली-से लगानके लिये समूची तैयार फ़सलको जप्त करना क़ानूनन ठीक होने पर भी नीति-विरुद्ध है और स्पष्ट लूट है। अतएव इस प्रकार की ग़बी ज़ब्तीका अनादर करना धर्म है।

मोहनलाल पंड्या और अुनके साथियोंके गिरफ़्तार होने पर लोगोंका अुत्साह बढ़ा।

अिस लड़ाईका अन्त विचित्र रीतिसे हुआ। साफ़ था कि लोथक चुके थे। मेरा झुकाव अिस ओर था कि सत्याग्रहीके अुनुरूप प्रतीत होनेवाला अिसकी समाप्तिका कोअी शोभाजनक अुपाय मिल जाय, तब अुसका सहारा लेना ठीक होगा। अैसा एक अुपाय अनसोचा सामने आ गया। नडियाद तालुकेके तहसीलदारने सँदेशा भेजा कि अगर अच्छी हालत वाले पाटीदार लगान भर दें, तो ग़रीबोंका लगान मुलतवी रहेगा। साज़िलेकी ज़िम्मेदारी तो कलेक्टर ही अुठा सकता था, अिसलिये मैं कलेक्टरसे पूछा। अुनका जवाब मिला कि तहसीलदारने जो कहा है अुसके अुनुसार तो हुकम जारी हो ही चुका है। प्रतिज्ञामें यही वस्तु थी अिसलिये अिस हुकमसे संतोष हुआ।

फिर भी अिस प्रकारकी समाप्तिसे हम कोअी प्रसन्न न हो सके सत्याग्रहकी लड़ाईके पीछे जो मिटास होती है, सो अिसमें नहीं थी कलेक्टर मानता था कि अुसने नया कुछ किया ही नहीं। ग़रीब लोगोंके छोड़नेकी बात कही जाती थी, किन्तु वे शायद ही छूट पाये। जनत

यह कहनेका अधिकार आजमा न सकी कि गरीबमें किसकी गिनती की जाय। मुझे दुःख था कि जनतामें जिस प्रकारकी शक्ति रही न थी। अतःवेव लड़ायीकी समाप्तिका अुत्सव तो मनाया गया, पर जिस दृष्टिसे वह मुझे निस्तेज ही लगा।

सत्याग्रहका शुद्ध अन्त वही माना जाता है, कि जब जनतामें आरंभकी अपेक्षा अन्तमें अधिक तेज और शक्ति पायी जाती है। मैं जिसका दर्शन न कर सका।

फिर भी खेड़ाकी लड़ायीसे गुजरातके किसान-समाजकी जागृत्तिका और अुसकी राजनीतिक शिक्षाका श्रीगणेश हुआ।

१२३

अैक्यकी अुत्कण्ठा

जिन दिनों खेड़ाका मामला चल रहा था, अुन दिनों युरोपका महायुद्ध भी जारी ही था। वाजिसरायने अुसके सिलसिलेमें नेताओंको दिल्ली बुलाया था। मुझसे आग्रह किया गया था कि मैं अुसमें हाजिर होऊँ।

मैंने निमंत्रण स्वीकार किया और मैं दिल्ली गया। किन्तु जिस सभामें सम्मिलित होते समय मेरे मनमें अेक संकोच तो था ही। मुख्य कारण यह था कि जिस सभामें अलीभाधियोंको, लोकमान्यको और दूसरे नेताओंको निमंत्रित नहीं किया गया था। अुस समय दोनों अलीभायी जेलमें थे।

जिस वातको ती मैं दक्षिण अफ्रीकामें ही समझ चुका था कि हिन्दू-मुसलमानके बीच सच्चा मित्र-भाव नहीं है। मैं वहाँ अैसे अेक भी अुपायको हाथसे जाने न देता था, जिससे दोनोंके बीचकी खटाबी दूर हो। झूठी खुशामद करके अथवा सत्त्व खोकर अुनको या किसी औरको रिक्षाना मेरे स्वभावमें न था। लेकिन वहीसे मेरे दिलमें यह वात जमी

हुआ थी कि मेरी अहिंसाकी कसौटी और असका विशाल प्रयोग जिस अकताके सिलसिलेमें ही होगा। आज भी मेरी यह राय कायम है।
 अश्वर प्रतिक्षण मुझे कसौटी पर कस रहा है।

जिस प्रकारके विचार लेकर मैं बम्बयीके बंदरगाह पर अउतरा था, जिसलिये वहाँ मुझे जिन दोनों भाजियोंसे मिलना अच्छा लगा। हमारा स्नेह बढ़ता गया।

अलीभाजियोंको छुड़ानेके लिये मैंने सरकारके साथ पत्र-व्यवहार शुरू किया। उसके निमित्तसे अउन भाजियोंकी खिलाफत संबंधी हलचलका अध्ययन किया। मैंने अनुभव किया कि अगर मैं मुसलमानोंका सच्चा मित्र बनना चाहता हूँ, तो मुझे अलीभाजियोंको छुड़ानेमें और खिलाफतके प्रश्नको न्याय-पूर्वक सुलझानेमें पूरी मदद करनी चाहिये। मेरे लिये खिलाफतका सवाल सहल था। मुझे उसके स्वतंत्र गुण-दोष देखनेकी जरूरत न थी। मुझे यह लगा कि अगर उसके संबंधकी मुसलमानोंकी माँग नीति-विरुद्ध न हो, तो मुझे मदद करनी चाहिये। मुझको खिलाफत-संबंधी माँग न केवल नीति-विरुद्ध नहीं प्रतीत हुअी, बल्कि चूँकि ब्रिटेनके प्रधानमंत्री लॉयड ज्यॉर्जने जिस माँगको कबूल किया था, जिसलिये मुझे तो अउनसे अउनका वचन पलवानेका ही प्रयत्न करना था।

चूँकि मैंने खिलाफतके मामलेमें मुसलमानोंका साथ दिया था, जिसलिये जिस संबंधमें मित्रों और आलोचकोंने मेरी काफ़ी आलोचना की है। अउन सब पर विचार करनेके बाद भी, जो राय मैंने बनाअी, और जो मदद दी तथा दिलाअी, उसके बारेमें मुझे कोअी पश्चात्ताप नहीं है।

रँगरूटोंकी भरती

मैं सभामें हाज़िर हुआ। वाक्सरायकी तीव्र विच्छा थी कि मैं सिपाहियोंकी मददवाले प्रस्तावका समर्थन करूँ। मैंने हिन्दी-हिन्दुस्तानीमें बोलनेकी विजाज़त चाही। वाक्सरायने विजाज़त दी, किन्तु साय ही अंग्रेज़ीमें बोलनेको कहा। मैंने वहाँ जो कहा सो बितना ही था— 'मुझे अपनी जिम्मेदारीका पूरा खयाल है, और उस जिम्मेदारीको समझते हुये भी मैं बिस प्रस्तावका समर्थन करता हूँ।'

हिन्दुस्तानीमें बोलनेके लिये मुझे बहुतोंने वन्यवाद दिये। वे कहते थे कि बिधरके ज़मानेमें वाक्सरायकी सभामें हिन्दुस्तानी बोलनेका यह पहला ही अुदाहरण था। वन्यवादकी और पहले अुदाहरणकी बात सुनकर मुझे दुःख हुआ। मैं शरमाया। अपने ही देशमें, देशसे संबन्ध रखनेवाले कामकी सभामें, देशकी भाषाका वहिष्कार अथवा उसकी अवगणना कितने दुःखकी बात थी !

मुझे रँगरूटोंकी भरती करनी थी। इसकी याचना मैं खेड़ामें न करूँ, तो और कहाँ करूँ? साथियोंमें से कुछके गले बात तुरत अुतरी नहीं। जिनके अुतरी, अुन्होंने कार्यकी सफलताके वारेमें शंका प्रकट की। जिन लोगोंमें से भरती करनी थी, अुन लोगोंमें सरकारके प्रति किसी प्रकारकी मुहव्वत न थी। सरकारके अफ़सरोंका जो कहुवा अनुभव हुआ था, वह अभी ताज़ा ही था।

फिर भी सब बिस पक्षमें थे कि काम शुरू कर दिया जाय। शुरू करते ही मेरी आँख खुली। मेरा आवावाद भी कुछ शिथिल पड़ा।

वीरे-वीरे हमारे सतत कार्यका प्रभाव लोगों पर पड़ने लगा था। वैसे, नाम भी काफ़ी संख्यामें दर्ज होने लगे थे, और हम यह मानने लगे थे कि अगर पहली टुकड़ी निकल पड़े, तो दूसरोंके लिये रास्ता खुल जायगा।

मौतके बिछौने पर

रँगल्टोंकी भरती करते-करते मेरा शरीर काफ़ी क्षीण हो गया। अन्त दिनों मेरे आहारमें मुख्यतः सिंकी हुआ और कूटी हुआ मूंगफली, अुसके साथ थोड़ा गुड़, केले वगैरा फल और दो तीन नीवूका पानी, अितनी चीजें रहा करती थीं। मैं यह जानता था कि अधिक मात्रामें खानेसे मूंगफली नुक़सान करती है। फिर भी वह अधिक खायी गयी। अुसके कारण पेटमें सहज अँठन रहने लगी। मुझे यह अँठन बहुत ध्यान देने योग्य प्रतीत न हुआ। रात आश्रम पहुँचा। अुनं दिनोंमें दवा वगैरा क्वचित् ही लेता था। विश्वास यह था कि अेक वारका खाना छोड़ देनेसे दर्द मिट जायगा। दूसरे दिन सवेरे कुछ भी न खाया था, अिसलिये यह दर्द लगभग वन्द हो चुका था।

अुस दिन कोअी त्योहार था। मैंने कस्तूरवाअीसे कह दिया था कि मैं दोपहरको भी नहीं खाऊँगा। लेकिन अुसने मुझे ललचाया, और मैं लालचमें फँस गया। मेरे लिये तेलमें भूने हुअे गेहूँकी लपसी बनाअी थी और खासकर मेरे लिये ही पूरे मूंग भी रख छोड़े थे। मैं स्वादके वश होकर पसीजा। पसीजते हुअे भी अिच्छा तो यह रखी थी कि कस्तूरवाअीको खुश करनेके लिये थोड़ा कुछ खा लूँगा, स्वाद भी ले लूँगा और शरीरकी रक्षा भी कर लूँगा। लेकिन जब खाने वैठा, तो थोड़ा खानेके वदले पेट भरकर खा गया। अिस प्रकार स्वाद तो पूरा किया, पर साथ ही यमराजको न्योता भी भेज दिया। खानेके बाद अेक घण्टा भी न वीता था, कि ज़ोरकी अँठन शुरू हो गयी।

रात नडियाद तो वापस जाना ही था।

हम नडियाद पहुँचे। वहाँसे अनाथाश्रम तक जाना था, जो आघ मीलसे कुछ कम ही दूर था। लेकिन अुस दिन यह दूरी दस मीलके

वरावर मालूम हुआ। बड़ी मुश्किलसे घर पहुँचा। लेकिन पेटका दर्द बढ़ता ही जाता था। १५-१५ मिनटसे पाखानेकी हाजत मालूम होती थी। आखिरमें मैं हारा। मैंने अपनी असह्य वेदना प्रकट की और विछीना पकड़ा। चिन्तातुर होकर साथियोंने मुझे चारों ओरसे घेर लिया। अन्होंने मुझे अपने प्रेमसे नहलाया। मेरे हठका पार न था। डॉक्टरोंको बुलानेसे मैंने अिनकार कर दिया। दवा तो लेनी ही न थी; सोचा, किये हुअे पापकी सजा भोगूंगा। खाना तो मैं वन्द कर ही चुका था, और शुरूके दिनोंमें तो मैंने फलका रस भी न लिया था।

आज तक जिस शरीरको मैं पत्यरके समान मानता था, वह अब गीली मिट्टी-जैसा बन गया। शक्ति क्षीण हो गयी। अतिशय परिश्रमके कारण बुखार आ गया और वेहोशी भी आयी। मित्र अधिक घवराये।

सेठ अंवालाल और अुनकी धर्मपत्नी दोनों नड़ियाद आये। साथियोंसे चर्चा करनेके बाद वे अत्यन्त सावधानीके साथ मुझे मिरजापुरवाले अपने वँगले पर ले गये। अितनी बात तो मैं अवश्य कह सकता हूँ कि अपनी वीमारीमें मुझे जो निर्मल और निष्काम सेवा प्राप्त हुआ, अुससे अधिक सेवा तो कोअी पा नहीं सकता। हलका बुखार रहने लगा। मनमें अेक विचार यह भी आया कि शायद मैं विछीनेसे अुठ न सकूँ। सेठके वँगलेमें प्रेमसे घिरा होने पर भी मैं अशांत हो अुठा, और मैंने अुनसे प्रार्थना की कि वे मुझे आश्रम ले चलें।

मैं अभी आश्रममें पीड़ा पा ही रहा था, कि अितनेमें वल्लभभाअी समाचार लाये कि जर्मनी पूरी तरह हार चुका है, और कमिश्नरने कहलवाया है कि रँगरूट भरती करनेकी कोअी आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर मैं भरतीकी चिन्तासे मुक्त हुआ और अिससे मुझे शांति मिली।

अुन दिनों में जलका अुपचार करता था और अुससे शरीर टिका हुआ था। पीड़ा शांत हुआ थी, किन्तु शरीर किसी भी अुपायसे पुष्ट

नहीं हो रहा था। दो-तीन मित्रोंने सलाह दी कि दूध लेनेमें आपत्ति हो, तो मांसका शोरवा लेना चाहिये। अकने अण्डे लेनेकी सिफारिश की, लेकिन मैं उनमें से किसी भी सलाहको स्वीकार न सका। जिस धर्मका आचरण अपने पुत्रोंके लिये किया, स्त्रीके लिये किया, स्नेहियोंके लिये किया, अपने लिये उस धर्मका त्याग मैं कैसे करता ?

अस प्रकार मुझे अपनी अस बहुत लम्बी और जीवनकी सबसे पहली बड़ी वीमारीमें धर्मका निरीक्षण करने और उसको कसीटी पर चढ़ानेका अलभ्य लाभ मिला। एक रातको तो मैंने विलकुल आशा ही छोड़ दी थी। मुझे ऐसा भास हुआ कि अब मृत्यु समीप ही है। डॉ० कानूगाने नाड़ी देखी और कहा — 'मैं खुद तो मरनेके कोअी चिह्न देख ही नहीं रहा हूँ। नाड़ी साफ़ है। केवल कमजोरीके कारण आपके मनमें घबराहट है।' लेकिन मेरा मन न माना। रात तो बीती, किन्तु उस रात मैं शायद ही सो सका होऊंगा।

सबेरा हुआ। मौत न आयी। फिर भी उस समय जीनेकी आशा न बाँध सका और यह समझकर कि मृत्यु समीप है, जितनी देर बन सका अतनी देर तक साथियोंसे गीता-पाठ सुननेमें लगा रहा। कामकाज करनेकी कोअी शक्ति रही ही नहीं थी। थोड़ी बात करनेसे दिमाग थक जाता था। अस कारण जीनेमें कोअी रस न रहा। जीनेके लिये जीना मुझे कभी पसंद पड़ा ही नहीं।

मैं मौतकी राह देखता बैठा था, अतनेमें डॉ० तलवलकर एक विचित्र प्राणीको लेकर आये। वे मेरे समान 'चक्रम्' हैं, सो तो मैं अन्हें देखते ही समझ सका था। वे बरफ़के अपुचारके बड़े हिमायती हैं। मेरी वीमारीकी बात सुनकर जिस दिन वे मुझ पर बरफ़के अपने अपुचारको आजमानेके लिये आये, तबसे हम अन्हें 'आअिस डॉक्टर'के अपुनामसे पहचानते हैं। अुनकी खोजें योग्य हों चाहे अयोग्य, मैंने अन्हें अपने शरीर पर प्रयोग करने दिये। मुझे बाह्य अपुचारोंसे स्वच्छ होना अच्छा लगता था, सो भी बरफ़के यानी पानीके। अतअेव अन्होंने मेरे सारे शरीर पर बरफ़ घिसनी शुरू की। अस अिलाजसे जितने परिणामकी आशा वे

लगाये हुअे थे, अुस तरहका परिणाम तो मेरे संवंधमें नहीं निकला । फिर भी मैं जो रोज मीतकी वाट देखा करता था, सो अब मरनेके वदले कुछ जीनेकी आशा रखने लगा । कुछ अुत्साह पैदा हुआ । मनके अुत्साहके साथ शरीरमें भी अुत्साहका अनुभव किया ।

१२६

रौलट अैक्ट और मेरा धर्म-संकट

मित्रोंकी सलाह पाकर माथेरान गया । पेचिशके कारण गुदा-द्वार अितना नाजुक हो गया था कि साधारण स्पर्श भी सहा न जाता था ; और अुसमें दरारें पड़ गयी थीं, जिससे मलत्यागके समय बहुत वेदना होती थी । अेक हफ्तेमें माथेरानसे वापस लौटा । मेरी तवीयतकी हिफाजतका जिम्मा शंकरलालने अपने हाथमें लिया था । अुन्होंने डॉक्टर दलालसे सलाह लेनेका आग्रह किया । डॉक्टर दलाल आये । वे बोले —

‘जब तक आप दूध न लेंगे, मैं आपके शरीरको फिरसे हृष्ट-पुष्ट न बना सकूंगा । आपको लोहे और ‘आर्सेनिक’की पिचकारी लेनी चाहिये ।’

मैंने जवाब दिया — ‘पिचकारी लगाविये, लेकिन दूध मैं न लूंगा ।’

‘दूधके संवंधमें आपकी प्रतिज्ञा क्या है?’

‘यह जानकर कि गाय-भैंस पर फूँकेकी क्रिया की जाती है, मुझे दूधसे नफ़रत हो गयी है, और यह तो मैं सदासे मानता रहा हूँ कि दूध मनुष्यका आहार नहीं है. जिसलिये मैंने दूध छोड़ दिया है ।’

यह सुनकर कस्तूरवायी, जो खटियाके पास ही खड़ी थी, बोल अुठी — ‘तब तो बकरीका दूध ले सकते हैं ।’

डॉक्टर बीच ही में बोले — 'आप बकरीका दूध लें, तो मेरा काम बन जाय।'

मैं गिरा। सत्याग्रहकी लड़ाईके मोहने मेरे अन्दर जीनेका लोभ पैदा कर दिया; मैंने प्रतिज्ञाके अक्षरार्थका पालन करके संतोष माना और उसकी आत्माका हनन किया। सत्यके पुजारीने सत्याग्रहकी लड़ाईके लिये जीनेकी अिच्छा रखकर अपने सत्यको लांछित किया।

मेरे अिस कार्यका डंक अभी तक साफ़ नहीं हुआ है। अहिंसाकी दृष्टिसे आज बकरीका दूध मुझे नहीं अखरता। वह अखरता है, सत्यकी दृष्टिसे। मुझे अैसा भास होता है कि मैं अहिंसाको जितना पहचान सका हूँ, सत्यको अुससे अधिक पहचानता हूँ। मेरा अनुभव यह है कि अगर मैं सत्यको छोड़ दूँ, तो अहिंसाकी भारी गुत्थियाँ मैं कभी सुलझा ही न सकूँ। मुझे हर दिन यह वात खटकती रहती है कि मैंने व्रतकी आत्माका — भावार्थका हनन किया है। यह जानते हुअे भी मैं यह न जान सका कि अपने व्रतके प्रति मेरा क्या धर्म है, अथवा यह कहिये कि मुझमें अुसे पालनेकी हिम्मत नहीं है। दोनों वातें अेक ही हैं, क्योंकि शंकाके मूलमें श्रद्धाका अभाव रहता है।

बकरीका दूध शुरू करनेके कुछ दिन बाद डॉ० दलालने गुदा-द्वारकी दरारोंका ऑपरेशन किया और वह बहुत सफल हुआ।

बिछौना छोड़कर अुठनेकी कुछ आशा बँध रही थी और अखवार वगैरा पढ़ने लगा ही था कि अितनेमें रौलट कमेटीकी रिपोर्ट मेरे हाथमें आयी। अुसकी सिफ़ारिशें पढ़ कर मैं चौंका। भाभी अुमर और शंकरलालने चाहा कि कोअी चौकस क़दम अुठाना चाहिये। अेकाध महीनेमें मैं अहमदावाद गया। मैंने वल्लभभाअीसे वातचीत की।

अिस वातचीतके परिणाम-स्वरूप यह निश्चय हुआ कि अैसे कुछ लोगोंकी अेक छोटी सभा बुलायी जाय, जो मेरे संपर्कमें ठीक-ठीक आ चुके हैं।

सभा हुअी। अुसमें मुश्किलसे कोअी वीस लोगोंको न्योता गया था। प्रतिज्ञा-पत्र तैयार हुआ, और जितने लोग हाजिर थे, अुन सबने

अुस पर हस्ताक्षर किये। मैंने अखबारोंमें लिखना शुरू किया, और शंकरलाल वेंकरने जोरका आंदोलन चलाया।

सत्याग्रह-सभाकी स्थापना हुयी। मैंने देखा कि शिक्षित समाजके और मेरे बीच बहुत मेल नहीं बैठ सकता। सभामें गुजराती भाषाके अुपयोगके मेरे आग्रहने और मेरे कुछ दूसरे तरीकोंने अुन्हें परेशानीमें डाल दिया। फिर भी बहुतोंने मेरे तरीकेको निवाहनेकी अुदारता दिखायी। लेकिन मैंने शुरूमें ही देख लिया कि यह सभा लम्बे समय तक नहीं निभ सकेगी। फिर सत्य और अहिंसा पर मैं जो जोर देता था, वह कुछ लोगोंको अप्रिय मालूम हुआ। फिर भी शुरूके दिनोंमें यह नया काम धड़ल्लेके साथ आगे बढ़ा।

१२७

वह अद्भुत दृश्य !

रीलट विल प्रकाशित हुआ। मैंने वाक्सरायसे मिलकर अुन्हें बहुत मनाया, खानगी पत्र लिखे, सांर्वजनिक पत्र लिखे। मैंने अुनमें स्पष्ट ही जता दिया कि सत्याग्रहको छोड़कर मेरे पास दूसरा कोयी मार्ग नहीं है। लेकिन सब व्यर्थ हुआ।

मेरा शरीर तो कमजोर था, फिर भी मैंने लंबी यात्राका खतरा अुठाया। मैंने महसूस किया कि मद्राससे आये हुअे निमंत्रणको अवश्य स्वीकार करना चाहिये। मद्रास जाने पर पता चला कि अुसके मूलमें राजगोपालाचार्य थे। राजगोपालाचार्यके साथ यह मेरा पहला परिचय कहा जा सकता है।

विल कानूनकी शकलमें गजटमें छपा। अिस खबरके वादकी रातको मैं विचार करते-करते सो गया। अर्ध निद्राकी दशा रही होगी, अैसेमें सपनेमें मुझे विचार सूझा। मैंने सबेरे ही सबेरे राजगोपालाचार्यको बुलाया और कहा—

मुझे रात स्वप्नावस्थामें यह विचार सूझा कि जिस कानूनके जवाबमें हम सारे देशको हड़ताल करनेकी सूचना दें। धर्म-कार्यको शुद्धिपूर्वक करना ठीक मालूम होता है। अतएव अुस दिन सब अुपवास करें और काम-धन्धा बन्द रखें।

राजगोपालाचार्यको यह सूचना बहुत अच्छी लगी। दूसरे मित्रोंने भी अुसका स्वागत किया। मैंने एक छोटी-सी विज्ञप्ति तैयार कर ली। पहले १९१९ के मार्चकी ३०वीं तारीख रखी गयी थी। बादमें ६ठी अप्रैल रखी गयी। चूंकि काम तुरन्त ही करना जरूरी समझा गया था, अतएव तैयारीके लिये लम्बी मुद्दत देनेका समय ही न था।

लेकिन न जाने कैसे, सारी व्यवस्था हो गयी। समूचे हिन्दुस्तानमें—शहरोंमें और गाँवोंमें हड़ताल हुयी। वह दृश्य भव्य था।

१२८

वह सप्ताह !— १

दिल्लीमें ता० ३० मार्चके दिन ही हड़ताल मनायी गयी थी। जैसी हड़ताल अुस दिन रही, वैसी पहले कभी रही ही न थी। हिन्दू और मुसलमान दोनों अेकदिल होने लगे थे। श्रद्धानन्दजीको जुमा मसजिदमें बुलाया गया था। सत्ताधारी यह सब सहन न कर सके। दिल्लीमें दमन-नीति शुरू हुयी। श्रद्धानन्दजीने मुझे दिल्ली बुलाया।

जो हाल दिल्लीका था, वही लाहौर और अमृतसरका भी रहा। डॉ० सत्यपाल और किचलूके तार थे कि मुझे वहाँ तुरन्त पहुँचना चाहिये।

६ठी अप्रैलके दिन बम्बयीमें सबेरे-सबेरे हजारों लोग चौपाटी पर स्नान करने गये और वहाँसे ठाकुरद्वार जानेके लिये जुलूस खाना हुआ। जिस जुलूसमें से मुसलमानभायी हमें अेक मसजिदमें ले गये। वहाँ श्री सरोजिनीदेवीका और मेरा भाषण कराया।

वम्बजीमें संपूर्ण हड़ताल थी।

यहाँ कानूनके सविनय-भंगकी तैयारी कर रखी थी। सरकारने मेरी 'हिन्द स्वराज' और 'सर्वोदय' नामक जिन पुस्तकोंका प्रकाशन रोक दिया था, अन्हें छपाना-वेचना सबसे आसान सविनय-भंग मालूम हुआ। जिसलिजे ये पुस्तकें छपायी गयीं और शामको अुपवास छूटनेके बाद, और चौपाटीकी जंगी सभाके विसर्जित होने पर अन्हें वेचनेका प्रबंध किया गया।

शामको बहुतसे स्वयंसेवक जिन पुस्तकोंको वेचने निकल पड़े। अेक मोटरमें मैं निकला। अपनी जेबमें जो था, सो सब देकर कितावें खरीदनेवाले बहुतेरे निकल आये। लोगोंको समझा दिया गया था, कि खरीदनेवालेको भी जेल जानेका खतरा अुठाना पड़ सकता है। लेकिन कुछ समयके लिजे लोगोंने जेलका भय छोड़ दिया था।

७ तारीखको पता चला कि जिन कितावोंके वेचने पर सरकारने रोक लगायी थी, सरकारकी दृष्टिसे वे वेची नहीं गयी हैं। सरकारकी ओरसे यह कहा गया था कि नयी आवृत्ति छपाने-वेचने और खरीदनेमें कोयी गुनाह नहीं है। यह खबर सुनकर लोग निराश हुअे।

अुस दिन सबेरे लोगोंको चौपाटी पर स्वदेशी-व्रत और हिन्दू-मुस्लिम-व्रतके लिजे अिकट्टा होना था। बहुत थोड़े लोग अिकट्टा हुअे थे। मैं अुसी समयसे यह अनुभव करता रहा हूँ कि धूम-धड़क्केके काम और धीमे रचनात्मक कामके बीच क्या भेद है, और लोगोंमें पहले कामके लिजे पक्षपात और दूसरेके प्रति अरुचि क्यों है।

सात अप्रैलकी रातको मैं दिल्ली-अमृतसर जानेके लिजे रवाना हुआ। ८ अप्रैलको मथुरा पहुँचने पर कुछ अैसी भनक कान तक आयी कि शायद मुझे गिरफ्तार करेंगे। पलवल स्टेशनके आनेसे पहले पुलिस अधिकारीने मेरे हाथमें हुक्म रखा कि मुझे पंजावकी सरहदमें दाखिल नहीं होना चाहिये। हुक्म देनेके बाद पुलिसने मुझसे अुतर जानेको कहा। मैंने अुतरनेसे अिनकार किया।

मुझे पलवल स्टेशन पर अुतार लिया गया और पुलिसके हवाले किया गया। मुझे दिल्लीसे आनेवाली किसी ट्रेनके तीसरे दर्जेके डब्बेमें

बैठाया गया और साथमें पुलिसका दल भी बैठा। मथुरा पहुँचने पर मुझे पुलिसकी ब्राकमें ले गये। सुबह चार बजे मुझे जगाया गया और बम्बयीकी कोअी मालगाड़ी जा रही थी, अउसमें बैठाया गया। दोपहरको मुझे सवाअी माधोपुर पर अुतारा गया। वहाँ मुझे बम्बयीकी डाकगाड़ीमें पहले दर्जेमें सवार कराया गया। अब तक मैं मामूली क़ैदी था। अब 'जेण्टलमैन क़ैदी' माना जाने लगा।

सुरत पहुँचने पर किसी दूसरे अधिकारीने मुझे अपने क़ब्जेमें लिया। अउसने मुझसे रास्तेमें कहा— 'आप रिहा कर दिये गये हैं। लेकिन आपके लिअे मैं ट्रेनको मरीन लाअिन्स स्टेशनके पास रुकवाअूंगा; आप वहाँ अुतरेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा।'

मैं मरीन लाअिन्स पर अुतरा। वहाँ किसी परिचितकी घोड़ागाड़ी दिखाअी पड़ी। वे मुझे रेवाशंकर झवेरीके घर छोड़ आये। अुन्होंने मुझे खबर दी— 'लोग गुस्सा हो अुठे हैं और पागल बन गये हैं। पायधूनीके पास अुपद्रवका डर है।'

अुमर सोवानी और अनसूयाबहन दोनों मोटरमें आये और मुझे पायधूनी ले गये। लोगोंने मुझे देखा और वे हर्षसे अुन्मत्त हो अुठे। अब जुलूस तैयार हुआ।

जुलूसको क्रॉफर्ड मार्केटकी ओरसे जानेसे रोकनेके लिअे घुड़-सवारोंकी अेक टुकड़ी सामनेसे आ पहुँची। लोगोंने पुलिसकी पाँतको चीरकर आगे बढ़नेके लिअे ज़ोर लगाया। वहाँ अैसी हालत न थी कि मेरी आवाज़ सुनाअी पड़े। घुड़सवारोंकी टुकड़ीके अफ़सरने भीड़को तितर-वितर करनेका हुक्म दिया, और अपने भालोंको घुमाते हुअे अिस टुकड़ीने अेकदम घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिये। लोगोंकी भीड़में दरार पड़ी। भग-दड़ मच गअी। कोअी कुचले गये, कोअी घायल हुअे। सारा दृश्य भयंकर प्रतीत हुआ। घुड़सवार और जनता दोनों पागल-जैसे लगे।

लोग बिखर गये। हमारी मोटर आगे बढ़ी और मैं पुलिसके व्यवहारके संबंधमें शिकायत करनेके लिअे कमिश्नरके पास अुतर गया।

वह सप्ताह ! — २

मैंने कमिश्नरसे युस दृश्यका वर्णन किया, जिसे मैं अभी-अभी देखकर आया था। अन्होंने संक्षेपमें जवाव दिया — 'मैं नहीं चाहता था कि जुलूस फोर्टकी ओर जाय। वहाँ जाने पर अपद्रव हुये बिना न रहता।'

मैंने कहा — 'लेकिन मेरा खयाल यह है कि घुड़सवारोंकी टुकड़ी भेजनेकी कोभी जरूरत न थी।'

'आप अिसे नहीं जान सकते। आपकी शिक्षाका लोगों पर क्या असर हुआ है, अिसका पता आपकी अपेक्षा हम पुलिसवालोंको अधिक रहता है। मैं आपसे कहता हूँ कि लोग आपके क़ब्जेमें भी नहीं रहेंगे। वे क़ानूनको तोड़नेकी वात तो झट समझ जायँगे, लेकिन शांतिकी वात अुनकी शक्तिसे परेकी है। आपके हेतु अच्छे हैं, लेकिन लोग अुन्हें समझेंगे नहीं।'

मैंने जवाव दिया — 'किन्तु आपके और मेरे बीच जो भेद है, सो अिसी वातमें है। मैं कहता हूँ कि लोग स्वभावसे लड़ाकू नहीं, वल्कि शांतिप्रिय हैं।'

हम दलीलमें अुतरे। आखिर साहवने कहा — 'अच्छी वात है, अगर आपको विश्वास हो जाय कि लोग आपकी शिक्षाको समझे नहीं हैं, तो आप क्या करेंगे?'

मैंने जवाव दिया — 'यदि मुझे अिसकी प्रतीति हो जाय, तो मैं अिस लड़ाकीको मुलतवी कर दूँगा।'

'अगर आप धैर्यसे काम लेंगे, तो आपको अधिक पता चलेगा। आप जानते हैं, अहमदावादमें क्या हो रहा है? अमृतसरमें क्या हुआ है? अिस सारे अपद्रवकी जिम्मेदारी आपके सिर है।'

मैंने कहा — 'मुझे जहाँ अपनी जिम्मेदारी महसूस होगी, वहाँ मैं उसे अपने ऊपर लिये बिना रहूँगा नहीं। यदि अहमदावादमें लोग कुछ भी करते हैं, तो मुझे आश्चर्य और दुःख होगा। अमृतसरके वारेमें मैं कुछ नहीं जानता। वहाँ तो मैं कभी गया ही नहीं हूँ। यदि पंजाबकी सरकारने मुझे वहाँ जानेसे रोकना न होता, तो मैं शांति-रक्षामें बहुत मदद कर सकता।'

अिस तरह हमारी बातचीत होती रही। मैं यह कहकर विदा हुआ कि चौपाटी पर सभा करने और लोगोंको शांति रखनेके लिये समझानेका मेरा अिरादा है। चौपाटी पर सभा हुआ।

मैं अहमदावाद गया। वहाँ तो मार्शल लॉ शुरू हो चुका था। लोगोंमें भय फैला हुआ था। लोगोंने जैसा किया वैसा पाया, और अुसका व्याज भी अुन्हें मिला।

मुझे कमिश्नरके पास ले जानेके लिये अेक आदमी स्टेशन पर हाजिर था। मैं अुनके पास गया। वे बहुत गुस्सेमें थे। मैंने अुन्हें शांतिसे जवाब दिया। यह भी सुझाया कि मार्शल लॉकी आवश्यकता नहीं है। और फिरसे शांति स्थापित करनेके लिये जो अुपाय करने चाहिये, सो करनेकी अपनी तैयारी वतायी। मैंने आम सभा बुलानेकी माँग की। अुन्हें यह बात अच्छी लगी। मैंने सभा की। लोगोंको अुनके दोष दिखानेका प्रयत्न किया। प्रायश्चित्तके रूपमें मैंने तीन दिनके अुपवास किये और लोगोंको सलाह दी कि वे अेक दिनका अुपवास करें। जिन्होंने खून वगैरामें हिस्सा लिया हो, अुन्हें सुझाया कि वे अपना गुनाह क़बूल कर लें।

जिस प्रकार लोगोंको सुझाया कि वे अपना गुनाह क़बूल कर लें, अुसी प्रकार सरकारको भी गुनाह माफ़ करनेकी सलाह दी। दोनोंमें से किसी अेकने भी मेरी बात न सुनी। न लोगोंने अपने दोष स्वीकार किये, न सरकारने किसीको माफ़ किया।

मैंने निश्चय कर लिया कि जब तक लोग शांतिका पाठ न सीखें, तब तक सत्याग्रह मुलतवी रखा जाय।

कुछ मित्र नाराज़ हूँ। बुनका खयाल यह था कि अगर मैं सब कहीं शांतिकी आशा रखूँ और सत्याग्रहकी यही शर्त रहे, तो बड़े पैमाने पर सत्याग्रह चल ही न सकेगा। मैंने अपना मतभेद प्रकट किया। जिन लोगोंने काम किया है, जिनके द्वारा सत्याग्रह करनेकी आशा रखी जाती है, वे यदि शांतिका पालन न करें, तो सत्याग्रह चल ही नहीं सकता। मेरी दलील यह थी कि सत्याग्रही नेताओंको जिस प्रकारकी मर्यादित शांति बनाये रखनेकी शक्ति प्राप्त करनी चाहिये। अपने जिन विचारोंको मैं आज भी बदल नहीं सका हूँ।

१३०

- ‘पहाड़-सी भूल’

अहमदाबादकी सभाके बाद मैं तुरंत ही नड़ियाद गया। ‘पहाड़-सी भूल’ नामक शब्द-प्रयोग मैंने पहली बार नड़ियादमें किया। मैं जिस सभामें भाषण कर रहा था, उसमें मुझे अचानक यह खयाल आया कि खेड़ा जिलेके और जैसे दूसरे लोगोंको कानूनका सविनय-भंग करनेके लिये निमंत्रित करनेमें मैंने जल्दबाज़ीकी भूल की थी, और मुझे वह भूल पहाड़-सी प्रतीत हुई।

जिस प्रकार अपनी भूल क़दूल करनेके लिये मेरी काफ़ी हँसी अंडाजी गज़ी, फिर भी अपनी जिस स्वीकृतिके लिये मुझे कभी पश्चात्ताप नहीं हुआ। जब हम दूसरोंके ग़ज़ बराबर दोषोंको रजवत् मानकर देखते हैं, और अपने रजवत् प्रतीत होनेवाले दोषोंको पहाड़-जैसा देखना सीखते हैं, तभी हमें अपने और पराये दोषोंका ठीक-ठीक अंदाज़ हो पाता है। सत्याग्रही बननेकी अच्छा रखनेवालेको तो जिस साधारण नियमका पालन बहुत अधिक सूक्ष्मताके साथ करना चाहिये।

अब हम यह देखें कि पहाड़-सी लगनेवाली वह भूल क्या थी। कानूनका सविनय-भंग बुन्हीं लोगों द्वारा किया जा सकता है, जिन्होंने

विनयपूर्वक और स्वेच्छासे कानूनकी कद्र की हो। अधिकतर तो हम कानूनका पालन असलिये करते हैं कि उसे तोड़ने पर जो सजा होगी, उससे हम डरते हैं। यह बात उस कानून पर विशेषरूपसे घटित होती है, जिसमें नीति-अनीतिका प्रश्न नहीं होता। कानून हो चाहे न हो, फिर भी जो लोग भले माने जाते हैं, वे अकाअक कभी चोरी नहीं करते। लेकिन जब बाअिसिकल पर बत्ती जलानेके नियमका पालन करनेकी कोअी सलाह-भर देता है, तो भले आदमी भी उसका पालन करनेके लिये तुरंत तैयार नहीं होते; किन्तु जब उसे कानूनमें स्थान मिलता है, तो दण्ड देनेकी असुविधासे बचनेके लिये भी वे बाअिसिकल पर बत्ती जलाते हैं। अिस प्रकारका नियम-पालन स्वेच्छा-पालन नहीं कहा जा सकता।

लेकिन सत्याग्रही तो समाजके जिन कानूनोंकी कद्र करेगा, उनकी वह सौच-समझकर, स्वेच्छासे, कद्र करना धर्म है, अैसा मानकर कद्र करेगा। जिसने अिस प्रकार समाजके नियमोंका विचार-पूर्वक पालन किया है, समाजके नियमोंमें नीति-अनीतिका भेद करनेकी शक्ति उसीको प्राप्त होती है, और उसे सीमित परिस्थितियोंमें अमुक नियमोंको तोड़नेका अधिकार प्राप्त होता है। लोगोंके अिस तरहका अधिकार प्राप्त करनेसे पहले मैंने अुन्हें सविनय-भंगके लिये निमंत्रित किया, अपनी यह भूल मुझे पहाड़-सी लगी।

यह तो सहज ही समझमें आ सकता है कि अिस प्रकारकी आदर्श स्थिति तक हजारों या लाखों लोग नहीं पहुँच सकते। किन्तु यदि बात अैसी है, तो सविनय अवज्ञा करानेसे पहले शुद्ध स्वयंसेवकोंका अेक अैसा दल खड़ा होना चाहिये, जो लोगोंको ये सारी बातें समझाये, और प्रतिक्षण अुनका मार्गदर्शन करे; और अैसे दलको सविनय अवज्ञाका तथा उसकी मर्यादाका पूरा-पूरा ज्ञान प्राप्त हुआ होना चाहिये।

अिन विचारोंसे भरा हुआ मैं बंबअी पहुँचा और सत्याग्रह-सभाके जरिये सत्याग्रही स्वयंसेवकोंका दल खड़ा किया। लोगोंको सविनय अवज्ञाका मर्म समझानेके लिये जिस तालीमकी जरूरत थी, सो अिस दलके जरिये देनी शुरू की, और अिस चीजको समझानेवाली पत्रिकायें निकालीं।

यह काम शुरू तो हुआ, लेकिन मैंने देखा कि मैं जिसमें बहुत दिलचस्पी पैदा न कर सका। स्वयंसेवकोंकी भीड़ अिकट्टी न हुयी। जिन्होंने अपने नाम दर्ज कराये थे, त्रे भी दृढ़ बननेके बदले खिसकने लगे। मैं समझ गया कि सविनय-भंगकी गाड़ी जितनी सोची थी, अुससे धीमी चलेगी।

१३१

‘नवजीवन’ और ‘यंग अिडिया’

सरकारी दमन-नीति पूरे जोरके साथ चल रही थी। पंजावमें अुसके प्रभावका साक्षात्कार हुआ। वहाँ फ़ौजी क़ानून यानी मनमानी शुरू हो गयी।

मुझ पर दवाव पड़ने लगा कि मैं जैसे भी वने, पंजाव पहुँचूँ। मैंने वाअिसरायको पत्र लिखे, तार भेजे, लेकिन अिजाजत न मिली। विना अिजाजतके जाने पर अन्दर तो जा नहीं सकता था; किन्तु सविनय अवज्ञा करनेका संतोप-मात्र मिल सकता था। मैंने अनुभव किया कि निपेधाज्ञाका अनादर करके प्रवेश करूँगा, तो वह विनयी अनादर न माना जायगा। मेरे द्वारा की गयी क़ानूनकी अवज्ञा जलतेमें घी होमने-जैसी सिद्ध होगी। पंजावमें प्रवेश करनेकी सलाहको मैंने सहसा माना नहीं। मेरे लिये यह निर्णय अेक कड़ुआ घूँट था।

अितनेमें लोगोंको सोता छोड़कर सरकार मि० हॉनिमैनको चुरा ले गयी। फलतः ‘क्रॉनिकल’ के व्यवस्थापकोंने अुसे चलानेका दोझ मुझ पर डाला। लेकिन मुझे यह जिम्मेदारी लम्बे समय तक अुठानी न पड़ी। सरकारकी मेहरवानीसे वह वन्द हो गया।

जो लोग ‘क्रॉनिकल’ की व्यवस्थाके कर्त्ताधर्त्ता थे, ‘यंग अिडिया’ की व्यवस्था भी अुन्हींके हाथमें थी। अुन्हींने मुझे सुझाया कि मैं ‘यंग

अिडिया' की जिम्मेदारी अपने सिर लूं। सत्याग्रहका रहस्य समझानेका अुत्साह मुझमें था ही। असलिये मैंने मित्रोंका यह सुझाव मान लिया।

लेकिन अंग्रेजीके द्वारा जनताको सत्याग्रहकी तालीम किस प्रकार दी जा सकती थी? मेरें कार्यका मुख्य क्षेत्र गुजरातमें था। अुक्त मित्रोंने 'नवजीवन' मेरे हवाले किया, और अुसे मासिकके बदले साप्ताहिक बनाया।

अिन पत्रोंके जरिये मैंने जनताको यथाशक्ति सत्याग्रहकी तालीम देना शुरू किया। अिनमें विज्ञापन न लेनेका मेरा आग्रह शुरूसे था ही। मैं मानता हूँ कि अससे कोअी हानि नहीं हुअी, और अस प्रथाके कारण पत्रोंके विचार-स्वातंत्र्यकी रक्षा करनेमें बहुत मदद मिली।

अिन पत्रों द्वारा मैं अपनी शांति प्राप्त कर सका। क्योंकि यद्यपि मैं सविनय अवज्ञाको तुरंत ही शुरू न कर पाया, फिर भी मैं अपने विचार स्वतंत्रता-पूर्वक प्रकट कर सका।

१३२

पंजाबमें

मैं पंजाब जानेके लिये अधीर हो रहा था। लेकिन मेरा जाना आगे पर टलता जाता था। वाअिसराय लिखाते रहते थे कि 'अभी जरा देर है।' आखिर जवाब आया — 'आप अमुक तारीखको जा सकते हैं।' बहुत करके तारीख १७ अक्तूबर थी।

मैं लाहौर पहुँचा। स्टेशन पर लोगोंका समुदाय अस क्रुदर अिकट्टा हुआ था, मानो बरसोंके वियोगके बाद कोअी प्रियजन आ रहा हो, और सगे-सम्बन्धी अुससे मिलने आये हों। लोग हर्षोन्मत्त हो गये थे।

बहुतेरे पंजाबी नेता जेलमें थे, अतअेव मुख्य नेताओंका स्थान पंडित मालवीयजी, पंडित मोतीलालजी और स्वामी श्रद्धानन्दजीने लिया

था। अिन नेताओंने और दूसरे स्थानीय नेताओंने मुझे फ़ौरन ही अपना लिया। कहीं भी मैं किसीको अपरिचित-सा नहीं लगा।

हम सवने सर्वसम्मतिसे निश्चय किया कि हण्टर-कमेटीके सामने गवाही न दी जाय। और, यह तय किया कि लोगोंकी ओरसे, अर्थात् कांग्रेसकी ओरसे अेक कमेटी बननी चाहिये। पंडित मालवीयजीने यह कमेटी नियुक्त की। कमेटीकी व्यवस्थाका बोझ सहज ही मुझ पर आ पड़ा था, और चूँकि अधिक-से-अधिक गाँवोंकी जाँचका काम मेरे हिस्से आया था, अिसलिये मुझे पंजाव और पंजावके गाँव देखनेका अलभ्य लाभ मिला।

लोगों पर ढाये गये जुल्मोंकी जाँच करते समय मैं जैसे-जैसे गहरा पैठने लगा, वैसे-वैसे सरकारी अराजकताकी, अधिकारियोंकी नादिरशाही और निरंकुशताकी अपनी कल्पनासे परेकी बातें सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ, और मैंने दुःखका अनुभव किया। जिस पंजावसे सरकारको अधिक-से-अधिक सिपाही मिलते हैं, अुस पंजावमें लोग अितना ज्यादा जुल्म कैसे सहन कर सके, यह बात मुझे अुस समय भी आश्चर्य-जनक मालूम हुअी थी, और आज भी मालूम होती है।

अिस कमेटीकी रिपोर्ट तैयार करनेका काम भी मुझे साँपा गया था। अिस रिपोर्टके वारेमें मैं अितना कह सकता हूँ कि अुसमें जान-बूझकर अेक भी जगह अतिशयोक्ति नहीं हुअी है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, अुसकी अेक भी बात आज तक झूठ सावित नहीं हुअी।

खिलाफतके बदले गो-रक्षा ?

कांग्रेसकी ओरसे पंजावकी डायरशाहीकी जाँच हो रही थी। अुन्हीं दिनों मेरे हाथमें अेक सार्वजनिक निमंत्रण पड़ा। यह निमंत्रण दिल्लीमें हिन्दू-मुसलमानोंकी अेक मिली-जुली सभामें हाज़िर रहनेका था, जिसमें खिलाफतके सिलसिलेमें पैदा हुआ हालत पर विचार करना था, और यह तय करना था कि सुलहके अुत्सवमें सम्मिलित हुआ जाय या नहीं। यह सभा नवम्बर महीनेमें थी।

मैं सभामें हाज़िर रहा। सभाके सामने खिलाफतके प्रश्नके साथ गो-रक्षाका प्रश्न भी था। मेरी दलील यह थी कि दोनों प्रश्नों पर अुनके अपने गुण-दोषकी दृष्टिसे विचार करना चाहिये। यदि खिलाफतके मामलेमें सरकारकी ओरसे अन्याय होता हो, तो हिन्दुओंको मुसलमानोंका साथ देना चाहिये; और अिस प्रश्नके साथ गो-रक्षाके प्रश्नको जोड़ना न चाहिये। पड़ोसीके और अेक ही भूमिके निवासी होनेके नाते तथा हिन्दुओंकी भावनाका आदर करनेकी दृष्टिसे मुसलमानोंका स्वतंत्रभावसे गो-वध वंद करना अुनके लिये शोभाकी बात है, वह अुनका फ़र्ज़ है; और यह अेक स्वतंत्र प्रश्न है। अगर यह फ़र्ज़ है और मुसलमान अिसे फ़र्ज़ समझें, तो हिन्दू खिलाफतके काममें मदद दें या न दें, तो भी मुसलमानोंको गो-वध वंद करना चाहिये। मैंने अपनी तरफ़से यह दलील पेश की कि अिस तरह दोनों प्रश्नोंका विचार स्वतंत्र रीतिसे किया जाना चाहिये, और अिसलिये अिस सभामें तो सिर्फ़ खिलाफतके प्रश्नकी चर्चा करना ही मुनासिब है। गो-रक्षाके प्रश्न पर सभामें चर्चा न हुअी। लेकिन मौलाना अब्दुल वारी साहवने तो कहा — 'हिन्दू खिलाफतके मामलेमें मदद दें चाहे न दें, लेकिन चूँकि हम अेक ही मुल्कके रहने-वाले हैं, अिसलिये मुसलमानोंको हिन्दुओंके ज़ुवातकी खातिर गो-कुशी

बंद करनी चाहिये।' कुछ समयके लिये तो ऐसा ही मालूम हुआ, कि मुसलमान सचमुच गो-वध बन्द कर देंगे।

कभी प्रस्तावोंमें अेक प्रस्ताव यह भी था कि हिन्दू-मुसलमान सबको स्वदेशी-व्रतका पालन करना चाहिये, और जिसके लिये विदेशी कपड़ेका बहिष्कार करना चाहिये। मौलाना हसरत मोहानीको यह प्रस्ताव जँच नहीं रहा था। अुन्होंने सुझाया कि ययासंभव हरअेक ब्रिटिश मालका बहिष्कार करना चाहिये। मैंने हर तरहके ब्रिटिश मालके बहिष्कारकी अशक्यता और अनौचित्यके वारेमें अपनी दलीलें पेश कीं। मैंने अपनी अहिंसावृत्तिका भी प्रतिपादन किया। मैं मौलानाका भाषण सुन रहा था। मुझे खयाल आया कि विदेशी वस्त्रके बहिष्कारके अलावा भी दूसरी कोअी नअी चीज सुझानी चाहिये। मैं सोचा करता था कि मौलाना खुद कअी मामलोंमें जिस सरकारका साथ दे रहे हैं, अुस सरकारके विरोधकी बात करना अुनके लिये बेकार है। तलवारसे विरोध करना न था, जिसलिये मुझे लगा कि साथ न देनेमें ही सच्चा विरोध है। और फलतः मैंने 'नॉन-को-अॉपरेशन' शब्दका जिस सभामें पहली बार अुपयोग किया। जिसके समर्थनमें मैंने अपनी दलीलें दीं। अुस समय मुझे कोअी खयाल ही न था कि जिस शब्दमें किन-किन बातोंका समावेश हो सकता है। जिसलिये मैं तफ़सीलमें न जा सका। मैंने कहा—'अगर कहीं सुलहकी शर्तें मुसलमान भावियोंके खिलाफ़ गअीं, तो वे सरकारकी सहायता करना बन्द कर देंगे। खिलाफ़तका फ़ंसला हमारे खिलाफ़ हो, तो मदद न करनेका हमें हक़ है।'

कुछ महीनों तक यह शब्द अुस सभामें ही दवा रह गया। जब अमृतसरमें कांग्रेसका अधिवेशन हुआ और वहाँ मैंने सहयोगके प्रस्तावका समर्थन किया, तब मैंने तो यही आशा रखी थी कि हिन्दू-मुसलमानोंके लिये असहयोगका अवसर नहीं आवेगा।

अमृतसर-कांग्रेस

अब तक कांग्रेसमें मेरा काम अितना ही रहता था कि हिन्दीमें अपना छोटा-सा भाषण कहूँ, हिन्दीकी वकालत कहूँ, और अपुनिवेशोंमें रहनेवाले हिन्दुस्तानियोंका मामला पेश कहूँ। मुझे खयाल नहीं था कि अमृतसरमें मुझे विससे अधिक कुछ करना पड़ेगा। लेकिन जैसा कि मेरे संबंधमें पहले भी हो चुका है, जिम्मेदारी अचानक आ पड़ी।

नये सुधारों-संबंधी सम्राट्का आदेश प्रकट हो चुका था। वह मुझे पूर्ण संतोष देनेवाला तो था ही नहीं; और किसीको तो वह विलकुल पसंद ही न पड़ा। लेकिन उस समय मैंने यह माना था कि अुक्त आदेशमें सूचित सुधार त्रुटिपूर्ण होते हुए भी स्वीकार किये जा सकते हैं। किन्तु लोकमान्य, चित्तरंजन दास आदि अनुभवी योद्धा सिर हिला रहे थे।

मैंने देखा कि सुधारवाले प्रस्तावकी चर्चामें भाग लेना मेरा धर्म है। मैंने अनुभव किया कि सुधार स्वीकार करनेका प्रस्ताव मंजूर किया जाना चाहिये। चित्तरंजन दासकी दृढ़ सम्मति यह थी कि सुधारोंको विलकुल असंतोषकारक और अधूरा मानकर अुनकी अवगणना करनी चाहिये।

परखे हुए सर्वमान्य लोकनायकोंके साथ अपना मतभेद मुझे स्वयं असह्य मालम हुआ। दूसरी ओर मेरा अन्तर्नाद स्पष्ट था। मैंने कांग्रेसकी बैठकमें से भागनेका प्रयत्न किया। पं० मोतीलाल नेहरू और मालवीयजीको सुझाया कि वे मुझे शैरहाजिर रहने दें। लेकिन मेरा यह सुझाव दोनों वुज्रुर्गके गले न अुतरा। जब बात लाला हरकिसन-लालके कान तक पहुँची, तो अुन्होंने कहा — 'यह हरगिञ्ज न होगा।' अुन्होंने मत गिननेकी संतोषजनक व्यवस्था कर देनेका जिम्मा लिया।

आखिर मैं हारा। मैंने अपना प्रस्ताव तैयार किया। मि० जिन्ना और मालवीयजी समर्थन करनेवाले थे। भाषण हुआ। मैं देख रहा था

कि सभा किसी प्रकारके मतभेदको सह नहीं सकती थी, और नेताओंके मतभेदसे अुसे दुःख हो रहा था।

जिस समय भाषण हो रहे थे, अुस समय भी मंच पर मतभेद मिटानेके प्रयत्न जारी थे। आखिर समझौता हुआ। तालियोंकी गड़गड़ाहटसे मंडप गूँज अुठा और लोगोंके चेहरों पर जो गंभीरता थी, अुसके बदले अब खुशी चमक अुठी।

समझौतेने मेरी जिम्मेदारी बढा दी।

१३५

कांग्रेसमें प्रवेश

मुझे कांग्रेसमें सम्मिलित होना पड़ा, अिसे मैं कांग्रेसमें अपना प्रवेश नहीं मानता। अमृतसरके अनुभवने यह सिद्ध किया कि मेरी शक्ति कांग्रेसके लिये अुपयोगी है। पंजाब-समितिके कामसे लोकमान्य, मालवीयजी, मोतीलालजी, देशबन्धु आदि खुश हुअे थे। अिसलिये अुन्होंने मुझे अपनी बैठकों और चर्चाओंमें बुलाया। विषय-विचारिणी समितिका सच्चा काम अैसी बैठकोंमें होता था।

अगले साल करने योग्य कामोंमें से दो कामोंमें मुझे दिलचस्पी थी, क्योंकि अुनमें मैं कुछ दखल रखता था।

अेक था, जलियाँवाला बागके हत्याकांडका स्मारक। अुसके लिये करीब पाँच लाख रुपयेकी रकम अिकट्टा करनी थी। अुसके रक्षकों (ट्रस्टियों) में मेरा नाम था। रक्षकका पद स्वीकार करते ही मैं समझ गया था कि अिस स्मारकके लिये धन-संग्रह करनेका मुख्य बोझ मुझ पर पड़ेगा। बम्बयीके अुदार नागरिकोंने अिस स्मारकके लिये दिल खोलकर धन दिया।

मेरी दूसरी शक्ति मुंशीका काम करनेकी थी। नेता लोग यह समझ चुके थे कि कहाँ क्या और कमसे कम शब्दोंमें अविनय-

रहित भाषामें किस तरह लिखना, सो मैं जानता था। सब किसीको यह अनुभव होने लगा था कि अने दिनों कांग्रेसका जो विधान था, उससे अब काम-नहीं चल सकता। विधान तैयार करनेका भार मैंने अपने सिर लिया। मैंने लोकमान्यसे और देशबन्धुसे अनेके विश्वासके दो नाम माँगे। लोकमान्यने श्री केलकरका और देशबन्धुने श्री आजी० वी० सेनका नाम दिया। यह विधान-समिति एक दिन भी साथ मिलकर न बैठी। फिर भी हमने अपना काम अकरायसे पूरा किया। हमने पत्र-व्यवहारसे अपना काम चला लिया। मुझे इस विधानके बारेमें थोड़ा अभिमान है। मैं यह मानता हूँ कि इस दायित्वको स्वीकार करके मैंने कांग्रेसमें सच्चा प्रवेश किया।

१३६

खादीका जन्म

मुझे याद नहीं पड़ता कि सन् १९०८ तक मैंने चरखा या करघा कहीं देखा हो। फिर भी, 'हिन्द स्वराज'में मैंने यह माना था कि चरखेके जरिये हिन्दुस्तानकी कंगालियत मिट सकती है। जब सन् १९१५ में दक्षिण अफ्रीकासे देश वापस आया, तब भी मैंने चरखेके दर्शन तो किये ही न थे। आश्रमके खुलने पर उसमें करघा शुरू किया। करघा शुरू करनेमें भी मुझे बड़ी मुश्किलका सामना करना पड़ा। हम सब क्रलम चलानेवाले या व्यापार करना जाननेवाले अिकट्टा हुआ थे; हममें कोयी कारीगर न था। लेकिन मगनलाल गांधीके हाथमें कारीगरी तो थी ही। इसलिये अन्होंने बुननेकी कलाको पूरी तरह समझ लिया और अेकके बाद अेक आश्रममें नये-नये बुननेवाले तैयार हुअे।

हमें तो अब अपने कपड़े खुद ही तैयार करके पहनने थे। इसलिये मिलके कपड़े पहनने वन्द किये, और आश्रम-वासियोंने निश्चय किया कि वे हाथ-करघे पर देशी मिलके सूतसे बुना हुआ

कपड़ा पहेंगे। जुलाहोंके पाससे देशी मिलके सूतका हाथ-बुना कपड़ा आसानीसे मिलता न था। बड़ी कोशिशके बाद कुछ जुलाहे मिले, जिन्होंने देशी सूतका कपड़ा बुन देनेकी मेहरवानी की।

अब हम अपने हाथसे कातनेके लिये अवीर हो अठे। हमने देखा कि जब तक हाथसे कातेंगे नहीं, तब तक हमारी पराधीनता बनी रहेगी। मिलोंके अजण्ट बनकर हम देश-सेवा करते हैं, असा हमें प्रतीत न हुआ।

लेकिन न कहीं चरखा था, और न कोधी चरखेका चलानेवाला।

सन् १९१७ में भड़ीच शिक्षा-परिषद्में महान् साहसी विधवा बहन गंगावायी अचानक मिलीं। मैंने अपना दुःख बुनके सामने रखा, और जिस तरह दमयन्ती नलके पीछे भटकी थी, उस तरह चरखेकी खोजमें भटकनेकी प्रतिज्ञा करके बुन्होंने मेरा बोझ हलका किया।

१३७

मिला

गुजरातमें काफ़ी भटकनेके बाद गायकवाड़के वीजापुर गाँवमें गंगावहनको चरखा मिला। मेरे हर्षका पार न रहा। भायी अुमर सोवानीसे चर्चा करने पर बुन्होंने अपनी मिलसे पूनीकी गुच्छलियाँ भेजते रहनेका जिम्मा लिया। मैंने गुच्छलियाँ गंगावहनके पास भेजीं, और सूत अितनी तेजीसे तैयार होने लगा कि मैं थक गया।

मुझे मिलकी पूनियोंसे सूत कतवाना बहुत दोषपूर्ण मालूम हुआ। मैंने गंगावहनको लिखा कि वे पूनी बनानेवालेकी खोज करें। बुन्होंने अिसका जिम्मा लिया। पिंजारेको खोज निकाला। बच्चोंको पूनी बनाना सिखाया। गंगावहनने काम अेकदम बढ़ा दिया। बुननेवालोंको बसाया और कता हुआ सूत बुनवाना शुरू किया। वीजापुरकी खादी मशहूर हो गयी।

अब आश्रममें चरखेको दाखिल होनेमें देर न लगी।

मैं केवल खादीमय बननेके लिये अधीर हो अुठा। मेरी धोती देशी मिलके कपड़ेकी थी। मैंने गंगाबहनको चेतावनी दी, कि अगर वे अेक महीनेके अंदर ४५ अिंच अर्जकी खादीकी धोती तैयार करके न देंगी, तो मुझे मोटी खादीका पंचा पहनकर अपना काम चलाना पड़ेगा। अुन्होंने अेक महीनेके अन्दर मेरे लिये पचास अिंचका धोती जोड़ा मुहैया कर दिया, और मेरा दारिद्र्य मिटाया।

१३८

अेक संवाद

जिस समय 'स्वदेशी' के नामसे परिचित यह हलचल चलने लगी, अुस समय मिल-मालिकोंकी ओरसे मेरे पास काफी टीकायें आने लगीं। भाजी अुमर सोवानीने अेक मिल-मालिकके पास ले जानेकी बात कही। मैंने अुसका स्वागत किया। हम अुनके पास गये। अुन्होंने वंग-भंगके समय स्वदेशी आन्दोलनके चलनेसे स्वदेशी कपड़ेकी क्रीमत बढ़नेकी बात की और कहा— 'हिन्दुस्तानको जितने मालकी जरूरत है, अुतना माल हम अुत्पन्न नहीं करते हैं। अिसलिये स्वदेशीका प्रश्न मुख्यतः अुत्पत्तिका प्रश्न है। जब हम आवश्यक मात्रामें कपड़ा पैदा कर सकेंगे और कपड़ेकी जातमें सुधार कर सकेंगे, तब विदेशी कपड़ा अपने आप आना बंद हो जायगा। अिसलिये आपको मेरी सलाह तो यह है कि आप अपने स्वदेशी आन्दोलनको जिस तरह चला रहे हैं, अुस तरह न चलायें, और नअी मिलें खोलनेकी ओर ध्यान दें। अपने देशमें हमें स्वदेशी मालको बेचनेका आन्दोलन चलानेकी जरूरत नहीं है, बल्कि माल पैदा करनेकी जरूरत है।'

मैं बोला— 'अगर मैं यही काम करता होअूं, तब तो आप मुझे आशीर्वाद देंगे न?'

‘सो कैसे? अगर आप मिल खोलनेका प्रयत्न करते हों, तो आप धन्यवादके पात्र हैं।’

‘सो तो मैं नहीं करता, वल्कि मैं तो चरखेकी हलचलमें पड़ा हूँ।’

‘यह क्या चीज है?’

मैंने चरखेकी बात कह सुनायी और कहा —

‘मैं आपके विचारसे सहमत होता हूँ। मुझे मिलोंकी दलाली नहीं करनी चाहिये। मुझको तो अुत्पत्ति करनेमें और जो कपड़ा अुत्पन्न हो, उसे बेचनेमें लग जाना चाहिये। मैं जिस प्रकारकी स्वदेशीमें विश्वास करता हूँ; क्योंकि जिसके द्वारा हिन्दुस्तानकी भूखों मरनेवाली और आवे समय बेकार रहनेवाली औरतोंको काम दिया जा सकता है। मैं नहीं जानता कि चरखेकी यह हलचल कितनी सफल होगी। यह तो अभी अुसका आरंभकाल ही है। लेकिन मुझे अुसमें पूरा विश्वास है। कुछ भी हो, लेकिन अुसमें नुकसान तो हरगिज नहीं है। जिस हलचलसे हिन्दुस्तानमें पैदा होनेवाले कपड़ेमें जितनी वृद्धि होगी, अुतना लाभ ही है। जिसलिये जिस प्रयत्नमें वह दोष तो है ही नहीं, जिसका अभी आपने जिक्र किया था।’

‘अगर आप जिस तरह जिस हलचलको चलाना चाहते हैं, तो मुझे कुछ कहना नहीं है। यह अेक अलग बात है कि जिस युगमें यह चरखा चलेगा या नहीं। मैं तो आपकी सफलता ही चाहता हूँ।’

असहयोगका प्रवाह

खिलाफतके मामलेमें अलीभाबियोंका ज़बरदस्त आन्दोलन चर रहा था। मौलाना अब्दुल वारी वगैरा अुलेमाओंके साथ इस विषयके खूब चर्चायें हुईं। इस वारेमें खूब चर्चा और विवेचन हुआ कि मुसलमान शांतिको, अहिंसाको, कहाँ तक पाल सकते हैं, और आखिर यह तय हुआ कि अमुक हद तक युक्तिके रूपमें अुसका पालन करनेमें कोअी अंतराज नहीं हो सकता। और अगर किसीने अेक वार अहिंसाकी प्रतिज्ञा की है, तो वह अुसे पालनेके लिये बंधा हुआ है। आखिर खिलाफत परिषदमें असहयोगका प्रस्ताव पेश हुआ और बड़ी चर्चके बाद वह मंज़ूर हुआ।

कांग्रेसकी महासमितिके इस प्रश्न पर विचार करनेके लिये कांग्रेसका अेक विशेष अधिवेशन सन् १९२० के सितम्बर महीनेमें कलकत्तेमें करनेका निश्चय किया।

मेरे प्रस्तावमें खिलाफत और पंजावके अन्यायको लेकर ही असहयोगकी बात कही गयी थी। श्री विजयराघवाचार्यको इसमें कोअी दिलचस्पी न मालूम हुयी। अुन्होंने कहा — 'अगर असहयोग ही करना है, तो वह अमुक अन्यायके लिये ही क्यों किया जाय? स्वराज्यका अभाव बड़े-से-बड़ा है। अतअेव अुसके लिये असहयोग किया जा सकता है।' मोतीलालजी भी अिसे शामिल कराना चाहते थे। मैंने तुरंत ही अिस सूचनाको मान लिया, और प्रस्तावमें स्वराज्यकी माँग भी सम्मिलित कर दी। विस्तृत, गंभीर और कुछ तीखी चर्चाओंके बाद असहयोगका प्रस्ताव पास हुआ।

कांग्रेसके विशेष अधिवेशनमें स्वीकृत असहयोगके प्रस्तावको नागपुरमें होनेवाले कांग्रेसके वार्षिक अधिवेशनमें क्रायम रखना था। वहाँ भी असहयोगका प्रस्ताव पास हो गया।

जिसी बैठकमें कांग्रेसके विधानका प्रस्ताव भी पास करना था। विधानमें विषय-विचारिणी-सभाने अेक ही महत्त्वका परिवर्तन किया था। मैंने प्रतिनिधियोंकी संख्या पंद्रह सौकी मानी थी। विषय-विचारिणी-सभाने जिसे बदलकर छः हजार कर दिया। मैं मानता था कि यह क्रम विना सोचे अुठारा गया है। मैं जिस कल्पनाको त्रिलकुल गलत मानता हूँ, कि बहुतसे प्रतिनिधियोंसे काम अधिक अच्छा होता है, अथवा जनतंत्रकी अधिक रक्षा होती है। प्रजातंत्रकी रक्षाके लिये जनतामें स्वतंत्रताकी, स्वाभिमानकी और अेकताकी भावना होनी चाहिये, और अच्छे तथा सच्चे प्रतिनिधियोंको ही चुननेका आग्रह रखना चाहिये।

जिसी सभामें हिन्दू-मुस्लिम अेकताके वारेमें, अन्त्यजोंके वारेमें और खादीके वारेमें भी प्रस्ताव पास हुये। उस समयसे कांग्रेसके सदस्योंने अस्पृश्यताको मिटानेका भार अपने अूपर लिया है, और खादीके द्वारा कांग्रेसने अपना संबंध हिन्दुस्तानके नर-कंकालोंके साथ जोड़ा है। कांग्रेसने खिलाफतके सवालके सिलसिलेमें असहयोगका निश्चय करके हिन्दू-मुस्लिम अेकताको सिद्ध करनेके लिये अेक महान् प्रयास किया था।

पूर्णाहुति

अब अिन अध्यायोंको समाप्त करनेका समय आ पहुँचा है। पाठकोंसे विदा लेते हुअे मुझे दुःख होता है। मेरे निकट अपने अिन प्रयोगोंकी बहुत कीमत है। मैं नहीं जानता कि मैं अुनका यथार्थ वर्णन कर सका हूँ या नहीं? यथार्थ वर्णन करनेमें मैंने कोअी कसर नहीं रखी है। सत्यको मैंने जिस रूपसे देखा है, जिस मार्गसे देखा है, अुसे प्रकट करनेका मैंने सतत प्रयत्न किया है, और पाठकोंके लिये अुसका वर्णन करके चित्तमें शांतिका अनुभव किया है। क्योँकि मैंने आशा यह रखी है कि अिससे पाठकोंके मनमें सत्य और अहिंसाके प्रति अधिक आस्था अुत्पन्न होगी।

मैंने सत्यसे भिन्न किसी परमेश्वरका कभी अनुभव नहीं किया। यदि अिन अध्यायोंके पन्ने-पन्नेसे यह प्रतीति न हुअी हो कि सत्यमय वननेके लिये अहिंसा ही अेकमात्र मार्ग है, तो मैं अिस प्रयत्नको व्यर्थ समझता हूँ। प्रयत्न चाहे व्यर्थ हो, किन्तु वचन व्यर्थ नहीं है। मेरी अहिंसा सच्ची होने पर भी कच्ची है, अपूर्ण है। अतअेव हजारों सूर्योंको अेकत्र करनेसे भी जिस सत्यरूपी सूर्यके तेजका पूरा माप निकल नहीं सकता, सत्यकी मेरी झाँकी अैसे सूर्यकी अेक किरण-मात्रके दर्शनके समान ही है। अुसका संपूर्ण दर्शन संपूर्ण अहिंसाके विना असंभव है।

अैसे व्यापक सत्य-नारायणके प्रत्यक्ष दर्शनके लिये जीवमात्रके प्रति आत्मवत् प्रेमकी परम आवश्यकता है। और जो मनुष्य अैसा करना चाहता है, वह जीवनके किसी भी क्षेत्रसे वाहर नहीं रह सकता। यही कारण है कि सत्यकी मेरी पूजा मुझे राजनीतिमें खींच ले गअी है। मुझे यह कहते हुअे संकोच नहीं होता, और न मैं अैसा कहनेमें कोअी अविनय देखता हूँ, कि जो मनुष्य यह कहता है कि धर्मका राजनीतिसे कोअी संबंध नहीं है, वह धर्मको नहीं जानता।

विना आत्मशुद्धिके जीवमात्रके साथ अक्य सब ही नहीं सकता । आत्मशुद्धिके विना अहिंसा-धर्मका पालन सर्वथा असंभव है । अशुद्धात्मा परमात्माके दर्शन करनेमें असमर्थ है । अतएव जीवन-मार्गके सभी क्षेत्रोंमें शुद्धिकी आवश्यकता है, और यह शुद्धि साध्य है । क्योंकि व्यक्ति और समष्टिके बीच असा निकटका संबंध है, कि अककी शुद्धि अनेकोंकी शुद्धिके बराबर हो जाती है । और व्यक्तिगत प्रयत्न करनेकी शक्ति तो सत्य-नारायणने सबको जन्म ही से दी है ।

लेकिन मैं तो प्रतिक्षण यह अनुभव करता हूँ, कि शुद्धिका यह मार्ग विकट है । शुद्ध बननेका अर्थ है, मनसे, वचनसे और कायासे निर्विकार बनना, राग-द्वेषादि रहित बनना । जिस निर्विकारता तक पहुँचनेके लिये प्रतिक्षण प्रयत्न करते हुअे भी मैं पहुँच नहीं पाया । जिसलिये लोगोंकी स्तुति मुझे भुलावेमें नहीं डाल सकती । यह स्तुति प्रायः खटकती है । मनके विकारोंको जीतना संसारको शस्त्र-युद्धसे जीतनेकी अपेक्षा भी मुझे कठिन मालूम होता है । हिन्दुस्तान आनेके बाद भी मैं अपने अंदर छिपे हुअे विकारोंको देख सका हूँ, शरमिन्दा हुआ हूँ, किन्तु हारा नहीं । सत्यके प्रयोग करते हुअे मैंने रस लूटा है, आज भी लूट रहा हूँ । लेकिन मैं जानता हूँ कि अभी मुझे विकट मार्ग पूरा करना है । जिसके लिये मुझे शून्यवत् बनना है । जब तक मनुष्य स्वेच्छासे अपनेको सबसे नीचे नहीं रखता, तब तक उसे मुक्ति नहीं मिलती । अहिंसा नम्रताकी पराकाष्ठा है । और यह अनुभवसिद्ध बात है कि जिस नम्रताके विना मुक्ति कभी मिलती नहीं । असी नम्रताके लिये प्रार्थना करता हुआ, और उसके लिये संसारकी सहायताकी याचना करता हुआ जिस समय तो मैं जिन अध्यायोंको समाप्त करता हूँ ।

सूची

- 'अन टु दिस लास्ट' ४१, १५७
 अनसूयावाजी २१८
 'अन्नाहारकी हिमायत' २४
 अब्दुलकरीम जवेरी ४७
 अब्दुलगनी सेठ ५७
 अब्दुल्ला सेठ ५०, ६७-९
 'अमृत वाजार पत्रिका' ८९
 अमृतलाल ठक्कर २०५
 अलीभाभी २२५-६, २५२
 अहमदाबाद २०४, २३८; —
 के मिल-मजदूरोंकी लड़ायी
 २१८-९; —के मिल-
 मालिकोंका समझौता २२२;
 —में गांधीजीके अपवास २२१
 आनन्दशंकर ध्रुव २२२
 'आरोग्य विषयक साधारण ज्ञान' १३७
 आल्वर्ट वेस्ट १५४-५
 आश्रम —की कसौटी २०५-६;
 —की जगह बदली २१९;
 —की स्थापना २०४
 'अंग्लिशमैन' ८९
 अंग्लैंड २२
 'अण्डियन ओपीनियन' १४७-९, १५९
 'अण्डियन फ्रेञ्चायिज' ६७-९
 बीसा सेठ ५६
 भुमर सोवानी २३६
 अंडूज १९२, १९७
 अ० डब्ल्यू० वेकर ५८-९
 अडेवर्ड गेट (गवर्नर) २१७-८
 अडेविन ऑनॅल्ड ३५
 अेलिन्सन (डॉ०) ३१, १८८
 अेस्कम्व ७१, ९४, ९७
 कवा गांधी १९
 कस्तूरवाभी १४१-३, १६४
 कानगा (डॉ०) २३०
 कार्लाबिल ३६
 'की टु थियॉसोफी' ३५
 केशवराव देशपाण्डे ८७
 कौलनवैक १४६, १७०, १७८, १८७
 कोट्स ५९-६०, ६२-३
 'कॉलोनियल बॉर्न अण्डियन अेज्यु-
 केशनल अेसोसियेशन' ७३
 क्राबुज्जे (डॉ०) ६२
 क्रूगर (प्रेसीडेण्ट) ६२
 'क्रॉनिकल' २४१

गंगावहन २४९

गांधीजी — अमृतसर कांग्रेसमें २४६; — अहिंसाके बारेमें १८३-४; — अहिंसा नम्रता की पराकाष्ठा है २५५; — आत्मशुद्धिके विना अहिंसा असंभव है २५५; — आत्मिक शिक्षा किस प्रकार दी जाय ? १७५; — अुपवास और ब्रह्मचर्यके बारेमें १७०-१; — का अंडेका प्रयोग ३०; — का असहयोगका प्रस्ताव २५२; — का अुपवासका निश्चय २२१; — का अेक पत्नीव्रतका विचार ६; — का कब्जके लिये मिट्टीका अुपचार १३६-७; — का कांग्रेसमें प्रवेश २४७-८; — का घरके खान-पानमें सुधार ४३; — का चोरी न करनेका निश्चय १३; — का दूध-त्याग १७०; — का देश-नामन ११२; — का धार्मिक ग्रंथोंका स्वाध्याय ७७; — का नाताल रुक जाना ७१; — का प्रायश्चित्तके लिये अुपवास १७८; — का ब्रह्मचर्यका निश्चय १०२, १६६; — का मांसाहारके त्यागका निश्चय

११; — का शरमीलापन ३१; — की कसरतके प्रति अरुचि ८; — की कसौटी ४९, ९४-६; — की दक्षिण अफ्रीकाकी तैयारी ४७; — की पगड़ीका किस्सा ५०; — की पोर्टस्मथकी घटना ३७; — की वहनोत्रीकी सेवा-शुश्रूषा ८६; — की वोअर-युद्धमें सेवा १०८-९; — की 'मूर्खता' ५; — की विलायत जानेके लिये तीन प्रतिज्ञायें २०; — की शिकरमकी घटना ५५; — की 'सभ्यता' सीखनेकी तैयारी २६; — की सिरदरदसे मुक्ति १३६; — की सेवावृत्ति १००-१; — के आहारके प्रयोग २९, ३१, १६७; — के जीवनमें सादगी १०७; — के पिताजीकी मृत्युका प्रसंग १५; — के रहन-सहनमें सादगी २८; — को कांग्रेसका अनुभव ११५; — को पहला आघात ४५; — को बीड़ी पीनेका शौक १२-३; — को रसोयियेने जाग्रत किया ७९-८०; — को सत्यका

संक्षिप्त आत्मकथा

- वोध १८; —
- आन्दोलन २४४-५; —
- ०खेड़ा-सत्याग्रह २२३; —
- गोखलेके साथ ११८-२०; —
- ०चम्पारनका सत्याग्रह २१३; —
- चरखेके बारेमें २५१; —
- ०जुलू-विद्रोह १६३; —
- थियोसॉफिस्टके संपर्कमें १३१; —
- दूसरी बार दक्षिण अफ्रीकाके लिये स्वाना ९०; —
- देशको रवाना ८१; —
- ०नमक और दालके त्यागसे ब्रह्मचारीको लाभ १६८-९; —
- नाताल अिण्डियन कांग्रेसका जन्म ७३; —
- ने नमक-दाल छोड़ी १६८-९; —
- ने 'नवजीवन' और 'यंग इंडिया' की जिम्मेदारी ली २४२; —
- ने पगड़ी अुतारी ७२; —
- ० पंजाबमें २४२-३; —
- पर रस्किनकी पुस्तकका प्रभाव १५७-८; —
- पर 'श्रवण-पितृभक्ति' और 'हरिश्चन्द्र' नाटकका असर ५; —
- पुनः दक्षिण अफ्रीका १२६; —
- ० फिनिक्सकी स्थापना १५९; —
- ० वालासुन्दरम्का केस ७४-५; —
- ० ब्रह्मचर्यका अर्थ १०४-६; —
- सजदुरोंके बीच २१८; —
- ० मणिलालकी
- वीमारी १२२-४; —
- महा-मारीके समय १५२-५; —
- ० रामनामका बीज १६; —
- ० रौलट अैक्ट और सत्याग्रह-सभाकी स्थापना २३१-३; —
- वापस हिन्दुस्तान ३९, १८९; —
- ० विद्यार्थीके प्रति शिक्षकका धर्म १७६; —
- शांतिनिकेतनमें १९६-७; —
- शिक्षक ही विद्यार्थीकी पाठ्य-पुस्तक है १७४; —
- ० शिक्षामें अुद्योगका स्थान १७३; —
- ० सत्याग्रह आश्रमकी स्थापना २०४-५; —
- सत्याग्रहके बारेमें २३९-४०; —
- सत्याग्रह मुलतवी करनेका निश्चय २३८-९; —
- ० सार्वजनिक सेवकके लिये निजी भेंट वर्ज्य है ११४
- गुरुदास वेनर्जी २०५
- गोखले १८७, १९३; —
- ० का अवसान १९७
- घोषालवावू ११५-६
- चार्ल्सटाउन ५४
- चेम्बरलेन ९७
- जंजीवार ४८
- 'जरथुस्तके वचन' ७८
- जिन्ना १९३, २४६
- जीवणलाल २०४

- जीवराज महेता, (डॉ०) १८०,
१८१, १८७
- ज्यॉर्ज गॉडफ्रे १२९
- 'टाबिम्स' (लन्दन) ७०
- 'टाबिम्स ऑफ ब्रिण्डिया' ७०
- टॉल्स्टॉय ४१
- टॉल्स्टॉय-आश्रम १७२
- तन्त्रबलकर (डॉ०) २३०
- तैयब सेठ ५३
- तैयब हाजी खानमहम्मद ६१
- दादा अब्दुल्ला ४७
- दीनशा अदलजी वाच्छा ८७, ११५
- दूदाभाजी २०५
- देव (डॉ०) २००
- 'धर्म-विचार' ७७
- नर्मदाशंकर ७७
- 'नाताल अडेवरटाबिज्जर' ९८
- 'पायोनियर' ८३
- पिटीट १९२
- पोरबन्दर ३
- पोर्टस्मथ ३७
- पोलाक १५४, १६०, १६१, १६४
- प्रफुल्लचन्द्र राय १२०
- प्रयाग ८३
- प्राणजीवन महेता (डॉ०) २२, १३६
- प्रिटोरिया ५२
- फिनिक्स १५९, १६०
- फ्रीरोजशाह महेता ३९, ४६, ८५,
८७, १९२
- फ्रेडरिक पिक्ट ३९
- 'बंगवासी' ८९
- वदरुद्दीन ३९, ८५
- वद्री १३५
- वम्बजी २०
- बालासुन्दरम् ७४-५
- 'बुद्धचरित' ३५
- बूय (डॉ०) ८५
- बेंथम २३
- बेकर ६५
- बेचरजी स्वामी २०
- बेलसाहब २६
- ब्रजकिशोरबाबू २१०-११
- ब्राबिटन ३३
- भूपेंद्रनाथ बसू ११५
- मगनलाल गांधी १९६
- मणिलाल गांधी — की संस्त
बीमारी १२२-४
- मदनजीत १४८, १५२
- मनसुखलाल नाजर १४८
- ममीबाजी ४४
- महम्मद कासिम कमरुद्दीन ५६
- महात्मा मुंशीराम २०२
- मालवीयजी २०७, २४३, २४६
- मावजी दवे १९
- मेमण ५२
- मैञ्चेस्टर ३६
- मैक्समूलर ७७
- मैडम ब्लैवेट्स्की ३५

२६०

मैरित्सवर्ग ५३
मोजाम्बिक ४९
मौतीलाल दर्जी १९४-५
मौतीलाल नेहरू २४६
मौतीहारी २१२
मोम्बासा ४८
मोहनलाल पंड्या २१८
मौलाना अब्दुल वारी २४४, २५२
मौलाना मज्रूल हक २०९
रंभा १६
रस्किन ४१, १५७
राजकुमार शुक्ल २०८-९
राजकोट ३
राजगोपालाचार्य २३३
राजेन्द्रबाबू २१०
रामकृष्ण भाण्डारकर (प्रो०) ८७
रामदेवजी २०२
रानडे ८५
रायचन्दभाजी ४०, ६७
रिच १३१, १६०
रुस्तमजी सेठ ९५
रेवाशंकर जगजीवन ४०
रेवाशंकर वैद्य १२५
रॉबर्ट्स १८६, १८८
लन्दन ३३
लक्ष्मी २०५
लाधा महाराज १६
लामू ४८
लाला हरकिसनलाल २४६
लोकमान्य तिलक ८७, २४६

संक्षिप्त आत्मकथा

लॉटन ९४
लॉर्ड कू १८२
वल्लभभाजी २३२
विजयराघवाचार्य २५२
'विभक्तियाँ और विभूति-पूजा' ३६
विलियम गाँडफ्रे (डॉ०) १५२
वीरमगाम १९४
वेण्टनर ३२
वेलिंग्टन कन्वेन्शन ६५
वेस्ट १५७
शंकरलाल वैकर २३२-३
शामल भट्ट ३६
श्रद्धानन्दजी १९२, २३४
'श्रवण-पितृभक्ति' ५
श्रीमती वेसेण्ट ३५
श्लेशिन (मिस) १४६-७
'सर्वोदय' १५८
सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ८९
साँडर्स ८९
सोराबजी अडाजनिया १८१
साँल्ट (मि०) २४
'स्टैण्डर्ड अेलोक्यूशनिस्ट' २६
'स्वर्ग तेरे हृदयमें है' ४१
'हरिश्चन्द्र' ५
'हरी पुस्तिका' ८३
हाजी मुहम्मद ७०
'हिन्द स्वराज' १८३
हॉबर्न ३२
हॉर्निमैन १०४१

